लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

PARLIAMENT LIBRARY
No. 66222
Date 4/1/72

सत्यमेव जयते

Preservation Slip
12-8-97
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—7, सोमवार, 20 मार्च, 1972/30 फाल्गुन, 1893 (शक)
No.—7, Monday, March 20, 1972/Phalguna 30, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	MEMBER SWORN	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
81. राज्यों में अनाज के लिए उचित मूल्य की दुकानें	Fair Price Shops for Foodgrains in States	1—3
82. भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूं की बिक्री	Sale of Wheat by FCI in Open Market	3—4
84. स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों का सम्मेलन	Conference of Directors of Health Services	4—6
86. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अहाते में राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के कब्जे से भवन को खाली कराया जाना	Vacation of Building in the Possession of R.S.S. in B.H.U. Campus	6—7
88. केरल में मत्स्य पालन के विकास के लिए मास्टर प्लान	Master Plan for Development of Fisheries in Kerala	7—8
89. जिला अल्मोड़ा के शुपी पट्टी मल्ला घनपुर के हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ व्यवहार	Treatment of Harijans and Backward Class People of Village Shupi Patti Malla Dam Pur, District Almora	8—9
90. सामुदायिक विकास के संबंध में उच्च शक्ति प्राप्त आयोग	High Powered Commission on Community Development	9—11
93. गैर सरकारी परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने अथवा उसे नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव	Proposal to Nationalise or Control Private Transport	11—13

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

तां० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
94.	बच्चों के लिए पोषक आहार कार्यक्रम — Nutrition Programme for Children	13—17
95.	राष्ट्रीय आवास नीति — National Housing Policy	17—19
96.	परिवार और बाल कल्याण परियोजनायें — Family and Child Welfare Projects	19—20
	प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
	तारांकित प्रश्न S. A. No.	
83.	हरिजनों के कल्याण के लिये नियत की गई निधि का उपयोग — Utilisation of Funds meant for Welfare of Harijans	20
85.	चौथी पंचवर्षीय योजना के के दौरान कृषि विश्व विद्यालय — Agricultural Universities during Fourth Plan	20—21
87.	केरल में नारियल के मूल्य में गिरावट — Fall in Price of Coconut in Kerala	21—22
91.	भारत पाकिस्तान युद्ध (1971) के परिणाम-स्वरूप फसलों को हुई क्षति के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा — Compensation to Farmers of Border Areas for loss of their Crops during Indo-Pak. War (1971)	22
92.	सिधी में ग्राम विकास कार्यक्रम — Rural Works Programme in Sidhi	22—23
97.	बेरोजगार डाक्टर — Jobless Doctors	23
98.	सुरक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना — Setting up of a Defence University	23
99.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भूमि का आबंटन — Allotment of Land to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	23—24
100.	पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूं के आयात का समाप्त करना और गेहूं तथा चावल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना — Stoppage of Wheat Import under P.L.-480 and Self Sufficiency in Wheat and Rice	24
	अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	
640.	मन्नम शुगर मिल्ज को-आपरेटिव लिमिटेड पंडालम, केरल के कार्य के बारे में प्रतिवेदन — Report on Working of Mannam Sugar Mills Co-operative Ltd. Pandalam Kerala	24—25

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
641. राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सप्लाई किये गए बीजों की किस्मों के बारे में शिकायतें	Complaints about the quality of Seeds Supplied by National Seeds Corporation	25
642 चीनी के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए कार्यवाही	Steps taken to Check Rice in Price of Sugar	25—27
643 त्रिवेन्द्रम में कन्दमूल रिसर्च इंस्टीट्यूट का विकास	Development of Tuber Crop Research Institute, Trivandrum	27—28
644. मार्जिनल किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लाभ सम्बन्धी योजना को बिहार के पालामऊ जिले में बढ़ाना	Extension of Scheme for benefit of Marginal Farmers and Agricultural Labour to Palamau in Bihar	28
645. ग्रेटर कैलास भाग II नई दिल्ली में मकानों का निर्माण	Construction of Houses in Greater Kailash Part II, New Delhi	28—29
646. विभागों/मन्त्रालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के सारा दिन खुले रहने वाले दूध केन्द्रों में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service Conditions of Staff Employed at all Day Milk Stalls of D.M.S. in Deptts/Ministries	29
647. विभिन्न विभागों/मंत्रालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य करने के घंटे	Working Hours of the Staff of D.M.S. Booth in various Department/ Ministries	29—30
648. केरल में बेपोर पत्तन के लिए तलकर्षक (ड्रेजर)	Dredge for Baypore Port in Kerala	30
649. कनिष्ठ इन्जीनियरों को प्रोत्साहन	Incentives to Junior Engineers	30—31
650. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इन्जीनियरों के मामले	Cases of Junior Engineers in C.P.W.D.	31—32
651. अन्दमान लोक निर्माण विभाग में सहायक इन्जीनियरों की नियुक्ति	Posting of Assistant Engineers in Andaman P.W.D.	32
652. नई दिल्ली में पुराने किले में खुदाई	Excavation in Purana Qila in New Delhi	32—33
653. कोचीन में शिपयार्ड परियोजना	Shipyard Project at Cochin	33

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
654. केन्द्रीय नारियल अनुसंधान केन्द्र, कासरगोड, केरल का विकास	Development of Central Coconut Research Station at Kasargod, Kerala	33—34
655. सरकारी भवनों में लिफ्टों के कार्य सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of Enquiry Committee on the Working of Lifts in Government Buildings	34
656. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लिफ्टों की देख-रेख	Lifts maintained by C.P.W.D.	34
657. सूजी और मैदा का निर्यात	Export of Suji and Maida	35
658 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से चम्बल परियोजना कमाण्ड के जलग्रस्त क्षेत्रों को खेती योग्य बनाना	Reclamation of Water Logged Areas of Chambal Project Command with Assistance of United Nations Development Programme	35—36
659. तम्बाकू के उत्पादन में कमी	Decline in Growth of Tobacco	36—37
660. केरल में क्विलोन के स्थान पर काजू के छिल्के के तेल के लिए अनुसंधान संस्थान सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal for Research Institute for Cashew Nut Shell Liquid at Quilon Kerala	37
661. वर्ष 1970-71 में ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors during 1970-71	37—38
662. दिल्ली में शराब की खपत और बिक्री	Consumption and Sale of Liquor in Delhi	38
663. आदर्श नगर के रूप में दिल्ली की योजना	Plan for Delhi as an ideal City	38—39
664. चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने हेतु ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना	Inclusion of Scheme from Kerala under Crash Programme for Rural Employment in Fourth Plan	39
665. ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम का पुनर्विलोकन	Review of Crash Programme for Rural Employment	39—40
666. अति सर्दी के कारण लोगों की मृत्यु	Deaths due to Cold	40
667. केन्द्रीय भण्डागार निगम के भूतपूर्व महानिदेशक के विरुद्ध अभ्यावेदन	Representations against former Managing Director of Central Warehousing Corporation	40
968. श्रम प्रधान योजनायें	Labour Intensive Schemes	40—41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
669.	तूतीकोरिन पत्तन परियोजना तमिलनाडु में सरकारी मजदूरों द्वारा हड़ताल	Strike by Government Workers in Tuticorin Harbour Project, Tamilnadu	41
670.	ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग किया जाना	Utilisation of Funds by States under Crash Programme for Rural Employment	41
671.	दरभंगा जिले में बाली राजपुर में राजा बाली के किले में खुदाई कार्य	Excavation Work at the Fort of Raja Bali at Balirajpur in Darbhanga District	42
672	भारत तथा विदेशों में उर्वरक के मूल्य	Prices of Fertilizer in India and Abroad	42—44
673.	राजनैतिक दलों को नई दिल्ली में कार्यालय तथा रिहायशी स्थानों का आबंटन	Allotment of Accommodation to Political Parties in New Delhi	44
675.	सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली के निकट पुल का निर्माण	Construction of Bridge near Safdarjang Airport, New Delhi	44
676.	दिल्ली दुग्ध योजना में दुग्ध चूर्ण की चोरी की जांच	Enquiry into Pilferage of Milk Powder in Delhi Milk Scheme	45
677.	दिल्ली में बस दुर्घटना में मारे गये स्कूल के विद्यार्थी	School Children killed in Bus Accidents in Delhi	45
678.	जर्मन लोकतंत्र गणराज्य द्वारा मालवाही जहाज का निर्माण करने की पेशकश	Offer for Manufacture of Cargo Vessels by German Democratic Republic	45—46
679.	अखिल भारतीय बधिर एवं मूक संघ को अनुदान	Grant of Funds to All India Federation of Deaf and Dumb	46
680.	डेंटल कालेज, त्रिवेन्द्रम में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	Post Graduate Course in the Dental College, Trivandrum	46
681.	केरल में रोजगार योजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण की योजना	Scheme under Employment Plan for Soil Conservation in Kerala	46—47
682.	छात्रवृत्तियों पर विदेशों में भेजे गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्र	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students sent abroad on Scholarships	47
683.	बिहार में राष्ट्रीय मार्गों और लिंक रोडों पर खर्च की गई राशि	Expenditure on National Highways and Link Roads in Bihar	47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
684. बिहार में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के स्नातक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Graduates in Bihar	47--48
685. ग्राम क्षेत्रों में भूमिहीनों के लिये आवासीय स्थानों की व्यवस्था करने की केन्द्रीय योजना	Central Scheme for Provision of Housing Sites for the Landless in the Country Side	48
686. विश्व पुस्तक मेला	International Book Fair	48—49
687. मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खण्डों की स्थापना	Setting up of Adivasi Development Blocks in Madhya Pradesh	49
688. वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सिधी और सरगुजा जिले में आदिवासी झोंपड़ियों का जलाया जाना	Adivasi Huts burnt by Forest Department Staff in Sidhi and Sarguja Districts	49—50
689. सरगुजा के आदिवासियों द्वारा प्रीमियम का भुगतान	Payment of Premium by Adivasi of Sarguja	50
690. मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा सिधी तथा सरगुजा जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के विरुद्ध चलाये गए मुकदमें	Cases prosecuted against S. C. and S. T. by Forest Department of Madhya Pradesh in Sidhi and Sarguja Districts	50
691. छात्र संसद् कार्यक्रम	Mock Parliament Programmes	50—51
692. लन्दन स्थित इण्डिया आफिस लायब्रेरी का अधिग्रहण	Acquisition of India Office Library London	51
693. राज्यों में मानसिक रूप से अविकसित तथा विकलांग बच्चों के लिए माडल स्कूलों की स्थापना करना	Setting up of Model Schools for Mentally Retarded and Handicapped Children	51
694 विकलांगों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र	National Centre for Orthopaedically Handicapped	52
695. विशेष पोषक आहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन	Implementation of Special Nutrition Programme	52
696. परीक्षा प्रणाली में सुधार करने सम्बन्धी समिति	Committee on Reforming Examination System	52—53
697. निराश्रित महिलाओं के लिए कल्याण की योजना लागू करना	Implementation of Scheme for Welfare of the Destitute Women	53

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
698. स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा नेत्रहीन बच्चों के लिए चलाई जा रही संस्थाएं	Institutions for Blind Children run by Voluntary Agencies	53
699. देश में कृषि योग्य भूमि	Cultivable Land in the Country	54
700. बैलों और कृषि उत्पादों के तुलनात्मक मूल्य	Comparative Price of Bullocks and Agricultural Products	55—56
702. औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनाई गई श्रमिक बस्तियां	Labour Colonies constructed under Industrial Housing Scheme	56
703. भारतीय खाद्य निगम में हड़ताल	Strlke in Food Corporation of India	56
704. दिल्ली परिवहन निगम की कार्यकरण की शिकायतें	Complaints against Working of Delhi Transport Corporation	57
705. नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू के फ्लैटों और अन्य फ्लैटों में रह रहे भूतपूर्व संसद सदस्य	Ex-M.Ps. living in North and South Avenues and in other Flats	57—58
706. नई दिल्ली के डी० आई० जेड० क्षेत्र के सैक्टर डी० में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Basic Facilities in Sector 'D' of DIZ Area, New Delhi	58—59
707. सैक्टर 'डी०' डी० आई० जेड क्षेत्र नई दिल्ली, में दिल्ली दुग्ध योजना का बूथ खोला जाना	Opening of a DMS Booth in Sector 'D' DIZ Area, New Delhi	59
708. वर्ष 1971 में क्षतिग्रस्त हुआ खाद्यान्न शराब के कारखानों को बेचा जाना	Damaged Foodgrains sold to Breweries during 1971	59—60
709. हल्दिया में शिपयार्ड बनाने की रिपोर्ट	Report on Building a Shipyard at Haldia	60
710. गोदावरी नदी की सहायक नदी के निकट बीहड़ों में से प्रागैतिहासिक वस्तुओं का पाया जाना	Fossils found in Ravines along Tributory of Godavari	60
711. बिहार सरकार से जल परिवहन सेवा संबंधी प्रस्ताव	Proposals from Government of Bihar for River Transport Service	60—61
712. भारत पाक युद्ध में मरे व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा	Education of Children of persons died in Indo-Pak. War	61—62

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
713. बंगलादेश के लिए समुद्री जहाज	Ships for Bangla Desh	62
714. पंगु जवानों का पुनर्वास	Rehabilitation of Orthopaedically Handicapped Jawans	62—63
715. चक्षुहीन बच्चों की शिक्षा	Education for Blind Children	63
716. रायल कामनवैल्थ सोसाइटी फार दी ब्लाइन्ड एण्ड द्वारा भारतीय नेत्रहीन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना	Scholarships to Indian Blind Students by Royal Commonwealth Society for the Blind	63
717. 1971 में अनाज का उत्पादन	Production of Foodgrains during 1971	64
718. वर्ष 1971 के दौरान गन्ने की खेती का रकबा और चीनी का उत्पादन	Acreage under Sugarcane Cultivation and Sugar Production during 1971	64—65
719. दूसरे हुगली पुल के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता की स्वीकृति	Financial Sanction for Construction of Second Hooghly Bridge	66
720. दिल्ली परिवहन निगम द्वारा प्राइवेट बसों को हटाना	Replacement of Private Buses by Delhi Transport Corporation	66
721. एक राज्य से दूसरे में चीनी लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध	Banning of Inter-State Movement of Sugar	66--67
722. मंगलौर पत्तन को गहरा करना	Deepening of Mangalore Harbour	67
723. उर्वरक संवर्धन परिषद्	Fartiliser Promotion Council	67—68
724. भारत में विश्वविद्यालय	Universities in India	68
725. दिल्ली स्थित हस्पतालों के के उपचर्या गृहों में स्थान पाने के लिये नियम	Rules for Admission to the Nursing Homes in Delhi's Hospitals	68—69
726. विश्वविद्यालयों के शिक्षा स्तर में गिरावट	Falling Standard of Education in Universities	69—70
727. गेहूं तथा चावल के भण्डार गृह	Wheat and Rice Storages	70—71
728 आग के कारण बम्बई में एक जलपोत की हुई क्षति	Damage to Ship at Bombay due to Fire	71
729. तिब्बिया कालेज में हड़ताल	Strike in Tibbia College	71
730. दिल्ली में स्कूल जाने वाले बच्चों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण	Survey regarding School going Children in Delhi	72

अता० प्र० संख्या	विषय	पृष्ठ
U. S. Q. Nos.	Subject	Pages
731. चौथी योजना के दौरान भूमि का कृष्यकरण	Land Reclamation during Fourth Plan	72
732. नई दिल्ली स्थित विदेश मन्त्रालय के होस्टल में एक अधिकारी की पत्नी की मृत्यु के बारे में जांच	Enquiry into Death of an Officer's Wife in External Affairs Ministry's Hostel, New Delhi	72—73
733. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासकीय ढाँचे में परिवर्तन	Change in Administrative Structure of Delhi University	73—74
73 '. घुन लगे चावल से यकृत में कैंसर हो जाने के बारे में अनुसंधान	Research on Moth Contaminated Rice as Cause of Liver Cancer	74
736. दिल्ली पालिटेकनिक्स में एक अलग विज्ञान और मानविकी विभाग बनाना	Creation of Separate Department of Science and Humanities in Delhi Polytechnics	74—75
737. दिल्ली पोलिकेटक्लनिक्स के प्राध्यापकों के वेतन मानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Lecturers in Delhi Polytechnics	75
738. जवाहरलाल नेहरू होमियो-पैथिक मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	Jawaharlal Nehru Homeopathic Medical College, New Delhi	75—76
739. ट्रैक्टरों का उपलब्ध होना	Availability of Tractors	76
740. वेद पाठ वेन्द्रों का खोला जाना	Opening of Vedas Recitation Centres	76—77
741. राज्यों में सहकारी व्यवस्था का दुरुपयोग और सहकारी आन्दोलन का विकास	Misuse of Cooperative Machinery in States and Development of Corporative Movement	77
742. आसाम और कलकत्ता के वीच बरास्ता बंगला देश अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा पुनः आरम्भ करना	Resumption of Inland Water Transport between Assam and Calcutta via Bangla Desh	77
743. तिब्बिया कालेज को अपने हाथ में लेना	Taking over of Tibbia College	77—78
744. जापान कान्फ्रेन्स का मुद्रा समायोजन अधिभार लगाने का निर्णय	Decision to Levy Currency Adjustment Surcharge in Japan Conference	78
745. चिकित्सा सहायता का गांवों तक विस्तार	Expansion of Medical Aid to Villages	78—79
746. स्वास्थ्य केन्द्रों के बिना सामुदायिक खण्ड	Community Blocks without Health Centres	79—80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
747 ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई	Potable Water Supply in Rural Areas	81
748. ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां	Rural Credit Cooperative Societies	81
749. संचारी रोगों के राष्ट्रीय संस्थान के निष्कर्ष	Findings of National Institute of Communicable Diseases	81—82
750. राज्यों में ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए धनराशि का नियतन	Allocation of Funds for Rural Housing Scheme in States	82—83
751. गेहूँ और चावल का निर्यात	Export of Wheat and Rice	83
752. दिल्ली में परिवहन	Transport in Delhi	83—84
753. नौवहन उद्योग का विस्तार	Expansion of Shipping Industry	84—85
754. छात्र संघर्ष समिति द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध आरोप	Charges against BHU Administration by Student's Action Committee	85
755. नई दिल्ली में परिवार नियोजन पर विचार गोष्ठी	Seminar on Family Planning in New Delhi	86
756. सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजपथों की निर्माण लागत का भुगतान करने के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली कसौटी	Criterion for Defrayal of cost by Government for National Highways	86—88
757. विदेशी सहयोग से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए केरल से परियोजना प्रतिवेदन	Project Report from Kerala for Deep Sea Fishing with Foriegn Collaboration	88
758. भारतीय औषधियों और आयुर्वेद के अखिल भारतीय संस्थानों की स्थापना करना	Setting up of All India Institute of Indian Medicine and Ayurveda	88
759. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of Expert Committee on National Cooperative Development Corporation	88—89
760. नई दिल्ली में भूतपूर्व सैनिकों को मध्य आय वर्ग में दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकान देना	Allotment of DDA Tenements in Middle Income Group to Ex-servicemen in New Delhi	89
761. सामुदायिक विकास खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres in C,D, Blocks	89—90

अता० प्र० संख्या U. S. Q, Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
762. कृषकों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा	Inter-State Visits by Farmers	90
763. काशी विद्यापीठ, वाराणसी का बन्द हो जाना	Closure of Kashi Vidyapith varanasi	90
764. दक्षिण पूर्व एशिया चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संगठन का बनाया जाना	Formation of South East Asia Medical and Health Organisation	91
765. कोणार्क अजन्ता, एलोरा और महाबली पुरम में संरक्षण प्रबन्ध	Conservation arrangements in Konarak, Ajanta Ellora and Mahabalipuram	91
766. अकालग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत पानी के सर्वेक्षण हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Survey of Underground Water in Famine Affected Areas	92
767. मुर्गीपालन के लिए ऋण	Loans for Poultry Farming	92
768. शिलांग में विश्वविद्यालय स्थापित करना	Setting up of a University at Shillong	92
769. खाद्यान्न के मूल्य और इसका परिवारों के बजट पर प्रभाव	Prices of Foodgrains and its effect on Family Budget	92—93
770. केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार	Views of State Governments on the Recommendations of Central and Reforms Committee	93—94
771. पूर्वी क्षेत्र में वन्य जीवों का परिरक्षण	Preservation of Wild Life in Eastern Region	94
772. रीजनल इंजीनियरिंग कालेज सिल्चर	Regional Engineering College, Silchar	94—95
773. राज्यों द्वारा आवास योजना के लिए धन का उपयोग	Utilisation of Funds for Housing Scheme by States	95—96
774. मध्य प्रदेश के इन्जीनियरी कालेजों को उच्चतर प्रौद्योगिकी अध्ययन संस्था के रूप में बदलना	Conversion of Engineering Colleges in Madhya Pradesh into Institute for Higher Technological Studies	96
775. थरलेरिया और एनाप्लाजम्स रोगों से ढोरों की रक्षा करने के लिये टीके का निर्माण	Manufacture of Vaccine to protect Cattle from Therleria and Anaplasms	96—97
776. प्राकृतिक चिकित्सा पर व्यय	Expenditure of Naturopathy	97
777. समुदाय विकास के बारे में सलाहकार परिषद् की सिफारिशें	Recommendations of Consultative Council on Community Development	97

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
778. दूसरे हुगली पुल के निर्माण में बिलम्ब	Delay in construction of Second Hooghly Bridge	97–98
779. केन्द्रीय खाद्य मानक समिति की सिफारिश	Recommendation of Central Committee for Food Standards	98
780. खाद्य अपमिश्रण	Food Adulteration	98—99
781. सप्रु हाउस लाइब्रेरी, नई दिल्ली	Sapru House Library, New Delhi	99
782. राष्ट्रीय बीज निगम का प्रबन्ध निदेशक	Managing Director of National Seeds Corporation	99—100
784. नई दिल्ली में डी०आई०जेड० क्षेत्र के सैक्टर डी में चार मंजिले क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Four Storeyed Quarters in Sector 'D' in DIZ Area, New Delhi	100
785 डी० आई. जैड० एरिया नई दिल्ली में नव निर्मित क्वार्टरों में पीने के पानी की सप्लाई	Supply of Drinking Water in newly constructed DIZ Area, New Delhi	100—101
786. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में महिला डाक्टरों के लिये विशेष योजना	Special Scheme in CHS for Lady Doctors	101—102
787 नई दिल्ली/दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों का किराये की इमारतों में स्थित होना	C.H.S. Dispensaries in the rented buildings in Delhi/New Delhi	102—103
788. दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के संशोधित वेतनमान	Revised Pay Scales of Delhi School Teachers	103
789. गेहूँ और चावल का उत्पादन और आयात	Production and Import of Wheat and Rice	103—104
790. बांगला देश को सांस्कृतिक और शैक्षणिक शिष्टमंडल	Cultural and Educational Delegations to Bangla Desh	104
791. नई दिल्ली स्थित कपूरथला प्लाट का खाली किया जाना	Vacation of Kapurthala Plot at New Delhi	104
792. नीन्दकारा, केरल में मत्स्य-पत्तन सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन	Project report on Fishing Harbour at Neendakara, Kerala	104—105
793. केरल में मछुओं के लिए आवास एवं बस्ती योजना	Housing and Colonisation Scheme for Fishermen in Kerala	105

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
794. केनानूर में मोपला बे फिशिंग हार्बर के लिए स्वीकृति	Sanction for Mopla Bay Fishing Harbour at Cannanore	105—106
795. परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता	Success of Family Planning Programme	106—107
796. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड के लिए फिजीशनों का चयन	Selection of Physicians for the C.H.S. Specialist Grade	107—108
797. न्यूयार्क में भगवान नटराज की मूर्ति की बिक्री	Sale of Idol of Lord Nataraj in New York	108
798. दिल्ली और चण्डीगढ़ में मकानों की भारी कमी	Acute Shortage of Houses in Delhi and Chandigarh	108—109
799. पी०एच०डी० सनद प्राप्त व्यक्तियों को अग्रिम वेतन वृद्धियां	Advance Increments to persons holding Ph. D. Degree	109
800. मिथिला विश्वविद्यालय	Mithila University	110
801. चौथी योजना में ग्रामीण विकास के लिये मार्गदर्शी योजनायें	Pilot Projects for Rural Development during Fourth Plan	110—111
802. साधारण रूप में अविकसित व्यक्तियों की समस्या	Problem of the Mildly Retarded	111
803. पंचायत राज चुनाव तथा पंचायत राज संस्थाओं की समीक्षा	Panchayati Raj elections and review Panchayati Raj Institutions	111—112
804. निवास स्थान तथा स्कूल के बीच अधिक दूरी से प्रभावित अध्यापिकायें	Lady Teachers affected by distance of schools from Places of Residence	112
805. परिवार नियोजन पर जापान में गोष्ठी	Seminar on Family Planning in Japan	112
806. उर्वरक का बिक्री मूल्य	Sale Price of Fertilizer	113
807. बन्दरगाहों से गोदामों को गेहूं का भेजा जाना	Despatch of Wheat from Ports to Godowns	113
808. रबी की फसल के लिए मूल्य समर्थक नीति	Price Support Policy for Rabi Crop	113
809. गांवों में रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम की असन्तोषजनक प्रगति के बारे में राज्य मन्त्री का वक्तव्य	Statement by Minister of State regarding Unsatisfactory Progress of Crash Programme for Rural Employment	113—114

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
810. केरल में जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of Centrally Sponsored Schemes for Welfare of Tribals in Kerala	114
811. स्कूल जाने से पूर्व बच्चों के कल्याण के लिए अध्ययन दल	Study Group on Welfare of Pre-School Children	114—115
812. संकर किस्म के टेपिओका का विकास	Development of Hybrid Variety of Tapioca	115
813. चिटगांव के निकट एक माल वाहक जहाज (विश्वकुसुम) में अग्नि विस्फोट के कारण हुई क्षति	Loss due to Fire Explosion on Freighter (Viswa Kusum) near Chitagong	115—116
815. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान देने की कसौटी	Criteria for giving Grants to Universities by UGC	116
816. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of University Grants Commission	116—117
817. पटना नगर (टाउन) के विकास के लिए योजना	Scheme for Development of Patna Town	117
818. दिल्ली में ग्रुप आवास योजना के अन्तर्गत गृह निर्माण समितियों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to House Building Societies under Group Housing Scheme in Delhi	117—118
819. दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to House Building Cooperative Societies in Delhi	118
820. परिवार नियोजन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International Conference on Family Planning	118
821. कैप स्टोरेज प्रणाली और रक्षित भंडार में वृद्धि	Cap Storage system and increase in Buffer Stock	119
822. बहराइच, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम की मंजूरी	Sanction for crash programme for rural employment in Bahraich, Uttar Pradesh	119
823. भारत से दक्षिण अमरीका के पूर्वी तट तक नियमित मालवाहक जहाज सेवा	Regular Cargo service from India to East coast of South America	119—120

अता० प्र० संख्या U. S. Q, Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
824. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पीने के पानी के कुओं की आवश्यकता	Requirement of Drinking Water Wells for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	120
825. सरकारी कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी आवश्यकतायें	Accommodation requirement of Government Employees	120—121
826. तिब्बती-अंग्रेजी शब्द कोष का मुद्रण	Printing of Tibetan-English Dictionary	121
827 राज्यों के आवास मंत्रियों की बैठक	Meeting of States Housing Ministers	121—122
828. जनवरी 1972 में कोलम्बो और तूतीकोरिन के बीच एक जहाज का लापता होना	Sailing Vessel Missing between Colombo and Tuticorin during January 1972	122
829. वर्ष 1971 के अन्त में चीनी का स्टाक	Stock of Sugar at the end of 1971	123—124
830. केरल ग्रन्थशाला संगम द्वारा चलाये जा रहे पुस्तकालयों को सहायता	Assistance to Libraries run by Kerala Grandhasala Sangham	124
831. केरल ग्रन्थशाला संगम को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala Grandhasala Sangham	125
832. कोचीन की गौण बन्दरगाह के रूप में एलेप्पी बन्दरगाह के विकास के लिए केरल सरकार से प्रस्ताव	Proposal from Kerala Government for Development of Alleppy Port making Subsidiary Port of Cochin	125—126
833. चिकित्सा सहायता के लिए स्वयं सेवी अभिकरणों का विकास	Growth of Voluntary Agencies for Medical Relief	126—127
834. स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Health Services	127
835. मैसूर तथा त्रिपुरा में नव परिरक्षण	Preservation of Forests in Mysore and Tripura	127
836. रुई का म्युटैन्ट पता लगाने के लिए परमाणु टेक्नोलाजी का प्रयोग	Use of Nuclear Technology to evolve a Mutant of Cotton	127—128
837. कीटनाशी दवाइयों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता	Self Sufficiency in Insecticides	128—129
838. दाल विकास परिषद्	Pulse Development Council	129

अता० प्र० संख्या	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
839	अखिल भारतीय खेलकूद परिषद का प्रतिस्थापन	Replacement of All India Council of Sports	129
	बिहार विधान-सभा के एक सदस्य की कथित हत्या के बारे में	Re. Alleged murder of a Member of Bihar Legislative Assembly	13
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	130—132
	बिहार के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा का निरसन	Revocation of Proclamation in relation to Bihar	132—133
	राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	133
	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	133
	छठा प्रतिवेदन	Sixth Report	133
	मनीपुर के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा सम्बन्धी सांविधिक संकल्प के बारे में	Re. Statutory Resolution on Proclamation about Manipur	134
	बंगला देश के साथ की गई मैत्री, सहयोग और शान्ति संधि और भारत तथा बंगला देश के प्रधान मंत्रियों की संयुक्त घोषणा के बारे में वक्तव्य	Statement re Treaty of Friendship, Cooperation and peace with Bangla Desh and Joint Declaration of the Prime Ministers of India and Bangla Desh	137—144
	श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	133
	रेलवे बजट, 1972-73-सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1972-73 General Discussion	134
	श्री जे०बी० पटनायक	Shri J. B. Patnaik	134—136
	डा० गोविन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya	136—137
	श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy	144—145
	श्री रामचन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal	146—147
	श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	147—148
	श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	148—149
	श्री तरुण गोगाई	Shri Tarun Gogoi	149—150
	श्री सी० टी० दण्डपाणि	Shri C. T. Dhandapani	150—152
	श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy	152
	श्री राम सहाय पांडेय	Shri R. S. Pandey	152
	श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली	Shri Ramachandran Kadannappalli	152—153
	श्री जगदीश नारायण मंडल	Shri Jagdish Narain Mandal	153—154
	श्री रामधन	Shri Ram Dhan	154
	श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	155

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री अरविन्द नेताम	Shri Arvind Netam	155
श्री हुक्म चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	155—156
डा० कैलास	Dr. Kailas	156—157
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	157
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya	157—163
मनीपुर तथा पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में जारी की गई घोषणाओं का निरसन	Revocation of Proclamations in relation to Manipur and West Bengal	222—222
लेखानुदानों की मांगे (रेलवे) 1972-73	Demands for Grants on Account (Railways), 1972-73	162
विनियोग (रेलवे) लिखानुदान विधेयक, 1972— पुरःस्थापित तथा पारित	Appropriation (Railways) Vote on Account Bill, 1972—Introduced and passed	162—163
सामान्य बजट, 1972-73-सामान्य चर्चा	General Budget, 1972-73 General Discussion	163
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	163—166

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 20 मार्च, 1972/ 30 फाल्गुन, 1893 (शक)
Monday, March 20, 1972/Phalguna 30, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्री कर्णेश मारक—तुरा (मेघालय) ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों में अनाज के लिए उचित मूल्य की दुकानें

+

*81. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्यों को इस आशय का एक परिपत्र जारी किया है कि नियंत्रित मूल्यों पर अनाज वितरण करने के लिए उचित मूल्य की दुकानें खोली जायं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) और (ख). पिछले कुछ महीनों में कई परिपत्र भेजकर राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे सरकारी खाद्यान्नों के वितरण की प्रणाली को सशक्त करें और उचित मूल्य वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित मूल्यों पर और अधिक खाद्यान्न सुलभ करें और जहां कहीं भी आवश्यक हो, वहाँ उचित मूल्य की अधिक दुकानें खोलें ।

(ग) राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की गई है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या उचित मूल्य की दुकानें खोले जाने के बाद मूल्यों में वृद्धि रुक गई है अथवा नहीं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मूल्य वृद्धि को कुछ सीमा तक रोका गया है। लेकिन ऐसा केवल उचित मूल्य की दुकानें खोलने से ही नहीं हुआ है बल्कि भारत सरकार द्वारा अन्य उपाय करने के परिणामस्वरूप भी हुआ है।

श्री पी० गंगादेव : नई वितरण नीति को ध्यान में रखते हुए और अनाज के बाहुल्य और साथ ही बढ़ते हुए निर्वाह व्यय की विरोधाभासी परिस्थिति के संदर्भ में क्या मैं यह जान सकता हूं कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों के नियंत्रित मूल्य और घटाकर उपभोक्ताओं को उचित राहत दी जायेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस मामले पर साधारणतया मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया जाता है। रबी के बारे में मूल्य नीति सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये हम इस प्रकार का सम्मेलन अगामी 8 अप्रैल को आयोजित कर रहे हैं और शायद इस विषय पर उस सम्मेलन में विचार किया जायेगा। माननीय सदस्य मानेंगे कि इस वर्ष अनेक कारणों जैसे बाढ़ आने, परिवहन में रुकावट होने और बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आगमन आदि से देश के कुछ भागों में वृद्धि हुई है जबकि अनाज की स्थिति मजबूत है।

Shri M. C. Daga : I want to know whether, the fair price shops for distributing food-grains were opened in villages also in addition to urban areas and what was the method of distribution of foodgrains in the villages ?

I think that Government did not open fair price shops in villages. They opened such shops in the urban areas where they were not required.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इस बात से सहमत हूं कि गांवों में सार्वजनिक वितरण का तरीका उतना सुदृढ़ नहीं है जैसा हम चाहते हैं। अतः हम समय-समय पर राज्य सरकारों को गांवों में सार्वजनिक वितरण की प्रणाली सुदृढ़ करने के बारे में लिखते रहे हैं। माननीय सदस्य का यह विश्वास करना कि उचित मूल्य की दुकानें मुख्यतया नगरों में खोली गई हैं गांवों में नहीं, उचित नहीं है। देश में स्थित 1.21 लाख उचित मूल्यों की दुकानों में से नगरों की तुलना में गाँवों में ढ़ाई गुना अधिक उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं।

डा० रानेन सेन : क्या यह सत्य है कि उचित मूल्य की दुकानों से वितरित किये जाने वाले अनाज के मूल्यों में न केवल वृद्धि हुई है बल्कि प्रतिवर्ष अनाज की किस्म खराब होती जा रही है और इस बारे में देश के प्रत्येक भाग से, जिसमें कस्बे, नगर और गांव भी शामिल हैं, शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ? यदि हां, तो सप्लाई किये जाने वाले चावल की किस्म में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य द्वारा की गई शिकायत में कुछ सच्चाई है। इस ओर हमारा ध्यान दिलाया गया है और हमारा मंत्रालय इस मामले की जांच कर रहा है। गत वर्ष के कारण बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं खराब हो गया था और उत्पादकों को राहत देने के उद्देश्य से हमें वर्षा से खराब हुई गेहूं को खरीदना पड़ा था। अतः इस बारे में कुछ शिकायतें

वास्तविक हैं। जहां तक चावल का प्रश्न है अन्ततः चावल वसूल करने वाली एजेंसियां ही इसकी वसूली करती हैं और अपने पिछले अनुभव के आधार पर हम उक्त प्रणाली में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री ने चीनी के बारे में उल्लेख नहीं किया है जिसका वितरण भी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जाता है और वह भी खाद्यान्न में शामिल है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूँ की बिक्री

*82. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** :

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूं बेचने के क्या कारण हैं ;

(ख) अब तक कितना गेहूं बेचा गया है, उसका क्या मूल्य प्राप्त हुआ और उस पर कितना लाभ अथवा हानि हुई ; और

(ग) यह बिक्री मूल्य में स्थिरता लाने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खुले बाजार में गेहूँ के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने और गेहूं के मूल्यों में कमी लाने के लिए।

(ख) अब तक 1 10.463 मी० टन गेहूं बेची गई है। सरकार ने सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने के लिए गेहूँ का निर्गम मूल्य 78 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है जबकि 82 रुपये प्रति क्विंटल से कुछ अधिक औसत मूल्य पर गेहूं बेची गई है। खुले बाजार में बिक्री से जो धनराशि निर्गम मूल्य 78 रुपये से अधिक प्राप्त की गई है, उसका अभी हिसाब लगाया जाना है।

(ग) खुले बाजार में गेहूं की बिक्री से बाजार में गेहूं की उपलब्धता में सुधार हुआ है और इससे गेहूं के बाजार मूल्यों में भी गिरावट आयी है। इस प्रणाली को कार्यान्वित करने से पहले गेहूँ के थोक मूल्य का सूचकांक 220.4 पर था और इस प्रणाली को लागू करने के बाद मूल्य सूचकांक गिरकर 217.9 पर आ गया।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : क्या नीति में परिवर्तन किये जाने के परिणामस्वरूप देश में गेहूं के मूल्य में कोई कमी होगी ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : इसे खुले बाजार में बेचा गया था जहां मूल्य बढ़ रहे थे। इसका उन उचित मूल्यों की दुकानों अथवा राशन की दुकानों से कोई सम्बन्ध नहीं है, जिनके द्वारा मूल्य नियंत्रित किया जाता है।

Shri Ramavatar Shastri : I want to know whether it is a fact that the foodgrains supplied for sale in the open market were of inferior quality and as a result of the Government received less price there of ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : हमें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि बाजार में

बेचा जाने वाला गेहूं घटिया किस्म का था। वास्तव में कुछ राज्य सरकारों ने हम से इस बात की शिकायत की है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में बेचा जाने वाला गेहूं अच्छी किस्म का था।

Shri Ramavatar Shastri : The Bihar Shop-keepers Association has written to you. I have got a copy of their letter.

श्री अन्णासाहिब पी० शिन्दे : बिहार सरकार से हमें यह शिकायत मिली है कि हमने अच्छी किस्म का गेहूं बेचा है।

Shri Narsingh Narain Pandey : The hon. Minister has stated that the wheat was purchased at Rs. 82 per quintal. I want to know whether it is a fact that the people have purchased wheat in the open market at more than Rs. 82 per quintal and if so, have the Government received any complaints in this regard ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : खुले बाजार में बेचने के लिए 82 रुपये क्विंटल मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की गई थी क्योंकि कुछ नीति निर्देश दिये जाने थे। अतः भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं के न्यूनतम मूल्य के बारे में अपने कर्मचारियों को अनुदेश दिये है। परन्तु कुछ मामलों में उसे अधिक मूल्य पर बेचा गया था।

Conference of Directors of Health Services

*84. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether any conference is being organised on an all-India basis to check the adulteration of foodstuffs, in which Directors of Health Services would take part ;

(b) if so, the date on which it is likely to be held ; and

(c) the action likely to be taken by Government so as to check the adulteration of foodstuffs on such a large scale ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को पहले ही अधिक कड़ा कर दिया गया है और राज्यों से इस अधिनियम को ठीक से लागू करने के लिए कह दिया गया है।

सम्बन्धित राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों से मिलकर मिलावट को रोकने के लिए एक केन्द्रीय यूनिट बना दिया गया है। इस यूनिट का सम्बन्ध मुख्यतः अन्तर्राज्य अपराधों के बारे में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के नियम 9 में निर्धारित कार्यों को करने से है तथा यह राज्य सरकारों की तकनीकी मार्गदर्शन देने में सहायता करता है।

Shri Mohan Swarup : There is a law to check adulteration but that is not being enforced properly. I want to know as to why appropriate steps are not being taken to check adulteration ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shanker Dikshit) : This law is enforced through State Governments. I have already stated that all the State Governments have not been able to appoint food inspectors. The State Governments take the work of food adulteration inspection from the sanitary inspectors and they have not been able to spend the money required for this purpose. The only remedy is to make the punishment deterent. That we have done.

The amendment enacted from 15th March provides for compulsary imprisionment, for Six months or a fine of Rs. 1000.

I cannot say that there has been a great improvement but the percentage of adulteration has declined from 30 percent to 21 to 22 percent. But it is not very creditable.

I had assured in the last session that this matter would be discussed in the consultative Committee of the Parliament. If the Committe agreed, the law would be made more stringent. We have not thought it proper to call the meeting of the directors now. We are calling a meeting of the Zonal Committee and we will try to arrange the meeting in two or three different Zones. But I think provision of deterrent punishment would perhaps prove more useful. It seems very difficult that inspectors should go to every city and village for inspection. Unless the level of national Character is raised, this work looks to be very difficult.

Shri Mohan Swarup : The Standard of living has already gone down and if there is adulteration in Foodstuff, its effect on the health of the people can be imagined. I request that some suitable arrangements be made to check adulteration.

Shri Uma Shanker Dikshit : I think he has not paid any attention to what I have said.

श्री मोहनराज कलिंगारायर : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विभाग ने वर्ष 1970-71 में मिलावट के कितने मामले पकड़े और उन मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न निदेशकों के सम्मेलन के बारे में है।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मेरे पास 1970-71 के आंकड़े नहीं हैं। मेरे पास वर्ष 1969 के अन्त तक के आंकड़े हैं और मैं वह आंकड़े दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां नहीं उठता, लेकिन यदि आपके पास आंकड़े हैं तो ठीक है। मैं इस पर आपत्ति नहीं करता।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं पिछले पांच वर्षों के आंकडे दे सकता हूं। वर्ष 1965 में लगभग 1,66,900 नमूनों का परीक्षण किया गया और उसमें से 51,900 नमूनों में, अर्थात 31 प्रतिशत नमूनों में मिलावट पाई गई। वर्ष 1966 में 1,74,000 नमूनों का परीक्षण किया गया और 44,500 नमूनों में, अर्थात केवल 25 प्रतिशत नमूनों में मिलावट पाई गई। वर्ष 1967 में यह प्रतिशतता 25.2 थी, वर्ष 1968 में 24.3 और 1969 में 22 प्रतिशत थी। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1965 में 30250, 1966 में 23,'8., 1967 में 20,000, 1968 में 17,800, और 1969 में 15,700 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया। इससे रूख का पता लगता है।

श्री नवल किशोर सिन्हा : माननीय मन्त्री ने बताया है कि उन्होंने 1965 से कानून में अनेक परिवर्तन किये हैं। क्या वह इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि वर्ष 1965 के बाद कानून में संशोधन किये जाने के बाद स्थिति में सुधार हुआ है और क्या वह उक्त सुधार से सन्तुष्ट हैं ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं उक्त सुधार से संतुष्ट नहीं हूं लेकिन मैं अभी बता रहा था कि इसके परिणामस्वरूप कुछ सुधार हुआ है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मन्त्री महादय ने कहा है कि राज्य सरकारों ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिये उचित पग नहीं उठाए हैं। उसके साथ ही राज्य सरकारें यह शिका-

यत कर रही हैं कि उन्हें केन्द्रीय सरकार से उचित अनुदेश नहीं मिल रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस पूरे कार्य को राज्य सरकारों को सौंपने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह पहले से ही राज्य सरकारों के हाथ में है। यदि केन्द्रीय सरकार अनुदेश देती रही तो यह उनके कार्य में हस्ताक्षेप होगा। यह राज्य का विषय है।

श्री एच० के० एल० भगत : इस अधिनियम को लागू करना राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है जबकि दिल्ली में यह दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि दिल्ली नगर निगम द्वारा इस अधिनियम की कार्यान्वित असंतोषजनक होने के कारण क्या इसे कार्यान्वित करने के अधिकार को दिल्ली नगर निगम के स्थान पर दिल्ली प्रशासन को देने पर सरकार पुनर्विचार कर रही है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैंने आज तत्सम्बन्धी आंकड़े देखे हैं। दिल्ली से एकत्र किये गये नमूनों की संख्या कम है, पिछले दो वर्षों में इनकी संख्या आधी रही है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरी भूल से हम मुख्य प्रश्न से दूर हट गये हैं। मैंने मन्त्री महोदय द्वारा आंकड़े दिये जाने की बात मान ली थी क्योंकि यह एक युवा सदस्य द्वारा पूछे गये थे। अब इस में दिल्ली नगर निगम को लाया गया है। प्रश्न सीधा था कि क्या कोई सम्मेलन बुलाया जा रहा है अथवा नहीं। हां अथवा नहीं करना ही पर्याप्त था। अब आप नगर निगमों को भी ले रहे हैं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अहाते में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कब्जे से भवन को खाली कराया जाना

86. **श्री झारखंडे राय** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अहाते में जो भवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कब्जे में है उसे खाली करा लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) विश्वविद्यालय ने भवन को खाली कराने के लिए स्थानीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। यह मामला न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा है।

Shri Jharkhande Rai : The report of the commission appointed to investigate the affairs of Banaras Hindu University was published and discussed about two years ago and it was recommended therein that the building should be removed from there immediately in order to reduce tensions prevalent there and also to enable the University to function smoothly. So, I would like to know the reasons for the failure on the part of the Government on the institutions concerned to get the premises vacated.

Prof. S. Nurul Hasan : Sir, in the first instance, the University tried to get it vacated through negotiation but having failed in that, legal process was adopted for getting it vacated.

Shri Jharkhande Rai : Has the Education Minister received a report from the present Vice chancellar of the University that in the interest of peace and security, it is quite essential that the cause of tension be removed ?

Mr. Speaker : The matter is already *sub-judice*.

Shri Jharkhande Rai : Has the Government received any definite report from the Vice-chancellor for taking Proper action in the matter.

Prof. S. Nurul Hasan : No Sir, The Vice-chancellor has said that as soon as the case is decided, further action would be taken.

श्री हरी किशोर सिंह : विश्वविद्यालय ने राष्ट्र स्वय सेवक संघ से भवन खाली कराने का मामला न्यायालय में कब दायर किया था ?

Prof. S. Nurul Hasan : It was filed on 25th November 1970.

केरल में मत्स्य पालन के विकास के लिये मास्टर प्लान

*88. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में मत्स्य पालन के विकास के लिए मास्टर प्लान के बारे में अपनी पहली नीति का पुनर्विलोकन करना मान लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). सरकार का विचार है, जिसे पहले भी अनेक अवसरों पर बताया जा चुका है कि विस्तृत योजना प्रारम्भ में करने के लिए मास्टर प्लान में एक लाभदायक रूप-रेखा की व्यवस्था की गई है। यह बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ इसमें सरकारी और सहकारी क्षेत्र भी शामिल हैं, विस्तृत योजनाओं का विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसोधनों के मूल्यांकन से पारस्परिक सम्बन्ध होना चाहिए। इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

श्री एम० के० कृष्णन : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राज्य के मास्टर प्लान की मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : राज्य के मास्टर प्लान में बीस वर्ष की अवधि में 305 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मास्टर प्लान मुख्य रूप से यही रूप रेखा है।

एक माननीय सदस्य : क्या करने के लिए ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : मत्स्य पालन के विकास के लिए।

श्री पीलू मोदी : मैं नहीं समझ सकता कि 305 करोड़ रुपए के व्यय की राशि से कैसे योजना की रूपरेखा का पता चल सकता है। प्लान का अर्थ कार्य से होता है न कि व्यय से।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा है कि मन्त्री महोदय के स्थान पर वही उत्तर दे दें। (**व्यवधान**)

श्री एम० के० कृष्णन : मास्टर प्लान में वर्तमान बीस करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की वार्षिक आय के स्थान पर 170 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की वार्षिक आय की परिकल्पना की गई हैं। क्या सरकार प्लान को शीघ्र मंजूर करेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राज्य सरकार ने खाद्य तथा कृषि मन्त्री श्री फखरुद्दीन

अली अहमद तथा प्रधान मंत्री को एक-एक पत्र लिखा है। हमने राज्य सरकारों से अपनी स्थिति पूर्णत: स्पष्ट कर दी है। मास्टर प्लान सामान्य प्रकार की है और बीस वर्ष के लिए है। प्रथमत: हम योजनाएं पांच वर्षों के लिए बनाते हैं। इसके अलावा, कोचीन की बात लीजिये। कोचीन के लिए तैयार की गई योजना में यही सुझाव दिया गया है कि बन्दरगाह कोचीन में स्थित हो। "इसकी जांच की जा रही है। इसके लिए एक करोड़ रुपए की व्यवस्था की जानी है।" मैंने यह उद्धरण मास्टर प्लान से दिया है। माननीय सदस्य को विदित होगा कि कोचीन बन्दरगाह की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई थी और विस्तृत जाच से पता चला है कि उसके लिए एक करोड़ नहीं बल्कि ढाई करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। भारत सरकार ने इसके लिए ढाई करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। इसलिए, हमारा केरल सरकार से सुझाव है कि वह योजना का ब्यौरा शीघ्र तैयार करे ताकि तत्सम्बन्धी विभिन्न तत्वों को एकत्र किया जा सके और हरेक मद पर सरकार अपनी नीति स्पष्ट कर सके।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इस क्षेत्र में अनेक विदेशी नियंत्रण वाले एकाधिकार व्यापार गृह मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्य आरम्भ कर रहे हैं। और यदि हां, तो उन्हें सरकार ने स्वीकृति क्यों दी है ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ परन्तु क्या यह संगत प्रश्न है ? यह केरल के मास्टर प्लान के बारे में है (व्यवधान) उनके दिमाग में केवल एक ही विषय है।

श्री वरके जार्ज : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केरल के मास्टर प्लान की क्रियान्विति के लिए विदेशी सहयोग की अनुमति देने की कोई योजना है और यदि हां, तो ऐसा कौन सा देश है ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में सामान्य नीति सरकार के विचाराधीन है। हम शीघ्र ही सरकारी नीति घोषित कर देना चाहते हैं और सरकार के निश्चय को ध्यान में रखते हुए संभवत: केरल सरकार अथवा अन्य पार्टियों द्वारा तैयार विदेशी सहयोग के प्रस्ताव पर ध्यान दिया जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान, क्या यह प्रश्न संगत था।

श्री पीलू मोदी : जी हा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान, यदि कोई प्रश्न सरकार को परेशान करता है और इस कारण उसकी अनुमति नहीं दी जाती है तो हम इस बात पर खेद ही प्रकट कर सकते हैं।

श्री आर० डी० भंडारे : यह बात ठीक नहीं है।

जिला अल्मोड़ा के शुपी पट्टी मल्ला धनपुर के हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ व्यवहार

*89. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला अल्मोड़ा के शुपी पट्टी मल्ला धनपुर गांव के उच्च जाति के लोगों द्वारा हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और उन्होंने अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिए केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों से भी सम्पर्क स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्या इस मामले में किसी केंद्रीय मंत्री से संपर्क स्थापित किया गया था । उत्तर प्रदेश सरकार से मिली रिपोर्ट के अनुसार हरिजनों क कुछ मवेशियों ने अक्तूबर, 1971 के प्रथम सप्ताह में शुपी पट्टी गांव के निवासियो की फसलों को नुकसान पहुंचाया । इससे हरिजनों और सुवर्ण ग्वालों में मारपीट हो गई, जिससे दोनों पक्षों के 5 व्यक्ति घायल हुए । इस समय दोनों ही पक्षों में शांति है । तो भी, राज्य सरकार से इस घटना की जांच करने के लिए कहा गया है ।

Kumari Kamla Kumari : Will the hon. Minister be pleased to state whether the Central Government can make arrangements for the protection of the people of Shupi Patti Malla Dan Pur ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : So long as we do not come to know that there is danger, what arrangements can be made protection ? Secondly, it is a State subject. We have drawn their attention towards it asked them to investigate the matter.

Kumari Kamla Kumari : Will the Minister be pleased to state the time by which they would be able to get the information from the State Government.

श्री के० एस० रामास्वामी : हमें राज्य सरकार से सूचना मिली है कि उस गांव में शांति है तथा सम्बद्ध पक्षों में सर्व-सम्पति से फैसला हो गया है । अब वे मेल-जोल से रह रहे हैं ।

Shri Narsingh Narain Pandey : Will the hon. Minister try to ascertain the fact that caste people, do not allow Harijans to draw water, as a result of which they are in great difficulty and thereafter make proper arrangements to remedy the situation ?

Mr. Speaker : He has already referred to the matter.

सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में उच्च शक्ति प्राप्त आयोग

*90. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रति जिसकी गति पीछे बहुत धीमी रही है, समेकित दृष्टिकोण अपनाये जाने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक उच्च शक्ति-प्राप्त आयोग का गठन किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय सामुदायिक विकास परिषद की बैठक में लिया गया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) व (ख). सामुदायिक विकास और पंचायती राज की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार आयोग नियुक्त करने के प्रस्ताव पर

सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव पहले पहल 1969 में इस विभाग की संसद सलाहकार की समिति ने किया था और उसके बाद इस मंत्रालय से सम्बद्ध सलाहकार परिषदों ने इसे दोहराया है।

श्री प्रभुदास पटेल : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह उच्च-शक्ति-प्राप्त आयोग की रिपोर्ट को कब तक स्वीकार कर लेंगे ?

प्रो० शेर सिंह : उच्च-शक्ति-प्राप्त आयोग अभी स्थापित नहीं हुआ। अभी तो उसकी स्थापना होनी है।

श्री प्रभुदास पटेल : सामुदायिक विकास परिषद इसकी स्थापना का निर्णय कर चुकी है। मंत्रालय उस निर्णय को कब क्रियान्वित करेगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बताया कि अभी उसकी स्थापना की जानी है।

प्रो० शेर सिंह : उच्च-शक्ति-प्राप्त आयोग की स्थापना अभी की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : वह निर्णय की क्रियान्विति के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री प्रभुदास पटेल : सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति में दक्षता की स्थिति प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न लगती है।

प्रो० शेर सिंह : सामुदायिक विकास और पंचायती राज कार्यक्रमों की क्रियान्विति की स्थिति सभी राज्यों में एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में उसकी स्थिति अच्छी है जब कि अन्य में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। प्रस्तावित आयोग के निर्देश-पदों में एक यह विषय भी है।

श्री पी० एम० मेहता : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से प्रतीत होता है कि यह मामला 1969 से सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है, परन्तु उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसका अर्थ है कि सरकार ने परामर्शदाता समिति की सलाह तथा समस्या पर समेकित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता की अवहेलना की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि केन्द्र-समर्थित विभिन्न योजनाओं का कार्यक्षेत्र एक दूसरे से पूर्णतः अलग-अलग नहीं है, और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उच्च शक्ति वाले आयोग के गठन तक समेकित दृष्टिकोण अपनाने का है ?

प्रो० शेर सिंह : विलम्ब इस कारण हुआ कि निर्देश-पदों में संशोधन किया गया था मंत्रालय ने कुछ नामों का सुझाव दिया था किन्तु वे नाम स्वीकार नहीं किए गए। हम इस आयोग की शीघ्र नियुक्ति के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं और यह प्रश्न आयोग के निर्देश-पदों में से एक होगा। हम चाहते हैं कि कार्यक्षेत्र पूर्णतः अलग-अलग रहें और यही रुख अब हम अपना रहे हैं।

श्री पी० एम० मेहता : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह कुछ कार्यवाही करने को तैयार हैं ?

प्रो० शेर सिंह : निश्चय ही इस सम्बन्ध में हम कार्यवाही कर रहे हैं। हाल में हुई परिषद् की बैठक में यह प्रश्न उठाया गया था तथा कहा गया था कि कार्य क्षेत्रों में परस्पर टकराव नहीं होना चाहिए। हम स्वयं इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि कार्यक्षेत्रों में परस्पर टकराव न हो।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय इस बात से भली भांति परिचित हैं कि विभिन्न राज्यों में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम संतोषजनक नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने इस बात का पता लगाने का प्रयास किया है कि वस्तुतः विकास किसका हुआ है—समुदाय का अथवा विभाग का। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि विकास समुदाय का न होकर विभाग का हुआ है। अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या विभाग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की असफलताओं के कारणों के बारे में कुछ पता लगाया गया है ?

प्रो० शेर सिंह : इस सम्बन्ध में हम मूल्यांकन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से देश के कमजोर वर्गों को लाभ हो। सामुदायिक विकास विभाग अनेक उपयोगी कार्य कर रहा है जिसमें से ग्रामीणों को रोजगार दिलाना, छोटे किसानों तथा खेतिहर विकास एजेंसियों के कार्यों को बढ़ावा देना इत्यादि मुख्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या विभाग का विस्तार हुआ है तथा क्या स्वय विभाग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की असफलताओं का पता लगाया गया है ?

प्रो० शेर सिंह : प्रत्येक राज्य ने मूल्यांकन किया है और हम भी मूल्यांकन कर रहे हैं।

Shri R. C. Vikal : Will the hon. Minister for Agriculture be pleased to state as to when he is going to appoint the high power commission and will that commission include rural-minded people ?

Mr. speaker : Your question is not relevant.

Shri R. C. Vikal : They say that they are going to appoint a commission but nothing has been done since 1969. May I know as to when the commission is going to be appointed ?

Prof. Sher Singh : We are appointing the commission and the commission will mostly include these people who are conversant with rural life.

गैर-सरकारी परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने अथवा उसे नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव

*93. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान ढोने वाले गैर-सरकारी परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने अथवा उसे अपने नियंत्रण में लेने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) किन-किन राज्य सरकारों ने गैर-सरकारी परिवहन को अपने हाथों में पहले ही ले लिया है और भविष्य में कौन-कौन से राज्य ऐसा करने पर विचार कर रहे हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ससदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (ग). आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मनीपुर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल (नार्थ बंगाल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन) के राज्य सड़क परिवहन उपक्रम, यात्री सेवाओं के अलावा सीमित रूप से माल लाने ले जाने का काम भी कर रही हैं। केन्द्रीय सरकार ने सेन्ट्रल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड स्थापित किया है जो कि कलकत्ता और पश्चिम बगाल तथा आसाम के उत्तरी भागों के बीच माल लाने ले जाने की सेवायें चला रहा है। कुछ दूसरे राज्यों में, राष्ट्रीयकृत यात्री सेवायें भी कुछ हद तक माल ढुलाई का काम करती हैं।

2. साधनों के अभाव के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में यात्री सड़क परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। योजना आयोग में राज्य सरकारों के साथ सड़क परिवहन सम्बन्धी उनके वार्षिक योजना प्रस्तावों के विषय में वाद-विवाद के दौरान इस पहलू पर विशेष बल दिया जाता है। सड़क परिवहन के सम्बन्ध में कार्यकारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। भविष्य में माल परिवहन के क्षेत्र में प्रवेश करन की उनकी योजनाओं या प्रस्तावों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम, जो कलकत्ता से आसाम, बरास्ता उत्तरी बंगाल, के बीच कार्य करता है, की स्थापना कुछ अन्य कारणों से की गई थी और केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम का गठन केवल बंगाल और आसाम के लिए ही क्यों किया गया है ?

श्री ओम मेहता : आसाम तथा अन्य क्षेत्रों में माल के परिवहन में कुछ कठिनाई होती थी, अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन निगम बनाया गया ताकि वहां माल आसानी से पहुंचाया जा सके।

श्री एस० सी० सामन्त : इसका प्रबन्ध केन्द्र के हाथों में है या राज्यों के ? वक्तव्य में कहा गया है कि इसकी कार्यकारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है।

श्री ओम मेहता : राज्य सरकारों का इससे कोई सम्बन्ध नहीं। यह एक सांविधिक निगम है और केन्द्र सरकार के अधीन है।

श्री डी० बसुमतारी : बंगला देश की स्थापना को ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार कलकत्ता से आसाम तक नौपरिवहन को फिर से चालू करने का है ? जयन्ती शिपिंग कम्पनी की सारी सामग्री जो सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था नष्ट हो गयी, अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बंगाल से आसाम तक नौपरिवहन व्यवस्था को फिर से चालू किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण के बारे में है।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय सदस्य सातवें बेड़े का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं।

श्री डी० बसुमतारी : सारी सामग्री नष्ट हो गई है। मन्त्री महोदय इस बात से भली भांति परिचित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सेवा को पुनः चालू किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं। माननीय सदस्य इस बारे में एक पृथक प्रश्न की सूचना दे सकते हैं।

श्री रामसहाय पांडे : जहां तक माल परिवहन के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह मामला योजना आयोग को भेजा गया था और यदि हां, तो इस बारे में योजना आयोग ने राज्यों को क्या सुझाव दिया ?

श्री ओम मेहता : यह मामला योजना आयोग को भेजा गया था और योजना आयोग ने कहा कि वर्तमान वित्तीय संकट की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा माल परिवहन के राष्ट्रीयकरण हेतु संसाधन जुटाना संभव नहीं, क्योंकि इस कार्य में पर्याप्त धन लगता है। अतः इस समय जोर यात्री परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के कार्य को पूरा करने तथा इन सेवाओं में सुधार करने पर दिया जा रहा है।

बच्चों के लिये पोषक आहार कार्यक्रम

*94. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बच्चों के पोषक आहार कार्यक्रम के अंतर्गत कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ख) देश के कितने क्षेत्रों में इसको लागू किया गया है और पिछड़े क्षेत्रों में ऐसी बालवाड़ियों की संख्या कितनी है जिनको उपकरण तथा बच्चों के देखभाल तथा उनको पोषक आहार देने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पौष्टिक आहार की दो योजनायें हैं जो हाल ही में समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

(1) देश के आदिवासी क्षेत्रों और गन्दे क्षेत्रों में 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों और गर्भवती स्त्रियों एवं नर्सिंग माताओं के लिए विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम जो 1970-71 वर्ष में एक गैर-प्लान योजना के रूप में प्रारम्भ किया गया था।

(2) निम्न आय के परिवारों के 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दिवस-देख-रेख केन्द्रों में बालवाड़ियों द्वारा पौष्टिक आहार कार्यक्रम जो 1970-71 वर्ष में एक प्लान कार्यक्रम के रूप में चालू किया गया था।

(1) विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मेघालय, अरुणाचल, लक्कादीव, मिनिकाय एवं अमीनदीवी द्वीप समूहों को छोड़कर, देश के आदिवासी क्षेत्रों और गन्दे क्षेत्रों में 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों और गर्भवती स्त्रियों एवं नर्सिंग माताओं के लिए विशेष पौष्टिक

आहार कार्यक्रम विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। 1970-71 और 1971-72 के दौरान इस योजना पर किया गया खर्च निम्न प्रकार है :

व्यय

1970-71	1971-72
129.76 लाख	993.06 लाख (प्रत्याशित)

इस योजना को 1971-72 मे प्लान-कार्यक्रप में परिवर्तित कर दिया गया है। विशेष पौष्टिक आहार कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई बालवाड़ी कार्यक्रम नहीं है।

(2) 3-5 वर्ष की आयु के स्कूल-पूर्व बच्चों के लिए बालवाड़ियों और दिवस देख-रेख केंद्रों द्वारा पौष्टिक आहार कार्यक्रम

यह कार्यक्रम चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था। कार्यक्रम 1970-71 वर्ष में प्रारम्भ किया गया था। योजना पर किया गया खर्च निम्न प्रकार है :

व्यय

1970-71	1971-72
2.10 लाख	84.50 लाख (प्रत्याशित)

राष्ट्रीय स्तर की चार संस्थाओं अर्थात केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, बाल कल्याण सम्बन्धी भारतीय परिषद, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ और हरिजन सेवक संघ की सहायता से यह योजना 20 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। 5400 बाल-वाड़ियों में से, जिनके द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, 362 बालवाड़ियां आदिमजाति क्षेत्रों में स्थित हैं।

श्री सी० चित्तिबाबू : ** क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि...

मन्त्री महोदय तमिलनाडु क्षेत्र से हैं और तमिल जानते हैं अतः मैं उनसे तमिल भाषा में प्रश्न पूछना चाहता हूं।

प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया है...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य नहीं चाहते कि अन्य सदस्य भी उनका प्रश्न समझ सकें अतः वह केवल मन्त्री महोदय से तमिल में बात करना चाहते हैं।

श्री सी० चित्तिबाबू : अनुवाद की व्यवस्था है। अतः सभी माननीय सदस्य इसमें रूचि ले सकते हैं। कृपया अन्य सदस्यों से कहें कि वह सुने मैं किस प्रकार का प्रश्न पूछने जा रहा हूं। मैं पहली बार इस प्रकार का अनुरोध कर रहा हूं।

प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने सभा-पटल पर एक वक्तव्य रखा है और उसमें दो योजनाओं का उल्लेख किया गया है। पहली इस प्रकार है :

"देश के आदिवासी क्षेत्रों और गन्दे क्षेत्रों में 0-6 वर्ष की आयु के बच्चे और

**तमिल में पूछे गये प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

गर्भवती स्त्रियों एवं नर्सिंग माताओं के लिए विशेष पौष्टिक आहार का कार्यक्रम जो वर्ष 1970-71 में एक गैर प्लान योजना के रूप में प्रारम्भ किया गया था।"

मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किस प्रकार के पोषक आहार किन-किन वर्गों के लोगों को तथा किस आधार पर दिये गये ? यदि आय को आधार बनाया गया था तो किस प्राधिकरण ने आय सीमा का निर्धारण किया ?

श्री के० एस० रामास्वामी : विशेष पोषक आहार कार्यक्रम गैर प्लान के रूप में शुरू किया गया था...

श्री सी० चित्तिबाबू : मुझे खेद है कि मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में दे रहे हैं वह तमिल जानते हैं अतः मैं चाहता हूं कि वह इसका उत्तर तमिल में ही दें। मुझे विश्वास है माननीय सदस्यों को इसमें कोई आपत्ति न होगी क्योंकि हम दोनों की तमिल में बातचीत का अनुवाद वह सुन सकते हैं अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह तमिल में ही इसका उत्तर दें।

डा० कैलाश : यदि मैं अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूं तो मुझे उत्तर कैसे समझ आएगा ?

अध्यक्ष महोदय : अब तक एक भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती रही है और अब यदि एक नई परम्परा चलाई जायेगी तो हम पंजाबी भी एक दूसरे से पंजाबी में बोलेंगे और तमिलनाडु के लोग तमिल में...

श्री सी० टी० दण्डपाणि : अन्य भाषाओं के अनुवाद की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अन्य राज्यों के कई सदस्य इस प्रश्न पर उत्तेजित हैं।

श्री सी० चित्तिबाबू : तमिलनाडु ने भाषा की समस्या को सदा के लिए निपटा लिया है। हम इस बारे में चिन्तित नहीं। मन्त्री महोदय तमिलनाडु क्षेत्र के रहने वाले है इस कारण मैं चाहता हूँ कि वह इसका तमिल में उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। यह हर वक्त तमिल और तमिलनाडु की क्या रट है। इन शब्दों के अतिरिक्त और कोई शब्द सुनाई ही नहीं पड़ रहा है।

श्री सी० चित्तिबाबू : मेरा अन्य सदस्यों से अनुरोध है कि वह भी तमिल में इसका उत्तर सुने।

श्री सी० टी० दंडपाणि : भारतीय नेताओं को तमिलनाडु क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह से समझना चाहिए। यह कारण है कि हम तमिलनाडु के बारे में बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इसके लिए यह उचित समय नहीं है।

श्री क० एस० रामास्वामी : यह विशेष पोषक आहार कार्यक्रम 1970-71 में शुरू किया गया और इसे 1971-72 की प्लान योजना के अन्तर्गत रखा गया है। योजना का सम्बन्ध आदिवासी क्षेत्रों तथा बड़े शहरों, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से उपर है, के गन्दे इलाकों में रहने वाले बच्चों से है। पोषक आहार का खर्चा लगभग 18 पैसे...

श्री सी० चित्तिबाबू : क्या मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। मेरा प्रश्न यह है कि किस प्रकार का पोषक आहार दिया जा रहा है। मैं यह नहीं जानना चाहता कि उस पर 18 पैसे लगते हैं या 16 पैसे या 15 लाख रुपया।

श्री के० एस० रामास्वामी : एक साल तक के बच्चों के लिए दूध तथा ऐसे पेय पदार्थ दिये जाते हैं जिनमें 200 केलोरी और 12 ग्राम के लगभग प्रोटीन होती है, 1 से 6 साल तक के बच्चों के लिए तैयार/निर्मित भोजन दिया जाता है जिसमें 300 केलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन होती है, गर्भवती माताओं के लिए दिये जाने वाले भोजन में 500 केलोरी तथा 20-25 ग्राम प्रोटीन होती है और इसके अतिरिक्त उन्हें एक दिन छोड़कर उन्हें फोलिक अम्ल, आयरन तथा मल्टी विटामिन की गोलियां भी दी जाती हैं। नर्सिंग माताओं को भी ऐसा तैयार भोजन दिया जाता है जिसमें 500 केलोरी तथा 20-25 ग्राम के लगभग प्रोटीन होती है साथ ही उन्हें भी एक दिन छोड़कर मल्टी विटामिन की गोलियां दी जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न खर्च की गई राशि के बारे में है।

श्री के० एस० रामास्वामी : हमने इस कार्यक्रम पर अब तक 10 करोड़ रुपये से कुछ अधिक व्यय किया है तथा इससे 20 लाख बच्चों को लाभ पहुँचा है।

श्री सी० चित्तिबाबू : कितने समय के भीतर यह राशि व्यय की गई है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मेघालय अरुणाचल लक्षदीव मिनिकोय तथा अमीदीव द्वीपों को छोड़कर सरकार सभी राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के प्रशासन को धन दे रही है। वह केवल बड़े राज्यों को यह सहायता दे रहे हैं छोटी जगह के गरीब लोगों को इससे वंचित रखा गया है साथ ही राज्य सरकारों को यह राशि प्रत्यक्ष रूप से न देकर गैर सरकारी संगठनों जैसे केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, बाल कल्याण भारतीय परिषद, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ और हरिजन सेवक संघ आदि के माध्यम से क्यों दी जाती है सरकार सीधे क्यो नहीं यह राशि राज्य सरकारों को देती। यह सभी संगठन बोगस संघ हैं।

श्री के० एस० रामास्वामी : सरकार का सम्बन्ध बच्चों को आहार देने से है...

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी : यह सभी अच्छे संगठन हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को क्या हो गया है?

श्री सी० चित्तिबाबू : मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं जानता हूँ यह बालवाड़ी क्या है। अभी परसों ही मैंने एक बालवाड़ी संगठन देखा है...

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें और जरा धीरे बोलिए प्रश्न थोड़ा नरमी से पूछिये।

श्री के० एस० रामास्वामी : यह विशेष पोषक आहार कार्यक्रम राज्यों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। हम राशि राज्य सरकारों को दे देते हैं और वह राज्य प्राधिकरणों जैसे म्युनिसिपैलिटी, स्थानीय तथा स्वैच्छिक संस्थाओं इत्यादि द्वारा खर्च की जाती है।

जहां तक बालवाड़ियों का सम्बन्ध है। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। बालवाड़ियों का संचालन स्वैच्छिक अभिकरणों जैसे बाल कल्याण भारतीय परिषद, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ और हरिजन सेवक संघ आदि द्वारा किया जाता है।

श्री सी० चित्तिबाबू : ये स्वैच्छिक अभिकरण जाली भी हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में मेरे पास प्रमाण हैं तथा मैं इसे संसद के समक्ष रखूंगा। वहां पर काम के बजाए राजनीतिक प्रभाव को बीच में लाया जा रहा है...**व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए ।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं उसका विरोध करती हूँ । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, आई० सी० सी० आर० जो इस मामले से सम्बन्धित है, ने बहुत अच्छा कार्य किया है । यह सत्य सर्व विदित है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सलाह दूंगा कि इस विषय पर आप उनसे विवाद न करें ।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नुरूल हसन) : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों की राय को अत्यधिक महत्व देती है तथा सरकार यह आशा करती है कि समाज कल्याण की सभी गतिविधियों में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं और प्रश्न करने की अनुमति नहीं देता ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : सरकार ने इन चार संगठनों को ही क्यों चुना है ?

श्री नुरूल हसन : यदि माननीय सदस्य आंकड़े देखें तो पता लगेगा . . .

श्री सी० टी० दडपाणि : आंकड़े कभी वास्तविकता नहीं दर्शाते ।

श्री सी० चित्तिबाबू : लोक लेखा समिति का सदस्य होने के नाते...

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये और व्यवस्था बनाए रखें । इस प्रश्न में इतना अधिक समय लग गया है कि बाकी सभी प्रश्न रह गये हैं ।

श्री सी० चित्तिबाबू : मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूं जब मैं लोक लेखा समिति मे था तब भारत सेवक समाज पर आरोप लगाया गया था...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता...

श्री सी० चित्तिबाबू : **

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बिना मेरी इजाज़त लिए बोल रहे हैं अतः यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा ।

श्री सी० चित्तिबाबू : **

श्री के० एस० रामास्वामी : भारत सेवक समाज का यह काम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अगला प्रश्न लाइए । हमने एक प्रश्न पर इतना अधिक समय लगा दिया है ।

राष्ट्रीय आवास नीति

*95. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक राष्ट्रीय आवास नीति बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति को कब तक कार्यरूप दे दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) निम्न

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया ।

आय वर्गों की रिहायशी परिस्थितियों में सुधार के मुख्य उद्देश्य से कई सामाजिक आवास योजनाएं 1952 से व तत्पश्चात चल रही हैं। तथापि भौतिक, आर्थिक तथा पूंजी सम्बन्धी तथ्यों पर आधारित एक व्यापक राष्ट्रीय आवास नीति बनाने के अब अध्ययन किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य से अगले महीने नई दिल्ली में गोष्ठी भी होने वाली है जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अपने विचारों का विशद आदान प्रदान करेंगे।

(ख) स्पष्टतया ऐसे प्रयोगों के लिये कोई यथार्थ समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

श्री अर्जुन सेठी : कार्यक्रम की अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी योजना शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु कोई प्राथमिकता निधारित की है?

श्री आई० के० गुजराल : माननीय सदस्य ने देखा होगा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में तथा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस पर काफी जोर दिया था किन्तु केवल प्राथमिकता निर्धारित होने से समस्या हल नहीं होती कमी इतनी ज्यादा है कि समस्या चिन्तनीय होती जा रही है और मेरे विचार में इस सम्बन्ध में कोई भी नीति बनाने से पूर्व इस पर काफी सोच विचार करना पड़ेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या सरकार ने दिल्ली के श्रेणी 3 और 4 के कर्मचारियों के आवास हेतु दो कमरे के मकान बनाने की कोई योजना तैयार की है क्योंकि 65000 से अधिक लोग इसके इन्तजार में हैं। चौथी योजना में इस कार्य के लिए विशेषकर श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों के लिए कितना धन स्वीकृत किया गया है।

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के आवास के लिए मकान बनाने का सम्बन्ध है योजना में दिल्ली के लिए 24 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। यह राशि मुख्यत: निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के आवास निर्माण पर व्यय किया जाएगा। हम उच्च श्रेणी के लोगों के लिए कोई मकान नहीं बना रहे हैं।

श्री डी० एन० तिवारी : प्रति वर्ष राज्य सरकारों को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आवास हेतु कुछ धन आवंटित किया जाता है किन्तु ग्रामों की हमेशा उपेक्षा की जाती है। ग्रामों तथा नगरों दोनों में ही आवास की समस्या समान है। राज्य सरकार आवंटित किए गए धन को खर्च नहीं कर पाती और इसका अधिकाश भाग व्ययगत हो जाता है। आवंटित किया गया सारा धन आवास कार्यों पर व्यय हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस कार्यवाही द्वारा किस हद तक आवास समस्या सुधरी है क्या यह देखने के लिए कुछ अध्ययन किए गए हैं?

श्री आई० के० गुजराल : चौथी योजना में ब्लाक अनुदान तथा ब्लाक ऋण के आधार पर धन आवंटित किए गए हैं और इसके लिए कोई राशि नियत नहीं की जाती। कई कार्यकारी दलों ने इस बात का अध्ययन किया है कि कितना धन आवास कार्यों पर लगना चाहिए किन्तु मुझे खेद है कि जब से ब्लाक अनुदान तथा ब्लाक ऋणों की बात बीच में आई है राज्य सरकारों द्वारा गांवों तथा शहरों में आवास पर व्यय की जाने वाली राशि हमारे लक्ष्य से कम पड़ रही है और स्थिति काबू से बाहर होती जा रही है और सुधरने के बजाय बदतर हो रही है।

केन्द्र ने दो गैर प्लान योजनाएं अपने हाथ में ली है। पहली अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए शत प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगला प्रश्न लेने को कह दिया है।

परिवार और बाल कल्याण परियोजनायें

*96. **श्री वी० मायाबन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रही कुल 221 परिवार और बाल कल्याण परियोजनाओं में से कितनी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि पिछड़े क्षेत्रों में चल रही हैं ;

(ख) देश के पिछड़े क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं पर अब तक कुल कितना धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) क्या 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये बनाये गए पोषक आहार कार्यक्रम को भी पिछड़े क्षेत्रों में परिवार और बाल कल्याण परियोजना का अग नहीं बनाया जा सकता ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) इस समय देश में चल रही परिवार और बाल कल्याण परियोजनाओं की संख्या 240 है। इन में से 49 परियोजनाएं पिछड़े क्षेत्रों में चल रही हैं।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं पर अब तक 61,53,620 रुपये की धनराशि खर्च की गई है।

(ग) पोषक आहार भाग के संबंध में दोनों योजनाओं को मिलाया जा रहा है।

श्री वी० मायाबन : ** मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि इस समय देश में चल रही परिवार और बाल कल्याण परियोजनाओं की संख्या 240 है जिसमें से 49 परियोजनाएं पिछड़े क्षेत्रों में चल रही है। हमारे देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है यह बड़े आश्चर्य की बात है कि केवल 49 पिछडे क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाएं चलाई गई हैं। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि पिछडे क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं पर अब तक 61,53,620 रुपये की धनराशि खर्च की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके विचार में यह राशि इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त है।

श्री के० एस० रामास्वामी : हमने योजना चालू की है और प्रारम्भ की गई 240 परियोजनाओं में से 49 पिछड़े क्षेत्रों में है। हमारी इच्छा है कि यदि वित्त का प्रबन्ध हो सके तो हम इन योजनाओं का विस्तार करें। हम केवल विकसित क्षेत्रों में ही यह योजनाएं नहीं चलाना चाहते।

श्री वी० मायाबन :** श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने पहले एक मौके पर कहा था कि इस पोषक आहार कार्यक्रम को वह पंचवर्षीय आधार पर चलायेंगे प्रश्न के उत्तर भाग (ग) में कहा गया है परिवार और बाल कल्याण परियोजना को पोषक आहार योजना से मिलाया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मिलाने की यह नीति मेरे प्रश्न देने के उपरांत सोची गई है या कि पहले से आपकी कोई ऐसी योजना थी।

**तमिल में पूछे गए प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

श्री के० एस० रामास्वामी : यह पंचवर्षीय कार्यक्रम है ।

श्री नारायण राव : परिवार तथा बाल कल्याण योजनाओं के अधीन विचाराधीन गतिविधियां किस ढंग की होंगी ।

श्री के० एस० रामास्वामी : योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(1) ग्रामीण बच्चों, विशेषकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी स्कूल में दाखिला नहीं लिया है समेकित समाज कल्याण की व्यवस्था ।

(2) स्त्रियों तथा लड़कियों के लिए होम क्राफ्ट, मदर क्राफ्ट, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण और शिशु देखभाल तथा स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य और प्रसूती सेवाओं की व्यवस्था ।

(3) गांवों में महिला मंडलों, विशेषक संस्थापित केन्द्रों तथा एजेंसियों के माध्यम से अनुपूरक कार्य और आय के लिए ग्रामीण औरतों की सहायता ।

(4) औरतों तथा बच्चों के लिए सांस्कृतिक शैक्षिक तथा मनोरजन कार्यों को बढ़ावा देना ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Utilization of Funds Meant for Welfare of Harijans

*83. **Dr. Laxminarain Pandey** :
Shri Narendra Singh :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has pointed out in his Report submitted recently that the funds allocated for the welfare of Harijans are often utilised by the Panchayats for other purposes and they do not even take interest in the work pertaining to welfare of Harijans ; and

(b) if so, the factual position in this regard and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b). The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has pointed out in his Report that either the funds are diverted for other purposes or not utilised in time in the manner specified in the scheme. He has informed the Government that these observations are based on the general impressions gathered by the Commissioner and the Deputy Commissioners during their tours and from the reports received off and on in their office. The factual position in this regard is being ascertained from the States and the Union Territories.

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विश्वविद्यालय

*85. **श्री एन० शिवप्पा** :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों और राज्यों के नाम क्या हैं जहां कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जायेगी ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). कृषि विश्वविद्यालय भारत सरकार स्वयं स्थापित नहीं करती। फिर भी, वह ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के माध्यम से राज्य सरकारों की सहायता करती है। चौथी योजनावधि के दौरान चुनी हुई मदों के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है बशर्ते कि प्रति विश्वविद्यालय को दी जाने वाली रकम दो करोड़ रुपये से अधिक न हो। सम्बन्धित राज्य सरकारों को विधान का प्रारूप तैयार करने, शिक्षण-सुधार आदि लागू करने के सम्बन्ध में तकनीकी परामर्श तथा सहायता भी दी जाती है। चौथी योजना के दौरान निम्नलिखित राज्यों में अब तक 8 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जा चुके हैं :—

विश्वविद्यालय का नाम	प्रधान कार्यालय	राज्य
1. असम कृषि विश्वविद्यालय	जोरहट	असम
2. पंजाबराव कृषि विद्यापीठ	अकोला	महाराष्ट्र
3. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	हिसार	हरियाणा
4. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	पटना (अस्थायी)	बिहार
5. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कृषि शाखा	शिमला	हिमाचल प्रदेश
6. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय	कोयम्बेटूर	तमिलनाडु
7. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय	अहमदाबाद (अस्थायी)	गुजरात
8. केरल कृषि विश्वविद्यालय	मन्नूथी	केरल

ये उन 9 कृषि विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त हैं जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मैसूर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में स्थापित किये जा चुके हैं। दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान स्नातकोत्तर स्तर पर कृषि शिक्षा देने के लिए एक उच्चतम विश्वविद्यालय है। एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये जम्मू तथा कश्मीर राज्य से एक प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है।

केरल में नारियल के मूल्य में गिरावट

*87. **श्री सी० एम० स्टीफन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में नारियल के मूल्य में गिरावट की जानकारी है और यदि हां, तो वर्ष 1971 के इसी महीने के प्रचलित मूल्य की तुलना में यह गिरावट कितनी है ;

(ख) केरल में नारियल का कुल उत्पादन कितना है और मूल्यों में गिरावट के परिणामस्वरूप किसानों को कुल कितनी वार्षिक हानि होगी और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मूल्य स्तर को पहले वाली स्थिति में लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। मूल्यों में कमी की रूपरेखा संलग्न विवरण से देखी जा सकती है, जिसमें नारियल के गत चार वर्षों के थोक मूल्य दिये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1466/72**]

(ख) वर्ष 1970-71 के नारियल के क्षेत्र और उत्पादन के अखिल भारतीय अन्तिम अनुमानों के अनुसार केरल में इस वर्ष 39810 लाख नारियल के उत्पादन का अनुमान है। वर्ष 1971-72 के क्षेत्र तथा उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। मूल्य में कमी के कारण इस वर्ष फसल के विक्रय से गत वर्ष की तुलना में कम राशि प्राप्त होने की संभावना है।

(ग) मूल्यों के उतार चढ़ाव पर दृष्टि रखी जा रही है। स्थिति का अध्ययन करने के लिये अधिकारियों का एक दल केरल को भेजा जा रहा है, इस अध्ययन के पूर्ण होने के उपरांत सुधारक उपाय अपनाये जायेंगे।

Compensation to Farmers of Border Areas for Loss of Their Crops During Indo-Pak War (1971)

***91. Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any assistance for increasing the agricultural production or any facilities for compensating the damage to crops are being provided to the farmers in border areas whose crops have been damaged during the Indo-Pak War in 1971 ;

(b) whether some assistance/facilities are being given in all the States ;

(c) if so, the details in regard to various States and the estimated amount of loss to agricultural production ; and

(d) the amount given to each farmer ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b). The Government of India have given approval to the expenditure being incurred by the Governments of all the border States for giving ex-gratia assistance to the residents of the border areas affected by the recent Indo-Pak conflict. This includes compensation for the damage to crops also.

(c) and (d). Information has been called for from the State Governments concerned and will be placed on the table of the Sabha as soon as it is received.

सिंधि में ग्राम विकास कार्यक्रम

*92. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम विकास कार्यक्रम के अधीन सिंधि जिले के लिये मंजूर की गई दो करोड़ रुपये की राशि अभी तक नहीं दी गई और इस कारण से कार्यों के पूरा होने में विलम्ब हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो शेर० सिंह) : (क) और (ख). सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम के लिये (जिसे पहले ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम कहा जाता था) चतुर्थ योजना अवधि के दौरान प्रत्येक चुने हुये जिले के लिये 2 करोड़ के परिव्यय की व्यवस्था होगी। प्रत्येक चुने हुये जिले के लिये राज्य सरकारों ने मास्टर प्लान बनाने हैं और इन प्लानों पर आधारित विभिन्न क्षेत्रों में वे विशेष कार्य, जिनकी मंजूरी देनी है, आरम्भ किये जायेंगे। सिंधि

जिले के लिये, मास्टर प्लान को अन्तिम रूप देने तक, कार्यक्रम के पहले वर्ष की अवधि में तदर्थ आधार पर 87 33 लाख रुपये की अनुमानित लागत सहित कई योजनायें मंजूर की गई हैं। व्यय की प्रगति के अनुसार, राज्य सरकार को धन राशि भी निर्मुक्त कर दी गई है और धन की कमी के कारण कार्यों में कोई रुकावट नहीं पड़ी है।

बेरोजगार डाक्टर

*97. **श्री भोला माझी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार डाक्टरों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन ने बेरोजगार डाक्टरों की स्थिति के बारे में विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं जिनसे यह पता चले कि देश में कितने डाक्टर बेरोजगार हैं। देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, कुल मिलाकर डाक्टरों की कमी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Setting up of a Defence University

*98. **Shri R. R. Sharma** : Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether a suggestion was made by Dr. V. P. Apte, Vice-Chancellor of Poona University, recently that a Defence University should be set up in the country ; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Social Welfare (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) The Vice-Chancellor. Poona University has not suggested the setting up of a Defence University. The Ministry of Defence had sought the concurrence of the University of Poona and the Government of Maharashtra for affiliation of Defence Training Institutions in Poona area to the Jawaharlal Nehru University. The Vice-Chancellor, Poona University felt that the institutions in Poona should be linked with the Poona University and not with Jawaharlal Nehru University. During the course of discussion with the Defence Secretary, he indicated that if a separate Defence Services University were to be set up, it would be a different matter and the Poona University would have no objection.

(b) The matter is being examined in the Ministry of Defence.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भूमि का आवंटन

*99. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री 17 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1110 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गांधी जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जन जातियों के लोगों को भूमि का आवंटन करने के बारे में राज्य सरकारों से इस बीच सूचन प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य वार कितनी भूमि का आवंटन किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख). असम को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त हो गई है। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु सरकारों ने केवल अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में ही जानकारी भेजी है। प्राप्त जानकारी सदन के पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1467/72]

पी० एल० 480 के अन्तर्गत गेहूँ के आयात का समाप्त करना और गेहूँ तथा चावल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना

*100. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से गेहूं का आयात पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही पाकिस्तान के साथ हुए 14 दिन के युद्ध के दौरान भारत के प्रति अमरीका के रवैये के विरोध स्वरूप की गई है ; और

(ग) क्या भारत गेहूँ और चावल के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) गेहूं और चावल के वर्तमान उत्पादन-स्तर से सरकार सरकारी वितरण की सामान्य आवश्यकताओं और पर्याप्त बफर स्टाक बनाये रखने के लिये पर्याप्त स्टाक बनाने में समर्थ हुई है। गेहूँ और चावल के रियायती आयात भी बन्द कर दिए गये हैं।

मन्नम शूगर मिल्ज कोआपरेटिव लिमिटेड पंडालम, केरल के कार्य के बारे में प्रतिवेदन

640. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्नम शूगर मिल्ज कोआपरेटिव लिमिटेड पंडालम केरल के कार्य की जांच करने हेतु नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(ख) इस मिल के कार्य में और अधिक कुशलता लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने समिति की कुछ सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है, जिनमें राज्य खेती निगम की स्थापना करना, उसे गन्ने के गहन विकास के लिये 3,000 एकड़ वन-भूमि आवंटित करना और 30 लाख रुपए की अग्रिम धनराशि देना, जिससे कि मन्नम शूगर मिल्ज कोआपरेटिव लिमिटेड को पर्याप्त मात्रा में गन्ना सुनिश्चित किया

जा सके, भी शामिल है। राज्य सरकार को भी यह सलाह दी गई है कि वे गन्ने के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं तथा प्रशासनिक प्रबन्धों की व्यवस्था करें। मिल की आर्थिक जीव्यता में सुधार करने के लिये उन्हें यह सुझाव भी दिया गया है कि वे तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता के बारे में विशेषज्ञ अध्ययन करने के उपरान्त राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की वित्तीय सहायता से एक आसवनी यूनिट स्थापित करने के बारे में विचार करें। ये सुझाव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सप्लाई किये गये बीजों की किस्मों के बारे में शिकायतें

641. **श्री शिवनाथ झुंझुनवाला** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीज निगम द्वारा सप्लाई किये गये बीजों की किस्म के लगातार खराब होते जाने के बारे में गत तीन वर्षों में शिकायतों की संख्या बढ़ी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में, वर्षवार, कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) सरकारी ऐजेंसियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मुख्यतः बीजों की कौनसी किस्म के बारे में शिकायतें आई हैं ; और

(घ) क्या प्रत्येक शिकायत की जांच की गई है और यदि हां, तो कितने मामलों में यह खराबी कदाचारों के कारण आई है और यदि हां, तो जिम्मेदार व्यक्तियों को क्या दण्ड दिया गया है और जिन मामलों में कदाचार नहीं पाया गया है उनके बीज के किस्म में सुधार करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

चीनी के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये कार्यवाही

642. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** :
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों में खुले बाजार में चीनी के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने मूल्यों में वृद्धि के कारणों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या गत दो महीनों में मूल्यों के कम करने के लिए कार्यवाही की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) क्या मूल्यों में वृद्धि का कारण मिलों से चीनी न उठाना तथा उचित मूल्य की दुकानों से इसका वितरण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). विभिन्न राज्यों के प्रमुख खपत केन्द्रों के बाजारों में पिछले तीन महीनों में 7 जनवरी, 1972, 4 फरवरी, 1972

और 3 मार्च, 1972 को चीनी के थोक मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1468/72] ।

(ग) चीनी के मूल्य में वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

1. गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी होने और उत्तर भारत में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ें आने तथा दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में सूखे से गन्ने की खड़ी फसल को क्षति पहुंचने के कारण चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आने की प्रत्याशा में मूल्य बढ़ गए ;
2. गुड़ और खंडसारी के मूल्यों में वृद्धि का सहानुभूतिक प्रभाव ;
3. फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने का अपेक्षाकृत ऊंचा मूल्य देने और अन्य तत्वों के परिणाम-स्वरूप चीनी की उत्पादन लागत में वृद्धि ।
4. मासिक पुनरीक्षण के फलस्वरूप टैरिफ मूल्य में जो कि सरकार द्वारा वास्तविक वृद्धि के अनुसार निश्चत किया जाता है, सम्भावी वृद्धि के बारे में अटकलें । टैरिफ मूल्य पहली जनवरी, 1972 को 135 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल, पहली फरवरी को बढ़ कर 165 रुपए प्रति क्विंटल और पहली मार्च, 1972 को बढ़ाकर 190 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था । टैरिफ मूल्य के आधार पर खुले बाजार में बिक्री चीनी पर 30 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क लगाया जाता है ।
5. आगामी बजट में चीनी पर लगे उत्पादन शुल्क की दर में वृद्धि के बारे में अटकलें ; और
6. परिवहन सम्बन्धी अस्थायी कठिनाइयां ।

(घ) 1971-72 के दौरान चीनी के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. चीनी फैक्ट्रियों द्वारा बिक्री की चीनी की मात्रा का मासिक निर्मुक्तियों से विनियमन किया जा रहा है ।
2. निर्मुक्ति आदेशों के प्रति फैक्ट्रियों द्वारा चीनी की सुपुर्दगी देने की अवधि 45 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी गई है ।
3. चीनी फैक्ट्रियों को इस बात की मनाही कर दी गई है कि यदि वैध निर्मुक्ति आदेश के प्रति अप्रेषित चीनी उअलब्ध है तो चीनी की सुपुर्दगी देने से इन्कार न करें ।
4. चीनी फैक्ट्रियों को किसी एक व्यापारिक को प्रति सप्ताह 2,200 क्विंटल से अधिक चीनी भेजने की मनाही कर दी गई है ।
5. चीनी फैक्ट्रियों को प्रति सप्ताह चीनी के निर्मुक्त कोटे की कम से कम 20 प्रतिशत चीनी भेजनी या उसकी सुपुर्दगी देनी होती है ।
6. व्यापारियों द्वारा चीनी का स्टाक रखने पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं । मात्रा सम्बन्धी सीमा एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में व्यापारियों के लिए

250 क्विंटल, एक लाख और 5 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहरों में 500 क्विंटल और 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 1000 क्विंटल है लेकिन कलकत्ता में आयातकों के बारे में यह सीमा 7,500 क्विंटल है।

7. चीनी फैक्ट्रियां किसी भी राज्य में चीनी बेच सकती है लेकिन व्यापारियों द्वारा चीनी के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

8. चीनी व्यापारियों को चीनी के स्टाक पर मिलने वाली बैंक पेशगियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है और उन पर बैंक गुंजाइश 45 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दी गई है।

9. चीनी उद्योग के परामर्श से पहली जनवरी, 1972 से एक योजना लागू की गई थी जिसके अधीन चीनी उद्योग उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से मुख्यतः घरेलू उपभोक्ताओं में वितरण करने के लिए प्रति मास निर्मुक्त कोटे का 60 प्रतिशत निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध करेगा और यह कोटा राज्य सरकारों को इसके वितरण की व्यवस्था करने के लिए आवंटित किया जा रहा है।

(ङ) जी हां। कुछ हद तक उन क्षेत्रों में जहां व्यापारी परिवहन की कठिनाई अथवा अन्य कारणों से कारखानों से कोटे का पर्याप्त भाग नहीं उठा सके।

त्रिवेन्द्रम में कन्दमूल रिसर्च इन्स्टीट्यूट का विकास

6 13. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम स्थित कन्दमूल रिसर्च इन्स्टीट्यूट के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है : और

(ख) एचीवमेंट आडिट कमेटी जिसने अप्रैल, 1972 में इन्स्टीट्यूट का दौरा किया था, क्या सिफारिशें की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की केन्द्रीय कन्दमूल फसल अनुसंधान संस्थान जुलाई, 1963 में त्रिवेन्द्रम में स्थापित किया गया था केरल सरकार ने 52 एकड़ तरंगी भूमि दी थी, जिसे टैरेस, एकसार और मेड़ बना कर प्रयोगात्मक फार्म के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। केन्द्रीय कन्दमूल फसल अनुसंधान संस्थान का उद्देश्य टेपियोका, शकरकन्दी, पाम आदि जैसी कन्दमूल फसलों की उन्नत किस्मों को विकसित करना और कन्दमूल फसलों की उपज तथा गुणों की वृद्धि के लिए व्यावहारिक उपाय तैयार करना है।

संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए, चौथी पंचवर्षीय प्लान योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त कर दिए गये हैं। प्रयोगशाला भवन तथा ग्लास हाउस का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) केन्द्रीय कन्दमूल फसल अनुसंधान संस्थान की उपलब्धि लेखा परीक्षा समिति ने, जिसने अप्रैल 1971 में संस्थान का निरीक्षण किया था, निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं :

(1) संस्थान की विस्तार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत रिक्त पदों को भरना। (निदेशक

केन्द्रीय कन्दमूल फसल अनुसंधान संस्थान को कहा गया है कि वे शीघ्र ही सभी रिक्त पदों को भरें)

(2) संस्थान के भवनों की शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता। (केन्द्रीय लोग निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है)

(3) उत्पादित टेपिओका के लिए, जिसका औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा, उचित परिवहन तथा भण्डारण की आवश्यकताओं के पूरा होने में आने वाली समस्याओं का निरीक्षण करना (निदेशक द्वारा कार्यवाही की जा रही है)

(4) कन्दमूल फसलों (आलू के अतिरिक्त) की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को सुदृढ़ करना (कार्यवाही की गई है)।

(5) कन्दमूल फसलों के अनुसंधान को तीव्र करने के लिए डाक्टरोपरान्त अनुसंधान शिक्षाकृति संस्था। (निदेशक से अनुरोध किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव भेजें)

मार्जिनल किसानों तथा कृषि श्रमिकों की लाभ सम्बन्धी योजना को बिहार के पालामाऊ जिले में बढ़ाना

644. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उस जिले का नाम क्या है जिसमें सबसे अधिक "मार्जिनल" किसान हैं ; और

(ख) क्या "मार्जिनल" किसानों तथा कृषि मजदूरों में लाभ की योजना को बिहार में पालामाऊ जिले में बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) बिहार के दरभंगा जिले में 2.5 एकड़ से कम जोत वाले सबसे अधिक सीमांत कृषक हैं। जिले के कुल 101876 कृषकों में से सीमांत कृषकों की संख्या 65787 (अर्थात् लगभग 65 प्रतिशत) है।

(ख) जी नहीं। इस समय सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनायें पालामाऊ जैसे नये जिलों में प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रेटर कैलाश भाग II नई दिल्ली में मकानों का निर्माण

645. **श्री के० सूर्यनारायण** :

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 29 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2079 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालोनाइजरों ने इस बीच ग्रेटर कैलाश भाग-II ('ई' ब्लाक के अतिरिक्त) नई दिल्ली में समस्त सेवा सुविधाओं की व्यवस्था पूरी कर दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक पूरी कर दी जायेगी ; और

(ग) नक्शों की शर्तों और उनके द्वारा किए गए करार को पूरा न करने के लिए कालोनाइजरों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). कालोनाइजरों ने, जिन्हें ले आउट प्लान की अनुमति की शर्तों के अनुसार समस्त सेवाओं को दिसम्बर, 1971 तक पूर्ण कर देना अपेक्षित था, कार्य पूर्ण नहीं किया है। तथापि, उन्होंने सड़कों तथा बरसाती पानी के नालों की कमी के विकल्प के रूप में उसकी कीमत 28 फरवरी, 1972 को अदा कर दी है। उन्होंने जलपूर्ति कमेटी द्वारा दिनाक 14 अक्टूबर, 1971 को पारित किये गये संकल्प के अनुसार जलपूर्ति तथा मल-नालियों की कमी की लागत को सीधे ही जलपूर्ति तथा मलनिपटान निगम को अदा कर दिया है, जिसका अभी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने अनुसमर्थन करना है। निगम का जनरल विंग तथा जल पूर्ति तथा मलनिपटान निगम अब सेवाओं की कमी को पूरा करेगा। तथापि, निगम ने यह नहीं बताया है कि कब तक कार्य पूर्ण हो जायेगा।

(ग) उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, कालोनाइजरों के विरुद्ध ऐसी स्थिति में कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विभागों/मन्त्रालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के सारा दिन खुले रहने वाले दूध केन्द्रों में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा की शर्तें।

646. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली/दिल्ली में विभिन्न मन्त्रालयों और सरकारी कार्यालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के सारा दिन खुले रहने वाले दुध केन्द्र में नियुक्त मैनेजरों, और असिस्टेंट मैनजरों को काम के घण्टों, समयोपरि भत्ता तथा अन्य सुविधाओं के लिए अनुसचिवीय कर्मचारी समझा जाता है अथवा वे फैक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं ; और

(ख) फैक्टरी कर्मचारियों और अनुसचिव कर्मचारियों के सम्बन्ध में दोनों नियमावलियों के अन्तर्गत सेवा की शर्तें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना के सारा दिन खुला रहने वाले केन्द्रों पर काम करने वाले प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक गैर औद्योगिक श्रेणी 3 के सरकारी कर्मचारी हैं। उन पर, सेवा की सामान्य शर्तें जैसा कि कार्यकाल, समयोपरि भत्ता और अन्य सुविधायें, भारत सरकार के नियम और आदेश लागू होते हैं जो दिल्ली दुग्ध योजना के सम्बन्धित वर्ग के कर्मचारियों पर लागू रहते हैं। कार्यालय, समयोपरि भत्ता और अन्य सुविधाओं के लिए उन पर फैक्टरी नियम लागू नहीं होता।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विभिन्न विभागों/मंत्रालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य करने के घण्टे

647. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों और कार्यालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के माध्याह्न भोजन के समय को मिला कर कार्य करने के घण्टे उन मंत्रालयों और कार्यालयों, जिनमें ये स्टाल हैं, के कार्य करने के समय के समान ही हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो सम्बन्धित मंत्रालयों/कार्यालयों के बन्द होने के बाद भी इन स्टालों को न खोले रखने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। पहली मार्च, 1972 से सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों और कार्यालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के स्टालों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य करने का समय प्रात: 9.00 से सायं 5.45 बजे तक है, इसमें 12.30 बजे से 1 बजे तक मध्याह्न भोजन का समय शामिल है।

(ख) मन्त्रालयों के बन्द होने का समय सायं 5.30 बजे है। स्टालों के बन्द होने का संशोधित समय सायं 5.45 बजे है। ये स्टाल अतिरिक्त 15 मिनट के लिये खुले रहते हैं जिससे कि कर्मचारी विक्रय समाप्त होने के उपरान्त दैनिक लेखे को बन्द कर सकें।

केरल में बेपोर पत्तन के लिये तलकर्षक (ड्रेजर)

648. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केरल में बेपोर पत्तन में नदी के मुहाने के तलकर्षण में लिये लहरों के उभार में काम करने की क्षमता वाले समुद्रगामी तलकर्षकों (ड्रेजर) की आवश्यकता है, और

(ख) यदि हां, तो इस पत्तन को एक समुद्रगामी तलकर्षक (ड्रेजर) की सप्लाई के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां।

(ख) अगले साफ मौसम के दौरान बेपुर में नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के कटर चूषण निकर्षक में से एक के लगाने का प्रस्ताव है।

कनिष्ठ इन्जीनियरों को प्रोत्साहन

649. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कनिष्ठ इन्जीनियरों को, जो अपने सेवाकाल में उच्च-योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, कुछ प्रोत्साहन दिये जाते हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इन्जीनियर-इन-चीफ ने डिप्लोमा और डिग्री धारियों के बीच कथित असंतुलन को देखते हुए सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरों (समन्वय) को अनुदेश जारी किये हैं कि केवल प्रथम श्रेणी वाले स्नातकों की ही भर्ती की जाये ; और

(ग) क्या किन्हीं अधिसूचित पदोन्नति सम्बन्धी नियमों के न होने के कारण कनिष्ठ इन्जीनियरों की पदोन्नति के सम्बन्ध में ऐसा कोई असन्तुलन नहीं रखा गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) कनिष्ठ इंजीनियरों का वेतनमान 180-10-290-ई० रो०-15-380 रुपये है। एक स्नातक का वेतन जो कनिष्ठ इंजनियर के रूप में पद ग्रहण करता है 240 रुपये से निर्धारित किया जाता है तथा एक डिप्लोमाधारी कनिष्ठ इंजीनियर जो डिग्री या ए० एम० आई० ई० अर्हता सेवा में रहते हुये

प्राप्त करता है उसका वेतन उस परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि से वेतनमान के 240 रुपये पर निर्धारित किया जाता है यदि उसका वेतन उस तिथि को 240 रुपये से कम हो। डिप्लोमाधारी को डिग्री/ए० एम० आई० ई० अर्हता शीघ्र प्राप्त करने पर प्रोत्साहन के तौर पर अधिक से अधिक 6 वेतन वृद्धियां दी जाती हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने यह सिफारिश की है कि ऐसे कर्मचारियों को 6 अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जानी चाहिए चाहे वे निर्धारित वेतनमान के किसी भी चरण में वेतन पा रहे हों। क्योंकि तृतीय वेतन आयोग वेतनमान की समस्या पर विचार कर रहा है, उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया गया है।

(ख) जी, हां। कनिष्ठ इंजीनियर के रूप में चयन के विचार से प्रथम श्रेणी स्नातक इंजीनियरों सहित बहुत बड़ी संख्या में स्नातक इन्जीनियरों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रमुख इंजीनियर ने प्रथम श्रेणी स्नातक इन्जीनियरों की भर्ती और उनके न मिलने पर कनिष्ठ इंजीनियरों के ग्रेड में अन्य स्नातक इंजीनियरों की भर्ती के अनुदेश जारी किये थे। चूंकि कनिष्ठ इंजीनियरों के पद की भर्ती के लिए स्नातक इंजीनियरों और डिप्लोमा-धारियों के लिये कोई कोटा निर्धारित नहीं है, अतः काडर में असंतुलन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सहायक इन्जीनियरों के ग्रेड में नियुक्ति करने के लिए भर्ती नियम अधिसूचित कर दिये गए हैं; तथापि, विभिन्न पद्धतियों द्वारा नियुक्ति के लिए कोटा जो संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अपनाया गया था, अधिसूचना नहीं किया गया था। अपनाये गये कोटे के अनुसार, स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों तथा गैर-स्नातक कनिष्ठ इंजीनियरों की पदोन्नति के बारे में संतुलन को बनाये रखा गया। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुछ सहायक इंजीनियरों द्वारा दायर की गई रिट पटीशन में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि सहायक इंजीनियरों के ग्रेड में नियुक्ति के लिए कोटा सही ढंग से निर्धारित नहीं किया गया है। इस निर्णय को दृष्टि में रखते हुए, भविष्य में सहायक इंजीनियर के ग्रेड में पदोन्नति गुण तथा वरीयता के आधार पर स्नातकों तथा गैर-स्नातकों दोनों के पात्र अधिकारियों की सामान्य सूची में से की जायेगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों के मामले

650. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री 15 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). जी हां। कनिष्ठ इन्जीनियरों के सम्बन्ध में स्थिति 1-4-1971 को निम्न प्रकार है :

मामलों की किस्म	जिन मामलों पर निर्णय अपेक्षित है उनकी संख्या	निपटान किये गये मामलों की संख्या
स्थायिक्ता	1041	634
स्थामित्व	573	317
दक्षता अवरोध	179	152

1 अप्रैल, 1971 को जो मामले 2 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उनकी संख्या नीचे दी है :

स्थायिक्ता	291
स्थायित्व	132
दक्षता अवरोध	7

31 अगस्त 1971 तक, जिन कनिष्ठ इंजीनियरों ने 6 वर्ष का सेवा काल पूरा कर लिया है तथा जो स्थायी घोषित नहीं किये गये हैं उनकी संख्या 1400 है।

समस्त अस्थायी पदों के, जो 3 वर्ष से अधिक से अस्तित्व में हैं तथा जो स्थायी प्रकार के कार्य करने के लिए अपेक्षित हैं, 80 प्रतिशत को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के लिए प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाता है। तथापि, स्थायी किये जाने वाले कनिष्ठ इंजीनियरों के पदों की संख्या, सहायक इन्जीनियरो तथा सहायक कार्यपालक इन्जीनियरों के स्थायी पदों की संख्या के चार गुणा तक सीमित है, अर्थात प्रत्येक सहायक इंजीनियर/सहायक कार्यपालक इन्जीनियर के बाद 4 कनिष्ठ इन्जीनियर की दर पर कनिष्ठ इन्जीनियर अपनी वरिष्ठता के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके स्थायी किये जाते हैं।

अन्दमान लोक निर्माण विभाग में सहायक इन्जीनियरों की नियुक्ति

651. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान लोक निर्माण विभाग में नियुक्त किये जाने वाले सहायक इन्जीनियर उचित समय पर अपनी ड्यूटी ज्वायन नहीं करते हैं और अनेक मामलों में ये पद दो महीने से अधिक समय तक रिक्त पड़े रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और रिक्त स्थानों को दो महीनों के अन्दर भरने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). अन्दमान लोक निर्माण विभाग में सहायक इन्जीनियरों के पद कुछ समय के लिए उन मामलों में रिक्त रहते हैं जहां वापिस आने वाले अधिकारियों को उनका स्थान लेने वालों की प्रत्याशा में भारमुक्त कर दिया जाता है। फिलहाल, ऐसा एक पद मई, 1971 से रिक्त पड़ा है, क्योंकि इस रिक्ति के विपरीत नियुक्त किया गया अधिकारी कार्य के हित में भारमुक्त नहीं किया जा सका। उसे अब भारमुक्त कर दिया गया है तथा शीघ्र ही अन्दमान में उस द्वारा कार्यभार संभाले जाने की आशा है। ऐसी रिक्तियों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जाते हैं।

नई दिल्ली में पुराने किले में खुदाई

652. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के पुराने किले में खुदाई में प्रगति के बारे में अन्तिम रिपोर्ट क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : 3 दिसम्बर, 1971 को पुराने किले में तीसरी बार दो तरह के प्रयोजनों के लिए खुदाई का काम शुरू किया गया (1) शेर मंडल और किला-ए-कुहना मस्जिद के बीच के मुगल काल की संरचनाओं के स्वरूप का पता लगाना (2) लगभग पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले युगों की जांच करना।

इन खुदाइयों के परिणामस्वरूप मुगल काल की संरचनाओं के दो चरण प्रकाश में आये। नीचे के चरण में पत्थर के बने हुये आंगन के अवशेष और फर्शों के साथ ठोस पत्थर की दीवार शामिल हैं। ऊपर के चरण की संरचनाओं में मुख्यतया हमाम-उपभवन और एक घर, जिसके अन्दर एक चौकोर हौज है, शामिल है। इस काल के उल्लेखनीय पुरावशेषों में रंगीन खपरैलों के टुकड़े, पकी मिट्टी के कलश, जिसके बाहर नानाविधि डिजाइन हैं, चिकने बर्तन के टुकड़े, चीनी पोर्सिलन और बारीक (पेपर-थिन) सजे हुए बर्तन, शीशे की बोतलों के टुकड़े, पकी मिट्टी के दीपाधार (लैम्प स्टैंड) और लघु मूर्तियां शामिल हैं।

अवर स्तरों में रोड़ों के साधारण घरों के अवशेष, कच्ची ईंट और रोड़े भी प्रकाश में आए। सम्बन्धित सिक्कों से यह पता चला है कि ये सुलतान काल से सम्बन्धित हैं।

कुछ स्थानों पर गहरी खुदाई से, पिछले दो कार्य, कार्य मौसमों के दौरान पहले ही से निर्धारित शृंखला माला की पुष्टि हुई है। तथापि, खाइयों में से एक में, उत्तरी काली पालिश किये हुये बर्तन से सम्बन्धित स्तरों के नीचे, सांस्कृतिक अवस्था का अभी पता चला है, जिसका प्रतिनिधित्व चित्रित भूरे बर्तन से बहुत ज्यादा मिलते-जुलते उत्कृष्ट और बारीक भूरे बर्तन करते हैं।

कोचीन में शिपयार्ड परियोजना

653. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य में कोचीन में शिपयार्ड परियोजना सम्बन्धी योजना को तेजी से कार्यान्वित करने हेतु केरल सरकार द्वारा दिये गये सुझाव पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : केरल सरकार ने सुझाव दिया था कि कोचीन शिपयार्ड परियोजना को तेजी से क्रियान्वित करने हेतु एक कम्पनी का गठन करना अनिवार्य था। केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से इस दिशा में आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी थी और केरल सरकार को तननुसार सूचित कर दिया था। तब से कम्पनी के गठन का एक औपचारिक निर्णय भी लिया गया है और कम्पनी के शीघ्र ही रजिस्टर हो जाने की संभावना है।

केंद्रीय नारियल अनुसन्धान केंद्र, कासरगोड, केरल का विकास

654. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कासरगोड स्थित केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्र का विकास करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 40 लाख रुपये की लागत से कासरगोड में केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान को शक्तिशाली बनाने के लिए एक योजना तैयार की गई है। योजना आयोग द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है और अब वित्त मन्त्रालय को अनुमोदन के लिए भेजी गई है।

(ख) संस्थान के चालू अनुसंधान कार्यक्रम का तीव्रीकरण और अनुसंधान कियायों के विस्तारित कार्यक्रम के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रबन्ध करना इस योजना के मुख्य लक्षण हैं। उपरोक्त संस्थान के अधीन ताड़ के तेल और मसालों की किस्मों पर अन्वेषण आरम्भ करने का भी प्रस्ताव है।

सरकारी भवनों में लिफ्टों के कार्य सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन

655. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी भवनों में लिफ्टों के कार्य में सुधार करने हेतु एक लिफ्ट जांच समिति नियुक्त की थी और यदि हां, तो क्या उस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां। सरकार ने अगस्त, 1968 में मुख्य इन्जीनियर (विद्युत), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण और आवास मन्त्रालय, तथा महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान के प्रतिनिधियों की सदस्यता में एक कमेटी नियुक्त की थी तथा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मई, 1969 में प्रस्तुत की।

(ख) कमेटी की सिफारिशें सम्बन्धित प्राधिकारियों को कार्यान्वयन के लिए विधिवत भेजी गई थीं। तथापि, उपरोक्त कार्यवाही के बावजूद एक घातक दुर्घटना होने के बाद, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रमुख इन्जीनियर की अध्यक्षता में तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इन्जीनियर (बिजली) और पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक, तकनीकी विकास के महा निदेशक, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के प्रतिनिधियों की सदस्यता में, इस प्रश्न पर पुनः विचार करने के लिए एक और समिति नियुक्त की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ समिति यह रिपोर्ट देगी कि क्या पहली समिति की सिफारिशें उचित ढंग से कार्यान्वित की गई है और पुनः कौन से कदम किस द्वारा उठाये जाने अपेक्षित हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए समिति और भी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी कि सरकारी भवनों में लिफ्टें अधिक से अधिक सुरक्षा और कुशलता से कार्य करें।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लिफ्टों की देख-रेख

656. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, नई दिल्ली तथा देश के अन्य स्थानों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी लिफ्टों की देख-रेख की जा रही है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में इन लिफ्टों में कितनी दुर्घटनाएं हुईं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) चार सौ इक्कीस।

(ख) तीन।

सूजी और मैदा का निर्यात

657 **श्री सी० जनार्दनन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार अन्य देशों को सूजी और मैदा का निर्यात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना निर्यात किया जायेगा और किन किन देशों को किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). इस मामले की जांच की जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से चम्बल घाटी परियोजना कमाण्ड के जलग्रस्त क्षेत्रों को खेती योग्य बनाना

658 **श्री नरेन्द्रकुमार सांघी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से क्रियान्वित की गई पायलट परियोजना के फलस्वरूप चम्बल घाटी परियोजना कमाण्ड के जलग्रस्त क्षेत्रों का लगभग 20 प्रतिशत भाग चकबन्दी करके, सीढ़ीदार खेती करके तथा पुनरुद्धार करके खेती योग्य बनाया जा सकता है और इस प्रक्रिया में किसान पूरी तरह सहयोग दे रहे हैं ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने पांच लाख एकड़ भूमि में से 45,000 एकड़ भूमि के विकास के लिए योजना बनाई है और इस प्रयोजनार्थ उसने केन्द्र से सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने मामले की जांच की है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) की सहायता से मार्च, 1968 में राजस्थान के चम्बल सिंचित क्षेत्र में एक भूमि तथा जल उपयोग एवं प्रबन्ध परियोजना प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना द्वारा किये गए कार्य के फलस्वरूप, मुद्रा तथा जल प्रबन्ध की पद्धति का विकास किया गया है, जिससे इस क्षेत्र की कठिनाईयां दूर होने की सम्भावना है। इस पद्धति का लगभग 150 एकड़ के मार्गदर्शी क्षेत्र पर परीक्षण किया गया है। यह किसानों में अत्यधिक लोकप्रिय सिद्ध हुई है। यहां तक कि समीप के अन्य कृषक परियोजना प्राधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि लागत के आधार पर ऐसे सुधार उनकी भूमि पर भी किये जायें। इस लागत की अदायगी 10 वर्ष की अवधि मे की जानी है।

संक्षेप में नई पद्धति में प्रत्येक उप-नहर या माइनर द्वारा सिंचित क्षेत्र की मृदा, रूपरेखा तथा नक्शे के विस्तृत अध्ययन के साथ-साथ कण्टूर सहित टैरेसों के रूप में भूमि के समतलन की भी व्यवस्था है। प्राकृतिक ढलान के साथ-साथ सीधी जल-प्रवाहक-नालियों की व्यवस्था की गई है, जिससे आस-पास की भूमि की सिंचाई की जा सके। अधिक जल को निकालने के लिए प्राकृतिक प्रवाह के साथ-साथ नालियों की भी व्यवस्था है। इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए अलग-अलग खेतों की सीमाओं का पुनः अंकन करने के साथ-साथ पुराने खेतों के बीच की मेंडों को हटा कर कण्टूर टैरेसों के रूप में कृषकों को भूमि के पुनरावंटन की आवश्यकता है। इस मार्गदर्शी क्षेत्र में यह सब कार्य करना सम्भव हो सका और इस प्रक्रिया में ऐच्छिक चकबन्दी करने से कुल क्षेत्र का 20 प्रतिशत भूस्वामियों में पुनर्वितरण के लिए भी प्राप्त हुआ, जो कि

पहले अनावश्यक लम्बी तथा विस्तृत जल नालिकाओं, खेत के बाँधों, आदि के अन्तर्गत तथा कुछ सीमा तक स्थायी रूप से जलक्रान्त था।

वर्ष 1971-76 के दौरान राजस्थान सरकार ने 45,000 एकड़ क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना तैयार की है। कृषि पुनर्वित्त तथा कृषि वित्त निगम ने सिद्धान्त रूप से इसकी वित्तीय सहायता के लिए लम्बी अवधि का ऋण देना स्वीकार कर लिया है। राजस्थान सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संस्वीकृति भी दे दी है।

यद्यपि राज्य सरकार कृषि पुनर्वित्त निगम तथा कृषि वित्त निगम द्वारा कृषकों को उपलब्ध की जाने वाली ऋण सहायता के अतिरिक्त, आवश्यक धनराशि भी प्रदान करेगी, फिर भी भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से भूमि तथा जल-उपयोग एवं प्रबन्ध की वर्तमान मार्गदर्शी परियोजना को शत-प्रतिशत के आधार पर वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है जिसकी अभी तक राज्य सरकार द्वारा ही वित्तीय सहायता की जा रही थी। अन्य क्रिया-कलापों के अतिरिक्त इस मार्गदर्शी परियोजना के अन्तर्गत प्रदर्शन कृषकों के उन खेतों पर किये जायेंगे जो कि कृषि पुनर्वित्त निगम तथा कृषि वित्त निगम की योजनाओं के अन्तर्गत भूमि के विकास के लिए लिए गये क्षेत्रों में होंगे।

यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि राजस्थान के चम्बल सिंचाई कमान्ड क्षेत्र को केन्द्रीय क्षेत्र के क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है, जिसके अन्तर्गत संचार तथा विपणन केन्द्रों के सम्बन्ध में अवस्थापना की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए चौथी योजना की शेष अवधि के दौरान राज्य सरकार को 1 करोड़ रुपये तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध की जायेगी, बशर्ते कि राज्य सरकार समेकित विकास के लिए अन्य सेवाओं तथा आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना स्वीकार कर ले।

तम्बाकू के उत्पादन में कमी

659. **श्री निहार लास्कर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में तम्बाकू उत्पादकों की समस्याओं का हाल ही में अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या देश में तम्बाकू के उत्पादन में पर्याप्त कमी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). हाल ही में ऐसा कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी, तम्बाकू उत्पादकों की समस्याओं का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और उपयुक्त प्रतिकारक उपाय किये जाते हैं।

(ग) गत पांच वर्षों में तम्बाकू के क्षेत्र और उत्पादन में कमी या वृद्धि होती रही है जो निम्नलिखित है :

क्षेत्र : हैक्टार हजारों में

उत्पादन : मीटरी टन हजारों में

वर्ष	क्षेत्र	उत्पादन
1966-67 *	423.5	353.4
1967-68 *	423.5	368 7
1968-69 *	439.8	361.0
1969-70 *	437.9	337.1
1970-71 **	440.7	349.9

* आंशिक परिशोधित प्राक्कलन

** अन्तिम प्राक्कलन

ये उतार-चढ़ाव सामान्य मौसम तथा अन्य सम्बन्धित परिस्थितियों के कारण हुये हैं ।

केरल में क्विलोन के स्थान पर काजू के छिल्के के तेल के लिये अनुसंधान संस्थान सम्बन्धी प्रस्ताव

660. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में अकेले काजू के लिए अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जहां काजू के छिल्के के तेल के नये उपयोगों तथा प्रयोगों की प्रक्रिया पर गहन अनुसंधान किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह अनुसंधान संस्था की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत व्यय वहन करने के लिए सहमत है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गणेासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) विदेश व्यापार मन्त्रालय में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उन्होंने सूचित किया है कि इस समय इस प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं है । किन्तु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् काजू तथा मसाला विषयक अपनी अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के अन्तर्गत इन फसलों से सम्बद्ध अनुसंधान कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिये कदम उठा रही है ।

वर्ष 1970-71 में ट्रैक्टरों का आयात

661. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1970-71 में 35,000 ट्रैक्टर आयात करने का निर्णय किया था क्योंकि एक ट्रैक्टर निर्माता ने देश में अपना कारखाना बन्द कर दिया था और एक बड़े निर्माता ने अपना उत्पादन 50 प्रतिशत कम कर दिया था ;

(ख) एग्रो-इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन के पास कितने आयातित ट्रैक्टर अभी भी पड़े हैं जो कि अभी तक बेचे नहीं गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिये कोई जांच कारवाई की है कि आयात

की मात्रा निर्धारित करने का आधार क्या है और स्वदेशी निर्माताओं द्वारा अपने कारखाने बन्द कर दिये जाने अथवा उत्पादन में कटौती किए जाने के कारण क्या हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पो० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) अपेक्षित जानकारी विभिन्न राज्य कृषि उद्योग निगमों से एकत्रित की जा रही है और उसकी प्राप्ति पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ). हिन्दुस्तान 50 और 35 अश्व शक्ति ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, बड़ौदा का कारखाना बन्द नहीं किया गया था, लेकिन मार्च, 1971 से उत्पादन वस्तुत: बिल्कुल रूक गया है । उनके द्वारा अनुभव की गई आर्थिक कठिनाइयों के कारण एकक ने उत्पादन कम कर दिया, लेकिन जैसे ही 11 फरवरी, 1972 से देशी ट्रैक्टरों का विक्रय मूल्य पुनरीक्षित किया गया है, वहां साधारण उत्पादन शुरू हो गया । यह आशा की जाती है कि यह एकक तथा अन्य एकक ट्रैक्टरों के उत्पादन को और भी आगे बढ़ायेंगे ।

मेसर्स एस्काट्र्स लिमिटेड, फरीदाबाद को 35,000 ट्रैक्टरों में से यूरसस-328/335 और फोर्ड-3000 के 7350 ट्रैक्टर तैयार करने के लिये दिये गये और उनके निर्माण प्रोग्राम के अन्तर्गत 3000 फोर्ड ट्रैक्टर भी दिये गये । यह एकक ट्रैक्टरों के आयातित पेकों को तैयार करने में व्यस्त रहा है और इसके फलस्वरूप एस्काट्र्स ट्रैक्टरों का सामान्य उत्पादन कम हो गया था ।

सरकार ने ट्रैक्टरों की मांग का, जो एक व्यौरे पूर्ण एवं वैज्ञानिक पद्धति पर किये हुए वैज्ञानिक विपणन सर्वेक्षण पर आधारित है, आंकन करना नेशनल कौंसिल आफ एपलाइड एकानोमिक्स रिसर्च को सौंप दिया है । रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है ।

Consumption and Sale of Liquor in Delhi

662. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether there has been 90 per cent increase in the consumption of liquor in Delhi during 1970-71, as compared to the consumption in the period of four years following 1967 ; and

(b) whether the sale of foreign wine has considerably gone up in Delhi and if so, to what extent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K S. Ramaswamy) : (a) The increase in 1970-71 was about 14% compared to 1967-68.

(b) The sale of foreign wine shows an increase of about 3,21,000 litres in 1970-71 as compared to 1967-68 but the sale during the years 1968-69 and 1969-70 were actually lower than the sale during 1967-68.

आदर्श नगर के रूप में दिल्ली की योजना

663. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को एक आदर्श नगर बनाने के लिए पड़ोसी राज्यों के, दिल्ली के समीप के गाजियाबाद तथा फरीदाबाद नगरों को लेने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने हेतु ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना

564. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अगले वर्ष में शामिल किये जाने के लिए केरल सरकार ने बेरोजगारी के विरुद्ध द्रुत कार्य-क्रम के भाग के रूप में योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Review of Crash Programme for Rural Employment

665. **Shri Mohan Swarup :**
Shri Madhuryya Haldar :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any analysis has been made in regard to the success or failure of the Central "Crash Programme for rural employment" for which an amount of Rs. 50 crores was allocated ;

(b) if so, the main features thereof ;

(c) whether this programme would be continued during the remaining two years of the Fourth Five Year Plan ; and

(d) if so, the amount of expenditure likely to be incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) and (b). The progress of implementation of the scheme has been constantly under review. The Scheme was announced on February 25, 1971. The State Governments and Union Territory Administrations were requested to submit proposals for approval by the Central Government by March 15, 1971. A conference of Chief Secretaries was also held on April 12-13, 1971 to explain the significance of the scheme and to request expeditious action. Proposals amounting to Rs. 47.07 crores from 348 districts had been approved by February 29, 1972 against a total allocation of Rs. 50 crores. A little over 50% of the proposals only were received before the end of May 1971 and proposals worth about half the amount of total allocation had been approved by the Centre by the end of June, 1971. About 80% of the proposals had been approved by the end of September, 1971 thereby enabling the State and Union Territory Administrations to avail of the working season beginning in October 1971. The implementation of the scheme, however, did not proceed as fast as expected since, this being the first year of implementation, the State and Union Territory Governments took some time in formulating satisfactory proposals and in making the necessary technical, financial and organizational arrangements. The Central Government officers have been visiting the States and advising them on the proper implementation of the scheme so that the underlying objectives are fulfilled. Visits to States, discussions

with the representatives of the States and correspondence with the States brought forth a number of problems on which policy decisions were taken and communicated to the State Governments. A Workshop-cum-Seminar on the implementation of the Crash Scheme for Rural Employment was held at new Delhi during February 17-19, 1972. It was impressed upon the State Governments to streamline the administration so as to achieve the targets.

(c) Yes, Sir.

(d) Rs. 50 crores per annum.

Deaths Due to Cold

666. **Shri Mohan Swarup :**
Shrimati Jyotsna Chanda :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether deaths have taken place in various parts of the country due to severe cold ;

(b) if so, the State-wise figures during the last three years ; and

(c) whether Government propose to construct houses for the beggars to shelter them from cold and heat ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) and (b). Information regarding deaths due to cold is not available as such deaths are not notifiable.

(c) No. The Government have no such proposal in view. However, under the Slum Clearance and Improvement Scheme, the State Governments and Union Territories can construct night shelters in cities and towns where the problem of pavement dwellers is acute. Control and eradication of beggary is exclusively the responsibility of the State Government.

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के भूतपूर्व महा-निदेशक के विरुद्ध अभ्यावेदन

667. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय भाण्डागार निगम के भूतपूर्व महानिदेशक के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) इन आरोपों की जांच की जा रही है ।

श्रम प्रधान योजनायें

668. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोई ऐसी योजना क्रियान्वित करने का है जिससे देश के सभी जिलों में श्रम प्रधान योजनाओं के माध्यम से समाज के जरूरतमन्द लोगों को रोजगार मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की अवधि क्या है और इसके लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) ग्राम रोजगार की त्वरित योजना का कार्यान्वयन इस मूल उद्देश्य से आरम्भ किया गया था कि उन श्रमिकों, जो ऐसे परिवारों से हैं जिनका कोई भी वयस्क सदस्य रोजगार में नहीं है या जो वर्ष में अधिकांश समय बेरोजगार रहते हैं या जिन्हें आंशिक रोजगार मिलता है, को रोजगार सुलभ किया जाए। इस योजना के अन्तर्गत देश के सभी जिलों में ऐसी परियोजनाएं कार्यान्वित की जानी हैं जो मुख्यत: श्रम प्रदान हैं।

(ख) यह योजना वर्ष 1971-72 मे 50 करोड़ रुपये के परिव्यय से आयोजना से भिन्न योजना के रूप में आरम्भ की गई थी। अब इसे चतुर्थ योजना के शेष दो वर्षों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शामिल किया गया है तथा इसके लिए प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

तूतीकोरन पत्तन परियोजना तमिलनाडु में सरकारी मजदूरों द्वारा हड़ताल

669. **श्री एम० एस० ए० मुरूगनन्तम्** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तूतीकोरिन पत्तन परियोजना के सरकारी मजदूरों ने 20 जनवरी 1972 को हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) उनसे समझौता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामी रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग किया जाना

670 **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए दी गई राशि का पूरा उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) 1971 के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण, जिसमें 1971-72 में धनराशि का राज्य-वार उपयोग दिया गया है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1469/72] यह कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष होने के कारण राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को संतोषजनक प्रस्ताव तैयार करने और आवश्यक तकनीकी, वित्तीय और संगठनात्मक प्रबन्धों की व्यवस्था करने में कुछ समय लगा। इसके अलावा, योजना के अधीन स्थायी स्वरूप के निर्माण-कार्य आरम्भ किए जाने हैं और उन्हें बरसात, जो देश के बहुत से भागों में अपेक्षाकृत कुछ पहले आरम्भ हुई और लगभग अक्तूबर तक जारी रही, में आरम्भ नहीं किया जा सका।

Excavation work at the fort of Raja Bali at Balirajpur in Darbhanga District

671. **Shri Jagannath Mishra** : Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is a fort of Raja Bali in the village named Balirajpur near Jhanjharpur in the Darbhanga District ;

(b) whether excavations are now being carried our in that fort ;

(c) if so, the name of the agency through which the work is being undertaken ; and

(d) the contribution of the Central aad State Governments in this rggard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Social Welfare (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Yes Sir.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

भारत तथा विदेशों में उर्वरक के मूल्य

672. **श्री राज राज सिंह देव :**

श्री हरी सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों के पद-वार उपभोक्ता मूल्य क्या है ;

(ख) ये मूल्य विभिन्न विकासशील तथा विकसित देशों में विद्यमान मूल्यों की तुलना में देश-वार कितने हैं ; और

(ग) उर्वरकों के मूल्यों को कम करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ताकि सभी किसान उनको खरीद सकें ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 16 मार्च, 1972 को कृषकों के लिए महत्वपूर्ण आयातित उर्वरकों के खुदरा मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

उर्वरक का नाम	रुपये प्रति मीटरी टन
1. एमोनियम सल्फेट	529
2. यूरिया (46 प्रतिशत एन)	923
3. कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट	575

उपरोक्त उर्वरकों, आयातित और देश में निर्मित उर्वरकों दोनों के अधिकतम खुदरा मूल्य सांविधिक रूप से निर्धारित किये गये हैं । अन्य उर्वरकों जैसे एमोनियम फास्फेट, एमोनियम नाइट्रो फास्फेट, सुपर फास्फेट, एन० पी० के० मिश्रित उर्वरक आदि आयातित और देश में निर्मित उर्वरकों दोनों प्रकार के कोई सांविधिक मूल्य—नियंत्रण नहीं है, परन्तु उनके मूल्य प्रायः सरकार द्वारा आयातित उर्वरकों के नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश न्युट्रैण्टस के मूल्यों के स्तरों के समान होते हैं ।

(ख) और (ग). नवीनतम उपलब्ध खाद्य और कृषि संगठन के प्रकाशनों में उपलब्ध,

भारत की तुलना में विभिन्न देशों में उर्वरकों के मौजूदा मूल्य परिशिष्ट में दिये गये हैं। इससे पता चलता है कि भारत में उर्वरकों के मूल्य अपेक्षाकृत अधिक हैं। परन्तु यह भी पता चलता है कि भारत में कृषि उत्पादों के मूल्य अनेक अन्य देशों की तुलना में अधिक लाभकारी हैं। अधिक मूल्य होने के बावजूद, उर्वरकों के वैज्ञानिक तरीके प प्रयोग द्वारा कृषकों को उपयुक्त लाभ मिलता है।

आयातित उर्वरकों के मूल्य विदेश से अधिप्राप्ति की लागत पर निर्भर करता है। सरकार सम्भाव्य न्यूनतम लागत पर उर्वरक आयात करने के लिए भरसक प्रयत्न करती है। सरकार इन उर्वरकों के मूल्यों का निरन्तर पुनरीक्षण करती रही है, और जब सम्भव होता है इनके मूल्य कम कर देती है। वास्तव में 1969-70 में, एमोनियम सल्फेट की कुछ किस्मों के मूल्य 100 रुपये प्रति मीटरी टन और मार्च, 1971 में यूरिया के मूल्य 20 रुपये प्रति मीटरी टन कम कर दिये गये थे।

विवरण

कृषकों द्वारा दिये गये उर्वरक के मूल्य (1967-68)

(सामग्री में प्लाट न्यूट्रिएन्ट मात्रा : रुपये प्रति मीटरी टन)

देश	एमोनियम सल्फेट एन	यूरिया एन	सिंगल (क) सुपरफास्फेट (पी-2°5)	म्यूरेट आफ पोटाश (ख) पोटाश (के 2°)	
भारत	2520	2001	2000	872	
आस्ट्रेलिया	1987	1950	847	585	60%
बेल्जियम	2047	1770	1455	607	60% (समीकरण)
फ्रांस	2070	—	1785	697	60%
पश्चिमी जर्मनी	2055	1935	1702	600	50%
नीदरलैंड	2 00	—	1770	697	60%
जापान	1920	1687	1792	727	45%
अमरीका	2160	1800	1740	735	45%
मिस्र (1966-67)	2242	2280	1380	—	
कैनाडा	2220	1747	1732	650	

(क) पी 2°5 25% से कम

(ख) के 2° 45% से अधिक

नोट : ये मूल्य वे हैं जो कृषक फार्म ग्रेट पर देते हैं और इसका सम्बन्ध जुलाई-जून की अवधि से है। यथासम्भव उन्हें घटे हुये उपदान के साथ दिखाया गया है। इनके कुछ अपवाद नीचे दिये गये हैं :—

आस्ट्रेलिया : निकटतम रेलवे स्टेशन पर उर्वरकों के मूल्य । ये मूल्य सम्पूर्ण 20 टन के हैं । नाइट्रोजनपूर्वक उर्वरकों पर सहायता नहीं दी जाती है ।

बेल्जियम : कोई सहायता नहीं ।

पश्चिम जर्मनी : निकटतम रेलवे स्टेशन पर मूल्य । कोई सहायता नहीं । सम्पूर्ण 20 टन के लिये मूल्य 2 ।

नीदरलैंड : कोई सहायता नहीं ।

मिश्र : खुदरा भण्डारों पर मूल्य । कोई सहायता नहीं ।

केनाडा : निकटतम रेलवे स्टेशन पर मूल्य ।

अमरीका : कोई सहायता नहीं । खुदरा भण्डारों पर मूल्य ।

भारत : खुदरा भण्डारों पर मूल्य ।

Allotment of Accommodation to Political Parties in New Delhi

673. **Dr. Laxminarain Pandey :**
Shri R. R. Sharma :

Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) the particulars of various types of Government accommodation allotted to different political parties for official and residential purposes in New Delhi, together with the dates of their allotment ;

(b) the amount of rent in respect of each of the accommodation and the total amount outstanding against them as rent ; and

(c) the steps being taken for its realisation ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri J. K. Gujral) : (a) to (c). A statement is attached [*Placed in Library. See* No. LT—1470/72] The licence fee for the accommodation given for office/residential purposes to organisational wings of the political parties is being charged at the market rates. The licence fee in respect of accommodation given for residential purposes to the staff of political parties in Parliament is being charged at normal rates. The licence fee in respect of accommodation in Vithalbhai Patel House provided to various recognised political parties/groups in Parliament for use of their Parliamentary office staff for residential purposes is being charged at rates chargeable from Members of Parliament without the benefit of 25% rebate admissible to Members.

Construction of Bridge Near Safdarjang Airport, New Delhi

675. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a scheme for the construction of a bridge near Safdarjang Airport is being implemented in collaboration with New Delhi Municipal Committee and the Central Government ;

(b) if so, the estimated expenditure to be incurred thereon ;

(c) the share of each of New Delhi Municipal Committee and the Central Government in that expenditure ; and

(d) the date by which the construction of the bridge would be completed ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) Yes,

(b) The total cost of the project of widening of Mehrauli Road and construction of the road over bridge at Safdarjang Airport is Rs. 123.41 lacs.

(c) The Central Government is giving hundred percent grant to New Delhi Municipal Committee for this project.

(d) The work of construction of road over bridge is likely to be completed by end of 1973.

दिल्ली दुग्ध योजना में दुग्ध-चूर्ण की चोरी की जांच

676. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री शशि भूषण :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना में 35 लाख रुपये मूल्य के दुग्ध चूर्ण की चोरी की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). दिल्ली दुग्ध योजना में 35 लाख रुपये के मूल्य के दुग्ध चूर्ण की चोरी का कोई मामला नहीं था परन्तु लगभग 13830 किलोग्राम सेपरेटा दुग्ध-चूर्ण के दुर्विनियोजन का एक मामला अवश्य था, जो 2-5-70 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था। बाद में, 27,500 किलोग्राम सेपरेटा दुग्ध चूर्ण के दुर्विनियोजन का दूसरा मामला नोटिस में आया। उसे भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिए भेज दिया गया था। इस दुग्ध चूर्ण का मूल्य 85,000 रुपये बताया गया है।

2. केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। उन्होंने दो भण्डार अधिकारियों के विरुद्ध बेईमानी से सेपरेटा दुग्ध चूर्ण के दुर्विनियोजन के अपराध के लिए मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने पर्यवेक्षण में शिथिलता दिखाने के लिए भण्डार नियंत्रक को भी दोषी ठहराया और उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की सिफारिश की है। सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

दिल्ली में बस दुर्घटना में मारे गये स्कूल के विद्यार्थी

677. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 फरवरी, 1972 को हुई बस दुर्घटना में स्कूल के कई विद्यार्थी हताहत हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने विद्यार्थी हताहत हुए ; और

(ग) क्या कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां।

(ख) 2 बच्चों की मृत्यु हुई और 64 बच्चे घायल हुए।

(ग) व्यापक जांच की जा रही है।

जर्मन लोकतंत्र गणराज्य द्वारा मालवाही जहाज का निर्माण करने की पेशकश

678. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतंत्र गणराज्य ने शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा मालवाही जहाजों के निर्माण के लिए अपनी सेवायें देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच इस पेशकश की जांच कर ली है तथा उनके साथ करार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा माल वाहक पोतों के निर्माण के लिए जर्मन लोकतंत्र गणराज्य द्वारा कोई पेशकश नहीं की गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

अखिल भारतीय बधिर एव मूक संघ को अनुदान

679. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय बधिर एवं मूक संघ, जो एक बहुउद्देश्य केन्द्र बनाने के लिये पर्याप्त धन जुटाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है को इस बीच कोई धन राशि प्रदान की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसे यह धन राशि कब तक दी जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जैसे ही प्रार्थना-पत्र मिलेगा उस पर विचार किया जायेगा ।

डेंटल कालेज, त्रिवेन्द्रम में स्नातकोत्तर पाठ्क्रम

680. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रवर्तित स्कीम में यह व्यवस्था है कि डेंटल कालेज त्रिवेन्द्रम में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को जारी रखा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख). चिकित्सा/दन्त चिकित्सा कालेजों में विभागों के उन्नयन स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने दन्त चिकित्सा कालेज, त्रिवेन्द्रम में 1969-70 में आर्थोडेशिया विभाग का और 1970-71 में पेरियोडेशिया विभाग का दर्जा बढ़ाने की संस्वीकृति प्रदान की थी । सहायता के निर्धारित स्वरूप के अनुसार इन विभागों को चौथी पंचवर्षीय योजना की सारी अवधि में केन्द्रीय सहायता मिलती रहेगी ।

केरल में रोजगार योजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण की योजना

681. **श्री एम के० कृष्णन्** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने रोजगार योजना के अन्तर्गत आदिमजाती क्षेत्रों में भूमि संरक्षण की योजना केन्द्रीय सरकार को अनुमोदनार्थ भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब भेजी गई थी ; और

(ग) क्या सरकार ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है और यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग). राज्य सरकार ने नवम्बर, 1971 में 9.39 लाख रुपये के परिव्यय की विस्तृत योजना भेजी थी। बाद में 1972-73 के राज्य वार्षिक आयोजन प्रलेख में केरल सरकार ने 1972-73 की रोजगार योजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण स्कीमों के लिये तीन लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया। यह परिव्यय प्रयोजना आयोग द्वारा मंजूर कर दिया गया है।

छात्रवृत्ति विदेशों में भेजे गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्र

682. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार छात्रवृत्तियों पर विदेशों में भेजे गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या कितनी है और उनके नाम और पते क्या हैं ;

(ख) वे किन देशों को भेजे गये हैं ; और उनके क्या विषय हैं और विदेशों में अध्ययन की उनकी अवधि क्या है ; और

(ग) उनमें से बिहार के और विशेष कर पालामाऊ जिले के लड़के/लड़कियों की संख्या कितनी है और उनके नाम और पते क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख). सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1471/72**]

(ग) शून्य।

बिहार में राष्ट्रीय मार्गों और लिंक रोडों पर खर्च की गई राशि

683. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में बिहार में राष्ट्रीय मार्गों पर कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ख) क्या वहां लिंक रोड बनाने के लिये धन की व्यवस्था करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो वह कितना है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) 273.38 लाख रुपये (1969-70 में)।

(ख) जी, हां। लुप्त कड़ियों का निर्माण मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों की जुम्मेवारी है।

बिहार में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के स्नातक

684. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे बिहार तथा विशेषकर पालामाऊ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

आदिमजातियों के ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ष 1969 और 1970 में स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाएं पास की थीं ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक रोजगार मिल गया है ;

(ग) क्या उपरोक्त बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्रित करने के लिए प्रयत्न किये जाएंगे ।

ग्राम क्षेत्रों में भूमिहीनों के लिये आवासीय स्थानों की व्यवस्था करने की केन्द्रीय योजना

685. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्राम्य क्षेत्रों में भूमिहीनों के लिये निवास बनाने के हेतु जगह की व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकारों पर केन्द्रीय योजना लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी भी राज्य ने अब तक कोई परियोजना प्रस्ताव नहीं भेजा है?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास स्थान की व्यवस्था के लिए नई योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर राज्य सरकारों पर बल दिया गया है।

(ख) अब तक पांच राज्यों से परियोजना-प्रस्ताव प्राप्त हुए है तथा उनकी जांच की जा रही है।

International Book Fair

686. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Narendra Singh :

Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is proposed to hold an International Book Fair in India during the International Book Year 1972 ; and

(b) the nature of cooperation being sought from the Indian publishers and writers in this regard, together with the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) The National Book Trust is organising the Fair from 18th March to 2nd April, 1972 in New Delhi in co-operation with the Federation of Publishers and Booksellers Associations in India. It is essentially a trade fair where publishers from India and abroad have been invited to display their books.

An International Seminar on "Books For the Millions" is being organised, in which publishers' and authors' problems will also figure.

A large number of authors are co-operating in the Fair through participation in various programmes being organised as shown below :

(i) A five-day National Writers' Camp in which over 100 authors, including some foreign authors, will participate ;

(ii) A Kavi Sammelan, A Kavi Darbar and a Mushaira ;

(iii) "Meet The Authors" evenings.

The Fair will have the following sectors :—

(i) A National sector for display of Indian publications ;

(ii) An International sector for display of books from abroad ;

(iii) Children's books ; (iv) Paper-backs ; and (v) A commercial sector consisting of Indian and foreign publishers or booksellers.

Setting up of Adivasi Development Blocks in Madhya Pradesh

687. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh has made a proposal to the Central Government for setting up 75 Adivasi Development Blocks and out of these sanction had been accorded for ten blocks ;

(b) whether the Central Government had decided not to set up even one Development Block in supersession of their earlier sanction ;

(c) whether the Central Government would reconsider the question of setting up 75 Development Blocks in view of their special responsibility for the Development of Adivasi areas ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d). With the commencement of the Fourth Plan in 1969-70 it was decided that the available resources during the Fourth Five Year Plan should be utilised in the existing T. D. Blocks by extending the total life from 10 years to 15 years by incorporating a new stage III with an additional allotment of Rs. 10 lakhs per block. In view of the creation of stage III of T. D. Blocks, it was decided that no new T. D. Blocks would be opened during the Fourth Plan period.

वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सिधी और सरगुजा जिले में आदिवासी झोंपड़ियों का जलाया जाना

688. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन विभाग के कर्मचारियों ने गत छह महीनों में वन राष्ट्रीयकरण कानूनों के परिपालन में कितने आदिवासियों की झोंपड़ियों को जला दिया है ; और

(ख) आदिवासियों को इस प्रकार से परेशान करने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना मध्य प्रदेश सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

सरगुजा के आदिवासियों द्वारा प्रीमियम का भुगतान

689. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासियों को सरकारी भूमि उनके नाम किए जाने से पहले कोई प्रीमियम देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो कितना प्रीमियम देना पड़ता है ; और

(ग) क्या प्रीमियम वसूल करने से पूर्व उनकी अत्यधिक निर्धनता तथा भुगतान करने में असमर्थता और ऐसा भुगतान करने के लिए उनके द्वारा व्यय की गई राशि को वहन न किये जाने की सम्भावना को भी ध्यान में रखा जाता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). ब्यौरा राज्य सरकार से एकत्रित किया जा रहा है और उपलब्ध होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा सिंधी तथा सरगुजा जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमें

690. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज** कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा वन राष्ट्रीयकरण को लागू करने में सिंधी तथा सरगुज जिलों में कुल चलाये जा रहे मुकदमों की तुलना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों पर चलाये गये मुकदमों की प्रतिशतता कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

छात्र संसद् कार्यक्रम

691. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **संसदीय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों की अपने क्षेत्राधिकार में छात्र संसद् कार्यक्रम की योजना लागू करने के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) इस बारे में क्या वास्तविक प्रस्ताव है और केन्द्र तथा राज्यों का इसमें कितना व्यय आयेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). 12 प्रदेशों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की प्रतिक्रिया, जिन्होंने अब तक अपने उत्तर भेजे हैं, संलग्न विवरण में दिखाई गई हैं । उस विवरण से यह पता चलता है कि इन प्रदेशों और संघ शासित क्षेत्रों ने इस योजना को सैद्धान्तिक रूप से मान लिया है । [**ग्रंथालय में रखा गया** । देखिये संख्या एल० टी० 1472/72]

इस योजना को चलाने का व्यय प्रदेश अपने ही साधनों से पूरा कर रहे हैं और केन्द्र की ओर से किसी तरह की सहायता नहीं दी जा रही है। प्रदेशों द्वारा इस योजना पर किये खर्चे का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

लंदन स्थित इण्डिया आफिस लायब्रेरी का अधिग्रहण

693. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लन्दन स्थित इण्डिया आफिस लायब्रेरी का अधिग्रहण करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या बंगला देश के बन जाने के फलस्वरूप इस सम्बन्ध में पाकिस्तान के दावों पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) इंग्लैंड की सरकार से मध्यस्थता के लिये प्राप्त प्रारूप करार का अभी तक निरीक्षण किया जा रहा है।

(ख) इस मामले पर यथासमय विचार किया जायेगा।

राज्यों में मानसिक रूप से अविकासित तथा विकलांग बच्चों के लिए माडल स्कूलों की स्थापना करना

693. **श्री सो० चित्तिबाबू** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त राज्यों की राजधानी में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए एक माडल स्कूल स्थापित करने का सरकार का विचार है जैसे कि नई दिल्ली में किया गया है ;

(ख) क्या राज्यों की राजधानियों में बाल बालिकाओं के लिये एक छोटी वर्कशाप स्थापित करने का भी कोई विचार है जैसा कि नई दिल्ली केन्द्र के लिए योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या राज्यों की समस्त राजधानियों में सभी प्रकार के विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिये ऐसे राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने की एक व्यापक योजना तैयार करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख), जी, नहीं।

(ग) भारत सरकार ने देहरादून में नेत्रहीनों के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित कर दिया है। वधिर और मानसिक रूप अविकसित व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय केन्द्रों के लिये मूल केन्द्र हैदराबाद और नई दिल्ली में स्थापित किये गये हैं। अंग व्यक्तियों के लिये विस्तृत राष्ट्रीय केन्द्र के खाके का सुझाव देने के लिये एक समिति काम कर रही है। विभिन्न राज्यों की राजधानियों में ऐसे ही केन्द्रों की स्थापना करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है।

विकलांगों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र

694. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के लिये राष्ट्रीय केन्द्र के ब्लूप्रिंट के बारे में सुझाव देने हेतु सरकारी संकल्प के अनुसार नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख). सरकार को पेश करने के लिए समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने हेतु बैठक बुलाये जाने की आशा है। प्रतिवेदन मिलते ही अगली कार्यवाही की जायेगी।

विशेष पोषक आहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

695. **श्री सी० चित्तिबाबू :**

श्री बनमाली पटनायक :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 और 12 फरवरी, 1971 को "विशेष पोषक आहार कार्यक्रम" के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु आयोजित सचिवों और निदेशकों के सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ख) उन निष्कर्षों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). सम्मेलन के निष्कर्षों तथा उन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी एक विवरण पत्र लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1473/72]

परीक्षा प्रणाली में सुधार करने सम्बन्धी समिति

696. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान परीक्षा पद्धति में सुधार करने सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच करने वाली उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सरकार को अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० ए० नूरुल हसन) : (क) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा कुछ समय पहले परीक्षा सुधार पर नियुक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

(ख) विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1474/72]

(ग) प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

निराश्रित महिलाओं के लिये कल्याण की योजना लागू करना

697. **श्री वी० मायावन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 से 44 वर्ष और 45 से 65 वर्ष की आयु की निराश्रित महिलाओं के लिये कल्याण की योजना लागू की गई है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत कितना धन व्यय किया गया है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने गृह स्थापित किये गये ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं। कार्यान्वित अभी शुरू की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा नेत्रहीन बच्चों के लिए चलाई जा रही संस्थायें

698. **श्री वी० मायावन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है कि सरकार से वित्तीय सहायता पाने वाली स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं में नेत्रहीन बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं तो सरकार का विचार इन संस्थाओं में रहने वाले नेत्रहीन बच्चों की स्थिति की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का है ; और

(ग) यदि इस बारे में अब तक कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) इसका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है, जो अनुरक्षण सहायता देती हैं। भारत सरकार सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिशों पर योजना के अधीन भवन निर्माण, उपकरणों, पुस्तकों, ब्रेल उपकरणों, फर्नीचर इत्यादि खरीदने जैसे विकासात्मक प्रयोजनों के लिए गैर-आवर्ती प्रकार की वित्तीय सहायता देती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में कोई शिकायत नहीं मिली है।

देश में कृषि योग्य भूमि

699. **श्री बी० बी० नायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में और अन्य राज्यों में तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सिंचाई वाली और गैर सिंचाई वाली कृषि योग्य भूमि कितनी है और प्रत्येक मामले में कृषि योग्य कुल एकड़ भूमि में सिंचाई वाली कृषि योग्य भूमि की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) अधिक भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी भूमि में सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अपेक्षित जानकारी प्रदर्शन करने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—1475/72]

(ख) और अधिक क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :—

(1) सभी प्रकार की उपयोगी योजनाओं (मुख्य, मध्यम तथा लघु) के द्वारा और सतही तथा भूमिगत जल संसाधनों का सद्उपयोग करके सिंचाई का विकास करना।

(2) राज्य की योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई कार्यक्रमों के लिए धन आवंटित करने में प्राथमिकता देना।

(3) लघु सिंचाई तथा कमान्ड क्षेत्र विकास के लिए संस्थात्मक एजेन्सियों से यथा-सम्भव अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाना।

(4) भूमिगत जल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से नलकूपों को तेजी से ड्रिलिंग के लिए, वेध कूओं और खुदे हुए कुओं का वेधन और जल के उठाव के लिए आधुनिक तरीकों को प्रयोग में लाना।

(5) कुओं/नलकूपों को बिजली देने के लिए ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम को बढ़ाना।

(6) अधिक निश्चित सिंचाई करने और बहुद्देश्यीय फसल उगाने के लिए सतही तथा भूमिगत जल के उपयोग को बढ़ाना।

(7) उपलब्ध सिंचाई जल को अधिक पर्याप्त रूप से और समय पर उपयोग करने के लिए कमान्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को आरम्भ करना।

(8) विस्तृत कार्यक्रमों को सम्भालने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में संगठनात्मक प्रबन्धों को सुदृढ़ करना।

चौथी योजना के दौरान मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

		मी०/हैक्टार (अतिरिक्त)
मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	सम्भावित	4.77
	उपयोगिता	3.89
लघु सिंचाई		7.20

बैलों और कृषि उत्पादों के तुलनात्मक मूल्य

700. **श्री बी० वी० नायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1951, 1961 और 1971 में औसत भारतीय बैलों की जोड़ी का क्या मूल्य था ; और

(ख) क्या यह मूल्य वृद्धि और कृषि उत्पादनों की लागत आम तौर पर खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों की मूल्य वृद्धि से अधिक रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पो० शिन्दे) : (क) तथा (ख). सन् 1951, 1961 तथा 1971 के लिये भारतीय बैलों की जोड़ी के औसत मूल्य तथा कृषि पशुओं की उत्पादन लागत के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, सन् 1954, 96 तथा 1971 के सम्बन्ध में उपलब्ध सीमित आंकड़े निम्न विषयों के सम्बन्ध में संलग्न विवरण में दिये गये हैं :

(i) कुछ केन्द्रों में बैलों की जोड़ियों का मूल्य (ii) कृषि में प्रयोग में लाये जाने वाले चुनींदा आदानों के थोक मूल्यों के सूचकांक तथा (iii) धान्यों, दालों तथा औद्योगिक कच्ची सामग्री, जो प्राय: कृषि से प्राप्त होती है, के थोक मूल्यों के सूचकांक। इसे देखने से ज्ञात होगा कि वर्ष 1954 और 1971 के मध्य विभिन्न केन्द्रों में बैलों की जोड़ी का मूल्य 100 से 186 प्रतिशत तक बढ़ गया। चुनींदा आदानों का मूल्य उनके सूचकांकों के आधार पर इस अवधि में 48 से 88 प्रतिशत तक बढ़ गया है। बैलों तथा अन्य कृषि आदानों की मूल्य प्रवृत्तियों की तुलना में धान्यों, दालों तथा औद्योगिक कच्ची सामग्री जैसे कृषि उत्पादों के मूल्य में 161 से 415 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

विवरण

(I) बैलों की एक जोड़ी का मूल्य (रुपयों में)

राज्य	केन्द्र	1954	1961	1971	1954 की तुलना में 1971 में प्रतिशत वृद्धि
असम	कानपुर	260	300	520	100.0
हरियाणा	बहादुरगढ़	700	1800	2000	185.7
गुजरात	अहमदाबाद	550	800	1500	172.7
आन्ध्र प्रदेश	कंडूकुर	1300*	उपलब्ध नहीं	2725*	109.6 (1954 की तुलना में 1970)

*मूल्य 1954 तथा 1970 के मई माह के सम्बन्ध में है।

(II) कृषि प्रयोग में लाये जाने वाले चुनींदा आदानों के थोक मूल्यों के सूचकांक

(आधार अवधि 1961-62 = 100)

आदान की मदें	1954	1961	1971	1954 की तुलना में 1971 में प्रतिशत वृद्धि
उर्वरक	92.3	101.1	136.3	47.7
डीजल का तेल	78.7	98.5	126.4	60.6
बिजली	81.1	100.8	152.8	88.4

(III) धान्यों, दालों तथा औद्योगिक कच्ची सामग्री के थोक मूल्यों के सूचकांक

(आधार अवधि 1961-62 = 100)

पण्य वर्ग	1954	1961	1971	1954 की तुलना में 1971 में प्रतिशत वृद्धि
धान्य	71.4	98.5	199.6	179.6
दालें	55.5	101.7	285.8	414.9
औद्योगिक कच्ची सामग्री (प्राय: कृषि से प्राप्त होने वाली)	70.8	95.8	184.8	161.0

नोट :—ये आंकड़े सम्बन्धित वर्ष के सितम्बर माह के सम्बन्ध में है ।

औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनाई गई श्रमिक बस्तियां

702. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनाई गई विभिन्न श्रमिक बस्तियों में कानपुर में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के दखल का विनियमित करने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नियमों में संशोधन करने को कहा है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). मामले को अन्तिम रूप देने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की जा रही है ।

भारतीय खाद्य निगम में हड़ताल

703. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1972 में भारतीय खाद्य निगम में भारतीय रक्षा नियमों के अधीन हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल, बिहार और असम में भारतीय खाद्य निगम में हड़ताल पर भारत सुरक्षा नियमों के अधीन 10 फरवरी, 1972 को प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ।

(ख) कर्मचारियों की मांगें बताने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1476/72]

(ग) प्रबन्ध और मजदूर संघ के बीच बातचीत होने के फलस्वरूप 15-2-1972 को विवाद तय हो गया था ।

दिल्ली परिवहन निगम के कार्यकरण की शिकायतें

704. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन के निगम के कार्यकरण के बारे में अभी भी शिकायत है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दिल्ली परिवहन निगम की सेवाओं के बारे में शिकायतें हैं ।

(ख) नगर परिवहन सेवा के कार्य को सुप्रवाही बनाने के लिए 3-11-1971 जिस दिन दिल्ली परिवहन निगम का गठन हुआ था से कई उपाय किये गए थे । कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) 294 अतिरिक्त बसों (30 मीनी बसों सहित) के लिए पहले ही आर्डर दिये जा चुके हैं और जो मई, 1972 तक आनी शुरू हो जायेगी ।

(2) उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज से उनतीस बसें किराये पर ली गई हैं ।

(3) सड़क पर चलने वाली बसों की औसत दैनिक संख्या 71 में 1089 से बढ़कर जनवरी 72 में 1237 हो गई ।

(4) मौजूदा बस बेड़े से अधिक किलो मीटर चलाने के लिए अनुसूचियों की पुनर्संमंजन किया गया है । सितम्बर, 1971 में 58.95 लाख की तुलना में जनवरी, 1972 में 73.01 लाख किलोमीटर की दूरी तय की गई ।

(5) सितम्बर, 71 में लुप्त फरों की संख्या 34.07 प्रतिशत से घट कर इस समय 19 प्रतिशत रह गई है ।

(6) बिना टिकट यात्रा करने वालों और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए विशेष स्क्वाड नियुक्त किये गए हैं ।

(7) नियमित बस स्थानों पर ही बसों के रुकने को सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय किये गए हैं ।

(8) महत्वपूर्ण अन्तिम/बदल स्टापों पर बसों की सफाई के लिए विशेष प्रबंध किये गये हैं ।

(9) जनता की शिकायतों को तुरन्त निपटाने के लिए एक जन-संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

(10) बसों के आगे गंतव्य स्थान और उसका दोनों ओर मार्ग संख्याओं के उचित प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है ।

नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू के फ्लैटों और अन्य फ्लैटों में रह रहे भूतपूर्व संसद सदस्य

705. **श्री शशि भूषण :**

श्री अमर नाथ चावला :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भूतपूर्व संसद सदस्यों की संख्या और उनके नाम क्या हैं जो अभी भी नार्थ

एवेन्यू तथा साउथ एवेन्यू और अन्य स्थानों के उन फ्लेटों में रह रहे हैं जो उन्हें संसद सदस्य बनने पर अलाट हुए थे ;

(ख) उन भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा अभी भी फ्लेटों को खाली न करने के क्या कारण हैं जबकि वे उनके हकदार नहीं हैं ;

(ग) क्या नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था है कि भूतपूर्व संसद सदस्य उन फ्लैटों पर आधिपत्य जमाए रख सकते हैं जो उन्हें संसद सदस्य बनने पर अलाट हुए थे ; और

(घ) यदि नहीं, तो अनधिकृत रूप से आधिपत्य वाले उन फ्लेटों को खाली कराने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है और ऐसे सभी फ्लैटों को कब तक खाली करा लिया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) ब्यौरा संलग्न तीन विवरणों में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1477/72**]

(ख) वे वास के अनधिकृत दखल में है।

(ग) जी हां। परन्तु सामान्यतः उनके संसद की सदस्यता से हटने की तिथि से एक मास के लिए।

(घ) सिवाये चौ० रणधीर सिंह और श्री अनिल के० चन्दा के, जिसके कारण, संलग्न विवरण में दिये गये हैं, शेष सभी मामलों में लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। वास के खाली कराये जाने का कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है।

नई दिल्ली के डी० आई० जेड० क्षेत्र के सेक्टर डी० में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था

706. **श्री शशि भूषण :**

श्री अमर नाथ चावला :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के डी० आई० जेड० क्षेत्र के सैक्टर 'डी' में टाईप तीन और टाईप दो के कुल कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया और उन्हें सरकारी कर्मचारियों को अलाट किया गया ;

(ख) क्या वहां सड़कों, ईंट की पटरियों, बरसाती नालों और आस-पास के मार्गों पर बिजली की व्यवस्था की गई है और यदि नहीं तो यह मूलभूत सुविधायें कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी ; और

(ग) क्या डी० आई० जेड० क्षेत्र के सेक्टर 'डी' के क्वार्टरों के अलाटियों की आम शिकायतों को तुरन्त दूर नहीं किया जाता है यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) सरकारी कर्मचारियों को हाल ही में 360 ऐसे नये निर्मित मकानों का आवंटन किया गया था।

(ख) सड़कों, ईटों का खड़ंजा और बरसाती पानी की नालियों की व्यवस्था का बहुत सा कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य इस मास के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है। गलियों की बिजली की व्यवस्था नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा की जानी है। आशा है कि यह कार्य उन द्वारा लगभग 3-4 मास में पूर्ण हो जायेगा।

(ग) उन दोषों के बारे में शिकायतों पर कार्यवाही सामान्यत: 24 घन्टे के भीतर की जाती है, जिन पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं कार्यवाही की जा सकती है। तथापि, कतिपय मदों के मामलों में जिन पर गारंटी के नियमों के अनुसार ठेकेदार द्वारा ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, ठेकेदार द्वारा उसकी अपनी लागत पर, दोष के स्वरूप के अनुसार उसे निष्पादित कराने में कुछ दिन लग सकते है। देरी को यथा सम्भव कम से कम करने के सभी प्रयास किये जायेंगे।

सैक्टर 'डी' डी०आई०जेड० क्षेत्र नई दिल्ली, में दिल्ली दुग्ध योजना का दूध खोला जाना

707. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्टर 'डी' डी०आई०जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली, में दिल्ली दुग्ध योजना का कोई डिपो नहीं है और क्वार्टरों के निवासियों को शुद्ध दूध प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) क्या इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन भी दिये गये थे और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि सैक्टर 'डी' डी०आई०जेड० के आस-पास 6 दुग्ध केन्द्र हैं और निवासी उनसे दूध लेते हैं। कोई विशेष अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी उस क्षेत्र में दो नये केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। दो स्थान चुन लिये गये हैं और विभिन्न कार्यवाहियां पूरी कर ली गई हैं।

वर्ष 197 में क्षतिग्रस्त हुआ खाद्यान्न शराब के कारखानों को बेचा जाना

708. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के दौरान भारतीय खाद्य निगम गोदामों में कितना खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुआ ;

(ख) इस बात का निर्णय कौन करता है कि खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुआ है अथवा नहीं और यदि क्षतिग्रस्त हुआ है तो कितना ;

(ग) वर्ष 1971 के दौरान देश के विभिन्न शराब कारखानों को कितना क्षतिग्रस्त खाद्यान्न बेचा गया और प्रत्येक कारखाने को कितना-कितना बेचा गया ; और

(घ) वर्ष 1971 में मोहन मीकन ब्रीवरीज, गाजियाबाद को कितना क्षतिग्रस्त जौ बेचा गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 1-1-1971 से 31-12-1971 तक की अवधि में क्षतिग्रस्त हुये खाद्यान्नों की मात्रा 28,63,761 मी० टन है।

(ख) तीन अधिकारियों की एक समिति स्थल पर ही जांच करती है और कितनी क्षति हुई है, उसका पता लगाने के लिए प्रयोगशाला में नमूनों की जांच भी की जाती है।

(ग) 1971 में भारतीय खाद्य निगम ने क्षतिग्रस्त हुये खाद्यान्नों का कोई भी स्टाक किसी भी ब्रीवरी को नहीं बेचा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हल्दिया में शिपयार्ड बनाने की रिपोर्ट

709. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में शिपयार्ड बनाने की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने अब अपनी रिपोर्ट दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ; और

(ग) रिपोर्ट कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) अन्तिम रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए किये जाने वाले अपेक्षित अध्ययनों में से कुछ अभी पूरे नहीं हुये हैं।

(ग) इस समय, समय बताना सम्भव नहीं है।

गोदावरी नदी की सहायक नदी के निकट बीहड़ों में प्रागैतिहासिक वस्तुओं का पाया जाना

710. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के माराठवाड़ा क्षेत्र में गोदावरी नदी की एक सहायक नदी के साथ-साथ स्थित गहरे बीहड़ों में प्रगेतिहासिक वस्तुओं की एक सुरंग प्रकाश में आई है जो कि लगभग 1,50,000 वर्ष पुरानी है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या पता चला है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार सरकार से जल परिवहन सेवा सम्बन्धी प्रस्ताव

711. **श्री हरिकिशोर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने चौथी योजना के दौरान जल परिवहन सेवा के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने अब उसकी जांच कर ली है और उसके क्या परिणाम निकले है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). अगस्त, 1968 में बिहार सरकार के गंगा नदी के दो पाटों अर्थात् (1) पटना और बक्सर के बीच, तथा (2) भागलपुर और कोरोगोला के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवाओं सम्बन्धी दो परियोजनायें भेजी थी। भगवती समिति ने साथ साथ इन परियोजनाओं पर भी विचार करके यह सिफारिश की कि फरक्का प्रायोजना की समाप्ति पर बक्सर और कलकत्ता के बीच एक सीधी सेवा चालू करने के लिये पूर्वगामी रूप में गंगा में बक्सर और फरक्का के मध्य सुसंगठित सेवायें शुरू की जायें। भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस सिफारिश की जांच की। पटना और गाजीपुर के बीच 10-11-1971 से प्रयोगात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक आधार पर एक नदी सेवा चालू की गई है। उक्त घाट पर इस सेवा के कार्य को देखकर ही इसके विस्तार के प्रश्न पर यथा समय विचार किया जायेगा।

भारत पाक युद्ध में मरे व्यक्तियों के बच्चों की शिक्षा

712. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारत-पाक युद्ध में मृत अथवा अंगहीन हुए व्यक्तियों के ऐसे बच्चों की कोई सूची बनाई है, जो विभिन्न स्कूलों, कालेजों अथवा विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) क्या इन बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने हेतु राज्य सरकारों और रक्षा मंत्रालय का सहयोग मांगा गया है ; और

(ग) किस प्रकार के विशेष प्रबंध किये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). हाल ही के युद्ध के दौरान हताहत अथवा विकलांग सैनिकों अथवा अर्ध सैनिकों के बच्चों की इस समय सूची तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि ऐसे व्यक्तियों के बच्चों को सम्बन्धित रिकार्ड कार्यालयों के जरिये अधिकार पत्र जारी करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रबन्ध किये गये हैं। शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय ने अपने नियत्रण में चल रहे अथवा शिक्षा संस्थानों में अध्ययन कर रहे अथवा जिन्होंने दाखिला ले लिया है, उपरोक्त वर्गों के बच्चों को निम्नलिखित रियायतें प्रदान करने हेतु आदेश जारी कर दिये है :—

(i) सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले शिक्षा तथा अन्य शुल्कों से पूरी छूट।

(ii) छात्रावास में रहकर स्कूल तथा कालेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का छात्रावास का पूरा खर्चा वहन करने के लिए अनुदान।

(iii) पुस्तकों तथा लेखन सामग्री का पूरा खर्च।

(iv) वर्दी का पूरा खर्च जहां पर वह अनिवार्य हो।

ये रियायतें प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम के अन्त तक उपलब्ध होंगी। तथापि जो बच्चे पहले से ही किसी उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं उनको भी वर्तमान पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए ये रियायतें प्रदान की जायेंगी।

राज्य सरकारों से भी उनके नियंत्रण में चल रहे शिक्षा संस्थानों से सम्बन्धित ऐसे आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है। निम्नलिखित राज्य सरकारों तथा संघशासित प्रदेशों ने सम्बन्धित बच्चों को उपरोक्त रियायतें प्रदान करने के लिए आदेश जारी किये हैं :—

आन्ध्र प्रदेश
गुजरात
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र
मैसूर
पांडिचेरी
तमिलनाडु और
पश्चिम बंगाल

इस मामले पर अन्य राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है। तथापि इसका अभिप्राय यह है कि बच्चे इन रियायतों को या तो राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त करेंगे।

शैक्षिक रियायतें प्रदान करने की योजना के तीव्रता से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यान्वयन समिति गठित की गई है जिसमें सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयों के अधिकारी शामिल होंगे।

बंगला देश के लिए समुद्री जहाज

713. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश की विदेश व्यापार की सुविधाओं के लिए समुद्री जहाज देने के लिए भारत राजी होगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां। सरकार बंगला देश को दो समुद्र-गामी जहाज देने के लिए सहमत हो गई है।

(ख) जिन शर्तों पर जहाज दिये जायेंगे, उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

पंगु जवानों का पुनर्वास

714. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री सी० टी० दंडपाणि :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पंगु जवानों के पुनर्वास हेतु दो केन्द्रों की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों में कितने जवानों को स्थान दिया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) दोनों योजनाओं में चार सौ-चार सौ व्यक्तियों के लिए स्थान हैं । यदि आवश्यकता हुई तो इसे बढ़ाया जा सकता है ।

चक्षुहीन बच्चों की शिक्षा

7 15. **श्री टी० एस० लक्षमणन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चक्षुहीन बच्चों की समेकित शिक्षा के सम्बन्ध में एक "डिमांसट्रेशन" परियोजना प्रारम्भ करने हेतु समुद्र पार चक्षुहीनों के लिए अमरीकी फाऊंडेशन द्वारा एक परामर्शदाता भेजा गया था उसने भारतीय परिस्थितियों में चक्षुहीनों के लिए इस प्रकार की शिक्षा की व्यवहार्यता के बारे में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अध्ययन कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) परामर्शदाता ने अन्तिम रिपोर्ट दे दी है ।

(ख) उसके मतानुसार भारत के लिए समाकलित शिक्षा उचित है । परामर्शदाता द्वारा सामान्य बच्चों के लिए एक साधारण स्कूल में 5 नेत्रहीन बच्चों के साथ जो प्रदर्शन परियोजना शुरू की थी, वह चल रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रायल कामनवैल्थ सोसायटी फार दी ब्लाइन्ड द्वारा भारतीय नेत्रहीन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना

716. **श्री टी० एस० लक्षमणन्** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायल कामनवैल्थ सोसायटी फार दी ब्लाइन्ड, लन्दन ने गत तीन वर्षों में नेत्रहीन कल्याण प्रशासन, नेत्रहीनों के लिए शिक्षा और नेत्रहीनों को घर में पढाने की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए कितने भारतीय नेत्रहीन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी हैं ; और

(ख) ऐसे छात्रवृत्तियों की प्रदेश-वार, संख्या कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मत्रालय म उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

1971 में अनाज का उत्पादन

717. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में अनाज का कुल कितना उत्पादन हुआ था ; और

(ख) गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में यह कैसा रहा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). वर्ष 1969-70 के 995 लाख मीटरी टन की तुलना में 1970-71 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग 1078 लाख मीटरी टन था अर्थात उत्पादन में 8.4 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1971-72 के उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुये हैं। परन्तु, वर्तमान सम्भाव्यताओं के अनुसार 1971-72 के दौरान मोटे तौर पर खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष के रिकार्ड स्तर से अधिक होगा।

वर्ष 1971 के दौरान गन्ने की खेती का रकबा और चीनी का उत्पादन

718. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
श्री वरके जार्ज :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के दौरान कितनी भूमि पर गन्ने की खेती की गई ;

(ख) यह रकबा गत वर्ष की तुलना में कितना कम या अधिक है ;

(ग) वर्ष 1971 के दौरान विभिन्न राज्यों में चीनी का कितना उत्पादन हुआ ; और

(घ) चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). वर्ष 970-71 में 26.57 लाख हेक्टर क्षेत्र में गन्ने की खेती हुई थी जबकि 1969-70 में 27 49 लाख हेक्टर क्षेत्र में गन्ने की खेती हुई थी और इससे 0.92 लाख हेक्टर अथवा 3.3 प्रतिशत की कमी हुई थी।

(ग) वर्ष 1 70-71 (पहली अक्तूबर, 1970 से 30 सितम्बर, 1971 तक) में 37.4 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन हुआ था। चीनी के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) 1971-72 में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) चीनी कारखानों से कहा गया था कि वे चालू वर्ष में चीनी का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए गन्ने की अधिक सप्लाई प्राप्त करने और गन्ना उत्पादकों को अगले वर्ष 1972-73 में अधिकतर क्षेत्र में गन्ने की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु गन्ने का अपेक्षाकृत अधिक मूल्य दें।

(2) चीनी पर लगे उत्पादन शुल्क में निम्नलिखित छूट दी गई है :—

(i) कारखाने द्वारा पहली अक्तूबर, 1971 से 30 नवम्बर, 1971 तक की अवधि में उत्पादित चीनी की मात्रा सम्बन्धित कारखाने द्वारा 1970-71

की उसी अवधि में अत्पादित चीनी की 80 प्रतिशत मात्रा से अधिक चीनी के उत्पादन पर 17 रूपये प्रति क्विंटल ।

(ii) पहली दिसम्बर, 1971 से 30 सितम्बर, 1972 तक की अवधि में उत्पादित चीनी की मात्रा उसी कारखाने द्वारा 1970-71 की उसी अवधि में उत्पादित चीनी की 80 प्रतिशत मात्रा से अधिक चीनी के उत्पादन पर 16 रुपये प्रति क्विंटल ।

(3) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे चीनी कारखानों के क्षेत्रों के 10 मील की परिधि के अन्दर नये शक्ति चालित कोल्हुओं और खंडसारी यूनिटों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाने और इन क्षेत्रों में मौजूद शक्ति चालित कोल्हुओं और खंडसारी यूनिटों के कार्यचालन पर भी रोक लगाने की वांछनीयता पर विचार करें ।

(4) गुड़ के मूल्य में काल्पनिक वृद्धि को रोकने के लिए जिसमें गन्ना का चीनी बनाने की बजाय गुड़ बनाने में अनुचित प्रयोग होता है, 18 अक्तूबर, 1971 से गुड़ के वायदा व्यापार को बन्द कर दिया गया था ।

विवरण

वर्ष 1970-71 (अक्तूबर-सितम्बर) मे चीनी का राज्यवार उत्पादन

आंकड़े हजार मीटरी टनों में

राज्य	1970-71
उत्तर प्रदेश	1299
बिहार	293
प० बंगाल	8
असम	7
हरियाणा	83
पंजाब	48
राजस्थान	13
मध्य प्रदेश	38
उड़ीसा	7
महाराष्ट्र	1055
गुजरात	84
मैसूर	205
केरल	16
आन्ध्र प्रदेश	267
तमिलनाडु	299
पांडिचेरी	18
अखिल भारतीय	3740

दूसरे हुगली पुल के निर्माण हेतु आर्थिक सहायत' की स्वीकृति

719. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

डा० रानेन सेन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि कलकत्ता के निकट 3300 फुट लम्बे दूसरे प्रस्तावित हुगली पुल के निर्माण हेतु 28 करोड़ रुपये की तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाये, और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). दूसरे हुगली पुल के निर्माणार्थ 28 करोड़ रुपये की मजूरी के लिए पश्चिमी बगाल सरकार की ओर से कोई भी औपचारिक निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु कुछ समय पहले राज्य के मुख्य सचिव ने एक अर्ध सरकारी पत्र में सूचित किया था कि उक्त पुल के सम्बन्ध में 16 करोड़ रुपये के सैद्धान्तिक विनिधान की तुलना में परियोजना की लागत 28 करोड़ रुपय तक होगी और वे चाहते थे कि धन की व्यवस्था के बारे में निर्णय लिया जाये। राज्य क मुख्य सचिव को सूचित कर दिया गया था कि किसी अनुमान या ब्यौरे के अभाव में संशोधित लागत के सम्बन्ध में कोई भी विचार प्रकट करना सम्भव नहीं है। राज्य सरकार ने अभी तक मामले में और कोई भी लिखा पढ़ी नहीं की है।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा प्राइवेट बसों को हटाना

720. **श्री सरजू पांडे :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गठित दिल्ली परिवहन निगम ने प्राईवेट बसों को हटाने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार प्राइवेट बसों के स्थान पर अन्य बसें लाने की व्यवस्था करेंगे ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). दिल्ली परिवहन निगम की साधारण नीति प्राइवेट बसों के स्थान पर अपनी बसें रखने की है, परन्तु प्रतिस्थापन का कार्यक्रम इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निगम को बस बेड़े में वृद्धि के लिए कितना धन दिया जाता है।

एक राज्य से दूसरे में चीनी लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध

721. **श्री सरजू पांडे :**

श्री पी० वेंकटसुब्बया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राज्य से दूसरे में चीनी लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के सरकारी आदेश से काफी भ्रान्ति फैली हुई है ;

(ख) क्या अनेक राज्यों की सीमाओं पर चीनी से लदे सैकड़ों ट्रक रोक लिये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस भ्रान्ति को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). प्रतिबन्ध आदेश जारी होने के तीन दिन के अन्दर ही स्थिति स्पष्ट करने वाला एक प्रेस नोट जारी करने से जो भ्रान्ति पैदा हुई थी अब वह नहीं रही । अब तक विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं रही है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंगलोर पत्तन को गहरा करना

722. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरम्भिक चरण में ही मंगलौर पत्तन की गहराई की 49 फुट तक करने के लिए भारत सरकार पर काफी दबाव डाला जा रहा है ;

(ख) क्या कुन्द्रमुक के लौह-अयस्क का निर्यात मंगलोर पत्तन से तभी किया जा सकता है यदि इसकी गहराई 49 फुट तक कर दी जाय ; और

(ग) क्या निकट के मंगलौर पत्तन की अवहेलना करके लौह का घोल (स्लरी) के रूप में आयात करना अन्ततः देश तथा विशेषतया मैसूर राज्य के लिए लाभकारी नहीं होगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) मौजूदा 30 फुट की व्यवस्था की तुलना में मंगलौर पत्तन की गहराई को कम से कम 40 फुट तक करने के लिए कुछ पक्षों की ओर से सुझाव दिये गए हैं ।

(ख) जी, नहीं । डुबाव की आवश्यकता लौह-अयस्क के निर्यात करने के ढंग पर निर्भर करती है । यदि इसका निर्यात तटदूर टर्मिनल से पाइप-लाइनों द्वारा घोल (स्लरी) रूप में किया जाता है तो इस उद्देश्य के लिए पत्तन के डुबाव का कोई महत्व नहीं होगा । परन्तु यदि लौह अयस्क का निर्यात उन खुले पोतों द्वारा गोली की शक्ल में किया जाना है जिन्हें पत्तन पर खड़े करने की जरूरत पड़ती है तो 30 फुट से अधिक का डुबाव आवश्यक होगा और वास्तविक आवश्यकता उपयोग किये जाने वाले खुले माल वाहकों के आकार पर आधारित होगी ।

(ग) अभी तक किये गये अध्ययन से ज्ञात होता है कि लौह अयस्क का गोली की अपेक्षा घोल की शक्ल में निर्यात किया जाना अधिक लाभप्रद रहेगा । तथापि, मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

उर्वरक संवर्धन परिषद्

723. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित उर्वरक संवर्धन परिषद बना दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). अभी उर्वरक वर्धन परिषद् का गठन नहीं किया गया है। फिर भी उर्वरक वर्धन के लिये, कृषि मन्त्रालय में एक आयुक्त की अध्यक्षता में, एक उर्वरक वर्धन कक्ष की स्थापना की गई है। उर्वरकों के वैज्ञानिक उपयोग वर्धन के लिए, एक केन्द्रीय योजना, राज्य और जिला स्तरों पर, एक मजबूत संगठन सहित जिसमें गहन प्रदर्शन, शिक्षण और विस्तार कार्यक्रम की व्यवस्था हो, चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारत में विश्वविद्यालय

724. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्य-वार, कुल कितने विश्वविद्यालय हैं ;

(ख) वर्ष 1971-72 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितना अनुदान दिया और क्या इसके समुचित उपयोग के सम्बन्ध में कभी किसी प्रकार का नियंत्रण रखा गया ; और

(ग) क्या पटना विश्वविद्यालय में कुछ अधिक संकाय खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय समझे जाने वाले (राज्य वार संस्थानों की संख्या दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है (अनुबद्ध-1) [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1478/72**]

(ख) वर्ष 1971-72 के दौरान विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय समझे जाने वाले संस्थाओं को (10 मार्च, 1972 तक) दिये गये अनुदानों को दर्शाते हुए एक विवरण सलग्न है (अनुबद्ध-11) [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1478/72**] जहाँ तक इन अनुदानों का उचित रूप से उपयोग करने से सम्बन्धित नियन्त्रण करने का सम्बन्ध है, अनुदान प्राप्त संस्थानों को इस आशय का कि अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजनार्थ किया गया है, जिसके लिये यह संस्वीकृत किया गया है, कानूनी लेखापरीक्षितों द्वारा प्रमाणित परीक्षित लेखे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली स्थित हस्पतालों के उपचर्या गृहों में स्थान पाने के लिए नियम

725. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** :
श्री मुहम्मदजमीलुर्रहमान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विलिंगडन हस्पताल एवं अन्य हस्पतालों के उपचर्या गृहों में कितने कमरे हैं ;

(ख) क्या 620 रुपये प्रतिमास से कम वेतन पाने वाले कर्मचारी अतिरिक्त खर्चा देना

स्वीकार करने के उपरान्त भी बिलिंगडन हस्पताल के नर्सिंग वार्ड मे स्थान नहीं ले सकते ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नियमों में सशोधन करने का जो प्रस्ताव विचाराधीन हैं उसका स्वरूप क्या है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) विलिंगडन तथा गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, नई दिल्ली के नर्सिंग गृहों में कमरों की संख्या इस प्रकार है :

विलिंगडन अस्पताल : 61 कमरे

गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल : इस अस्पताल के नर्सिंग होम में 38 कमरे हैं और इनमें से 27 कमरों का उपयोग किया जा रहा है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान : प्राइवेट वार्ड में 60 कमरे।

सफदरजग अस्पताल, कलावती सरन बाल चिकित्सालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल और दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका के अस्पतालों में नर्सिंग होम नहीं हैं। दिल्ली के अन्य अस्पतालों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार बिलिंग्डन अस्पताल के नर्सिंग गृह में वे व्यक्ति ही भरती होने के पात्र हैं जिनकी मासिक आय, वेतन (मंहगाई वेतन समेत) 620 रुपये से अधिक हो। वैसे, इसमें अपवाद भी हो जाते हैं और इस प्रकार की सुविधायें केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के उन ग्राहियों को भी दे दी जाती हैं जिनकी मासिक आय 620 रु० तक है किन्तु उनसे भोजन का खर्च तथा कमरे का किराया ले लिया जाता है।

(ग) इससे सम्बन्धित नियमावली में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विश्वविद्यालय के शिक्षा स्तर में गिरावट

726. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सामान्यत: सभी विश्वविद्यालयों तथा विशेषतया भागलपुर और रांची विश्वविद्यालयों के शिक्षा स्तर में गिरावट आ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस नुरुल हसन) : (क) इस बात का ठीक-ठीक पता लगाने का कोई उपाय नहीं है कि क्या हमारे विश्वविद्यालयों में वस्तुगत दृष्टि से शिक्षा का स्तर गिर रहा है। वास्तव में कम से कम कुछ विश्वविद्यालयों में अनेक विषयों में स्तर पहले की अपेक्षा पर्याप्त रूप में उन्नत हुये हैं। तथापि, शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा जैसा उल्लेख किया गया है काफी व्यापक क्षेत्र में शिक्षा की विषय-वस्तु तथा कोटि हमारी वर्तमान आवश्यकताओं और भावी जरूरतों के लिये अपर्याप्त है तथा शैक्षिक रूप से उन्नत

अन्य देशों के औसत स्तरों की तुलना में घटिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी ऐसी ही चिन्ता व्यक्त की गई है।

भागलपुर तथा रांची विश्वविद्यालयों के बारे में, इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है जिससे यह मालूम पड़ सके कि भागलपुर व रांची विश्वविद्यालयों में स्तर गिर रहे हैं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने उपलब्ध सीमित साधनों में अपनी सांविधिक जिम्मेदारी के अनुसार, उच्च शिक्षा की कोटि तथा उसकी विषय वस्तु में सुधार लाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा शुरू किये गये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं—

विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और अध्यापन तथा

(1) अनुसधान सुविधाओं का विकास ;

(2) उच्च अध्ययन केन्द्र ;

(3) ग्रीष्म संस्थान, सेमिनार इत्यादि ;

(4) पाठ्यचर्या का आधुनिकीकरण ;

(5) परीक्षा सुधार ;

(6) सम्बद्ध कालिजों का विकास ;

(7) छात्रवृत्तियां और शिक्षावृत्तियां ;

(8) अध्यापकों और अध्येताओं को यात्रा अनुदान ;

सेवा-निवृत्त अध्यापकों का उपयोग ;

छात्रावास और कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण ;

छात्र-सहायता निधि, छात्र गृह, पाठ्य-पुस्तकों की व्यवस्था, छात्रावासों का सुधार, कैन्टिनों का सुधार, विकास, खेल-कूद की व्यवस्था, स्वास्थ्य केन्द्र आदि जैसे छात्र कल्याण कार्यक्रम।

गेहूं तथा चावल के भण्डार गृह

727. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे भारत में गेहूं तथा चावल के भंडार-गृहों की कुल क्षमता क्या है ;

(ख) इस समय के स्टाक कब तक के लिये पर्याप्त हैं ; और

(ग) निकट भविष्य मे और कितने भण्डार-गृह खोले जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1479/72]**

(ख) भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास खाद्यान्नों का मौजूदा स्टाक लगभग 74 लाख मी० टन है। वर्तमान स्तर पर सरकारी वितरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह स्टाक लगभग एक वर्ष के लिए पर्याप्त है। खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति करके स्टाक को लगातार फिर से पूरा किया जा रहा है।

(ग) 1972-73 के दौरान भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम की

लगभग 14 लाख मी० टन क्षमता के गोदाम बनवाने की योजना है। इसके अलावा, आगामी रबी अधिप्राप्ति मौसम के लिये रबी की फसल पैदा करने वाले राज्यों में लगभग 20 लाख मी० टन खाद्यान्न खुले गोदाम (चबूतरे पर ढक कर) में रखने का विचार है।

आग के कारण बम्बई में एक जलपोत की हुई क्षति

728. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में भारतीय जहाज रानी निगम के एक जलपोत "स्टेट आफ गुजरात" को आग लग जाने के कारण बहुत अधिक क्षति हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो जहाज को आग लगने के क्या कारण थे ; और

(ग) इस आग के कारण भारतीय जहाजरानी निगम को लगभग कितनी क्षति हुई ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) 7 फरवरी, 1972 को एम० वी० "स्टेट आफ गुजरात" नामक जहाज जब वह इन्दिरा गोदी में पड़ा था, को आग लग गई। जहाज को कोई संरचनात्मक क्षति नहीं पहुंची। परन्तु पोर्ट साइड आवास में सभी लकड़ी की दिल्हावदियां छत तथा फर्नीचर जल गया और बिजली के संस्थापनों को बहुत क्षति पहुंची।

(ख) आग स्पष्टतया पेंटी अफसरों के मैस रूम में बिजली का तार जल जाने के कारण लगी थी।

(ग) जो क्षति हुई थी भारतीय नौवहन निगम द्वारा उसको अभी आंका जाना है।

'तिब्बिया कालेज में हड़ताल'

7 9. **मौलाना इसहाक सम्मली :**
श्री वेकारिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बिया कालेज, दिल्ली के विद्यार्थियों ने प्रबन्धकों की साम्प्रदायिक गतिविधियों के कारण हड़ताल की थी और यदि हां, तो उन विद्यार्थियों की मांगे क्या थीं ;

(ख) क्या कालेज को कुछ समय के लिये बन्द कर दिया गया था ; और

(ग) क्या प्रबन्धकों के विरुद्ध की गई शिकायतों के बारे में जांच की गई है ; और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) प्रबन्धकों की साम्प्रदायिक गतिविधियों के कारण छात्रों की कोई हड़ताल नहीं हुई है। वैसे, 24 जनवरी, 1972 से छात्रों तथा कुछेक कर्मचारियों ने अनेक प्रदर्शन किये। विभिन्न वर्गों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। प्राप्त अभ्यावेदन तथा ज्ञापनों आदि में प्रमुख मांगें इस प्रकार थीं :—

दिल्ली में स्कूल जाने वाले बच्चों के संबंध में सर्वेक्षण

730. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल जाने वाली आयु के ऐसे बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिये जो स्कूल नहीं जा रहे, दिल्ली में कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के लिये नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां । इस प्रकार का सर्वेक्षण कार्य नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम ने क्रमश: 1970 तथा 1972 वर्षों में किया था ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में सर्वेक्षण के लिये नई दिल्ली नगर पालिका के प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों को प्रतिनियुक्त किया गया था, जबकि दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के सभी निगम स्कूलों के लगभग 11,000 अध्यापकों ने इस कार्य को किया ।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में वस्तुत: स्कूल जाने वाले सभी बच्चे एक अथवा दूसरे स्कूल में जाते हुए पाये गये, जबकि दिल्ली नगर निगम क्षेत्र से 6-11 वर्ष के 76,922 बच्चों के स्कूलों में जाते हुए नहीं पाये गये ।

चौथी योजना के दौरान भूमि का कृष्यकरण

731. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान कितनी भूमि का कृष्यकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) अब तक इस लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है ; और

(ग) भूमि कृष्यकरण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप अब तक कितने अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिला है और क्या चौथी योजना के अन्त तक इस लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त कर लिये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) चौथी योजना के दौरान भूमि सुधार के लिये 10 लाख हैक्टर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

(ख) तथा (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय के होस्टल में एक अधिकारी की पत्नी की मृत्यु के बारे में जांच

732. **श्री एस० एन० मिश्र :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत फरवरी मास में विदेशी मन्त्रालय के होस्टल में लिफ्ट खराब हो जाने के

कारण, जिन परिस्थितियों में एक अधिकारी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, क्या उनकी कोई जांच करवाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) दिल्ली तथा नई दिल्ली में भारत सरकार की इमारतों में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). दुर्घटना के कारणों की छानबीन करने तथा उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान, महानिदेशक तकनीकी विकास, तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया है।

(ग) उक्त कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। तब तक सारी लिफ्टों को सुरक्षित रूप से चलाने के लिये उनकी जांच कर ली गई है तथा जिन लिफ्टों के बाहरी दरवाजे खराब हैं, उन्हें वस्तुतः बन्द किया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासकीय ढांचे में परिवर्तन

733. **श्री एस० एन० मिश्र :**
श्री अमर नाथ चावला :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासकीय ढांचे में आमूल परिवर्तनों की सम्भावना है, और यदि हां, तो किये जाने वाले परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में दो विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और दिल्ली की बढ़ रही विद्यार्थी संख्या की आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग). गजेन्द्र गड़कर समिति की सिफारिशें जो सरकार द्वारा सिद्धांत रूप मे स्वीकृत कर ली गई है उन्हें ध्यान में रखते हुए शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय का दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

कुछ समय पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने यह सुझाव दिया था कि दिल्ली में एक और विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिये जिसे दक्षिण तथा पश्चिम दिल्ली में स्थित सभी कालेजों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिये। सरकार इस सिफारिश को मानने में असमर्थ थी क्योंकि दिल्ली में पहले ही से दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है जो बढ़ती हुई दाखिले की संख्या को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढांचे तथा संघटनात्मक कठिनाइयों की जांच करेगी। यह समिति अगले दस वर्षों के लिये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक/अनुसंधान जरूरतों पर भी विचार करेगी और उन परिवर्तनों

का सुझाव देगी जिससे विश्वविद्यालय अपने कार्यों तथा जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से कर सके समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

घुन लगे चावल से यकृत में कैंसर हो जाने के बारे में अनुसंधान

734. **डा० कर्णी सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टोकियो विश्वविद्यालय में जापान के वैज्ञानिक प्रोफेसर एस० शिबाता के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि घुन लगे चावल खाने से यकृत में कैंसर हो सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चावल का परीक्षण करने की व्यवस्था लागू करने का है क्योंकि उनको सन्देह था कि यहां चावल में आसानी से घुन लग जाता है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार को चावल अन्य खाद्यान्न, तिलहनों आदि पर माइकोटोक्सीन के विषाक्त प्रभाव के बारे में जानकारी है । देश में इस विषय पर अनेक संस्थाओं द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है । खाद्य मिलावट निरोध नियमों के अन्तर्गत खाद्यान्नों के मानक के प्रतिमान विशेष पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं ।

दिल्ली पालिटेकनिक्स में एक अलग विज्ञान और मानविकी विभाग बनाना

736. **श्री बेकारिया** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने दिल्ली पालिटेकनिक्स में एक अलग विज्ञान और मानविकी विभाग बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या दिल्ली कालेज आफ इन्जीनियरिंग में ऐसा विभाग है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे विभागों के नाम और दर्जे क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग). देश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य पद्धति के अनुसार दिल्ली में पोलिटेक्निक के लिये कोई पृथक विज्ञान तथा मानविकी अनुभाग अथवा विभाग स्वीकृत नहीं किया गया है । तथापि अखिल भारतीय परिषद ने पोलिटेक्निकों के स्टाफ के ढांचे की पुनः जांच-पड़ताल के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की । दिल्ली के पोलिटेक्निकों में पृथक विज्ञान तथा मानविकी अनुभाग अथवा विभाग की स्थापना के प्रश्न का निर्णय, विशेषज्ञ समिति और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा ।

दिल्ली इन्जीनियरी कालेज में निम्नलिखित विभाग हैं :—

(क) भौतिकी विभाग ।

(ख) रसायन शास्त्र विभाग ।

(ग) गणित विभाग ।

(घ) मानविकी विभाग।

ये सभी विभाग कालेज के इन्जीनियरी विभागों के समतुल्य के स्तर के हैं।

दिल्ली पौलिटेकनिक्स के प्राध्यापकों के वेतन मानों का पुनरीक्षण

737. **श्री बेकारिया :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या दिल्ली पालिटेकनिक्स में अध्ययन कार्य कर रहे अध्यापकों के वेतनमान दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमानों के हाल ही मे किए गए पुनरीक्षण के साथ पुनरीक्षित नहीं किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं,

क्या दिल्ली प्रशासन का विचार पौलिटेकनिक्स तथा टेक्नीकल स्कूल के अध्यापकों विशेष कर प्राध्यापकों और विभागाध्यक्षों के विभिन्न श्रेणियों के वेतनमान पुनरीक्षण करने का है ; और

(घ) क्या उनके मन्त्रालय को ये प्रस्ताव प्राप्त हुये थे और उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी थी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). जनवरी 1971 में गैर इन्जीनियरी विषयों से संबधित प्राध्यापकों के वेतनमान परिशोधित कर इन्जीनियरी विषयों मे संबंधित प्राध्यापकों के वेतनमानों के समकक्ष कर दिए गए थे। अध्यापन तथा गैर अध्यापन तकनीकी स्टाफ की कुछ अन्य अवर श्रेणियों के वेतनमानों को भी परिशोधित कर दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के परिशोधित वेतनमानों के समकक्ष कर दिया गया था।

जब नवम्बर, 1971 में दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के वेतनमानों में और परिशोधन किया गया था तो दिल्ली पालिटेकनिक स्टाफ एसोसिएशन ने यह अभ्यावेदन दिया था कि उनके वेतनमानों को भी उसी प्रकार परिशोधित कर दिया जाय। यह मामला विचाराधीन है।

(ग) और (घ) जी, हां।

चूंकि पालिटेकनिकों की राजपत्रित स्टाफ एसोसिएशन ने भी तृतीय वेतन आयोग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है आयोग इस मामले पर विचार कर रहा है। आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नई दिल्ली

738. **श्री बेकारिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नई दिल्ली के विद्यार्थियों ने कहा है कि उन्हें कालेज बोर्ड पर विश्वास नहीं रहा है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नई दिल्ली को अपने अधिकार में लेने का है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शकर दीक्षित) : (क) और (ख). जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के छात्रसंघ के एक प्रतिनिधि मण्डल ने 22-2-197- को स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्री को एक ज्ञापन पेश किया था जिसमें उन्होंने वर्तमान प्रबन्धकों और मौजूदा सुविधाओं के प्रति असंतोष व्यक्त करने के साथ-साथ यह भी मांग की थी कि इस कालेज को सरकार अपने हाथ में ले ले। अब दिल्ली प्रशासन ने इस कालेज को 1972-73 से अपने हाथ में लेने का निर्णय कर लिया है।

ट्रैक्टरों का उपलब्ध होना

739. **श्री पम्पन गौडा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषकों की आवश्यकता के अनुसार देश में ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशों से और अधिक ट्रैक्टर आयात करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार ने 20-25 तथा 50-65 अश्व-शक्ति श्रेणी के 20,000 ट्रैक्टर आयात करने का निश्चय किया है।

वेद पाठ केन्द्रों का खोला जाना

740 **श्री पम्पन गौडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में वेद-पाठ केन्द्र खोल कर वेदों के परिरक्षण हेतु 25,200 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय राज्य के पास कौन-कौन से एवं कितने वेद हैं तथा इन केन्द्रों के नाम क्या हैं और ये कहां पर हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा खोले गए पांच केन्द्रों तथा वहां परिरक्षित किए गए जा रहे वेदों के नाम इस प्रकार हैं।

केन्द्र का नाम	वेद की शाखा
1. मुम्बादेवी संस्कृत महाविद्यालय बम्बई	शुक्ल यजुर्वेद कण्व शाखा
2. पैठन संस्कृत पाठशाला पैठन मराठावाडा	शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिन शाखा

3.	भोंसला वेदशास्त्र महाविद्यालय नागपुर	शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिन शाखा
4.	भटजी महाराज मठ सोतारा	कृष्ण यजुर्वेद
5.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना	ऋगवेद

राज्यों में सहकारी व्यवस्था का दुरुपयोग और सहकारी आन्दोलन का विकास

741. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में सहकारी व्यवस्था का राजनीतिक उद्देश्यों से दुरुपयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस दुरुपयोग को रोकने और देश में सहकारी आन्दोलन के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

आसाम और कलकत्ता के बीच बरास्ता बंगला देश अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा पुनः आरम्भ करना

742. **श्री समर मुखर्जी :**
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तुरन्त ही आसाम और कलकत्ता के मध्य बरास्ता बंगला देश अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा पुनः आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पुनः आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। सरकार का आसाम और कलकत्ता के बीच बंगला देश से हो कर अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवा पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव है ।

(ख) इस समय यह कहना संभव नहीं कि यह सेवा पुनः कब चालू होगी ।

तिब्बिया कालेज को अपने हाथ में लेना

743. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिब्बिया कालेज को अपने हाथ में लेने का कोई निर्णय किया है और क्या इस संस्था के कार्यों की कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख) चूंकि आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कालेज, द्वारा दिल्ली का प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा तिब्बिया कालेज अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत गठित एक बोर्ड द्वारा चलाया जाना है। इसलिये इस संस्था को अपने हाथ में लेने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है इस तिब्बिया कालेज के मामलों की जांच करने के लिये दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 22-2-1972 को एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है और उसके द्वारा 31 मार्च, 1972 तक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की आशा है।

जापान कान्फ्रेंस मुद्रा समायोजन अधिभार लगाने का निर्णय

744. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया शिपिंग कौंसिल ने, 1 जनवरी, 1972 से 8.57 प्रतिशत का मुद्रा समायोजन अधिभार लगाने के जापान कान्फ्रेंस के एकपक्षीय निर्णय पर चिन्ता प्रकट की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जी, हां आल इंडिया शिप्पर्स कौंसल ने, इन सम्मेलनों द्वारा बिना सूचना दिये तथा कौंसल से बना परामर्श किए एक पक्षीय अधिभार लगाने के निर्णय पर चिन्ता व्यक्त की थी।

सरकार की भाड़ा जांच ब्यूरों ने सम्मेलनों को विरोध पत्र भी दिया और उनसे अनुरोध किया था कि वे सम्मेलन के भाड़ा कमाई पर मुद्रा अधिभार के सम्पूर्ण प्रभाव का विश्लेषण करते हुए ठीक ढग से लेखा परिक्षित लेखों के आधार पर कौंसल से इस प्रस्ताव पर बातचीत करे। शिप्पर्स कौंसल तथा सम्मेलन के प्रतिनिधियों के बीच 12-2-72 को विचार विमर्श हुआ था। सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार किया था कि वह इस सम्बन्ध में अपने मुख्य अधिकारियों को लिखेंगे कि वह अपने मामले को उचित ठहराने के लिए विशिष्ट समुद्री यात्राओं के लेखों का विवरण भेजें। अभी और विचार-विमर्श होना शेष है।

चिकित्सा सहायता का गावों तक विस्तार

745. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चिकित्सा सहायता का गांवों तक विस्तार करने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे मे राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख). देश के देहातों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था मुख्यत: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिये की जा रही है। विभिन्न राज्यों में प्राथमिक

स्वास्थ्य केन्द्रों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण । में दिया गया है । [**प्रथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 1480/72]

सरकार ने देहातों में स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार नियोजन सेवाओं का विस्तार करने के लिये एक वृहद योजना भी बनाई है ।

बृहद योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित हैं :—

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बद्ध उपकेन्दों का संशोधित स्वरूप सहायक नर्स धात्री एवं बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की व्यवस्था

(2) जिन खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है वहां इनकी स्थापना करना और प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवार नियोजन विंग खोलना—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा करना—कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना तथा औषधियों और उपस्करो की व्यवस्था करना ;

(3) मरीजों को नीचे से बड़े अस्पतालों को भेजने की सुविधाओं की व्यवस्था—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों । औषधालयों का दर्जा बढ़ा कर उनको 25 पलंगों वाले अस्पताल बनना ;

(4) अंशदान के आधार पर प्रशिक्षण के साथ-साथ उपचार वाले चलते फिरते अस्पताल तथा औषधालय ;

(5) रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य सुधार के कार्यों में अस्पतालों और औषधालयों का उपयोग ;

(6) चिकित्सा संस्थानों को चलाने में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका ;

(7) विशेष शिविर और

(8) ग्राम सफाई

इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही पहले ही प्रारम्भ कर दी गई है और वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-2 में दे दी गई है ।

स्वास्थ्य केन्द्रों के बिना सामुदायिक खण्ड

746. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग 260 सामुदायिक विकास खण्ड ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन खण्डों में यथासम्भवशीघ्र स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही गई ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शकर दीक्षित) : (क) जी हां। 30-9-71 की स्थिति के अनुसार 260 खण्ड ऐसे थे जिनमें कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं था ।

(ख) और (ग). आवश्यक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । मूलतः ऐसी योजना

बनाई गई थी कि तीसरे पंच वर्षीय आयोजन के समाप्त होने तक देश के सभी सामुदायिक विकास खण्डों में कम से कम एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था हो जाय। किन्तु यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। पहले पंच वर्षीय आयोजन से 1968-69 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने की योजना केन्द्र की सहायता से चलने वाली योजना थी। चौथे पंचवर्षीय आयोजन में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्टाफ के लिये मकान बनाने तथा स्टाफ बढ़ाने, उपकरण औषधियों की व्यवस्था करने, वाहनों के रख रखाव आदि के सारे काम राज्य क्षेत्र में रख दिये गये और इनकी व्यवस्था आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि चौथे पंचवर्षीय आयोजन में राज्य सरकारों को राज्य आयोजन के लिए एक मुश्त अनुदान दिये जा रहे हैं।

चौथे आयोजन की अवधि में सभी शेष सामुदायिक विकास खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का काम पूरा कर देने का विचार है इसमें उन खण्डों को अग्रता दी जायेगी जो मलेरिया सम्बन्धी देख-रेख चरण में पहुँच चुके हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आधारित स्वास्थ्य सेवा के स्टाफ को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता की जा रही है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	ब्लाकों की संख्या जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित नहीं है।
1.	आन्ध्र प्रदेश	4
2.	असम	48
3.	हिमाचल प्रदेश	3
4.	जम्मू व कश्मीर	1
5.	मध्य प्रदेश	16
6.	मेघालय	15
7.	नागालैण्ड	2
8.	उड़ीसा	1
9.	पंजाब	1
10.	तमिल नाडु	2
11.	उत्तर प्रदेश	62
12.	पश्चिम बंगाल	97
13.	दिल्ली	1
14.	मणिपुर	2
15.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	4
16.	चण्डीगढ़	1
	कुल :	260

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई

747. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 971 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य में गांवों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इनमें से राज्यवार कितने गाँवों में पेय जल उपलब्ध नहीं है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) 1971 की जनगणना के हिसाब से प्रत्येक राज्य में कितने-कितने गांव हैं इसकी सूचना भारत के महापंजीकार के कार्यालय द्वारा अभी संकलित की जानी है। वैसे 1961 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य में गांवों की संख्या का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1481/72]

(ख) इस बारे में नवीनतम सूचना सभी राज्य सरकारों से मंगाई गई है और उसके एकत्र होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां

748. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्य-वार, कुल कितनी ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य में ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों के अन्तर्गत कितने गांवों तथा कृषकों को लाभ हुआ है उनकी प्रतिशतता क्या है ;

(ग) वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान ग्रामीण सहकारी समितियों के द्वारा कुल कितना ग्रामीण ऋण दिया गया ;

(घ) वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक, राज्य-वार तथा वर्ष-वार, सहकारी समितियों के प्रत्येक सदस्य को कितना ऋण दिया गया ; और

(ङ) वर्ष 1968-69 से 1970-71 तक, वर्षवार, प्रत्येक राज्य में कितने कृषकों को यह ऋण दिया गया ?

कृषि मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ङ). एक विवरण, जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 1482/72]

संचारी रोगों के राष्ट्रीय संस्थान के निष्कर्ष

749. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचारी रोगों के राष्ट्रीय सस्थान के निष्कर्षों के अनुसार देश में होने वाली अस्वस्थता में से 50 से 60 प्रतिशत और मृत्यु-संख्या 40 प्रतिशत का कारण आर्गेनिक संदूषण के फलस्वरूप जल वाहित रोग होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस चुनौती का सामना करने के लिए यदि कोई उपचारी कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्या है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख). अगस्त 1971 में राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के निदेशक द्वारा एक सम्मेलन में पढ़े गये निबन्ध में यह अनुमान लगाया गया था कि भारत में 50 से 60 प्रतिशत बीमार और 30 से 40 प्रतिशत मृत्यु संचारी रोगों के कारण होती हैं और इसका मुख्य कारण जीवाणुदूषण के फलस्वरूप होने वाले पानी से उत्पन्न रोग बतलाये गये हैं।

(ग) 31 मार्च 1971 तक देश के 2452 नगरों में से 1281 नगरों को नलों द्वारा पानी देने की व्यवस्था कर दी गई थी, जब कि देहातों में लगभग 20,000 गांवों को नलों द्वारा पानी देने की व्यवस्था कर दी गई है। आशा है कि राज्य सरकारें जन स्वास्थ्य समस्याओं वाले क्षेत्रों में जलपूर्ति सम्बन्धी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चलाएंगी। ये उपाय कुछ हद तक देश में पानी से उत्पन्न रोगों को दूर करने के इरादे से किये गये हैं।

राज्यों में ग्रामीण आवास योजनाओं के लिये धन राशि का नियतन

750. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण आवास योजनाओं के लिये वर्ष 1969-70 से वर्ष 1971-72 तक, राज्यवार, कुल कितनी धनराशि मंजूर की ; और केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य को वर्ष बार कितनी धनराशि वास्तविक रूप से दी ;

(ख) प्रत्येक राज्य ने वर्ष 1969-70 से वर्ष 1971-72 तक वर्ष वार, कुल कितनी धनराशि का वास्तव में उपयोग किया ; और

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा वर्ष 1969-70 से वर्ष 1971-72 तक कुल कितने मकान बनाये जाने थे और इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य ने, वर्ष-वार कितने मकान वस्तुत: बनाये ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा आरम्भ की गई ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम राज्य क्षेत्र में है। 1969-70 से आरम्भ होने वाली चौथी योजना की अवधि के दौरान, राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता सभी राज्य क्षेत्र योजनाओं को मिलाकर (आवास समेत) "खंड ऋणों" और "खंड अनुदानों" के रूप में दी जाती है। इस खंड सहायता की कोई भी राशि किसी योजना विशेष/विकास शीर्ष से सम्बन्धित नहीं है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर, अपने प्लान में सम्मिलित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खंड केन्द्रीय सहायता के प्रयोग करने में स्वतन्त्र हैं। निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा योजना के अन्तर्गत संघ क्षेत्रों (बिना विधान सभा) को दी गई वर्षवार निधियां इस प्रकार हैं :

	1969-70	1970-71	1971-72
	(लाख रुपयों में)		
1. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	0.20
2. दिल्ली	4.67	5.25	10.00
3. लक्ष्य दीव	—	—	0.05

ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा सूचित किये गये वर्ष-वार व्यय का एक विवरण संलग्न है (अनुलग्नक-I) 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान स्वीकृत तथा पूर्ण किये गये मकानों की संख्या का एक अन्य विवरण, जैसा कि राज्य सरकारों ने भेजा है, भी संलग्न है (अनुलग्नक-II) [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 1483/72]

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कामगारों को आवास स्थल देने के लिये एक योजना केन्द्रीय क्षेत्र में केवल अक्तूबर, 1971 में ही आरम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत, राज्यों को वित्तीय सहायता 1972-73 से ही केवल दिये जाने की आशा है।

गेहूं और चावल का निर्यात

761. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूँ और चावल के निर्यात के लिए किन्हीं विदेशों/पार्टियों के साथ बातचीत की है ;

(ख) क्या इस बीच उनके निर्यात के लिए किसी समझौते पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारत सरकार ने विशेष श्रेणी के अन्तर्गत बंगला देश और नेपाल को की गई कुछ सप्लाई को छोड़कर गेहूं अथवा चावल के निर्यात के लिए कोई भी बातचीत नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में परिवहन

752. **श्री राम सहाय पांडे :**

डा० संकटा प्रसाद :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में दिल्ली परिवहन निगम बनने के बाद दिल्ली में बस सेवा में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस से राजधानी में बस सेवा की समस्या का कहां तक समाधान हुआ है ;

(ग) क्या दिल्ली परिवहन निगम के पास इस समय बसें राजधानी यात्रियों की भीड़ कम करने में अभी भी असमर्थ है ; और

(घ) यदि हां, तो राजधानी में निकट भविष्य में बस सेवा सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या अग्रेतर उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). नगर

परिवहन सेवा के कार्य को सुप्रवाही बनाने के लिए 3-11-1971, जिस दिन दिल्ली परिवहन नियम का गठन हुआ था, से कई उपाय किये गये थे। कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार है :

(1) सड़क पर चलने वाली बसों की औसत दैनिक संख्या सितम्बर 71 में 1089 से बढ़कर जनवरी 72 में 1237 हो गई।

(2) मौजूदा बस बेड़े से अधिक किलो मीटर चलाने के लिए अनुसूचियों का पुनर्संमंजन किया गया है। सितम्बर 1971 में 58.95 लाख की तुलना में जनवरी, 1972 में 73.01 लाख किलोमीटर की दूरी तय की गई।

(3) सितम्बर 71 में लूपत फेरों की संख्या 34.7 प्रतिशत से घटकर इस समय 19 प्रतिशत रह गई है।

(4) उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज उनतीस बड़े किराये पर ली गई हैं।

(5) 294 अतिरिक्त बसों (30 मीनी बसों सहित) के लिए पहले ही आर्डर दिये जा चुके हैं और जो मई, 1972 तक आनी शुरू हो जाएंगी।

(6) बिना टिकट यात्रा करने वालों और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए विशेष स्कवार्ड नियुक्त किये गये हैं।

(7) नियमित बस स्टापों पर ही बसों के रुकने को सुनिश्चित करने के लिए बड़े उपाय किये गये हैं।

(8) महत्वपूर्ण अन्तिम/बदल स्थानों पर बसों को साफ करने के विशेष प्रबन्ध किये गये हैं।

(9) जनता की शिकायतों को तुरन्त निपटाने के लिए एक जन-सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(10) बसों के आगे गंतव्य स्थान और उसका दोनों ओर मार्ग संख्याओं के उचित प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है।

इसके परिणामस्वरूप, काफी सुधार हो गया है। बसों का वर्तमान बेड़ा आवश्यकताओं की पूरी तरह से पूर्ति करने के लिए यथेष्ट नहीं है। परन्तु जिन बसों के लिए पहले आर्डर दिये जा चुके हैं उनको प्राप्त हो जाने पर और उक्त उपायों के परिणामस्वरूप सेवा में और सुधार होने की सम्भावना है।

नौवहन उद्योग का विस्तार

753. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नौवहन उद्योग का विस्तार करने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) जहाज उद्योग के विकास के लिये सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(1) तटीय व्यापार का राष्ट्रीय नौवहन के लिये सुरक्षित रखना ;

(2) सरकारी क्षेत्र में शिपिंग कारपोरेशन की स्थापना ;

(3) सरकारी क्षेत्र में जहाज निर्माण उद्योग का विकास ;

(4) सरकारी नियंत्रित नौभार के आवटन में भारतीय जहाजों को तरजीह देना ;

(5) अतिरिक्त टनभार के अधिग्रहण के लिए भारतीय शिपिंग कम्पनियों को रियायती शर्तों पर ऋण देना ;

(6) टनभार अधिग्रहणार्थ विदेशों से ऋण की व्यवस्था करना ;

(7) 40 प्रतिशत की विकास छूट देना ;

(8) यू० एस० एस० आर०, पोलैंड, यू० ए० आर० और जी० डी० आर० जैसे देशों के साथ पारस्परिक नौवहन सेवाओं का चालू करना ;

(9) 1963 से 25 से लेकर 40 प्रतिशत तक नौवहन उद्योग में विदेशी पत्ती की सीमा का बढ़ना ।

(10) व्यापार पोत नियम का संशोधन और समेकन ।

(11) कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना ।

(12) नाविकों की भर्ती प्रणाली में सुधार और नाविक रोजगार कार्यालयों की स्थापना ।

(13) नेशनल शिपिंग बोर्ड, दि मर्चेन्ट नेवी ट्रेनिंग बोर्ड और दि नेशनल वेल्फेयर बोर्ड की स्थापना ।

छात्र संघर्ष समिति द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध आरोप

7·4. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय छात्र संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध आरोपों सम्बन्धी कोई ज्ञापन केन्द्रीय अधिकारियों को दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विश्व-विद्यालय प्राधिकारियों के विरुद्ध कुछ आरोपों सहित बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय के छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने संघर्ष समिति की ओर से एक बिना हस्ताक्षर किया हुआ ज्ञापन प्रस्तुत किया था । इस प्रतिनिधि मडल ने अपने आपको छात्र समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया ।

(ख) उपरोक्त ज्ञापन में, विभिन्न पदों में की गई नियुक्तियों में अनियमितताओं पदोन्नतियों में पक्षपात, अध्यापन स्टाफ के विरुद्ध शिकायतों से निपटाने में भेदभाव, नियमों के उल्लंघन, विभिन्न श्रेणियों तथा छात्रावासों में अनियमित दाखिलों कुछ छात्रों को सजा देने में भेदभाव के तथा वित्तीय अनियमितताओं आदि आरोप (शामिल) थे । तथ्यों को जानने के लिए तथा कथित बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय छात्र संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन की एक प्रति बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय प्राधिकारियों को भेज दी गई है ।

नई दिल्ली में परिवार नियोजन पर विचार गोष्ठी

755. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1972 के महीने में नई दिल्ली में परिवार नियोजन विभाग द्वारा कोई विचार-गोष्ठी आयोजित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य बातों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० किस्फू) : (क) जी हां। जनांकिकी-विदों का एक सेमीनार नई दिल्ली में 16 और 17 फरवरी, 1972 को हुआ था।

(ख) इस सेमीनार में जिन मुख्य विषयों पर विचार किया गया वे इस प्रकार हैं—देश में वर्तमान जनांकिकीय स्थिति, समाजार्थिक परिवर्तन तथा जनांकिकीय परिवर्तनों के बीच सबध जनांकिकीय स्थिति पर इसके प्रभाव के विशेष सन्दर्भ में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति की संवीक्षा तथा अनुसंधान के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र। सेमीनार की सिफारिशों का एक नोट संलग्न है। (अनुलग्नक) [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1484/72]।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजपथों की निर्माण लागत का भुगतान करने के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली कसौटी

756. **श्री सी० एस० एम० स्टीफन :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार राजपथों के निर्माण और उनके रखरखाव के सम्बन्ध में भुगतान करने की जो कसौटी अपनाती है, क्या वही कसौटी वह म्युनिसिपल नगरों या कस्बों के बाई पासों से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजपथों के भागों के सम्बन्ध में नहीं अपनाती ; और

(ख) यदि हां तो इसका सक्षिप्त ब्यौरा क्या है और भिन्न कसौटी अपनाय जाने का क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) **राष्ट्रीय राजमार्ग कडियां**

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे भाग जो कि किसी नगर पालिका क्षेत्र में स्थित हैं, जोकि उस अधिनियम के अन्तर्गत 20,000 या अधिक आबादी वाला क्षेत्र है और जिसका नियन्त्रण या प्रबन्ध नगर पालिका समिति, नगर क्षेत्र समिति नगर समिति या किसी प्राधिकारी को सौंप दिया गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं माने जाते। फिर भी, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार भारत सरकार सबंधित राज्य सरकार के साथ करार करके ऐसे क्षेत्रों से भी गुजरने वाले भागों के विकास और देखरेख के लिए व्यवस्था कर सकती है। इन भागों के विकास और अनुरक्षण या राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात के लिये वैकल्पिक कडियों के निर्माणार्थ भारत सरकार निम्नलिखित निष्कर्षों का अनुसरण करती है।

(1) यदि नगरपालिका क्षेत्र में पड़ने वाले भागों की कम से कम सड़क की भूमि की

चौड़ाई 100 फुट से कम नहीं है (50 फुट राष्ट्रीय राजपथ के लिए और 25 फुट सेवा सड़कों के लिए राष्ट्रीय राजपथ कड़ी की दोनों ओर) और अतिक्रमणों या पट्टे की इमारतों से भी स्वतन्त्र हैं तो ऐसी कड़ियों का स्थायी राष्ट्रीय राजमार्ग कड़ियों के रूप में विकास किया जा सकता था और केन्द्रीय सरकार इसकी पूरी लागत बर्दाश्त करेगी, जिसमें सेवा व्यवस्था की लागत शामिल है, किंतु इसमें किसी निर्मित सम्पत्ति के अधिग्रहण की लागत शामिल नहीं है। पिछली देखरेख के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार का अंश केवल राष्ट्रीय राजमार्ग कड़ी भाग तक ही सीमित रहेगा और वह भी 5000/- रुपये प्रतिमील की दर पर परिकलित रकम तक या वास्तविक रूप से किया गया खर्च जो भी कम है, होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग कड़ी की दोनों ओर सेवा सड़कों की देखरेख, सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी।

(2) नगरपालिका क्षेत्रों में राजमार्गों के उन भागों की हालत में जोकि स्थायी राष्ट्रीय राजमार्ग कड़ियों के रूप में विकास के लिये उपयुक्त नहीं, केन्द्रीय सरकार अपने खर्च पर उपमार्ग का निर्माण और रेखरेख करेगी। जब तक ऐसे उपमार्ग नहीं बन जाता, केन्द्रीय सरकार 5000/- रुपये प्रतिमील की सीमा तक या वास्तविक व्यय तक दोनों में से जो भी कम हो, नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर पड़ने वाली सड़क के भागों के अनुरक्षण को खर्च करने के लिए भी तैयार रहेगी। 2,000 या इससे अधिक आबादी वाले नागरपालिका क्षेत्रों से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कड़ियों के लिये उपर्युक्त निश्चयों के अपनाने का मुख्य कारण यह था कि भारत सरकार की नीति यह रही है कि ऐसी नगरपालिका सीमाओं में उपमार्ग तैयार करके निबंध यातायात के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएं जोकि नगरपालिका क्षेत्र में अन्यथा सम्भव नहीं हो सकता। परन्तु मौजूदा कड़ियों का उपयोग करने के लिए जो या तो उपयुक्त है या राज्य सरकार द्वारा अपनी लागत ऐसी बना दी गयी है ताकि समानान्तर सेवा सड़कें बनाकर बिना बाधा के यातायात के लिए, स्थानीय यातायात को अलग किया जा सके। ऊपर कहे गए अनुसार कड़ियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

राष्ट्रीय राजमार्ग उपमार्ग

राष्ट्रीय राजमार्ग उपमाग के मामले में राज्य सरकार को, उस उपमार्ग के साथ-साथ इमारतें बनाने की अनुमति देने से पूर्व, अपनी लागत पर समानान्तर सेवा सड़कें बनानी होंगी। परन्तु, यदि किसी कारण से उपमार्ग नगरपालिका की सीमा में पड़ता है, तो इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को, उपमार्ग के लिए भूमि अर्जन करने के समय, दोनों ओर कम से कम 35 फुट भूमि अधिग्रहण करने की लागत वहन करनी होगी। इन विभिन्न निष्कर्षों को अपनाने का कारण यह है कि नगरपालिका सीमा में उपमार्गों के निर्माण से भूमि लागतों में वृद्धि, अत्यधिक निर्माण कार्य तथा अन्य विकास कार्य जिनके कारण स्वतन्त्र तथा निर्बाध यातायात प्रवाह के लिए सेवा सड़कों को तत्काल निर्माण की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए यह उचित समझा गया है कि इसके अतिरिक्त राज्य सरकार कम

से कम ऐसे उपमार्गों के मामले में सेवा सड़कों के लिए अपेक्षित भूमि की लागत वहन करे।

विदेशी सहयोग से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए केरल से परियोजना प्रतिवेदन

7:7. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मन्त्री केरल में रूस की सहायता से मत्स्य पालन सम्बन्धी योजना के बारे में 22 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5684 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे) : गहरे समुद्र में मीन हरण परियोजना की स्थापना के विषय में राज्य सरकार के प्रस्ताव से कुछ जहाजों के आयात का प्रश्न जुड़ा हुआ है। गहरे समुद्र में मीन हरण करने वाले जहाजों के आयात के बारे में नीति पर विचार किया जा रहा है। नीति निर्णय होने पर ही प्रस्ताव पर निर्णय किया जायेगा।

भारतीय औषधियों और आयुर्वेद के अखिल भारतीय संस्थानों को स्थापना करना

758. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** :
पी पी० गंगादेव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा भारतीय औषधियों के अखिल भारतीय संस्थान की स्थापना करने के बारे में विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी नहीं।

(ख) एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करना सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

759. **श्री सी० टी दन्डपाणि** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को जारी रखा जाना चाहिये या नहीं, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशें देश

में हो रहे कृषि विकास के नए सन्दर्भ में निगम को जारी रखने और इसके कार्यकलापों के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता, इसके गठन को व्यापक आधार प्रदान करने, इसके वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्धों को मजबूत बनाने और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये वैधानिक उपाय करने के बारे में हैं ।

विशेषज्ञ समिति के मुख्य निष्कर्षों एवं सिफारिशों का संक्षेप सभा-पटल पर रखा जाता है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1485/72]

नई दिल्ली में भूतपूर्व सैनिकों को मध्य आय वर्ग में दिल्ली विकास प्राधिकरण के मकान देना

760. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री 31 मई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 161 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या मध्यवर्गीय आय के मकान खरीदने वाले ऐसे प्रत्याशियों से, जिन्होंने नई दिल्ली की ईस्ट आफ कैलाश तथा सफदर जंग जैसी कालोनियों में मकान आवंटित किए जाने हेतु अपनी प्राथमिकता दी है ; अब वजीरपुर/पंखा रोड आवासीय योजना में आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र देने को कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ईस्ट आफ कैलाश तथा सफदरजंग जैसी कालोनियों में आगे और मकान आवंटित नहीं किए जायेंगे ;

(ग) मुनीरका क्षेत्र में फ्लैटों के आवटन के मामले में इन आवेदकों को प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या नई दिल्ली को ईस्ट आफ कैलाश सफदरजंग तथा मुनीरका जैसी कालोनियों में मकान आवंटन के निर्णय में भूत-पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जा रही है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) ये आवेदक प्रथम पंजीकरण योजना में हैं तथा मुनीरका क्षेत्र में इस योजना के अन्तर्गत किसी फ्लैट का निर्माण नहीं किया गया था ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की कतिपय प्रतिशतता, अन्य लोगों के साथ, भूतपूर्व रक्षा कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए आरक्षित रखी गयी है ।

सामुदायिक विकास खन्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

761. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कुल ऐसे सामुदायिक विकास खंडों की संख्या कितनी है जहां कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोले गये हैं ; और

(ख) सामुदायिक विकास खंडों में ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनमें कोई डाक्टर नहीं है और इसके कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख). जिन सामुदायिक विकास खंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना नहीं की जा सकी है और जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं हैं, उनकी संख्या का एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 1486/72]

संचार साधनों की कुव्यवस्था, शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की कमी, ऐसे उपयुक्त आवास का अभाव जिसमें कम से कम आधारभूत सुविधाएं जैसे पेय जल, सफाई वाले शौचालय, बिजली आदि उपलब्ध हों, ये कुछ कारण हैं जिनसे डाक्टर लोग कुछ हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में जाने को तैयार नहीं होते हैं। वहां सामाजिक अलगाव तथा व्यावसायिक शुन्यता का भय है।

कृषकों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा

762. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि सम्बन्धी प्रगति का अध्ययन करने के लिए कृषकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) इस कार्यक्रम में कौन-कौन से राज्यों को शामिल किया गया है और जिन राज्यों की यात्रा की जाएगी, उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम का आयोजन केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है या राज्य सरकारों द्वारा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) योजना में किसी विशेष राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है। यह भाग लेने वालों पर निर्भर करता है कि किन राज्यों का दौरा करना है।

(ग) यह केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और इसे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के कृषकों के स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

काशी विद्यापीठ, वाराणसी का बन्द हो जाना

763. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काशी विद्यापीठ, वाराणसी किन परिस्थितियों में बन्द हुआ ; और

(ख) इसे पुनः खोलने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विद्यापीठ द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 10 और 11 फरवरी, 1972 को छात्रों के बीच हिंसात्मक झड़पें हुई थी। प्रांगण में, विरोधी छात्रों के दोनों दलों के बीच तनाव के कारण, जिससे गंभीर भिड़न्त होने की संभावना थी, विद्यापीठ के प्राधिकारियों ने संस्था को अनिश्चित काल के लिए बन्द करने का निर्णय लिया था।

(ख) विद्यापीठ 2 मार्च, 1972 से फिर खुल गया है।

दक्षिण पूर्व एशिया चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संगठन का बनाया जाना

764. **श्री डी० पी० जडेजा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया चिकित्सा और स्वास्थ्य नाम का कोई संगठन बनाया गया है ;

(ख) क्या भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) भारत सरकार ऐसे किसी संगठन के बनने के बारे में नहीं जानती ।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

कोणार्क, अजन्ता-एलोरा और महाबलीपुरम में संरक्षण प्रबन्ध

7 5 **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान फरवरी, 1972 में नई दिल्ली में सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण पर हुई एशिया पेसिफिक कांफ्रेंस की कार्यवाही की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि कोणार्क, अजन्ता-एलोरा और महाबलीपुरम में संरक्षण प्रबन्ध बिल्कुल अपर्याप्त है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). एशिया पेसिफिक कान्फ्रेंस में भाग लेने वालों ने कोणार्क, महाबलीपुरम और अजंता के संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न सैद्धान्तिक मामलों पर विचार-विमर्श किया । विचार-विमर्श में एलोरा का नाम नहीं आया ।

विशेषज्ञों द्वारा दिये गये सुझावों में से एक सुझाव अजन्ता गुफाओं के क्षरण पर पेड़-पौधों के प्रभाव से संबंधित है । तथापि, विशेषज्ञों की सामान्य सर्वसम्मति यह थी कि गुफाओं के ऊपर के क्षेत्र का निर्वनीकरण वांछनीय नहीं है । सर्वेक्षण का भी यही मत है । यह भी विशेषज्ञों के ध्यान में लाया गया कि सर्वेक्षण गुफाओं में पानी के टपकने को रोकने में काफी हद तक सफल हुआ है ।

कोणार्क और महाबलीपुरम के मन्दिर, जो समुद्र-तट पर स्थित हैं, लवण-मिश्रित समुद्री हवा से स्वभावत: प्रभावित होते हैं । तथापि, इन स्मारकों के बहुत पुराने ढांचे पर लवण के प्रभाव को कम करने के लिए इन पर नियमित रूप से परिरक्षक औषधियों का प्रयोग किया जाता है । सर्वेक्षण संरक्षण की समस्याओं से परिचित है और प्रत्येक स्थान की अपनी विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने के लिए इनमें से हर स्थान पर उचित प्रबन्ध है ।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत पानी के सर्वेक्षण हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता

766. **श्री के० मालन्ना :**

डा० सरदीश राय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा गत दो वर्षों में कुछ राज्य सरकारों को अकालग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत पानी का सर्वेक्षण आरम्भ करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और गत दो वर्षों में उन्हें कितनी सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) चौथी योजनावधि में मध्य प्रदेश के सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम के चार चूनींदा जिलों के लिए अब तक लगभग 4 लाख रुपये की सहायता मंजूर की गई है । इसमें से, वर्ष 1970-71 से कार्यक्रम के प्रारम्भ मे 0,80 लाख रुपए परिव्यय के लिए मंजूर किए गए हैं ।

Loans for Poultry Farming

767. **Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have a proposal in regard to the grant of loans for poultry farming ; and

(b) if so, the amount of loan and the criteria on which it would be granted ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) **Yes, Sir.**

(b) The information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha.

Setting up of University at Shillong

768. **Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a University at Shillong ; and

(b) if so, the date by which this University would be set up ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Social Welfare (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) It has been decided in principle to set up a Central University for the Hill areas of North Eastern Region.

(b) The date by which the University would be set up cannot be specified as details have yet to be worked out.

खाद्यान्न के मूल्य और इसका परिवारों के बजट पर प्रभाव

769. **श्री रामकंवर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन मासों में गेहूं और अन्य खाद्यान्नों के मूल्य क्या थे ;

(ख) क्या ये मूल्य बढ़े हैं अथवा घटे हैं और इनका मध्यम तथा निम्न मध्यम आय वाले वर्गों के परिवारों के बजट पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं और अन्य खाद्यान्नों के मूल्य कम रखने के लिए क्या प्रयास किये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) इस अवधि में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की आय वालों के पारिवारिक बजट पर मूल्यों के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है । क्योंकि इन वर्गों की अधिकांश आवश्यकताएं निर्धारित मूल्यों पर उचित मूल्य की राशन की दुकानों के माध्यम से पूरी की जा रही है, इसलिए उनके पारिवारिक बजट पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

(ग) निगम यह सुनिश्चित कर रहा है कि सरकारी वितरण के लिए भारत सरकार द्वारा राज्यों को आवंटित गेहूं और चावल की पूरी मात्रा उन्हें समय से सप्लाई की जाती है । इसके अलावा, गेहूँ की उपलब्धि में सुधार करने के लिए और उसके द्वारा थोक मूल्यों को नीचे लाने के लिए निगम ने 24-1-72 से देश भर में गेहूँ को खुले बाजार में बेचने का कार्यक्रम शुरू किया है । इसके अतिरिक्त, निगम खुले बाजार में मक्का और बाजरा भी बेचता रहा है ।

विवरण

खाद्यान्नों के थोक मूल्यों का महीने के अन्त का अखिल भारतीय सूचकांक ।

(आधार = 1961-62 = 100)

किस हद तक वृद्धि हुई (+)/कमी (−) के बीच

खाद्यान्न	वर्ष	11 दिसम्बर	25 दिसम्बर	29 जनवरी	26 फरवरी	11 मार्च (अस्थायी)	दिसम्बर और 11 मार्च
गेहूं	1971-72	209.8	213.6	220.0	218.1	219.9	(+) 4.8
चावल	1971-72	196.8	195.6	201.2	201.4	203.2	(+) 6.4
ज्वार	1971-72	223.1	220.7	216.3	217.4	218.2	(−) 2.2
बाजरा	1971-72	159.5	164.2	172.0	177.2	179.4	(+)12.5
मक्का	1971-72	184.2	187.3	213.9	218.6	223.2	(+)21.2
अनाज	1971-72	199.8	200.3	206.2	206.2	208.2	(+) 4.2
चना	1971-72	245.5	260.4	262.	264.5	266.0	(+) 8.4

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार

770 **श्री रामकंवर** : क्या कृषि मंत्री केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के प्रतिवेदन के बारे में 15 नवम्बर, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) यदि सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने का है तो वह क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). भारत सरकार ने कृषि जोत की भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिश को राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार किया है। कृषि मंत्री ने पहले ही राज्य सरकारों को लिख दिया है कि जहां आवश्यकता हो, वहां वर्तमान कानूनों में आवश्यक संशोधन करके समिति की सिफारिश को लागू करें। केरल तथा पश्चिम बंगाल के अधिकतम सीमा के कानून, समिति की सिफारिशों के अनुसार है। शेष राज्यों को अपने कानूनों में उपयुक्त रूप से संशोधन करने के लिए पुनः स्मरण कराया जा रहा है।

पूर्वी क्षेत्र में वन्य जीवों का परिरक्षण

771. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वन्य जीवों को अन्धाधुन्ध मारा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों में वन्य जीवों के परिरक्षण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख). जी नहीं। फिर भी, देश में वन्य प्राणियों के प्रभावी संरक्षण और परिरक्षण के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं और उठाये जा रहे हैं :

(1) राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य प्राणी आश्रय स्थलों की स्थापना ;

(2) मृत तथा जीवित वन्य प्राणियों और पक्षियों तथा उनके उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध ;

(3) दुर्लभ तथा लुप्तप्राय पक्षियों और पशुओं का संरक्षण ;

(4) समुचित वन्य प्राणी अधिनियमों का निर्माण ;

(5) राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के वन विभागों के अन्तर्गत "वन्य प्राणी संरक्षण" संकल्पों की स्थापना ; तथा

(6) वन्य प्राणियों में जनता की रुचि जागृत करने के लिए सामान्य जनता को व्यापक प्रचार द्वारा शिक्षित करना।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिलचर

772. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिलचर में रीजनल इंजीनियरिंग कालेज चालू करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या एक प्रिंसिपल और कुछ प्रध्यापक गत 3-4 वर्षों से नियुक्त है यद्यपि यह कालेज अभी तक चालू नहीं हुआ है और वे इतने समय से शिलांग में अपना कार्यालय खोल कर बैठे हुए हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस कालेज का कार्यालय तुरन्त बदल कर सिलचर लाने और कालेज चालू करने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) उपगमन सड़कों के लिए कालेज स्थल का विकास और बिजली की सप्लाई का काम पूरा हो चुका है तथा पानी की व्यवस्था का काम चल रहा है। भवन के प्रथम चरण के लिए नक्शे तथा प्राक्कलन तैयार हो चुके हैं तथा राज्य जन निर्माण विभाग द्वारा इनकी जांच की जा रही है।

(ख) और (ग). शुरू में तो केवल एक प्रिंसिपल या दो प्रोफेसरों को ही नियुक्त किया गया था परन्तु प्रोफैसर अब कालेज छोड़ गए हैं। प्रिंसिपल का कार्यालय अपना कार्य सिलचर में कर रहा है और जन निर्माण विभाग से सम्पर्क कार्य के लिये तथा सीमेंट, स्टील तथा अन्य भवन निर्माण सामग्री प्राप्त करने के लिये शिलांग में एक कैंप कार्यालय स्थापित किया गया है। प्रिंसिपल दोनों कार्यालयों के कार्य की देख-भाल कर रहा है और जैसे ही कालेज का भवन तैयार हो जाए तथा अन्य शैक्षनिक सुविधायें सुलभ हो जायें यह कालेज शुरू हो जाएगा।

राज्यों द्वारा आवास योजना के लिए धन का उपयोग

773. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1969 से वर्ष 1971 तक राज्य-वार प्रत्येक राज्य को आवास योजना के लिये दी गई धनराशि का उपयोग कर लिया गया था ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : बागान कर्मचारी सहायता प्राप्त आवास योजना ही केवल केन्द्रीय क्षेत्र की आवास योजना है जिसके लिये निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा निधियां नियत की जाती हैं और दी जाती हैं। यह योजना जो राज्य क्षेत्र में थी 1 अप्रैल, 1970 से केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दी गई है, तथा असम, केरल, मैसूर, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। 1969-70 के दौरान राज्य को "आवास" समेत राज्य प्लान योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता बिना किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष से सम्बद्ध किए खण्ड ऋणों और खण्ड अनुदानों के रूप में दी जाती थी। राज्य सरकारों को उपरोक्त केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के लिये निधियों का नियतन, विभिन्न राज्यों में बागान कर्मचारियों के लिये निर्माण किये जाने वाले मकानों की आवश्यकताओं, राज्यों द्वारा इसके उपयोग की क्षमता आदि को ध्यान में रख कर वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर किया जाता है।

1969-70 के दौरान संबंधित राज्यों द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत 'खण्ड सहायता' में से उपयोग की गई राशि तथा 1970-71 के दौरान नियत की गई और ली गई राशि इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

	1969-70	1970-71	
	खण्ड सहायता में से उपयोग की गई राशि	राशि नियत की गई	ली गई
1. असम	—	30.30	30.30

2. केरल	0.03	आवश्यकता नहीं था ।	
3. मैसूर	—	5.00	5.00
4. तमिलनाडु	—	0.50	0.50
5. त्रिपुरा	—	0.20	—
6. पश्चिम बंगाल	1.83	6.00	6.00
जोड़	.86	42.00	4 .80

मध्य प्रदेश के इन्जीनियरी कालेजों को उच्चतर प्रौद्योगिकी अध्ययन संस्था के रूप में बदलना

774. **श्री अरविन्द नेटम** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश में 9 इन्जीनियरी कालेज है और उनमें से किसी का भी उच्चतर इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए विकास नहीं किया गया है ; और

(ख) मध्य प्रदेश में विकास की काफी क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन कालेजों में से प्राचीन और सब प्रकार के उपकरणों से युक्त कालेज को उच्चतर प्रौद्योगिकी अध्ययन संस्था के रूप में बदलने पर विचार करेंगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश में, नौ में से चार इंजीनियरी कालेजों को इन्जीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने और मास्टर्स डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष में लगभग 135 छात्रों को दाखिले की क्षमता के लिए विकसित किया जा चुका है । मास्टर्स डिग्री पाठ्यक्रमों के समेकित किये जाने पर, इन कालेजों में अनुसंधान सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

थरलेरिया और एनाप्लाजम्स रोगों से ढोरों की रक्षा करने के लिये टीके का निर्माण

775. **श्री अरविन्द नेटम** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी ढोरों और उनकी मिली जुली नस्ल के बछड़ों और बछियाओं के थरलेरिया और एना प्लाजम्ज रोगों से बचाव के लिए टीकों का निर्माण भारत में हो रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार के लिए उन्हें प्राप्त करने हेतु क्या प्रबन्ध किये जाते हैं और यदि अभी से प्रबन्ध नहीं किये गये तो इसके क्या कारण हैं ; और ऐसे प्रबन्ध कब तक किये जाने हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत में थरलेरिया और एनाप्लाजम्स की रोक-थाम के लिए आयातित टीकों से उत्साह वर्धक परिणाम नहीं निकले हैं। अतः इन रोगों की रोक-थाम के लिए प्रभावी टीकों के विकासार्थ देश में अनुसंधान कार्य को गतिमान किया गया है। प्रभावी टीके तैयार होने पर मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों को उपलब्ध किये जायेंगे।

Expenditure on Naturopathy

776. **Shri Mool Chand Daga** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state whether Government propose to popularise naturopathy and if so ; the steps so far taken by Government in this regard and the amount of expenditure incurred by Government on naturopathy during the last year ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) : Development of Naturopathy forms a part of the plan Schemes-Development of Indigenous Systems of Medicine including Homoeopathy—To popularise this system of treatment the Government of India have been giving grants-in-aid to Registered Private Nature Cure Institutions for the following purposes on the recommendations of the Nature Cure Advisory Committee, constituted to advise the Government on all matters relating to the development of this system :—

(i) for the maintenance of study beds ;

(ii) for conducting one year and four year training courses in Nature Cure ;

(iii) for equipping Pathological Laboratories ;

Last year i. e. during 1970-71, grants-in-aid amounting to Rs. 2, 25,425/- were given to registered Nature Cure institutions for the above purposes.

Recommendations of Consultative Council on Community Development

777. **Shri M. C, Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether meetings of the consultative council on Community Development were held ; and if so, the main recommendations made by it ;

(b) whether Government have taken any decision to implement those recommendations ; and if so, when and if not, the reasons therefore ; and

(c) whether the utility of expenditure incurred on services in respect of the community development blocks has ceased now-a-days ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Sing) : (a) Yes, Sir, Two meetings of the Consultative Council on Community Development were held on the 7th July, 1969 and the 7th July, 1970. The main recommendations made at these meetings are listed in the attached Annexe. [*Placed in Library. See* No, L. T—1487/72]

(b) Most of the recommendations were the concern of the State Government/ Union Territories to whom they were commended for necessary action. Action as necessary was taken on the other recommendations concerning the Central Government.

(c) No, Sir,

दूसरे हुगली पुल के निर्माण में विलम्ब

778. **डा० रानेन सेन** :

श्री बरके जार्ज :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुल आयुक्तों और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच मतभेद होने के कारण दूसरे हुगली पुल के निर्माण में विलम्ब हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो मतभेद दूर करने और निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). राज्य सरकार मुख्यत: मामले से संबंधित है। उनसे अभिनिश्चित किया गया है कि पुल आयुक्तों और राज्य सरकार के बीच मतभेद के कारण कुछ हद तक विलम्ब हुआ था लेकिन तबसे समझौता हो गया है और काम के ठेके पर देने के बारे में निर्णय ले लिया गया है।

केन्द्रीय मानक समिति की सिफारिश

779. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त होने वाली सभी रंगों पर भारतीय मानक संस्था की मोहर होने के बारे में केन्द्रीय खाद्य मानक समिति की सिफारिश लागू कर दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) और (ख). यह प्रस्ताव सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है और इस प्रयोजन के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली में संशोधन किया जा रहा है।

खाद्य अपमिश्रण

780. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या स्वास्थ्य तथा परिववार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर खाद्य अपमिश्रण होने लगा है ; और

(ख) खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) देश में खाद्यान्नों में मिलावट की समस्या से सरकार परिचित है।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को पहले ही अधिक कड़ा कर दिया गया है और राज्यों से इस अधिनियम को ठीक से लागू करने के लिए कह दिया गया है।

संबन्धित राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों से मिलकर मिलावट को रोकने के लिए एक केन्द्रीय यूनिट बना दिया गया है। इस यूनिट का सम्बन्ध मुख्यत: अन्तर्राज्यीय अपराधों के बारे में खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली के नियम 9 में निर्धारित कार्यों को करने से है तथा यह राज्य सरकारों को तकनीकी मार्गदर्शन देने में सहायता करता है।

गाजियाबाद में एक नई खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला खोली जा रही है।

केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता में खाद्य विश्लेषकों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया

है । अपने-अपने राज्यों के स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों में खाद्य निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

मण्डल कार्यालयों की स्थापना तथा खाद्य विश्लेषण प्रयोगशालाओं को खोलने पर विचार किया जा रहा है ।

सप्रु-हाउस लाइब्रेरी नई दिल्ली

781. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सप्रु-हाउस लाइब्रेरी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, इंडियन कौंसल आफ वर्ल्ड अफेयर्स और स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज में बांट दिये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इससे अनुसंधान कार्य कर्ताओं की कठिनाइयां बढ़ जायेंगी ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और इस बांट में क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० नुरुल हसन) : (क) और (ग) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल जिसका अब एक अभिन्न अंग है) तथा भारतीय विश्व कार्य परिषद के प्रतिनिधियों में उनके संयुक्त पुस्तकालय के बटवारे के बारे में विचार-विमर्श चल रहा है और काफी आगे बढ़ चुका है । स्कूल को उसके अपने भवन में ले जाने के फलस्वरूप यह विभाजन आवश्यक हुआ ।

(ख) जी नहीं । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संकाय तथा अनुसंधान अध्येता, जिनका संयुक्त पुस्तकालय का नियमित उपयोग करने वालों में विशेष स्थान है, विश्वविद्यालय द्वारा अपनी सामग्री को अपने ही भवनों में ले जाने के कारण लाभान्वित होंगे । परिषद के वास्तविक सदस्यों को विश्वविद्यालय पुस्तकालय में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से सम्बन्धित सामग्री देखने के लिए अनुमति दी जायेगी । पुस्तकालय की सुविधा अन्य विश्वविद्यालयों के अतिथि अनुसंधान अध्येताओं के लिए भी उपलब्ध होगी । अन्तर-पुस्तकालय ऋण भी आरंभ किया जायेगा । सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा अपने संग्रह को विश्वविद्यालय के नये भवन में ले जाने के निर्णय करने के बाद भारतीय विश्व कार्य परिषद के लिए पुस्तकालय सुविधाओं का विस्तार किया जाए ।

राष्ट्रीय बीज निगम का प्रबन्ध निदेशक

782. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम के प्रबन्ध निदेशक का पद रिक्त पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो यह पद कब से रिक्त है और इस पद के लिये कोई तकनीकी विशेषज्ञ ढूंढने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रबन्ध निदेशक की अनुपस्थिति का निगम के दक्षतापूर्ण कार्यकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पद को भरने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). राष्ट्रीय बीज निगम के प्रबन्ध निदेशक का पद पहली जुलाई, 1971 से रिक्त पड़ा है। यह पद कृषि सम्बन्धी पृष्ठभूमि का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले अधिकारी द्वारा भरा जाना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस कार्य के लिये एक उपयुक्त अधिकारी के चयन के लिये कदम पहले से ही उठाए गए हैं। हाल ही में कार्मिक विभाग ने इस विषय में वित्त मन्त्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है।

नई दिल्ली में डी० आई० जेड० क्षेत्र के सेक्टर डी में चार मंजिले क्वार्टरों का निर्माण

784. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में डी० आई० जेड० ऐरिया के सेक्टर डी में (टाईप-III तथा टाईप-II) चार मंजिले क्वार्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार को बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इन क्वार्टरों के निर्माण में बहुत ही घटिया प्रकार की निर्माण सामाग्री उपयोग में लाई गई है तथा निर्माण कार्य की देखभाल ठीक प्रकार से नहीं की गई और घटिया कारीगरों से कार्य करवाया गया है : और

(ग) कमरों के फर्श समतल करने, मैजिक आई की व्यवस्था करने, रसोई के फर्श तथा दीवारों पर पालिश करने, शौचालय तथा स्नानगृह चिप्स के बनाये जाने आदि के बारे में शिकायतें दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है और यह सारा कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं। तथापि स्नानगृहों की असमतल ढलानों और पालिश आदि में खामियों के बारे में पूछताछ कार्यालय में कुछ शिकायतें दर्ज कराई गई।

(ख) जी, नहीं। निर्माण के लिए प्रयोग में लाई गई सामग्री अच्छी क्वालिटी की थी, तथा कार्य की उचित देख-रेख की गई। सब मिला कर कारीगरी संतोषजनक थी।

(ग) स्नानगृहों की असमतल ढलानों की शिकायतों पर कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है और दोषों को दूर कर दिया गया है। जहां कहीं पालिश के दोष बताये गये हैं उन पर कार्यवाही की जा रही है तथा उन्हें इस मास के बीच दूर किये जाने की संभावना है। इन क्वार्टरों में "मैजिक आई" की व्यवस्था नहीं की गई है।

डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली में नवनिर्मित क्वार्टरों में पीने के पानी की सप्लाई

785. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जेड० एरिया, नई दिल्ली के नव निर्माण सेक्टर-डी०- में बने

क्वार्टरों के निवासियों को पीने का पानी भूमिगत टैंक में इकट्ठा करने के बाद सप्लाई किया जाता है ;

(ख) क्या उक्त टैंक की समय-समय पर सफाई नहीं की जाती है और तत्परिणामस्वरूप पानी गन्दा हो जाता है और वह मानव उपयोग के काबिल नहीं रहता ; और

(ग) इसकी समय-समय पर सफाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं और पानी के टैंक की सफाई नियमित रूप से कितनी-कितनी अवधि के बाद की जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह सही नहीं है। यह टैंक 6 महीने के बाद साफ किया जाता है। यह पहली बार मार्च, 1971 में और सितम्बर, 1971 में साफ किया गया था। इसके जल को उपयोग में लाने से पहले उनके नमूनों की भी दिल्ली नगर निगम द्वारा जाँच करा ली गई थी।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में महिला डाक्टरों के लिए विशेष योजना

786. श्री सतपाल कपूर : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में एक ऐसी विशेष योजना है जिसके अन्तर्गत महिला डाक्टरों की नियुक्त निश्चित वेतन पर की जाती है ;

(ख) ऐसी महिला डाक्टरों को कितना वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें दी जाती हैं और ऐसी महिला डाक्टरों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इन महिला डाक्टरों को बिना वेतन छुट्टी लेनी पड़ती है और यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ; और

(घ) क्या इन महिला डाक्टरों की नौकरियां स्थानान्तरणीय नहीं हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी हां। परन्तु जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसर ग्रेड II के ये सभी पद धीरे-धीरे नियमित हो जायं इस अभिप्राय से रिक्त होने वाले पदों पर नई नियुक्तियां नहीं की जाती।

(ख) (1) इस योजना के अन्तर्गत नियुक्त की गई महिला डाक्टरों को निम्नानुसार वेतन मिलता है—

(i) प्रत्येक पूर्ण पंचांग मास का 50/- रुपये का निर्धारित वेतन (समेकित)

(ii) 75/- रुपये प्रतिमास का निर्धारित नान-प्रक्टिसिंग भत्ता।

(iii) यात्रा भत्ता : प्रति घर जाने के 2 रुपये बशर्ते कि तीन महीने में यह राशि 200 रुपये से अधिक न हो।

(iv) स्नातकोत्तर अर्हता भत्ता : स्नातकोत्तर डिग्री वाले को 50 रुपये प्रतिमास और स्नातकोत्तर डिप्लोमा वाले को 25 रुपये प्रतिमास का भत्ता। यह भत्ता केवल एक ही स्नातकोत्तर अर्हता, चाहे वह डिग्री हो या डिप्लोमा, के लिए मिलेगा।

(2) छुट्टी इस विशेष योजना के अन्तर्गत नियुक्त की गई महिला डाक्टरों को उतनी ही आकस्मिक छुट्टी मिलती है जितनी केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना नई दिल्ली में पूर्णकालिक चिकित्सा अधिकारियों को अंशकालिक चिकित्सा अधिकारियों को कोई अर्जित छुट्टी, अर्ध छुट्टी अथवा प्रसूति अवकाश नहीं दिया जाता।

(3) इस विशेष योजना के अन्तर्गत महिला डाक्टर अंशदायी भविष्य निधि से सम्बन्धित भारत सरकार के नियमों और/अथवा आदेशों के अनुसार उक्त निधि के लाभों को उन्हीं शर्तों पर पाने की हकदार होगी जो अनुबन्ध आधार पर नियुक्त ऐसे ही कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

फिलहाल इस विशेष योजना के अन्तर्ग काम करने वाले डाक्टरों की संख्या 30 है।

(ग) जी हां। यदि उन्हें आकस्मिक छुट्टी के अलावा और कोई छुट्टी चाहिए तो उन्हें बिना वेतन के छुट्टी लेनी पड़ती है। यह इस योजना की विहित सेवा शर्तों के अनुसार है।

(घ) जी हां।

नई दिल्ली 1 दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों को किराये की इमारतों में स्थित होना

787. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली। दिल्ली में ऐसे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों की संख्या और नाम क्या हैं जो कि अभी तक किराये की इमारतों में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उनको अपनी इमारतों बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इन इमारतों का निर्माण करने के लिये भूमि खरीद ली गई है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ये औषधालय कब तक अपनी इमारतों में कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के निम्नलिखित 18 औषधालय किराये के मकानों पर चल रहे हैं—

1. तिलक नगर
2. मोती नगर
3. मालवीय नगर
4. पटेल नगर-I
5. पटेल नगर-II
6. न्यू राजीन्द्र नगर
7. करौल बाग
8. हरी नगर
9. शाहदरा
10. हौज खास
11. शकूर बस्ती
12. राजौरी गार्डन
13. पुल बंगस
14. शक्ति नगर
15. इन्द्रपुरी नरैना कम्प्लेक्स नं. I
16. इन्द्रपुरी नरैना कम्प्लेक्स नं II
17. जी० के० जी० शाहदरा
18. नंगल राया

(ख) किराये के मकान पर चल रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी औषधालयों के लिए मकान बनाने का निर्णय कर दिया गया है। निम्नलिखित औषधालयों को जो पहले किराये के मकानों पर चल रहे थे, सरकार द्वारा बनाये गये मकानों पर ले जाया गया है

1. लाजपत नगर
2. चांदनी चौक
3. कालका जी

एक और डिस्पेन्सरी की इमारत नये राजेन्द्र नगर में इस समय बन रही है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण हरी नगर, तिलक नगर, हौज खास, नारायणा और नांगलराया में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिये जमीन देने के लिये राजी हो गया है। शेष औषधालयों के लिये जमीन दिये जाने के बारे में बातचीत चल रही है।

(घ) चूंकि औषधालय के लिए मकान बनाने का काम प्रतिवर्ष उपलब्ध हो सकने वाले धन तथा उपयुक्त स्थान के आधार पर भी शुरू किया जाता इस काम में कुछ समय लग जाने की सम्भावना है।

दिल्ली के स्कूल अध्यापकों के संशोधित वेतनमान

788. **श्री के० एन० मधुकर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुमोदित संशोधित वेतनमान लागू करने के बारे में दिल्ली के स्कूल अध्यापकों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है या उनका कोई प्रतिनिधि-मण्डल शिक्षा मंत्री से मिला है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). भारत सरकार द्वारा 27 मई, 1970 से अनुमोदित तथा स्वीकृत वेतनमानों को संशोधित करने की मांग करते हुए, अध्यापक संगठनों के विभिन्न प्रतिनिधियों से अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए थे। दिल्ली के अध्यापकों के कई प्रतिनिधि मंडल भी शिक्षा मंत्री से मिले थे। इन सब की जांच पड़ताल की गई और 5 सितम्बर, 1971 को परिशोधित वेतनमानों की औपचारिक रूप से घोषणा करदी गई थी। वर्ष 1972-73 में ही उनके भुगतान के लिए कदम भी उठाये जा रहे हैं।

गेहूं और चावल का उत्पादन और आयात

789. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, महीनेवार, विदेशों से और पी०एल० 480 के अधीन कितने गेहूं और चावल का आयात किया गया ;

(ख) गत पांच वर्षों में गेहूं और चावल, दोनों का हमारे देश में कितना-कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ग) क्या खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के बारे में किसी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : (क) और (ख). दो विवरण संलग्न है [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये सख्या एल०टी०—1488/72**]

(ग) जी नहीं । तथापि, विशेषज्ञों द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन और आवश्यकताओं का बराबर जायजा लिया जा रहा है ।

बांगला देश को सांस्कृतिक और शैक्षणिक शिष्टमण्डल

790. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बांगला देश को एक उच्चशक्ति प्राप्त सांस्कृतिक और शैक्षणिक शिष्टमण्डल भेजने पर विचार कर रही है, जो गहरी सहानुभूति और हमारे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उन्हें अवगत कराएगा ; और

(ख) क्या छात्रों और शिक्षकों का एक शिष्टमण्डल जो बांगला देश भेजने का कोई प्रस्ताव है जो वहां विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाकर हमारी राष्ट्रीय नीति से अवगत करायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). जी अभी नहीं ।

नई दिल्ली स्थित 'कपूरथला' प्लाट का खाली किया जाना

791. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा अनेक बार अनुरोध करने पर भी, पुलिस-आरक्षण दल ने, केरल सरकार के नई दिल्ली, स्थित 'कपूरथला' प्लाट के एक भाग को खाली नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) केरल सरकार को इसे कब तक सौंप दिये जाने की आशा है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). कपूरथला प्लाट में आजकल स्थित सुरक्षा पुलिस के लिये दिल्ली प्रशासन उपयुक्त वास प्राप्त नहीं कर सका है । प्रशासन द्वारा भूमि खाली किए जाते ही यह केरल सरकार को सौंप दी जायेगी ।

नीन्दकारा, केरल में मत्स्य पत्तन सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन

792. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्रीमती मार्गवी तनकप्पन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सर्वेक्षण परियोजना द्वारा केरल में नीन्दकारा

में मत्स्य पत्तन संबंधी परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उपरोक्त परियोजना की कोई प्रतिक्रिया भी प्राप्त हुई है ; और

(ग) इस की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम परियोजना द्वारा नींदकारा में नवम्बर और दिसम्बर, 1971 के दौरान इंजीनियरी और आर्थिक अन्वेषण किये गये थे। परियोजना की ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के अधिकारियों ने इच्छा व्यक्त की है कि नींदकारा में अतिरिक्त मत्स्य हरण बन्दरगाह सुविधाओं का होना आवश्यक है। 16 मीटर लम्बाई तक की 400 यंत्रचालित नावों और 30 जलयानों के एक बेड़े को सुविधायें प्रदान करने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है। बन्दरगाह को ऐसा रूप देने का प्रस्ताव है जिससे कि भविष्य में डीप-ड्राट वेसिल्स के उपयोग के लिये बन्दरगाह को गहरा किया जा सके। ले-आउट प्लान तैयार करते समय 'बोट-यार्ड' और 'स्लिपवे' की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है।

केरल में मछुओं के लिये आवास एवं बस्ती योजना

793. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या कृषि मंत्री केरल में मछुओं की कालोनी के निर्माण के लिए केन्द्रीय अनुदान के बारे में 5 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7062 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). सितम्बर, 1971 में केरल सरकार को सूचित किया गया था कि वर्तमान प्रबन्धों के अनुसार आवास के लिये राशि राज्य सरकारों को उनकी राज्य योजना के लिये उपलब्ध हुये एक मुश्त अनुदान में शामिल होती है। राज्य सरकार को सुझाव दिया गया था कि राज्य ग्राम-निर्माण योजना का उपयुक्त भाग मछुओं की आवश्यकता के लिये निर्धारित किया जा सकता है।

कोनानूर में मोपला बे फिशिंग हार्बर के लिए स्वीकृति

794. **श्री ए० के० गोपालन** :
श्री रामचन्दन कडनापल्ली :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोनानूर में मोपला बे फिशिंग हार्बर के "टी" निर्माण-कार्य की 6 लाख रुपये की शीघ्र ही स्वीकृति देने के लिए केरल सरकार का अनुरोध केन्द्रीय सरकार के पास अभी भी अनिर्णीत पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसे शीघ्र स्वीकृति देने का कब तक विचार है ; और

(ग) विलम्ब के कारण, यदि कोई हैं, तो क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) मोपला बे फिशिंग हार्बर के "टी" निर्माण कार्यों के लिए 6 लाख रुपये की स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

(ख) तथा (ग). केरल सरकार ने फिशिंग हार्बर के लिए कणन-जल तथा पहुंच मार्ग हेतु 17 30 लाख रुपये के मूल प्राक्कलन के मुकाबले में एक 40.44 लाख रुपये का परिशोधित प्राक्कलन भेजा है। इस कार्य की कुल लागत, जिसमें "टी" निर्माण कार्यों के लिए मांगी गई 6 लाख रुपये की राशि भी सम्मिलित है, और अन्य मदों के लिए अलग से स्वीकृत की गई 23.555 लाख रुपये की राशि को मिलाकर फिशिंग हार्बर की लागत 69.00 लाख रुपये से भी अधिक हो जाती है। अतः फिशिंग हार्बर्स के सर्वेक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना से अनुरोध किया गया है कि वह इस परियोजना के मूल्यांकन का कार्य आरम्भ करे। परिवहन मंत्रालय से भी परामर्श किया जा रहा है। समेकित आधार पर इस कार्य की विभिन्न मदों के पुनरीक्षण के आधार पर अतिरिक्त कार्य के लिए स्वीकृति जारी की जाएगी।

परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता

795. **श्री अमर नाथ चावला :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणाम देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न रहे हैं और कुल मिलाकर इस कार्य की सफलता पर इस पर व्यय की गई इतनी अधिक राशि के अनुरूप नहीं है ;

(ख) परिवार नियोजन विभाग के प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने और इसकी नीति को विस्तृत करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ताकि सामाजिक सुरक्षा सहित गर्भ-निरोध को परिवार कल्याण कार्यक्रम का अंग बना दिया जाय ; और

(ग) परिवार नियोजन उपायों को लोकप्रिय बनाने और परिवार नियोजन के लिये नारों को आकर्षक बनाने के लिये और क्या उपाय किये जाएंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) मुख्यतः आधार भूत ढांचा, संचार, लोगों की शिक्षा तथा समाजार्थिक विशेषताएं तथा स्थानीय नेतृत्व अलग अलग किस्म का होने के कारण देश के विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत हुआ कार्य एक समान नहीं है। व्यापक जागरूकता पैदा करने, वास्तविक ग्राह्यता तथा प्रेरणा कार्य चालू रखने और सामग्री एवं सेवायें प्रदान करने के सम्बन्ध में 1965 से सघन कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत कुछ काम हुआ है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1970-71 तक किये गये कार्य के फलस्वरूप अनुमान है कि 74 लाख जन्म रोके गये हैं तथा यह भी अनुमान किया जाता है कि आगे चल कर इसके फलस्वरूप 260 लाख जन्म रोके जा सकेंगे। इस कार्यक्रम पर किये गये खर्च की तुलना में इसका आर्थिक महत्व कहीं अधिक है।

(ख) और (ग). इस दिशा में जो कदम उठाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित आधारभूत ढांचा शीघ्र स्थापित करने के लिए प्रयत्न।

(2) प्रसवोत्तर कार्यक्रम तथा सघन जिला कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। बन्ध्यकरण तथा निरोध जैसे तरीकों पर जिन्हें अधिकाधिक लोग अपनाते जा रहे हैं, पूर्णबल दिया जा रहा है।

(3) सभी स्तरों पर प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मिलाया जा रहा है। बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए रोगों से बचाव, रोगरोधन तथा पोषण की योजनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(4) लोगों को प्रेरित करने की एक नई नीति जिसमें नये नारे भी सम्मिलित हैं तैयार की गई है। इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चे के कल्याण का दृष्टिकोण अपनाया गया है और इसे व्यक्तियों तथा विशेष वर्गों की ओर अधिकाधिक लक्षित किया गया है।

(5) देश में ही तैयार किये गये तरीकों और साधनों के उपयोग सहित सुधरी हुई नई गर्भनिरोधक टैक्नालोजी तैयार करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

(6) उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां प्रगति धीमी रही है, परिवार नियोजन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(7) उत्तम चुनाव, सुधरी हुई अनुवर्ती देखभाल तथा इन तरीकों के सम्बन्ध में जनता में व्याप्त भय और उसकी मिथ्या धारणाओं को दूर करके गर्भाशयी गर्भरोधक तथा नसबन्दी सेवाओं में सुधार किया जा रहा है।

(8) नसबन्दी अपनाने के लिए वृहत् नसबन्दी कैम्पों के माध्यम से सघन दृष्टिकोण का प्रयोग किया जा रहा है।

(9) कुछ समय तक प्रयत्न उन दम्पत्तियों पर केन्द्रित किये जा रहे हैं जो परिवार नियोजन के तरीकों को मानते तो हैं परन्तु उन्होंने उन्हें अपनाया नहीं है।

(10) परिवार नियोजन कार्यक्रम में कार्य कर रहे विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के सघन और सुधरे हुए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड के लिये फिजीशनों का चयन

796. **श्री अमर नाथ चावला :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से हाल ही में कुछ डाक्टरों का फिजीशनों के रूप में चयन किया गया है और यदि हां, तो ऐसे डाक्टरों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उनकी नियुक्ति कहां कहां की गई है ;

(ग) क्या यह नियुक्तियां प्रत्याशियों की इच्छा के अनुसार ही की गई हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार की यह नीति है कि जिस व्यक्ति की पत्नी की नौकरी स्थानांतरणीय न हो, उसकी नियुक्ति भी उसी स्थान पर की जाये जहां कि पत्नी की नौकरी हो ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड में कार्य चिकित्सक के पदों पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित डाक्टरों का सुझाव दिया :

क्रमांक	नाम	कार्य स्थान
1.	डा० भगवन्त सिंह कवर	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा; दिल्ली
2.	डा० डी० सेन गुप्ता	तदैव
3.	डा० टी० चटर्जी	तदैव
4.	डा० ए० पी० अग्रवाल	केन्द्रीय अस्पताल, कर्मा
5.	डा० एस० सी० गुप्ता	नेफा
6.	डा० (कुमारी) कमला काक	अग्रतला
7.	डा० एच० एम० चौधरी	गंगटाक
8.	डा० के० सी० गर्ग	मनिपुर

(ग) डाक्टरों की प्रारम्भिक तैनातियां संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर की जाती है। फिर भी, इस सेवा की अपेक्षाओं के अनुसार डाक्टरों को भारत में कहीं पर भी नियुक्त किया जा सकता है।

(घ) ऐसा कोई नियम अथवा विनियम नहीं है।

न्यूयार्क में भगवान नटराज की मूर्ति की बिक्री

797. श्री अमर नाथ चावला : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री 29 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 322 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस बीच जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) मूर्ति को भारत वापिस लाने के लिये क्या प्रयास किए गये हैं और मूर्ति के कब तक वापिस आ जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह मामला अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन, इन्टरपोल के जरिए अपने हाथ में ले लिया है और जांच अभी जारी है।

अतः इस समय इस मूर्ति को भारत वापस लाने का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली और चण्डीगढ़ में मकानों की भारी कमी

798. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और चण्डीगढ़ में मकानों की भारी कमी की समस्या से सरकार अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73 में और उसके बाद के तीन वर्षों की अवधि तक प्रति वर्ष उक्त दोनों नगरों पर क्रमश: कितना धन खर्च किया जायेगा और कितने मकानों का निर्माण किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली तथा चण्डीगढ प्रशासन द्वारा 1972-73 के दौरान, निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा बनाई गई विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत किया जाने वाला संभावित व्यय तथा निर्माण किए जाने वाले मकान नीचे दिखाये गये हैं :

	व्यय (लाख रुपयों में)	वास्तविक लक्ष्य (मकानों की संख्या)
दिल्ली	250.00 (योजनागत)	3,671
चण्डीगढ़	40.00 (अयोजनागत)	उपलब्ध नहीं।

अनुवर्ती वर्षों के अर्थात् 1973-74 तथा 1974-75 के कोई भी अनुमान फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत जो राशि खर्च की जाती है, जो मकान बनाये जाने हैं, उनका निश्चय योजना आयोग के परामर्श से वर्ष प्रति वर्ष किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, दिल्ली विकास अधिकरण, द्वारा योजना के अलावा लगभग 10,000 मकान प्रतिवर्ष निर्माण करने के लिए 1972-73 में 22.48 करोड़ रुपये तथा 1973-74 में 26.53 करोड़ रुपये खर्च किये जाने की सम्भावना है।

पी० एच० डी० सनद-प्राप्त व्यक्तियों की अग्रिम वेतन वृद्धियां

799. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक विश्वविद्यालयों ने पी० एच० डी० सनद प्राप्त व्यक्तियों को अग्रिम वेतन वृद्धियों की योजना समाप्त कर दी है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन व्यक्तियों को कुछ अग्रिम वेतनवृद्धियां देने के बारे में विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदेश देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस नुरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालयों से स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार है कि कालेज तथा विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतन मानों के उत्तरोत्तर परिशोधन के कारण ऐसी वेतन वृद्धियों को प्रदान करना अपेक्षित नहीं है।

मिथिला विश्वविद्यालय

800. श्री जगन्नाथ मिश्र :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा में "मिथिला विश्वविद्यालय" खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विश्वविद्यालय में कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). मामला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ।

चौथी योजना में ग्रामीण विकास के लिए मार्गदर्शी योजनाएं

801. श्री निहार लास्कर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने सूखे से निरन्तर प्रभावित क्षेत्रों में लघु कृषक विभाग एजेंसी और ग्रामीण निर्माण-कार्य कार्यक्रम जैसी कुछ मार्गदर्शी योजनाएं और ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत-कार्यक्रम आरम्भ कर रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन मार्गदर्शी योजनाओं के लक्ष्य चौथी योजना अवधि में प्राप्त हो जायेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) ये सब योजनायें हाल ही में शुरू की गई हैं, अत: अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि व्यावहारिक तथा वित्तीय रूप में इन योजनाओं के लिये निर्धारित लक्ष्य चौथी योजनावधि के दौरान प्राप्त हो जायेंगे ।

विवरण

(i) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम : देश के बारम्बार सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिये सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (जिसे पहले ग्राम-निर्माण कार्यक्रम कहा जाता था) की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना 100 करोड़ के कुल परिव्यय से चौथी योजनावधि के दौरान वित्तीय वर्ष 1970-71 से प्रारम्भ की गई थी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रम-सघन तथा मध्यम/लघु सिचाई, मृदा सरक्षण, बन-रोपण तथा ग्रामीण सड़क, आदि उत्पादनोन्मुखी योजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए 54 जिले चुने गये थे । आशा है चौथी योजनावधि के दौरान प्रत्येक जिले को स्वीकृत योजनाओं के लिये 2 करोड़ रुपये की कुल सहायता प्राप्त होगी । यद्यपि, इस समय योजना से ठीक रोजगार की सम्भाव्यता का पता लगाना कठिन है फिर भी आशा है कि 1 करोड़ रुपये के कुल व्यय से तत्सम्बन्धी कार्य के मौसम में 25,000 से 30,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ।

(ii) **लघु कृषक विकास एजेन्सी** लघु कृषक विकास एजेन्सी की स्थापना सम्बन्धी योजना सामान्यत: 2.5 से 5.0 एकड़ तक के सम्भाव्य क्षमता वाले छोटे कृषकों के लाभ के लिये मुख्यत तैयार की गई थी। आशा है कि प्रत्येक एजेन्सी सहकारिता तथा अन्य अवस्थापना को सुदृढ़ करने तथा पशु-पालन, लघु सिंचाई एवं कुक्कुट-पालन आदि के लिये पर्याप्त शर्त के ऋणों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में जमानत के अन्तर को पूरा करने के लिये लाभ न्वित व्यक्तियों को राज-सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में 1.50 करोड़ रुपये की कुल सहायता प्राप्त करेगी। सम्भावना है कि प्रत्येक एजेन्सी ऐसे 50,000 कृषकों को लाभ प्रदान करेगी।

(iii) **त्वरित कार्यक्रम** : इस योजना के मूल उद्देश्य श्रम-सघन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से देश के सब ग्रामीण जिलों में रोजगार को सीधे प्रदान करना तथा स्थानीय विकास योजनाओं के अनुरूप स्थानीय स्वरूप की परिसम्पत्तियां तैयार करना है। यह योजना प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से वर्तमान वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ की गई है। कुल वित्तीय संसाधनों का 70 प्रतिशत मजदूरी की अदायगी तथा शेष 30 प्रतिशत परियोजना के कार्यान्वयन के लिये सामग्री तथा उपकरणों के लिये प्रदान किया जाता है। यह प्रत्येक जिले के अत्यधिक अभावग्रस्त परिवारों के औसतन 1000 व्यक्तियों को वर्ष के विभिन्न अवधियों में (अधिकतम 10 मास तक) रोजगार भी प्रदान करेगी।

साधारण रूप में अविकसित व्यक्तियों की समस्या

802. **श्री निहार लास्कर :**

श्री मुहम्द शरीफ :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "साधारण रूप में अविकसित" लोगों को रिक्त स्थानों में सीमित स्तर पर रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) भारत में साधारण रूप से अविकसित वयस्कों की समस्या का समाधान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) विकलांग व्यक्तियों के लिये 9 विशेष रोजगार कार्यालय मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिलाते हैं।

(ख) भारत सरकार नई दिल्ली में मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों के लिये एक विस्तृत राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की चेष्टा कर रही है। केन्द्र मानसिक रूप से अविकसित किशोरों को कुछ सेवाएं प्रदान करेगा।

पंचायत राज चुनाव तथा पंचायत राज संस्थाओं की समीक्षा

803. **श्री निहार लास्कर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से देश में पंचायती राज चुनाव शीघ्र से शीघ्र करवाने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के कार्य-करण की समीक्षा करने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त आयोग गठित करने के बारे में अपने वचन को पूरा नहीं किया है ; और

(ग यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पंचायती राज चुनाव कब होंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रो० शेर सिंह) : (क) अखिल भारतीय पचायत परिषद ने इस विषय में केन्द्रीय सरकार को नहीं लिखा है। तथापि, यह मामला 28 जनवरी, 1972 को हुई सामुदायिक विकास और पंचायती राज सम्बन्धी सलाहकार परिषद की गत बैठक में चर्चा के दौरान उठाया गया था।

(ख) यह सूचना तारांकित प्रश्न संख्या 90, जिसका उत्तर 20 मार्च 1972 को दिया जाना है, के उत्तर में दे दी गई है।

(ग) उच्चाधिकार आयोग स्थापित करने में हुए विलम्ब के कारण ऊपर उल्लिखित तारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर में स्पष्ट किए गए हैं। पंचायतीराज चुनावों की तिथियां राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय कानूनों के अनुसार नियत की जाती हैं। उन्हें सलाह दी गई है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अनावश्यक रूप से विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

निवास स्थान तथा स्कूल के बीच अधिक दूरी से प्रभावित अध्यापिकायें

804. **श्री निहार लास्कर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब ऐसी अध्यापिकाओं की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है जिनके निवास स्थान उनके स्कूलों से 40 किलोमीटर से भी अधिक दूर हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी अध्यापिकाओं को उनके निवास स्थान के समीप वाले स्कूलों में स्थानान्तरित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख). अध्यापकों के तबादले से सम्बन्धित दिल्ली प्रशासन के वर्तमान आदेशों के अधीन, अध्यापकों को जहां तक सम्भव हो सके, उनके निवास स्थान के निकट ही नियुक्त किया जाता है।

Seminar on Family Planning in Japan

805. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) whether a few Officers selected from the different States of country are being sent by the Central Government to take part in the seminar on Family Planning being held in Japan in the coming months ; and

(b) if so, the status of these Officers along with designation of each Officer ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) The Department of Family Planning have not so far received any proposal from the Government of Japan for participation in the Family Planning Seminar to be held in Japan in the coming months.

(b) Does not arise.

Sale Price of Fertiliser

806. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the reason for the sale of fertiliser in the country on a price higher than the fixed one ; and

(b) the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b). At present, there is no statutory price control on fartilisers, except on the retail prices of three important fertilisers namely Urea, Ammonium Sulphate and Calcium Ammonium Nitrate, and if there are any cases of sale of these three fertilisers above the statutorily fixed prices, they are liable to prosecution under the provisions of the Fertiliser (Control) Order. State Governments take action to prosecute offenders whenever such cases are brought to their notice. The State Government also have Inspectors of Fertilisers to check up on the prices and quality of fertilisers, and to ensure that prices and quality conform to those notified under the Ferrtiliser Control Order.

Despatch of Wheat from Ports to Godowns

807. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether million tonnes of wheat is lying at different ports of the country since December, 1971 and no arrangement has so far been made to despatch it to the various godowns in the country ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to remove the above mentioned wheat from ports ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b). Towards the end of December, 1971, and on 1st March, 1972, the stock of wheat in the ports was only about 56,000 and 20,000 tonnes, respectively. With the cessation of imports of wheat, the stock of wheat in the food storage depots in the port towns is required for local consumption. As and when despatches to other areas become necessary, these are being arranged, promptly.

रबी की फसल के लिये मूल्य समर्थक नीति

808. **श्री हरी सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबी की फसल की खरीद से पूर्व खाद्यान्न सम्बन्धी मूल्य समर्थक नीति में कुछ परिवर्तन करने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां तो परिवर्तन क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). प्रत्येक कटाई-मौसम के शुरू होने से पूर्व घोषित अधिप्राप्ति मूल्यों पर किसानों को सहारा मूल्य देना सरकार की नीति है। पूर्ववत अगले महीने के शुरू में राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श कर 1972-73 के रबी विपणन मौसम की मूल्य-नीति तैयार की जाएगी।

गांवों में रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम की असन्तोषजनक प्रगति के बारे में राज्य मंत्री का वक्तव्य

809. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शेर सिंह ने गांवों में रोजगार के लिए केन्द्रीय सरकार के द्रुत कार्यक्रम की "असन्तोषजनक प्रगति" के बारे में हाल ही में सार्वजनिक रूप से शिकायत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). ग्राम रोजगार की त्वरित योजना को कार्यान्वित करने के बारे में 17 से 19 फरवरी, 1972 को एक सेमीनार एवं वर्कशाप आयोजित की गई थी। सेमीनार एवं वर्कशाप का उद्घाटन करते हुए मंत्री महोदय ने राज्यों तथा केन्द्र-शासित क्षेत्रों की सरकारों के प्रतिनिधियों का ध्यान अब तक हुई प्रगति की ओर आकर्षित किया था। यह कार्यक्रम का प्रथम वर्ष होने की वजह से राज्यों तथा केन्द्र-शासित क्षेत्रों की सरकारों को सन्तोषप्रद प्रस्ताव तैयार करने तथा आवश्यक तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत प्रबन्धों की व्यवस्था करने में कुछ समय लगा। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष बरसात पहले आरम्भ हुई और अक्तूबर तक जारी रही। अतः योजना के कार्यान्वयन के लिए वास्तविक कार्यकाल घटकर केवल छः महीने रह गया। मंत्री महोदय ने राज्य सरकारों पर इस बात की वांछनीयता पर बल दिया था कि पूरे वर्ष के लिए नियत लक्ष्यों की पूर्ति की जाए।

केरल में जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की क्रियान्विति

810. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जनजातियों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार केरल के वितांड क्षेत्र में जनजातियों के लिए कुछ और बस्तियां और रिहायशी स्कूल स्थापित करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क)

मैट्रिकोर छात्रवृत्तियां।
लड़कियों के छात्रावास।
आदिमजाति विकास खण्ड।
सहकारिता।
अनुसंधान तथा प्रशिक्षण।

(ख) जी, नहीं।

स्कूल जाने से पूर्व बच्चों के कल्याण के लिये अध्ययन दल

811. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल जाने से पूर्व बच्चों के कल्याण के बारे में नियुक्त अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बात क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां। रिपोर्ट 7 फरवरी, 1972 को प्रस्तुत की गई थी।

(ख) रिपोर्ट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) शिक्षा के अवसरों में समानता लाने के लिए एक ऐसी समेकित सेवा की व्यवस्था एक-महत्वपूर्ण कार्य क्रम है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, तथा स्कूल जाने से पूर्व बच्चों का कल्याण शामिल है।

(2) ऐसी सेवाओं का जिससे इस समय दस लाख के लगभग बच्चे लाभ उठा रहे हैं, तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए, जिसके चौथी योजना के अन्त तक 20 लाख बच्चों को तथा 1981 तक 50 लाख बच्चों को अथवा 3-5 आयु वर्ग के बच्चों के 10% को लाभ पहुँचाया जा सके।

(3) स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल संचालनात्मक नमूनों का विकास किया जाना चाहिए।

(4) कार्यक्रमों के लिए आवश्यक विभिन्न वर्गों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(5) शिक्षण सामग्री तथा आवश्यक उपस्करों का बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाना चाहिए तथा अपेक्षित निर्देशन और पर्यवेक्षण सेवाएं स्थापित की जानी चाहिए।

(6) कार्मिकों, सामग्री तथा निधियों के रूप में स्थानीय समुदायों को साधनों को पूरी तरह से उपयोग में लाया जाना चाहिए।

संकर किस्म के टेपिओका का विकास

812. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम स्थित सेन्ट्रल ट्यूबर कारपोरेशन रिसर्च इंस्टिट्यूट ने टेपियोका की तीन संकर किस्मों का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उक्त किस्में खेती के लिए उपलब्ध हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) टेपियोका की विकसित 3 संकर किस्में एच० 97, एच 165 और एच 226 हैं। इन संकर किस्मों ने विभिन्न स्थानों पर स्थानीय किस्मों और एम-4 की तुलना में निरन्तर रूप से काफी अधिक उपज दी है। एम-4 की प्रति हेक्टार 15-20 मीटरी टन की उपज की तुलना में एच 97 की 35 मीटरी टन और एच 165 की 40 मीटरी टन प्रति हैक्टार औसत उपज रही है।

(ग) इन किस्मों की पौद सामग्री काश्त के लिए उपलब्ध है और उसे राज्यों के कृषि विभागों द्वारा बांटा जायेगा।

चिटगांव के निकट एक माल वाहक जहाज (विश्वकुसुम) में अग्नि विस्फोटक के कारण हुई क्षति

813. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय मालवाहक जहाज 'विश्वकुसुम' में अचानक विस्फोट होने और आग लग जाने के कारण उसे चिटगांव के निकट त्याग दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो विस्फोट और आग लगने के कारण क्या थे ; और

(ग) भारतीय नौवहन निगम को, जिनका वह जहाज था, अनुमानत: कितनी हानि हुई है?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). चिटगांव को जा रहे बंगला देश के लिए उर्वरक पदार्थ ले जाते हुए शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के भारतीय भारवाहक जहाज एम० वी० 'विश्व कुसुम' के फलका संख्या 2 में उस समय एक विस्फोट हुआ जब वह कलकत्ता के लिये अपनी वापसी यात्रा पर पहुंच जलमार्ग में था। इस विस्फोटक के परिणामस्वरूप, जहाज के जमने को भारी क्षति पहुंची। उपर्युक्त परिस्थितियो में मास्टर ने जहाज छोड़ दिये और सौभाग्य से सारा कर्मीदल सुरक्षित रहा। विस्फोट का सबसे संभाव्य कारण एक बारूदी सुरंग का फटना था जो कि बांधने की तार तोड़ कर उसके मार्ग मे आ गई थी।

(ग) शिपिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया उपर्युक्त दुर्घटना के कारण होने वाली क्षति का अनुमान लगा रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को अनुदान देने की कसौटी

815. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान देने के सम्बन्ध में क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण तथा विकास अनुदान तथा राज्य विश्वविद्यालयो को विकास अनुदान देता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदानो का निर्णय, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयो को विकास अनुदानों का विनिधान आम तौर पर आयोजना अवधि के लिए, आयोग द्वारा नियुक्त निरीक्षण समितियों द्वारा विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं के निर्धारण के बाद किया जाता है। विश्वविद्यालयों को विकास अनुदानों का विनिधान करते समय, आयोग इन तथ्यों को ध्यान मे रखता है (1) विश्वविद्यालय का स्थायित्व (2) उसके विकास की अवस्था (3) छात्रों की सख्या (4) विकास सम्बन्धी आवश्यकतायें (5) उसके विकास के लिए तैयार की गई योजनाये और (6) आयोग के पास उपलब्ध निधियां।

आयोग, छात्रवृत्तियां और अधिछात्रवृत्तियां, ग्रीष्म संस्थान, सेमिनार तथा सम्मेलन जैसे प्रायोजित विकास कार्यक्रमों और छात्र-सहायता-निधि, छात्र अध्ययन गृह और भौतिक सुविधाओं में सुधार आदि जैसे छात्र कल्याण कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता भी करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन

816. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पुनर्गठन के बारे में 4 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1319 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयोग का पुनर्गठन इस बीच पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) (ख). मामला सरकार के विचाराधीन है ।

Scheme for Development of Patna Town

817. **Shri Ramavatar Shastri** : will the Minister of works and Housing be pleased to state :

(a) whether the Bihar Government have prepared a scheme for the development of Patna town

(b) if so, the salient features thereof ;

(c) whether the Bihar Government have demanded any financial assistance also from the Central Government for that purpose ; and

(d) if so, the decision taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). The Government of Bihar prepared a Master Plan for Patna, which was published in 1968, to fulfil the following broad objectives :--

(i) To provide healthy living environment and adequate work opportunities to all residents.

(ii) To ensure that the future development of the city will provide for the basic requirements like shops, schools, open spaces, recreational facilities, despensaries, welfare centres, etc.

(iii) To redevelop and renew the existing slums and blighted areas.

(iv) To evolve a system of roads with proper width, alignment and design which would facilitate efficient and safe commutation.

(c) and (d). Under the Centrally sponsored scheme for preparation of master plan (which was started in the Third Five Year Plan), hundred per cent grant assistance was given to the Government of Bihar for the preparation of Master Plan for Patna.

दिल्ली में ग्रुप आवास योजना के अंतर्गत गृह निर्माण समितियों को भूमि का आवंटन

818. **श्री राजदेव सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1968 से ग्रुप आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकृत की गई 47 गृह निर्माण समितियों को कोई भूमि आवंटित न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) भूमि का आवंटन करने के लिए इन समितियों के मामलों की छानबीन में अब तक क्या प्रगति हुई हैं ; और

(ग) इन समितियों को भूमि कब तक आवंटित की जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग). केवल फरवरी, 1970 में ही नई सहकारी निर्माण आवास निर्माण समितियों को ग्रुप हाऊसिंग के आधार पर पंजीकृत करने तथा पूर्व पजीकृत समितियों को 'ग्रुप हाऊसिंग' के आधार पर विकल्प देने का निर्णय किया गया था । समितियों को ग्रुप हाऊसिंग के आधार पर भूमि के आवंटन का प्रश्न विचाराधीन था, तथा आवास निर्माण समितियों को ग्रुप हाऊसिंग के आधार पर भूमि के आवंटन के बारे में नीति का निर्णय जनवरी, 1972 में लिया गया था । नीति सम्बन्धी निर्णय के अनुसरण में उन्हें भूमि का आवंटन करने से पूर्व, प्रत्येक

समिति के मामले पर विचार किया जाता है। समितियों को भूमि आवंटित किये जाने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

दिल्ली में गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूमि का आवंटन

819. **श्री राजदेव सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री 19 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5202 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में, 1961 से पूर्व पंजीकृत 32 गृह निर्माण सहकारी समितियों के भूमि आवंटन सम्बन्धी मामलों की छानबीन कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उन्हें दिल्ली में कब तक भूमि आवंटित कर दी जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). 32 में से 29 समितियों से यह बताने का अनुरोध किया कि क्या ग्रुप हाऊसिंग के आधार पर भूमि के आवंटन में उनकी रुचि है। 17 समितियों से उत्तर प्राप्त हो गया है। शेष समितियों से उत्तर प्राप्त होने के बाद, उन्हें आवंटन करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित कर दिये जायेंगे।

तीन में से एक समिति का मामला न्यायालय के विचाराधीन है। शेष 2 समितियों के मामलों पर कार्यवाही की जा रही है।

परिवार नियोजन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

820. **श्री राजदेव सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा संघ आगामी मास नई दिल्ली में परिवार नियोजन पर एक पांच दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है ; और

(ख) क्या उक्त सम्मेलन में इस अभियान के प्रलोभक उपाय तक सीमित न रहकर इस अभियान के शिक्षाप्रद पहलू पर चर्चा की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रोफेसर डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारतीय चिकित्सा संघ, नई दिल्ली, द्वारा प्रायोजित परिवार नियोजन सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 12 से 16 मार्च तक आयोजित किया गया था।

(ख) इस सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार किया गया वे इस प्रकार हैं :—

1. चिकित्सा व्यवसाय तथा परिवार कल्याण नियोजन।
2. परिवार नियोजन के तरीके तथा जनन सम्बन्धी पहलू।
3. परिवार कल्याण नियोजन के शैक्षिक, जनांकिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कानूनी तथा मनोवैज्ञानिक पहलू।
4. परिवार नियोजन सेवाओं का प्रशासन तथा संगठन।
5. गर्भ-समापन।

'कैप स्टोरेज' प्रणाली और रक्षित भंडार में वृद्धि

821. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कैप स्टोरेज' प्रणाली चिर-स्थायी सिद्ध हुई है या नहीं ; और

(ख) क्या सरकार रक्षित भण्डार को वर्ष प्रति वर्ष बढ़ाने का विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पिछले रबी अधिप्राप्ति सीजन से 'कैप' स्टोरेज प्रणाली को लागू किया गया है। खाद्यान्नों के भण्डारण का यह नया तरीका अब तक सफल रहा है।

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना में खाद्यान्नों का 50 लाख मी० टन का बफर स्टाक बनाने के लक्ष्य को पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। इस लक्ष्य को और बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

बहराइच, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम की मंजूरी

822. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ख) वास्तव में अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) उस योजना का कुल कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वर्ष 1971-72 के लिए 12.50 लाख रुपए।

(ख) श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने पर 31-1-72 तक 3,39,664 रु० व्यय किए गए। (सामग्री तथा उपकरणों पर हुए व्यय का पता नहीं है)।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत 31-1-1972 तक 1,27,247 श्रमदिवसों का रोजगार पैदा किया गया।

भारत से दक्षिण अमरीका के पूर्वी तट तक नियमित मालवाहक जहाज सेवा

823. **श्री राजदेव सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम भारत से दक्षिण अमरीका के पूर्वी तट तक नियमित मालवाहक जहाज सेवा आरम्भ करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहा है ;

(ख) क्या बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भी सरकार व्यापारी जहाजों का टनभार बढ़ाने के लिये विचार कर रही है ; और

(ग) 5 महाद्वीपों में उन पत्तनों के नाम क्या है वहां हमारे भारती व्यापारी जहाज जाते हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) पांच महाद्वीपों के मुख्य पत्तन जहां भारतीय जहाज जाते हैं वे इस प्रकार हैं :—

अमेरिका : (1) न्यूयार्क (2) फिलडलफिया (3) बाल्टीमार (4) नारफाक (5) चार्लसटन (6) सावना (7) न्यू ओरलेन्स (8) होस्टन (9) नलफास्टन (10) बेराक्रुज (11) बोस्टन (12) हेलीफेक्स (13) सेंट जोन (14) डेटोइट (15) शिकागो (16) मिलवौकी (17) डूलूथ (18) मान्ट्रियल (19) सिल्का (20) केतचिकन (21) वेन्कोवर (22) सीटल (23) लाकोमा (24) पोर्टलेंड (25) सेनफ्रांसिस्को (26) सनडीगा (27) लास ऐंजिल्स।

यूरोप : (1) लन्दन (2) हल (3) मिडिल बरा (4) न्यू कासिल (5) डन्डो (6) ग्लासगो (7) लिवरपुल (8) पार्ट्समाउथ (9) दीनिया (10) दन क (11) जसिन (12) रास्काट (13) हम्बर्ग (14) ब्रेमेन (15) राटरडाम (16) एन्टवर्प (17) डनकिर्क (18) जिनेवा (19) मारसेलीज (20) वेनिस (21) रिजेका (22) कान्स्टान्जा (23) इस्टान्बुल (24) ओडसा (25) नावोरोसिस्क (26) तूप्रापसे

एशिया : (1) बेरूत (2) जद्दा (3) अदन (4) अबुधाबी (5) बेहरिन (6) कुवैत (7) बसरा (8) खुर्रमशहर (9) दुबाई (10) रंगून (11) पनांग (12) पार्ट स्वेटनहम (13) सिंगापुर (14) जकार्ता (15) सूराबया (16) बेंकाक (17) हांगकांग (18) हावोशियुंग (19) कीलुंग (20) आसाका (21) नगोया (22) कोबे (23) याकोहामा (24) कोलम्बो (25) चलना (26) चित्तागांग (27) पोर्ट लूई

आस्ट्रेलिया : (1) फ्रीमेन्टल (2) एडेलड (3) सीडनी (4) मेलबोर्न (5) ब्रिसबेन (6) हावर्ट

अफ्रीका : (1) एलवजड्रिया (2) पोर्ट सइद (3) पोर्ट सूडान (4) अस्सब (5) जीवांती (6) मोम्बासा (7) जन्जीबार (8) दारे सलाम (9) अकरा (10) फ्री टाउन

Requirement of Drinking Water Wells for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

824. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) the number of wells for drinking water required for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the whole country ; and

(b) the time, by which this requirement would be met ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b). It is not possible to indicate the number of wells for drinking water required for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the whole country. However, efforts are being made to ensure that drinking water facilities are provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each village. Under the Backward Classes Sector funds have been provided under State Sector for drinking water schemes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and under Central Sector funds in the Tribal Development Blocks are also utilised for drinking water facilities. The schemes in backward classes sector are supplemental to the drinking water schemes in the Central Sector.

Accommodation Requirements of Government Employees

825. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) the number of Central Government employees living in the urban and rural areas who need accommodation at present ;

(b) the number of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes out of this ; and

(c) the time by which the accommodation requirement would be met ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). No statistical data in respect of such employees are available.

(c) To meet the need for residentiel accommodation of their employees, Goverament have a continuing programme of construction. The programme depends upon the availability of funds, building materials, land and technical capacity. No time limit can be set for fulfilling the requirements of accommodation.

तिब्बती अंग्रेजी शब्द कोष का मुद्रण

826. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र ही भारत में एक तिब्बती अंग्रेजी शब्द-कोष छापा जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो शब्द-कोष के मुद्रण के लिए भारत सरकार ने किस प्रकार की सहायता दी ;

(ग) क्या हिन्दी-तिब्बती शब्द-कोष को छापने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो मोटे तौर पर उसकी रूप-रेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० नुरुल हसन) : (क) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय का तिब्बती अंग्रेजी शब्दकोष तैयार करने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों के आवास मन्त्रियों की बैठक

827. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1972 में राज्यों के आवास मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की जा रही है, और यदि हां, तो बैठक में किन विषयों पर विचार-विमर्श किया जायेगा ;

(ख) क्या ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों की दशा में सुधार करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कुछ योजनायें भी भेजी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा खच किस प्रकार वहन किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) राज्य आवास मंत्रियों की एक बैठक ग्रामीण आवास, गन्दी बस्ती उन्मूलन तथा गन्दी बस्ती सुधार

योजनाओं पर विचार करने और उन्हें शीघ्र कार्यान्वित करने हेतु शीघ्र बुलाये जाने की सम्भावना है।

(ख) तथा (ग). ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों की स्थिति के सुधार के लिये, इस प्रकार की कोई भी योजना किसी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कामगारों को आवास-स्थल देने के लिए, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल तथा मैसूर से परियोजनायें प्राप्त हुई हैं। योजना में राज्य सरकारों को कतिपय शर्तों के अधीन शत प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था है।

10 लाख से ऊपर की जनसंख्या के महानगरों में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से परियोजनायें भी प्राप्त हुई हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को शत प्रतिशत सहायता देने का प्रस्ताव है।

जनवरी, 1972 में कोलम्बो और तूतीकोरिन के बीच एक जहाज का लापता होना

828. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 जनवरी, 1972 को जो जहाज कोलम्बो से तूतीकोरिन के लिए रवाना हुआ था, वह अभी भी लापता है ;

(ख) यदि हां, तो उस जहाज के चालकों का क्या ब्यौरा है;

(ग) जहाज का पता लगाने के लिए भारतीय नौसुना द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं; और

(घ) क्या इस मामले की जांच करने के लिए सरकार ने कोई जांच समिति नियुक्त की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). जी नहीं। एक जहाज नं० टी०टी०एन०—89 जो तूतीकोरिन बन्दरगाह पर रजिस्टर हुआ था और जिस में 12 कार्मिक थे 7 जनवरी, 1972 को कोलम्बो से तूतीकोरिन के लिए रवाना हुआ। वह मिनिकोय द्वीपों की ओर चला गला और लापता हो गया। बाद में वह 21-2-1972 को कालीकट पहुँच गया। जहाज में सभी 12 कार्मिक सुरक्षित पाये गये।

(ग) जल परिवहन विभाग के अनुरोध पर भारतीय नौसेना जहाज की हवाई खोज की व्यवस्था की।

(घ) सरकार ने किसी जांच समिति की स्थापना नहीं की है। परन्तु व्यापार पोत अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत कालीकट के पत्तन अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जांच की जा रही है।

वर्ष 1971 के अन्त में चीनी का स्टाक

829. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 के अन्त में कारखानों में चीनी का स्टाक देश की आवश्यकता से बहुत कम था ;

(ख) यदि हां, तो कम स्टाक रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में खपत के अनुरूप चीनी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग). किसी भी वर्ष में आन्तरिक खपत के लिए चीनी की आवश्यकता को पिछले सीजन के इतिशेष स्टाक से और चालू वर्ष के उत्पादन से पूरा किया जाता है। चीनी वर्ष 1970-71 के अन्त में (30-9-71 को समाप्त होने वाला) चीनी का इतिशेष स्टाक 1969-70 के स्टाक से लगभग 6.8 लाख मी० टन कम था क्योंकि 1970-71 में चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष के रिकार्ड उत्पादन से लगभग 5.2 लाख मी० टन कम हुआ था और खपत में भी वृद्धि हुई थी।

सरकार ने 1971-72 में चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए हैं :—

1—चीनी उद्योग से गन्ने का अधिक मूल्य देने के लिए कहा गया था ताकि न केवल चालू पिराई सीजन में गन्ने की अधिक सप्लाई हो सके बल्कि गन्ना उत्पादकों को आगामी सीजन में गन्ने के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

2—चीनी पर लगे उत्पादन शुल्क में निम्न प्रकार की छूट दी गई है :

(i) कारखाने द्वारा पहली अक्तूबर, 1971 से 30 नवम्बर, 1971 की अवधि में उत्पादित चीनी की मात्रा, सम्बन्धित कारखाने द्वारा 1970-71 की उसी अवधि में उत्पादित चीनी की 80 प्रतिशत मात्रा से अधिक चीनी के उत्पादन पर——

17 रुपये प्रति क्विंटल।

(ii) पहली दिसम्बर, 1971 से 30 सितम्बर, 1972 की अवधि में उत्पादित चीनी की मात्रा उसी कारखाने द्वारा 1970-71 की उसी अवधि में उत्पादित चीनी की 80 प्रतिशत मात्रा से अधिक चीनी के उत्पादन पर——

16 रुपये प्रति क्विंटल।

3—राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे चीनी कारखानों के क्षेत्रों के 10 मील की परिधि के अन्दर नये शक्ति चालित कोल्हुओं और खण्डसारी यूनिटों की स्थापना पर प्रतिबंध लगाने और इन क्षेत्रों में मौजूदा शक्तिचालित कोल्हुओं तथा खंडसारी यूनिटों के कार्यचालन पर भी प्रतिबंध लगाने की वांछनीयता पर विचार करें।

4—गुड़ के मूल्य में काल्पनिक वृद्धि को समाप्त करने के उद्देश्य से 18 अक्तूबर, 1971 से गुड़ के वायदा व्यापार को समाप्त कर दिया गया है ।

5—खण्डसारी के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ।

अन्तिम दो उपाय गन्ने का प्रयोग चीनी के उत्पादन की बजाय अन्य प्रयोजनों में करने के लिए रोकने हेतु किए गए थे ।

केरल ग्रन्थशाला संगम द्वारा चलाये जा रहे पुस्तकालयों को सहायता

830. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में केरल ग्रन्थशाला संगम द्वारा चलाये जा रहे पुस्तकालयों से सम्बद्ध 72 हरिजनों और नर्सरी सेक्शनों को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को केरल ग्रन्थशाला संगम से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). हरिजन बस्तियों में चलाये जाने वाले 72 पुस्तकालयों को केरल ग्रन्थशाला संगम, त्रिवेन्द्रम ने बिहार सरकार, हरिजन कल्याण विभाग से ले लिया है । संगम ने पुस्तकाध्यक्षों का प्रशिक्षण आदि और पुस्तकालयों के सुधार और अनुरक्षण के लिए 9,89,080 रुपये (5 वर्ष की अवधि से अधिक समय तक विकसित) के सहायक अनुदान के लिए निवेदन किया है । अनुमान निम्न प्रकार हैं :—

	रुपये
1. भवन निर्माण, फर्नीचर और पुस्तकें	7,34,400 (अनावर्ती)
2. पुस्तकाध्यक्षों को प्रशिक्षण, उनको अतिरिक्त भत्ता, समाचार-पत्र तथा पत्रिकाएं आदि	2,54,680 (आवर्ती)
	9,89,080.00

केवल अखिल भारतीय आकार के स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सहायक अनुदान के लिए की गई प्रार्थनाओं पर विचार किया जाता है । संगम स्थानीय संस्था होने के कारण केन्द्रीय सरकार से अनुदान पाने की पात्र नहीं है ।

केरल ग्रन्थशाला संगम को वित्तीय सहायता

831. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वित्तीय सहायता देने के बारे में केरल ग्रन्थशाला संगम, त्रिवेन्द्रम से हाल में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) केरल ग्रन्थशाला संगम, त्रिवेन्द्रम ने हरिजन बस्तियों में चलाये जाने वाले 72 पुस्तकालयों को बिहार सरकार, हरिजन कल्याण विभाग से ले लिया है । संगम ने पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण आदि और पुस्तकालयों के सुधार एवं अनुरक्षण के लिए 9,89,080 रुपये (5 वर्ष की अवधि से अधिक समय तक विकसित) के सहायक अनुदान हेतु निवेदन किया है । अनुमान निम्न प्रकार है :—

	रुपये
1. भवन निर्माण, फर्नीचर और पुस्तकें	7,34,400 (अनावर्ती)
2. पुस्तकाध्यक्षों को प्रशिक्षण उनको अतिरिक्त भत्ता, समाचार-पत्र तथा पत्रिकाएं आदि ।	2,54,680 (आवर्ती)
	9,89,080 00

केवल अखिल भारतीय आकार के स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सहायक अनुदान के लिए की गई प्रार्थनाओं पर विचार किया जाता है । संगम स्थानीय संस्था होने के कारण केन्द्रीय सरकार से अनुदान पाने की पात्र नहीं है ।

कोचीन की गौण बन्दरगाह के रूप में एलेप्पी बन्दरगाह के विकास के लिए केरल सरकार से प्रस्ताव

832. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, कोचीन की गौण बन्दरगाह के रूप में एलेप्पी बन्दरगाह विकास के लिए, केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है और केन्द्रीय सरकार ने उसमें क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि एलेप्पी का लघु पत्तन कोचीन का उप सहायक

पत्तन के रूप में विकास किया जाये जिससे एलेप्पी को यातायात मोड़ना सम्भव हो सके जब कभी साफ मौसम के दौरान कोचीन भीड़ भाड़ हो। परन्तु, इस समय साफ मौसम में कोचीन पत्तन में कोई भीड़ भाड़ नहीं है। व्यापारियों को पूर्ण रूप से स्वतत्रता है कि वे या तो कोचीन या एलेप्पी का उपयोग करें। यह भी नोट कर लिया जाये कि कोचीन पत्तन बहुत से श्रमिकों को रोजगार देता है और विकसित कोचीन पत्तन में बड़ी पूंजी लगाई गई है।

चिकित्सीय सहायता के लिए स्वयसेवी अभिकरणों का विकास

833. **श्री कामाली पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सीय सहायता कार्य के लिए स्वयसेवी अधिकरणों के जोरदार विकास की आवश्यकता है ;

(ख) देश में काम कर रहे ऐसे अधिकरणों की सख्या कितनी है और सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का स्वरूप क्या है ; और

(ग) वे अभिकरण अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकें इसके लिए सहायता देने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी हां।

(ख) देश में सेवा भाव से काम कर रही चिकित्सा संस्थाओं की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है। वैसे प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों की संख्या जिनके बारे में सरकार जानती है, 744 है। क्षय रोग, कैंसर का इलाज करने वाली तथा अन्य स्वैच्छित चिकित्सा संस्थाओं को सहायता स्वरूप अनुदान की योजना के अन्तर्गत ऐसी संस्थाओं को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनावर्ती खर्च के हेतु उपयुक्त अनुदान दिये जाते हैं।

(क) बीमारियों के इलाज के लिए अपेक्षित अनिवार्य अस्पतालों उपकरण की खरीद के लिए (इसमें फिटिंग की वस्तुएं फर्नीचर उपभोग्य सामग्री सम्मिलित नहीं है) उदाहरणार्थ एक्स-रे प्लांट, स्टेरीलाइजर आपरेशन थियेटर के उपकरण, अस्पताली पलंग, पलंगों के साथ वाले लाकर, एम्बुलेंस, सर्जरी का सामान, और प्रयोगशाला उपकरण। शर्त यह है कि इसमें कोई विदेशी मुद्रा का खर्च निहित न हो—100 प्रतिशत।

(ख) निर्धन व्यक्तियों के लिए अस्पताली सुविधाओं में विस्तार करने के निमित्त किये जाने वाले अतिरिक्त निर्माण कार्यों, आपरेशन थियेटर के निर्माण, गरीबों के लिए एक्स-रे और अथवा प्रयोगशाला ब्लाक और बार्ड बनाने के लिए—अनुमानित लागत का 50 प्रतिशत—

(II) संघ शासित क्षेत्रों में सेवा भाव से काम करने वाली संस्थाओं के गैर प्रशासकीय आवर्ती खर्च में हुए 50 प्रतिशत घाटे को पूरा करने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है।

(III) अपनी अपनी संस्थाओं के आसपास वाले क्षेत्रों के कुष्ठ रोगियों का सर्वेक्षण और उनके घरों पर उनका उपचार करने के लिये निर्धारित शर्तों पर ऐसी संस्थाओं/संगठनों को आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान दिये जाते हैं।

(ग) दूरस्थ क्षेत्रों में अथवा ग्राम क्षेत्रों में नये अस्पताल खोलने के लिए ऐसी स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों को एक-तिहायी आधार पर सहायता स्वरूप अनुदान देने की एक योजना तैयार की जा रही है इस योजना के अनुसार ऐसी परियोजनाओं का खर्च केंद्रीय सरकार राज्य सरकार और सम्बन्धित संस्था बराबर बराबर वहन करेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण

834. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा स्नातकों की बेरोजगारी हल करने के लिए देश में स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर तथा त्रिपुरा में वन परिरक्षण

835. **श्री बी० वी० नायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर (एन० डब्ल्यू०) और त्रिपुरा में वन क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों के दावों को देखते हुए वन परिरक्षण को विनियमित करने के लिए इस समय क्या नीति अपनाई जा रही है ; और

(ख) देश के प्रत्येक वन क्षेत्र में भूमिहीन किसानों की संख्या कितनी है और उनके लिये भूमि की व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से आवश्यक सूचना मांगी गई है और यथासंभव सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रुई का म्यूटेन्ट पता लगाने के लिये परमाणु टेक्नोलाजी का प्रयोग

836. **श्री बरके जार्ज** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिकों ने रुई के म्यूटेन्ट का पता लगाने के लिए परमाणु टेक्नोलाजी का प्रयोग किया है जिससे देश का वर्तमान रुई संकट समाप्त हो सके ;

(ख) क्या उक्त म्यूटेन्ट के पता लगाने से देश को लम्बे रेशे वाली रुई के आयात पर कम निर्भर रहना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) सत्य है कि भारतीय कृषि अनुसधान सस्था के वैज्ञानिकों ने अच्छी किस्म की कपास के म्यूटैन्ट का विकास करने के लिये परमाणु टेक्नोलाजी की सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। फिर भी, लघु, मध्यम तथा लम्बे रेशे की किस्म की कपास के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

(ख) यदि म्यूटैन्ट नियुक्त करने के लिए उपयुक्त हुआ तो इससे आयात-प्रतिस्थापन में सहायता मिलेगी। इस समय लम्बे रेशे की 7.14 लाख गाठें प्रति वर्ष आयात की जा रही है (अधिक लम्बे रेशे (-3/16 इच तथा इससे अधिक रेशे) की 3.21 लाख गांठें) तथा श्रेष्ठ लम्बी (34-37/32") एवं लम्बी (31' 33/32") रेशे की 3.93 लाख गांठें)। तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर ने एम०सी०यू०-5 नामक किस्म का विकास किया है, जो कि लम्बे रेशे तथा अच्छी किस्म की कताई के लिए है। परन्तु, यह किस्म केवल दक्षिण में ही उगाई जा सकती है, क्योंकि इसके पकने के लिए अधिक दीप्तिकाल की आवश्यकता है। अतः यह कपास के उत्तरी क्षेत्रों में उत्पादन के लिए अनुपयुक्त है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिकों ने एम०सी०यू०-5 के बीजों को दीप्तिमान किया है और एक म्यूटैंट का विकास किया है, जो मूल (एम०सी०यू०-5) की लम्बे रेशे की किस्म है, लेकिन इस पर 45-50 दिनों में फूल लगते हैं और यह 150 दिनों में परिपक्व हो जाती है। परीक्षण के लिये म्यूटैन्ट के बीजों को बढ़ाया जा रहा है।

(ग) अभी इसका अनुमान लगाना कठिन है।

कीटनाशी दवाइयों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता

837. **श्री नागेश्वर राव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि तथा बागवानी में प्रयोग की जाने वाली कीटनाशी दवाइयों के मामले में कौन-कौन से राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र आत्मनिर्भर हैं ; और

(ख) सरकार ने सब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों को इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश अपने वनस्पति रक्षण कार्यक्रम के लिए कीटनाशक औषधियों का पर्याप्त स्टाक रखते हैं और समय-समय पर उसमें वृद्धि करते हैं। किसानों को कीटनाशक औषधियों की आपूर्ति प्रत्यक्षरूप से राज्य एजेन्सियों द्वारा या सरकारी समितियों और गैर-सरकारी व्यापारिक संस्थाओं द्वारा की जाती है। तमिलनाडु को छोड़कर जहां कीटनाशक औषधियों का व्यापार 90 प्रतिशत से अधिक, राज्य क्षेत्र में होता है, अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में ये तीनों एजेन्सियां कार्य कर रही हैं। सन् 1971-72 के दौरान देशभर में कीटनाशक औषधियों की उपलब्धता और आपूर्ति स्थिति संतोषजनक रही है, किन्तु एन्ड्रिन, कारबरिल और एन्डोसल्फन आदि कुछ चुनी हुई आयातित कीटनाशक औषधियों की आकस्मिक रूप से कमी रही है।

(ख) निर्माण करने वाले एकक विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। सुनिश्चित करने वाली बात यह है कि प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में कीटनाशक औषधियां पर्याप्त मात्रा में और समय पर उपलब्ध हों। राज्य सरकारें प्रायः अपनी आवश्यकताओं का पहले ही अनुमान लगा

लेती हैं और विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से, जिनमें गैर-सरकारी व्यापारी भी सम्मिलित हैं, आपूर्ति का प्रबन्ध किया जाता है : कृषि तथा बागवानी उत्पादन का बढ़ान के लिए कीटनाशक औषधियों को अनिवार्य आदान समझा गया है और कीटनाशक औषधियां, जिनमें से इस समय 38 प्रकार की औषधियां तैयार की जा रही हैं, बनाने वाले उद्योग को भी प्राथमिक तथा आदर्श उद्योग समझा गया है और उत्पादन बढ़ान क लिए सभी प्रकार की सरकारी सहायता तथा प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि देश में कीटनाशक औषधियां पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जा सकें। अभी तक देश में तैयार न होने वाली कीटनाशक औषधियां पर्याप्त मात्रा में आयात की जा रही हैं।

दाल विकास परिषद्

838. **श्री नागेश्वर राव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दाल विकास परिषद् स्थापित करने के बारे में प्रेस विज्ञप्ति कब जारी की ;

(ख) इस परिषद् की वास्तव में कब स्थापना की गई : और

(ग) परिषद् के सदस्यों के नाम क्या हैं और उसके कृत्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). दाल विकास परिषद् को गठन के सम्बन्ध में 15-1-1970 को एक संकल्प अधिसूचित कर दिया गया है।

(ग) परिषद् की संरचना तथा कार्यों के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1459/7]

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् का प्रतिस्थापन

839. **श्री ए० एन० मुकर्जी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् कब से समाप्त हो गई है ;

(ख) क्या इसके स्थान पर सरकार को सलाह देने वाले एक निकाय के रूप में कोई व्यवस्था करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निकाय की कब स्थापना की जाएगी और इसका गठन किन मुख्य सिद्धान्तों पर किया जाएगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एम० रामस्वामी) : (क) 14-11-1970

(ख) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् का पुनर्गठन किया जा रहा है।

(ग) यह शीघ्र ही गठित की जाएगी तथा इसके गठन के नियत विचाराधीन है।

बिहार विधान सभा के एक सदस्य की कथित हत्या के बारे में

RE : ALLEGED MURDER OF A MEMBER OF BIHAR LAGISLATIVE ASSEMBLY

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : पटना में भारतीय साम्यवादी दल के एक विधायक की गोली मार कर हत्या कर दी गई। वह कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा कर जीते थे। केन्द्र इस सम्बन्ध में केन्दीय जांच ब्यूरो से जांच कराये।...व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : ऐसी निर्मम हत्या पर खेद है परन्तु राज्यों में अब मन्त्रीमडल कार्य करने लगे हैं। बिहार में भी अब राष्ट्रपति का शासन नहीं रहा है। अत: ऐसे मामले राज्य की विधान सभा में उठाये जाने चाहिये।

श्री बी० पी० मौर्य (हापुड़) : यह कोई सामान्य हत्या नहीं बल्कि राजनैतिक हत्या है। इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माना कि ऐसे मामले राज्य विधान सभा में उठाये जाये परन्तु क्या चुनाव होने ही किसी विधायक की दिन दहाड़े हत्या होने पर मन्त्री महोदय उस सबंध में तथ्य जानना और हमें बताना नहीं चाहेंगे ?

श्री एस० एम० बनर्जी : पिछली बार पटना में श्री ज्योति बसु पर हमला हुआ और वह घायल हये तो केन्दीय जांच ब्यूरो से जांच कराई गई थी। इस बार तो वह विधायक मारा गया है। मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री महोदय को वक्तव्य देने का आदेश भी दे सकता। यदि उनके पास कोई जानकारी आये तो वह सहर्ष उसे सभा पटल के संमुख पेश कर सकते हैं।

Shri Ram Avtar Shastri (Patna) : It was heneous Crime in my Constituency and Police could ascertain even the circumstances thereof. There should be a C. B. I. probe in this incident.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे गये पत्र।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रत्यक्ष कर जांच समिति प्रतिवेदन

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर न रखता हूं :

(1) प्रत्यक्ष कर जांच समिति के अन्तिम प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये। संख्या एल० टी० 1456/72]

दिल्ली मोटर गाड़ी (पांचवां संशोधन) नियम

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (8) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (पांचवां संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 30 नवम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एफ० 3 (54)/71-टी पी टी में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये सख्या एल टी 1457/72]

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, मैसूर सहकारी समितियों अधिनियम और कम्पनी अधिनियम 1956 की 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत पत्र

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम 1962 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति।

(2) मैसूर राज्य विधान-मन्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मैसूर सहकारी समितियां (सशोधन) अधिनियम 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (राष्ट्रपति का 1972 का अधिनियम संख्या 1) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुआ था [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1459/72]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) (क) मार्डन बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड के वर्ष 1965-67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) मार्डन बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड का वर्ष 1966-67 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) (क) मार्डन बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) मार्डन बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड का वर्ष 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) (क) मार्डन बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) मार्डन बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड का वर्ष 1968-69 का वार्षिक

प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(चार) (क) मार्डन बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) मार्डन बेकरीज (इन्डिया) लिमिटेड का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

उपर्युक्त मद (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1160/72]

मैसूर ग्राम पंचायत और स्थानीय बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, मैसूर ग्राम पंचायत और स्थानीय बोर्ड अधिनियम, 1959 की धारा 246 के अन्तर्गत मैसूर सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) मैसूर पंचायत और तालूक बोर्ड कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 1971, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 24 मार्च, 1971 में अधिसूचना संख्या जी एस० आर० 76 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मैसूर पंचायत और तालूक बोर्ड कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 1971, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 4 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एम० आर० 141 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1161/72]

(तीन) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण।

(3) उपर्युक्त मद में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण।

बिहार के सम्बंध में जारी की गई उद्घोषणा का निरसन
REVOCATION OF PROCLAMATION IN RELATION TO BIHAR

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्री राम निवास मिर्धा की ओर

से संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति : —

राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन जारी की गयी दिनांक 19 मार्च, 1972 की उद्घोषणा की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 मार्च 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 197 (ई) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 9 मार्च, 1972 को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है सभा पटल पर रखता हूँ

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1462/72]

राज्य सभा से प्राप्त संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन, मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा 15 मार्च, 1972 को पास किये गये विनियोग विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा 15 मार्च, 1972 को पास किये गये विनियोग संख्या (2) विधेयक 1972 के सम्बन्ध में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

Sixth Report

छठा प्रतिवेदन

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : मैं भूतपूर्व पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग)—गौहाटी तेल शोधक कारखाने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के बारहवें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा में) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री आज लगभग एक बजे एक वक्तव्य देंगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या बगला देश के बारे में ?

अध्यक्ष महोदय : यह हमारा अनुमान है।

मनीपुर के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प के बारे में

RE : STATUTORY RESOLUTION ON PROCLAMATION ABOUT MANIPUR

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने मनीपुर के बारे में एक सांविधिक संकल्प पेश करने की सूचना दी थी परन्तु अब उसकी आवश्यकता नहीं रही क्योंकि वहां एक मंत्री मडल शपथ ले चुका है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे पेश नहीं कर रहे हैं और इस मद को कार्य सूची से हटा दिया गया है।

रेलवे बजट, 1972-73—सामान्य चर्चा (जारी)

RAILWAY BUDGET, 1972-73—GENERAL DISCUSSION—(*Contd.*)

अध्यक्ष महोदय : शनिवार की सांय को गणपूर्ति न होने के कारण सभा को स्थगित करना पडा और कई घन्टे के समय की हानि हुई। अब इस समय को पूरा करना है क्या आप एक और शनिवार को बैठना चाहते हैं ?

हमने समय को पूरा करने के लिए शनिवार को बैठक रखी थी परन्तु जिन सदस्यों ने अपने नाम दिये थे वही सांय के समय चले गये और सभा मे गणपूर्ति नहीं रही। अगला शनिवार लेखानुदान पर मतदान का अन्तिम दिन है। हमें इस समय की पूर्ति के लिए या तो देर रात्रि तक या फिर शनिवार को बैठना होगा। मेरा निवदन है कि गणपूर्ति न होन की ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने दे क्योंकि जब इसके समाचार, समाचार पत्रों म आते हैं तो अच्छा नहीं लगता।

श्री राज बहादुर : श्रीमन् आपको मालूम है कि किन परिस्थितियों के कारण मैं कल सदन में उपस्थित नहीं रह सका। मुझे खेद है कि गणपूर्ति न होने के कारण सभा स्थगित हुई मैंने पहले अपने दल के सदस्यों को लिख भेजा है कि वे गणपूर्ति का ध्यान रखें। मेरा अनुरोध है कि विपक्षी दल के लोग भी सहयोग दें।

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने अपने नाम दिये थे और वही चले गये उन्हें इस चर्चा में बोलने का समय नहीं दिया जायेगा खैर, हम घाटे की पूर्ति करेंगे हम आधा घण्टा अधिक बैठेंगे। श्री सी० टी० दण्डपाणि बोल रहे थे। वह अनुपस्थित हैं।

श्री जे० बी० पटनायक (कटक) : रेल मंत्री ने गत वर्ष घाटे का बजट पेश करते समय क्षतिपूर्ति के लिये अत्यधिक धन मांगते हुए भारतीय रेलवे में रोजगार के अधिक अवसर की गलत तस्वीर पेश की थी। इस वर्ष उन्होंने न केवल लाभ का बजट पेश किया है बल्कि आगामी वर्ष और भी अधिक लाभ का बजट पेश करने का संभावना व्यक्त की है। परन्तु यदि वह रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा आपराधिक वृत्ति की ओर ध्यान दे पाते और इसे दूर कर सकते तो और अधिक अच्छी वित्तीय स्थिति दिखा सकते थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार है कि उपरोक्त कारणों से रेलवे को प्रतिवर्ष 71 करोड़ रुपये की हानि होती है। रेलवे सुरक्षा दल को अधिक सुदृढ़ करने पर भी चोरियों की घटनाओं में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती जा रही है। ऐसा लगता है कि ज्यों-ज्यों सुरक्षा के प्रबन्ध बढ़ते जाते हैं, भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियाँ भी समानान्तर बढ़ती जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त 72 अलाभप्रद लाइनों पर रेलवे को प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपये व्यय करने पड़ते हैं। क्या रेल मन्त्री को इस सम्बन्ध में कतिपय क्रांतिकारी कदम नहीं उठाने चाहियें ? इस सबसे बड़े वाणिज्यिक उद्योग का तो आर्थिक स्थिरता और कार्य कुशलता का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये। रेलवे के प्रशासनिक खर्च बहुत ही अधिक हैं। पहले स्टाफ में श्रेणी I तथा II के अधिकारियों की संख्या में 226 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि श्रेणी III तथा IV के कर्मचारियों की वृद्धि केवल 25 प्रतिशत हुई है। इस प्रकार पर्यवेक्षक अधिकारियों की संख्या में यह अन्धाधुन्ध वृद्धि कार्य कुशलता को नहीं बढ़ाती बल्कि इसके कार्य में रुकावटें पैदा करती हैं।

सरकार सामाजिक नीतियों का अनुसरण करने का दम भरती है जिनका अर्थ है पूर्ण रोजगार, आय में असमानता को दूर करना तथा क्षेत्री असन्तुलन को कम करना। जहां सामान्य बजट में इस आशय की अच्छी तस्वीर मिलती है वहां रेलवे बजट में लोगों की आकांक्षाओं की पूरी तरह अवहेलना की गई है।

हमारा रेलवे एशिया का चौथा बड़ा वाणिज्यिक और व्यापारिक उद्योग है। यात्री-यातायात की दृष्टि से इसका नम्बर रूस तथा जापान के बाद आता है और इनमें 4000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। परन्तु इतने बड़े उद्योग में और गत दशक में रोजगार के केवल 3000 अवसर प्रतिवर्ष उपलब्ध हुए। यह बड़ी ही निराशाजनक स्थिति है। गत वर्ष दी गई आशायें यहां गलत सिद्ध हुई।

गत वर्ष रेल मंत्री ने शिकायत की थी कि उन्हें योजना-पूंजी से 250 करोड़ रुपये नहीं मिले। परन्तु इस बार उन्हें आधी राशि मिल गयी है शेष बाद में मिल जायेगी। सो अब धन की शिकायत तो नहीं रहनी चाहिये। अतः उन्हें देश के विकास में रेलवे की भूमिका का अच्छा चित्रण करना चाहिये था।

विकासशील अर्थव्यवस्था मे रेलवे का कार्य लाभ कमाना नहीं होता। इसे तो देश के आर्थिक विकास का साधन माना जाना चाहिये। परन्तु दुर्भाग्य से रेलवे में नौकरशाही अभी तक उपनिवेशवादी काल की तरह के कार्य करती आ रही है। रेल मंत्री भी कोई नया परिवतन लाने में सफल नहीं हुए हैं यद्यपि वह बड़े प्रगतिशील विचारों के हैं।

उपनिवेश वाद के समय कुछ अन्य क्षेत्रों के साथ साथ उड़ीसा को भी भारत के रेल मानचित्र में नहीं दिखाया जाता था। ब्रिटिश शासन काल में उड़ीसा में प्रति 32 वर्ग मील क्षेत्र में केवल एक मील की रेल लाइन थी जबकि समूचे देश में प्रति 16 वर्ग मील क्षेत्र में केवल एक मील लाइन थी। अब स्वाधीनता के 25 वर्ष बाद भी यही अनुपात बना हुआ हैं। उड़ीसा में 96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक किलोमीटर लाइन है जबकि देश भर में 55 किलोमीटर क्षेत्र में केवल एक किलोमीटर लाइन है। मैं गत दो वर्षों से ढूढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या रेल मन्त्री ने उड़ीसा के लिए भी कोई योजना बनाई है ? परन्तु इस वर्ष भी मुझे निराश होना पड़ा। यद्यपि यह बड़ी उत्साहजनक बात है कि वह केप कोमोरिन को दिल्ली से मिलाना चाहते हैं परन्तु इससे अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रतीक्षा ही कर रहे हैं।

नई लाइनें बिछाने, तथा लाइनों के परिवर्तन के सम्बन्ध में उड़ीसा सर्वथा उपेक्षित रहा है। इस बजट में केवल उपरि पुलों की—एक कटक में तथा दूसरा भोजराई में—व्यवस्था है परन्तु इनमें से भी कटक वाले पुल के लिए गलत स्थान चुना गया है। उनकी योजना में अनेक दक्षिणी

तथा उत्तरी राज्य तो शामिल हैं। परन्तु उड़ीसा नहीं। मन्त्री महोदय ने विकसित, विकासशील तथा कम-विकसित क्षेत्रों में परस्पर कोई भेद नहीं रखा है।

उड़ीसा के लिए दो लाइनों का प्रस्ताव रहा है एक जाखीपुरा से बांसपानी और दूसरा तालचार के बिमलगढ़। ये दोनों रेल लाइनें मालनतोजी, राऊरकेला तथा पारादीप पत्तन को मिलाने वाली हैं जिसे उडीसा राज्य के सबसे अधिक और अयस्क वाले क्षेत्र को.आर तथा सुन्दरगढ़ जिलों का उपयोग होने लगेगा। एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार वहां 80,000 लाख टन लोह अयस्क के भण्डार हैं यदि इस क्षेत्र का विकास हो जाये तो न केवल कई इस्पात सयत्रों का माल मिल सकेगा बल्कि पटेर का नियांत-व्यापार भी बढ़ेगा। जापान हमारा बहुत बड़ा ग्राहक है यदि हम उसकी 20 या 30 प्रतिशत आवश्यकता भी पूरी कर दें तो इससे हमें 550 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आय होगी। ये आंकड़े योजना आयोग के अध्ययन दल ने दिये हैं। मन्त्री महोदय से मेरा जोरदार अनुरोध है कि वह इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें और अपने उत्तर में इस बारे में कुछ कहें।

इसके अतिरिक्त रूपसा से तालबन्द तक तथा नौपाड़ा से गुनुपुर तक को छोटी रेल लाइनें हैं रेलवे यातायात सर्वेक्षण दल ने सिफारिश की है कि रूपसा—तालबन्द लाइन को बडी लाईन में परिवर्तित किया जाना चाहिए तथा नौगढ़-गुनुपर लाइन को तुरन्त पुनःस्थापित किया जाना चाहिये। डी० वी० के० रेलवेज के अलावा यह लाइन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से भी गुजरती है परन्तु यह लाइन यात्रियों के लिए नहीं खुली है हालांकि कुछ मास पूर्व मंत्री महोदय ने इसे यात्रियों के लिये खोलने का वायदा किया था। और अभी कुछ दिन पूर्व मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है कि इसे इस वर्ष खोलना संभव न होगा। मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान दें। जब तक अल्प विकसित क्षेत्रों को इस सम्बन्ध में उच्च प्राथमिकता नहीं दी जायेगी हमारे देश का विकास होना सम्भव नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं रेल मन्त्री द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय तथा उपमंत्री भी बोलना चाहेंगे। माननीय सदस्यों के भाषण 4·30 बजे तक समाप्त हो जायेंगे अतः रेल मन्त्री 5 बजे बोलेंगे। क्या यह ठीक रहेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : जी हां।

Dr. Govind Dass Richharia (Jhansi) : I extend my Congratulations and thanks to the employees of the Indian Railways for their commendable work during the war with Pakistan. But I am disappointed to find that despite this only two national awards have been gone to the Railway. Keeping in view the efficiency and courage with which the Railway employees worked. They should have been given quite a good number of awards in order to encourage and inspire them.

Such encouragement should continue during peace time also since the railway employees by their honest dedication and devotion towards their duties. Contribute a lot to the construction and development of the nation. So, besides giving them representation in the administration they should be given a share in the profits earned by the Railways whether in the shape of bonus or otherwise. Let some Committee be set up to suggest ways to do something in this direction.

Then I point out to hon. Minister that out of the 9 Railways, the Central Railway is the worst victim of injustice because of its Headquarters in Bombay—in the farthest corner of the area of this vast zone. A lot of money is wasted in visits to this distant

place. So the Headquarters should be shifted to Jhansi where thousands of railway employees live and also that it is one of the divisions of the Headquarters. Land is also available even free of cost. So, the hon. Minister should remove this inconvenience which has been existing since the British rule.

Then I have one more proposal to make. It would be very easy to implement as also it would be very beneficial to a larger number of people. It relates to Taj Express which runs between Agra and Delhi. I request that it should be extented to Jhansi so that the pilgrims visiting Khajuraho etc. may benefit from this.

Then there is no direct line between Lucknow and Bombay. There should be a train between these places *via* Jhansi. Jhansi Manikpur line is also not having any Express train. Therefore, either a new Express train should be run or Utkal Express should be diverted through this line. The goods trains also need to be run faster as a result of which speedy arrival of goods would prove beneficial to all. Supply of wagons is also the demand of the day.

Then a new railway line is needed between Lalitpur and Allahabad *via* Tikamgarh, Chhatarpur, Khajuraho, Panna and Rewa. In Gwalior area also the narrow gauge line should be converted into broad line.

Agra Jhansi line should be doubled immediately and some dead line should be fixed for its completion.

It is very painful to find that Hindi is neglected in the various examination conducted by the Railways. I have come to know that the answer books of those candidates were not checked who wrote their answers in Hindi. Kindly look into it and eliminate this sort of injustice to the Hindi speaking employees.

Jhansi is big Divisional Headquarter but a large number of labourers are suffering for want of medical facilities. Let two or three out-door dispensaries be opened in Sipri Bazar, Sadar, etc.

With these words, I thank you for the time given to me.

संसद में प्रधान मन्त्री का वक्तव्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक मन्त्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं सदन की मेज पर मित्रता, सहयोग तथा शांति की संधि और उस संयुक्त घोषणा के मूल पाठ को रख रही हूं जिस पर कल अर्थात् 19 मार्च, 1972 को ढाका में गणप्रजातंत्री बंगला देश के प्रधान मत्री शेख मुजीबुर्रहमान ने और मैंने हस्ताक्षर किए हैं।

मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि इस संधि में दोनों देशों के हित के मामलों में समान नीति का अनुसरण करने की दोनों सरकारों की इच्छा निहित है और यह हमारे दोनों देशों और देशवासियों की उस भिन्नता की प्रतीक है जो खून और त्याग के बधन में बंधी है। भविष्य में शांति की तलाश में, अच्छे पड़ोसियों जैसे संबंधों में तथा हमारे दोनों देशों के लोगों के कल्याण में यह संधि और यह घोषणा हमारा मार्ग-दर्शन करेगी।

इस संयुक्त घोषणा में व्यापार एवं अदायगी, आर्थिक विकास और एक-दूसरे के यहां से होकर आने-जाने के विषयों में तालमेल और निकट सहयोग के महत्व पर बल दिया गया है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस घोषणा के उस अंश की ओर आकर्षित करना चाहूंगी जिसमें ब्रह्मपुत्र, मेघना और गंगा के जल का दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए इस्तेमाल करने की अत्यंत उत्साहवर्धक सम्भावनाओं का उल्लेख है।

हमें यह पूरी-पूरी आशा है कि यह संधि, जो हमारे समान लक्ष्यों और आदर्शों की पुष्टि

करती है और जिसमें गुट-निरपेक्षता तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की हमारी नीति पर अडिग रहने की बात दोहराई गई है, न सिर्फ भारत और बंगला देश के बीच बल्कि इस समूचे उप-महाद्वीप और क्षेत्र में स्थायी शांति और सहयोग की स्थापना करेगी ।

भारत गणतंत्र और गणप्रजातंत्री बंगला देश के बीच मित्रता, सहयोग और शांति की संधि

शांति, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद और राष्ट्रीयता के समान आदर्शों से प्रेरित होकर,

इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए साथ-साथ संघर्ष करके और रक्तपात तथा बलिदानों के द्वारा मित्रता की कड़ियां मजबूत करके, जिनके परिणामस्वरूप एक आजाद, प्रभुतासम्पन्न और स्वतंत्र बंगलादेश का सफलतापूर्वक अभ्युदय हुआ,

बंधुत्व तथा अच्छे पड़ौसी के संबंध बनाए रखने और अपनी सीमाओं को चिर स्थायी शांति और मित्रता की सीमाओं में बदलने के निश्चय से,

गुट मुक्तता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, परस्पर सहयोग, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और प्रादेशिक अखण्डता एवं प्रभुसत्ता के बुनियादी सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हुए,

शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने तथा परस्पर सहयोग के सभी संभव साधनों के जरिए अपने-अपने देश में प्रगति को प्रोत्साहित करने के निश्चय से,

दोनों देशों के बीच मित्रता के विद्यमान संबंधों को और सुदृढ़ एवं विस्तृत करने के लिए निश्चय कर,

इस विश्वास से कि मित्रता और सहयोग के और अधिक विकास से दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों और साथ ही एशिया तथा विश्व में स्थायी शांति को बल मिलता है,

विश्व शांति और सुरक्षा को संवर्धित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के सतत प्रयास एवं उपनिवेशवाद, जातिवाद, साम्राज्यवाद के अवशेषों को पूर्णतया एवं अन्तिम रूप से समाप्त करने के निश्चय से,

इस पूर्ण विश्वास के साथ कि संसार की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं संघर्ष द्वारा नहीं बल्कि मात्र सहयोग द्वारा ही सुलझाई जा सकती है,

संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के संकल्प की पुनः पुष्टि करते हुए, एक ओर भारत गणतंत्र और दूसरी ओर गणप्रजातंत्री बंगला देश ने वर्तमान संधि करने का निश्चय किया है :

अनुच्छेद—एक

महान संविदाकारी पक्ष, उन आदर्शों से प्रेरित होकर, जिनके लिए दोनों देशों के लोगों ने एक-साथ संघर्ष किया और बलिदान दिए, निष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके दोनों देशों और उनकी जनता के बीच स्थायी शांति और मित्रता बनी रहेगी और प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करेगा और दूसरे पक्ष के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

महान संविदाकारी पक्ष, दोनों देशों के बीच मित्रता, अच्छी प्रतिवेशिता और व्यापक सहयोग के वर्तमान संबंधों को उपरोक्त सिद्धांतों तथा समानता एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धान्तों के आधार पर विकसित और सुदृढ़ करते रहेंगे ।

अनुच्छेद—दो

सभी राज्यों और देशों की जनता की समानता के, चाहे उनका कोई भी धर्म या जाति हो, सिद्धांतों के प्रति अपनी निष्ठा से प्रेरित होकर महान संविदाकारी पक्ष, उपनिवेशवाद और जातिवाद के सभी रूपों की निन्दा करते हैं और उन्हें पूर्णतया तथा अन्तिम रूप से लुप्त कर देने के प्रयास के लिए कृत सकल्प है ।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति तथा उपनिवेशवाद एवं जातिवाद के विरुद्ध तथा अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सभी देशों की जनता की उचित आकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए महान संविदाकारी पक्ष दूसरे देशों के साथ सहयोग करेंगे ।

अनुच्छेद—तीन

महान संविदाकारी पक्ष, विश्व में तनाव कम करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता एवं स्वतंत्रता को सुदृढ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम के रूप में, गुटमुक्तता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में अपना विश्वास पुनः प्रकट करते हैं ।

अनुच्छेद—चार

महान संविदाकारी पक्ष दोनों देशों के हितों को प्रभावित करने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर एक दूसरे के साथ सभी स्तरों पर बैठकों और विचार-विनिमय के जरिए, नियमित रूप से सम्पर्क बनाए रखेंगे ।

अनुच्छेद—पाँच

महान संविदाकारी पक्ष आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में परस्पर लाभकारी व्यापक सहयोग को सुदृढ़ और विस्तृत करते रहेंगे । दोनों देश समानता, परस्पर लाभ और अति अनुगृहीत राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर, अपने बीच व्यापार परिवहन और संचार के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग का विकास करेंगे ।

अनुच्छेद—छः

महान संविदाकारी पक्ष, बाढ़ नियंत्रण, नदी प्रदेश विकास और जल विद्युत शक्ति तथा सिंचाई के क्षेत्रों में संयुक्त रूप से अध्ययन और कार्य करने के लिए भी सहमत हैं ।

अनुच्छेद—सात

महान संविदाकारी पक्ष कला, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, खेल-कूद और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी संबंधों को विकसित करेंगे ।

अनुच्छेद—आठ

दोनों देशों के बीच विद्यमान परम्परागत मित्रता के अनुसार, महान संविदाकारी पक्ष निष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं कि वह किसी भी ऐसे सैनिक गठबंधन में जो दूसरे पक्ष के विरुद्ध हो, न सम्मिलित होगा और न भाग लेगा ।

प्रत्येक महान संविदाकारी पक्ष, दूसरे पक्ष पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा और न ही अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का ऐसा कार्य होने देगा जिससे दूसरे महान संविदाकारी पक्ष को सैनिक क्षति पहुंचे या क्षति होने की आशंका हो।

अनुच्छेद—नौ

प्रत्येक महान संविदाकारी पक्ष वचनबद्ध है कि वह किसी तीसरे पक्ष को, जो महान संविदाकारी पक्ष के दूसरे पक्ष के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष में लगा हो, किसी प्रकार की सहायता नहीं देगा। दोनों में से किसी पक्ष पर आक्रमण होने या आक्रमण का खतरा उपस्थित होने पर महान संविदाकारी पक्ष शीघ्र ही परस्पर विचार-विमर्श करेंगे ताकि ऐसे खतरे को समाप्त किया जाए तथा दोनों देशों की शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रभावकारी कदम उठाए जाएं।

अनुच्छेद—दस

प्रत्येक महान संविदाकारी पक्ष निष्टापूर्वक घोषित करता है कि वह किसी भी एक या एक से अधिक राज्यों के साथ कोई भी गुप्त या प्रकट दायित्व अपने ऊपर नहीं लेगा जो इस संधि के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद—ग्यारह

यह संधि पच्चीस वर्षों की अवधि के लिए की गई है और महान संविदाकारी पक्षों की पारस्परिक सहमति द्वारा इसका नवीकरण किया जा सकता है।

यह संधि हस्ताक्षर होने की तिथि से तुरन्त लागू हो जाएगी।

अनुच्छेद—बारह

महान संविदाकारी पक्षों के बीच वर्तमान संधि के किसी एक या एकाधिक अनुच्छेद की व्याख्या में किसी प्रकार का अन्तर उत्पन्न होने पर शांतिपूर्ण उपायों, पारस्परिक सम्मान और सूझबूझ द्वारा द्विपक्षीय ढंग से उसे निवटाया जायेगा।

आज, ढाका में, ईस्वी सन् एक हजार नौ सौ बहत्तर के मार्च मास के उन्नीसवें दिन, यह संधि हुई।

(इन्दिरा गांधी)
प्रधान मंत्री
भारत गणतंत्र की ओर से

(शेख मुजीबुर्रहमान)
प्रधान मंत्री
गणप्रजातंत्री बंगला देश की ओर से

भारत और बंगला देश के प्रधान मन्त्रियों की संयुक्त घोषणा

भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और बंगला देश के प्रधान मन्त्री शेख मुजीबुर्रहमान ने आज ढाका में जिस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए उसका मूल इस प्रकार है :

"बंगला देश के प्रधानमन्त्री बंग बंधु शेख मुजीबुर्रहमान के आमन्त्रण पर भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी 17 से 19 मार्च, 1972 तक ढाका के दौरे पर गई।"

भारत की प्रधानमन्त्री के साथ विदेश मन्त्री सरदार स्वर्ण सिंह, योजना आयोग के सदस्य प्रो० एस० चक्रवर्ती, प्रधानमन्त्री के मुख्य सचिव श्री पी० एन० हकसर, विदेश सचिव श्री टी० एन० कौल और प्रधानमंत्री के सचिव श्री पी० एन० धर एवं अन्य अधिकारी गण थे।

ढाका में अपने दौरे की अवधि में प्रधानमंत्री ने एक विशाल जन सभा को संबोधित किया और उनका नागरिक अभिनन्दन किया गया। बंगला देश की जनता ने इन अवसरों पर भारतीय प्रधान मन्त्री के प्रति जिस स्नेह और उत्साह का प्रदर्शन किया व भारतीय जनता और बंगला देश के बीच उनकी घनिष्ठ मैत्री और बधुत्वपूर्ण भावनाओं का परिचायक है।

दोनों प्रधान-मंत्रियों ने दौरे की अवधि में आपसी हितों के मामले पर कई बार विस्तार-पूर्वक विचार-विमर्श किये। भारतीय विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने भी बंगला देश के विदेश मंत्री श्री अब्दुस समद आजाद के साथ अलग बातचीत के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और आपसी सम्बन्धों पर विचार किया।

इस दौरे का सदुपयोग अधिकारी स्तर पर विभिन्न वार्ताओं के द्वारा भी किया गया, जिनमें दोनों देशों के बीच सभी प्रकार के सम्बन्धों और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की समीक्षा की गई। इनमें एशिया की हाल की घटनाओं के संदर्भ में बंगला देश और भारत की समस्याओं का विशेष ध्यान रखा गया।

अधिकारी स्तर की राजनीतिक वार्ताओं के बीच बंगला देश की ओर से प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव श्री रुहुल कुद्दुस, विदेश सचिव श्री एस० ए० करीम, विदेश सचिव श्री एस० ए० एम० एस० किब्रिया, बंगला देश के भारत में राजदूत डा० ए० आर० मलिक, श्री जस्टिस मुनीम और गृह मन्त्रालय के श्री नूरुल इस्लाम ने भाग लिया।

आर्थिक मामलों पर बातचीत के दौरान बंगला देश का प्रतिनिधित्व योजना आयोग के सदस्य प्रो० रहमान सोभान, योजना आयोग के सदस्य डा० मुशर्रफ हुसैन, वित्त सचिव श्री मतिउल इस्लाम, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के बारे में प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री बी० एम० अब्बास, वाणिज्य सचिव श्री नूर मोहम्मद, परिवहन सचिव श्री ए० समद, सिंचाई और बिजली सचिव श्री अलहुसैनी तथा अन्य अधिकारी वर्ग ने किया।

बंगला देश के प्रधानमंत्री ने भारत की सशस्त्र बहादुर सेनाओं की प्रशंसा की जिन्होंने बंगला देश की पवित्र धरती में पाकिस्तान के अत्याचार पूर्ण औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए बहादुर मुक्तिवाहिनी के सभी वर्गों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर युद्ध करने में महान बलिदान किया। उन्होंने बंगला देश में भारतीय सेनाओं के संक्षिप्त प्रवास के दौरान उनके अच्छे व्यवहार का वर्णन किया। अपने कार्य को पूरा करने के बाद भारतीय सशस्त्र सेनाएं निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व ही वापस हो गई।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में एशिया की हाल की घटनाओं के विशेष परिपेक्ष्य में समीक्षा करते हुए दोनों प्रधानमत्रियों ने उन तत्वों की भी चर्चा की जिनसे इस क्षेत्र के देशों की सुरक्षा, स्थायित्व और प्रादेशिक अखंडता को खतरा है। उन्होंने इन तत्वों का मुकाबला करने के लिए अपनी एकता पर बल दिया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात पर विश्वास व्यक्त किया कि भारत और बंगला देश की जनता के बीच निकटतापूर्ण और दृढ़ मैत्री-सम्बन्धों से उन देशों के प्रयासों को कारागर ढंग से व्यर्थ किया जा सकेगा जो इतिहास की धारा को उलट देना चाहते हैं।

इस संदर्भ में दोनों प्रधानमंत्रियों ने गुटनिरपेक्षता की नीतियों पर बने रहने के अपने दृढ़ निश्चय को दुहराया, जिसने राष्ट्रीय प्रमुसत्ता और स्वाधीनता के साथ ही साथ शांति, स्थायित्व और अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों को मजबूत बनाने में एक सार्थक एवं रचनात्मक भूमिका अदा की है।

भारत और बंगला देश के विचारों, आदर्शों और हितों को ठोस रूप देने के उद्देश्य से दोनों प्रधानमंत्रियों ने मैत्री, सहयोग और शांति क एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का निश्चय किया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने यह भी निश्चय किया कि दोनों देशों के सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मन्त्रालयों, योजना आयोगों तथा आर्थिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और तकनीकी मामलों से सम्बद्ध दोनों देशों के मन्त्रालयों और विभागों के अधिकारियों के बीच समय-समय पर विचार-विमर्श होते रहेंगे। ऐसे विचार-विमर्श कम से कम छः महीनों में एक बार अवश्य किए जायेंगे।

बंगला देश के प्रधानमन्त्री ने भारत के प्रधानमंत्री का ध्यान पाकिस्तान में बंगाली नागरिकों की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट किया तथा उन्हें शीघ्र ही स्वदेश वापिस लौटाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय प्रधानमंत्री ने बंगला देश सरकार को आश्वासन दिया कि भारत इस काम में हर सम्भव सहायता, विशेषकर बंगालियों को स्वदेश वापिस लाने के लिए यातायात की सुविधाएं प्रदान करेगा।

बंगला देश के प्रधान मन्त्री ने भारतीय प्रधान मंत्री की बंगला देश में किए गए नरसंहार मानवता-विरोधी अपराधों तथा युद्ध-अपराधों के लिए दोषी पाकिस्तानी सैनिकों तथा असैनिक कर्मचारियों के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार मुकदमा चलाने की दिशा में उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने यह आशा व्यक्त की कि दोषी व्यक्तियों पर कानून के अनुसार मुकदमें चलाए जायेंगे और इनसे दुनिया को यह पता लग सकेगा कि बंगला देश के लोगों को कितने अत्याचार सहने पड़े हैं। भारत की प्रधानमंत्री ने बंगला देश के प्रधानमंत्री को यह विश्वास दिलाया है कि हाल के नरसंहार के लिए दोषी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने में भारत सरकार बंगला देश की सरकार को पूरा सहयोग देगी।

साथ ही दोनों प्रधान मंत्री इस बात पर भी सहमत हुए कि उन युद्धबन्दियों को, जो युद्ध के अपराधी नहीं हैं लेकिन जो गम्भीर रूप से बीमार हैं या घायल हैं, आपसी सहमति के द्वारा शीघ्र ही पाकिस्तान वापस भेज दिया जायेगा।

बंगला देश के लोगों और सरकार की संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र के आदर्शों एवं उद्देश्यों में घोषित आस्था के सन्दर्भ में भारत की प्रधान मंत्री ने बंगला देश की सरकार को यह आश्वासन दिया कि बंगला देश को संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी विभिन्न एजेंसियों की सदस्यता प्राप्त करने में भारत सरकार पूरा सहयोग और समर्थन देगी। दोनों प्रधान मंत्रियों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि बंगला देश का संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होना विश्व शांति को बढ़ाने और दक्षिणी एशिया में स्थिरता लाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

दोनों प्रधान मंत्रियों ने घोषणा की कि हिन्द महासागर क्षेत्र को बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता और सैनिक होड़ से मुक्त रखा जाना चाहिए। उन्होंने हिन्द महासागर क्षेत्र में थल,

वायु और नौसैनिक अड्डों की स्थापना का विरोध किया। उनका मत है कि इसी तरीके से हिन्द महासागर में नौवहन की स्वतन्त्रता और व्यापार तथा वाणिज्य के लिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। क्योंकि तटवर्ती राज्यों के विकास और उनके स्थायित्व को बनाए रखने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों प्रधान मंत्रियों ने हिन्द महासागर क्षेत्र को आणविक परीक्षणों से मुक्त क्षेत्र बनाए रखने के लिए प्रयास करने का अपना इरादा व्यक्त किया।

भारत और बंगला देश के विदेश मंत्रियों द्वारा जनवरी 1972 में और फरवरी, 1972 के आरम्भ में दोनों प्रधान मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार दोनों देशों के बीच आर्थिक और विकास सम्बन्धी सहयोग को मजबूत बनाने के लिए दोनों प्रधान मंत्री निश्चय करते हैं कि :

(क) एक संयुक्त नदी आयोग की स्थापना की जाएगी, जिसमें दोनों देशों के विशेषज्ञ स्थायी तौर पर शामिल होंगे। यह आयोग दोनों देशों की साझी नदियों का व्यापक सर्वे करेगा तथा बाढ़-नियंत्रण क्षेत्र में दोनों देशों से सम्बन्धित परि-योजनायें तैयार करके उन्हें कार्यरूप देगा।

दोनों देशों के विशेषज्ञों को बाढ़ की चेतावनी तथा बाढ़ की पूर्व सूचना के सम्बंध में सुझाव देने, प्रमुख नदियों पर बाढ़-नियंत्रण एव सिंचाई परियोजनाओं की सम्भावनाओं का अध्ययन करने तथा बंगला देश के बिजली-ग्रिडों को समीपवर्ती भारतीय क्षेत्रों से मिलाने की सम्भावनाओं का अनुमान लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि इस क्षेत्र की जल शक्ति का उपयोग दोनों देशों के लोगों के हितों में समान रूप से किया जा सके।

(ख) बंगला देश के प्रधान मंत्री ने अब तक दी गई आर्थिक सहायता तथा भविष्य में बंगला देश की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देने के आश्वासन के लिए भारत के प्रधान मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने आर्थिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की सप्लाई की प्रगति पर विचार किया तथा बंगला देश के पुनर्वास-कार्यक्रमों की आर्थिक जरूरतों को देखते हुए सहायता पहुँचाने में तेजी लाने की आवश्यकता पर सहमति प्रकट की।

(ग) दोनों प्रधान मंत्रियों ने पारगमन व्यापार और सीमापार व्यापार के पुनर्स्थापना के सिद्धान्तों का अनुमोदन किया।

उन्होंने निर्देश दिया कि ये समझौते और सामान्य व्यापार और अदायगी सम्बन्धी समझौते पर मार्च, 1972 के अन्त तक हस्ताक्षर हो जाने चाहियें।

आर्थिक और सामाजिक विकास की गति तेज करने में विज्ञान और टेकनोलाजी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए दोनों प्रधान मंत्रियों ने निर्देश दिया कि बंगला देश और भारत की सरकार के विशेषज्ञ और अधिकारी विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे और आवश्यक जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे। ये विषय हैं :—

(1) आणविक ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग,

(2) औद्योगिक विकास के लिए टैकनोलाजिकल और वैज्ञानिक अनुसंधान, और

(3) भावी अन्तरिक्ष अनुसंधान का सचार उद्देश्यों के लिए उपयोग ।

भारत और बंगला देश की जनता के घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को देखते हुए दोनों प्रधान मत्रियों ने निर्णय किया कि दोनों देशों के सांस्कृतिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के लिए दोनो सरकारों की उपयुक्त एजेंसियों द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहियें। दोनो प्रधान मंत्रियों ने निर्देश दिया कि सांस्कृतिक वैज्ञानिक और टैकनोलाजिकल सहयोग के त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए दोनों सरकारों के सम्बद्ध अधिकारियों को तुरन्त विचार-विमर्श शुरू कर देना चाहिए ।

दोनों प्रधान मत्री ढाका में हुई बातचीत की प्रगति और उसके ठोस परिणामों से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं। दोनों ने आशा व्यक्त की कि इस प्रकार के आपसी सद्भावों और समझौतो से भारत और बंगला देश के लोगों के बीच आपसी हितों और समृद्धि के लिए एक ठोस और मजबूत आधार तैयार होगा ।

भारत की प्रधान मंत्री ने अपनी ढाका की यात्रा के दौरान बंगला देश के प्रधान मंत्री, बेगम मुजीबुर्रहमान और बगला देश की सरकार तथा जनता द्वारा प्रदर्शित आतिथ्य, प्रेम और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। बंगला देश के प्रधान मंत्री ने इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया कि भारत की प्रधान मंत्री ने विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी बंगला देश की यात्रा करने के लिए समय निकाला।

दोनों प्रधान मंत्रियों ने यह विश्वास प्रकट किया कि बंगला देश के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान दोनों देशों के बीच जो बन्धुत्व और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुए हैं और दोनों देशों की जनता के बलिदान द्वारा जो सुदृढ़ हुए हैं, वे दिनों-दिन बढ़ते जायेंगे और एशिया तथा विश्व में शान्ति और प्रगति के लिए वे अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(इन्दिरा गांधी)	(शेख मुजीबुर्रहमान)
प्रधान मंत्री	प्रधान मंत्री
भारत गणतंत्र की ओर से	गणप्रजातत्री बंगला देश की ओर से

श्री एस० एम० बनर्जी : समाचार पत्रों में कुछ और ही छपा है जबकि उनका अनुभव कुछ और है।

अध्यक्ष महोदय : हम उनसे किसी समय सैन्ट्रल हाल में आने को कहेंगे ।

रेलवे बजट सामान्य चर्चा (जारी)

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION (CONTD)

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नलगोंडा) : बचत का बजट रखने के लिए मैं रेलवे मन्त्री को धन्यवाद देता हूं। मैं रेलवे अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा युद्धकाल में किए गये कार्य और परिश्रम की प्रशंसा करता हूं। उसके बिना हम विजयी नहीं हो सकते थे। रेलवे प्रशासन इस समय नौ खण्डों में विभक्त है । बजट में नई लाइनों को बिछाने के स्थान पर छोटी लाइनो

को बड़ी लाइनों में बदलने को अधिक महत्व दिया गया है। वर्षों पूर्व मिके समिति ने प्रति वर्ष एक हजार मील नई लाइने बिछाने की सिफारिश की थी। परन्तु पिछले 25 वर्षों में आंध्र प्रदेश में एक इंच क्षेत्र में भी नई लाइन नहीं बिछाई गई है। नाडीकुडी से सिकन्दराबाद तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए मांग की जाती रही है। सस्ती होते हुए भी इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह लाइन नालगोंडा जिले को नागार्जुन सागर से मिला देगी। अतः इसे कार्य की प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

राजधानी एक्सप्रेस में केवल वातानुकूलित यात्री डिब्बे होते हैं। इसमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के डिब्बे नहीं होते। यदि उसकी गति कुछ कम करके उसमें निम्न श्रेणियों के डिब्बे जोड़ दिये जायें तो साधारण लोग भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। ऐसा किए बिना दूसरी राजधानी ऐक्सप्रेस चालू करने का कोई लाभ नहीं है। कोटावालासा-किरन्दुल लाइन, जो 4 वर्ष पूर्व पूरी हुई थी, के हटाने के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। क्या कारण है कि चार वर्ष में ही यह लाइन सेवा योग्य नहीं रही। सामान्यतः एक लाइन 30 से 35 वर्ष सेवा योग्य रहती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे में दोहरी वृत्ति का बोलबाला है। जबकि परिवार नियोजन का कार्य मन्त्रालय तथा मुख्यालयों दोनों में किया जाता है। तो रेलवे के अन्य विभागों में इसके करने की आवश्यकता नहीं है।

मुझे बताया गया है कि इंगलैंड, अमरीका, जर्मनी और जापान में हमारे समरण कार्यालय हैं। परन्तु जब उन देशों से माल नहीं मंगाया जाता तब उन देशों में कार्यालय रखने का क्या लाभ है।

कुछ दिन पूर्व क्षेत्रीय समिति की बैठक में आंध्र प्रदेश के कुछ सदस्यों ने कुछ लाइनें बिछाने के लिए मन्त्री महोदय से निवेदन किया था। उन्होंने नदी कुड्डी-सिकन्दराबाद लाइन को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया था। परन्तु इस बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए मन्त्री महोदय को छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की अपेक्षा नई लाइनों को बिछने के कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिये।

(इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।)

(The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।)

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past Fourteen of the clock.)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अधीन जारी की गई अधिसूचना

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

*(1) राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) अधीन जारी की गई दिनांक 20 मार्च, 1972 की उद्घोषणा जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 198 (ङ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 21 जनवरी 1972 को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—1464/72]

*(2) राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अधीन जारी की गई दिनांक 20 मार्च, 1972 की उद्घोषणा जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 199 (ङ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 29 जून, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी०—1465/72]

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, You might have read the Papers newly a elected C. P. I. member Shri Manzoor Hasan Khan was shot dead. A defeated Congress candidate has been arrested in this connection in Ramgarh. But we suspect that the State Government would not probe into the matter impartially.

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु यह मामला तो बिहार राज्य में कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित है।

Shri Ramavatar Shastri : We want the Ministry of Home Affairs should take up the matter and get the matter investigated by C. B. I. or any other Channel so that the accused may be rounded up.

रेलवे बजट—सामान्य चर्चा—(जारी)

RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION—(*Contd*)

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpat) : I am pained to say that Shahadra-Saharanpur Light Railway line is lying closed for over year and the peaple living in that area are experiencing great difficulty because of its closure. I raised this question in the last year also while speaking on the last years Railway Budget. At that time also I had reqested the hon. Railway Minister to have a visit of that area and experience the defficulties the people are facing there. I had also requested that an all party Committee of this House should be formed to go there and study the difficulties of the people living in that area. Bnt till now nothing has been done for the reopening of this narrow gauge line.

The people of the area demanded that this line should be operated on cooperative basis. Shri Nanda, the then Railway Minister had assured that he will try to restore the

operation of the line on Cooperative basis. But this assurance also proved false. I feel that the Government do not seem to have made any efforts in this regard. Uttar Pradesh government has also approached the Union Ministry of Railways for the restoration of this line and has offered their full Cooperation. Even the people living there have also offered to contribute money by way of donation for the restoration of this line. But it seems to me that Government do not want to restore it. I do not understand the reasons for not getting the line into operation again. Even the Railway Board has not made any efforts to reopen this line on the terms offered by the Company.

I request the hon. Minister of Railways to consider this matter seriously and visit the area himself and see the difficulties of people and solve the problem.

New broad-gauge and under ground Railway lines are being laid in the other parts of the country whereas even this narrow gauge line in our area is being uprooted and we have been deprived of this facility. This is a great injustice being done to the people of my area and constituency. I request the hon. Minister to take necessary steps in the matter in consultation with Uttar Pradesh Government, Central Government and Shri K.C. Pant who knows the importance of this line and negociate with the Company who wants to operate this line again.

I do not know the reason of the dispute between Shri Ganguli, the retired Chairman of the Railway Board and the Railway administration. But the way in which Shri Ganguli was retired and his saloon car was detached from the train at Sarai Rohilla station was certainly unfair and indecent. An inquiry should have been ordered in this regard.

I have come across that Hindi is not being been used in Southern Railways. I am not averse of the local language being used but the use of Hindi should also be there. Hindi is our National language and it must be used alongwith local languages in the Railways.

In view of the great rush of railway passengers there is a great need that the speed and frequency and number of local trains should be increased so that the increasing passenger traffic could be accommodated. I support the proposal of the Railway Minister that the land on either side of the Railway tracks would be utilised for agricultural and other useful purposes.

Shri R. R. Sharma (Banda) : Sir, in the Railway budget no increase has been made in the third class railway passenger fares ; this has no doubt given a great relief to the third class passengers. But this is not enough. Adequate facilities and amenities are not being given to the third class Railway passengers in the Railway compartment. There is acute shortage of sitting accommodation in the third class Railway bogies. The number of third class bogies should be increased and proper water and electricity facilities should also be provided in the third class railway Compartment.

Bundelkhand is the most backward area in the country. Water is not available on the Railway Station in that region, there is no light in the trains there. Even then no provision has been made for such essential facilities in Railway budget for the railways of this region. His part of the country should not be ignored in this manner.

Banda is at a distance of about 100 miles from Jhansi and it takes about 6 to 8 hours to cover this distance. This is onely because of the fact that there is no express train there, The people of the area have been demanding the services of an express train being introduced between Jhansi and Allahabad. I request the Hon. Minister to consider this demand of the people of that reason.

Chitrakut is a sacred and religious place. This can be a tourist centre and a source of earning foreign exchange Chitrakut should have a Railway Station. Similary Rajapur can be a place of tourist centre. This place should also be linked with railway line. I request the hon. Minister that efforts should be made to link Rajapur with Chitrakut-Sitapur Railway Stations. All these places can be centres of attraction for tourists.

Before 1947 a railway line from Kalinjar to Kartal was sanction. But it is unfortunate

that after independence no attention has been paid to this matter. correspondence was made to the Railway Minister but the reply was received in negative saying that there was no such scheme. I request the hon. Minister to call for old records and look into this matter.

Banda is a place where murder and robery are committed very often. Life and property of the people there are not safe. But there is no adequate arrangement for light and drinking water on the railway stations of Banda region. Lighting arrangement is a must on the railway stations in the remote rural areas of Banda.

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : इस वर्ष के रेल बजट में 2 करोड़ रुपये से अधिक बचत दिखाई गई है। परन्तु क्या यह बजट वास्तव में ऐसा है इस पर हमें विचार करना होगा।

भारी दबाव और 14 दिन के भारत-पाकिस्तान युद्ध और बंगला देश के शरणार्थियों के दबाव के कारण रेल यातायात में कुछ सुधार हुआ है। इसके लिये रेलवे कर्मचारियों ने हाल के भारत-पाक युद्ध में देश की रक्षा के प्रयासों के लिए सामरिक महत्व के सभी स्थलों पर जो भूमिका निभाई इसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं।

रेल भाड़े पहले ही बहुत अधिक हैं और इस बजट में रेल भाड़ों में और अधिक वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। मैं समझता हूं कि इससे आवश्यक वस्तुओं के दाम और बढ़ जायेंगे। रेल मन्त्री ने रेल के राजस्व में वृद्धि करने के लिए एक ही तरीका अपनाया है कि किराये और रेल भाड़े में वृद्धि की जाए न कि व्यापार और परिवहन में और ना ही प्रशासनिक व्यय को घटाया जाए। रेल भाड़े की इस प्रस्तावित वृद्धि से कोयला, सीमेंट और लोहा तथा इस्पात के दामों में भारी वृद्धि हुई है। यहां तक कि प्रत्येक आवश्यक वस्तुओं के दामों में वृद्धि हो गई है। रेलवे प्रशासन का व्यय बहुत बढ़ गया है। यहां तक कि कहीं-कहीं तो 140 प्रतिशत तक बढ़ गया है। परन्तु मन्त्री महोदय ने इस व्यय को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया है।

बजट में कन्याकुमारी को काश्मीर से जोड़ने का तो प्रस्ताव है परन्तु देश के पूर्वी भाग की नितान्त अवहेलना की गई है। यह कहा गया है कि उत्तर रेलवे पर काफी अधिक व्यय होता है, जो लगभग 137 प्रतिशत तक जाता है। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि इसके कुछ कारण भी हैं। किन्तु रेल मंत्री महोदय ने उत्तरी सीमान्त रेलवे में आने वाली रेलवे लाइनों के समुचित उपयोग पर कभी विचार नहीं किया है कि वहां कितनी रेल गाड़ियां चलती हैं। गोहाटी और अपर आसाम के बीच की अधिकांश रेलवे लाइनों का काफी सीमा तक उपयोग नहीं किया जाता है। यहां यात्री अथवा माल अथवा दोनों प्रकार के रेल-यातायात को चार गुना तक बढ़ाया जा सकता है। यहां दिन भर में केवल अधिक से अधिक 3 रेल गाड़ियां चलती हैं। इससे रेलवे को यथेष्ट आर्थिक आय भी नहीं होती। और यात्रियों की बहुत भीड़-भाड़ को दृष्टि में रख कर भी वहां सेवा में सुधार करने के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहां सदन में प्राय. यही कहा जाता है कि 'न्यू बोंगाई गांव' और 'डिबरूगढ़' के बीच बरास्ता गोहाटी, की समूची लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाए। परन्तु बजट में इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। किन्तु इसके विपरीत कन्याकुमारी को काश्मीर से मिलाने की हास्यास्पद योजना बनाई गई है।

जहां मैं काश्मीर से कन्याकुमारी को मिलाने सम्बन्धी विचार की सराहना करता हूं वहां

पूर्वी भारत ने क्या बिगाड़ा है। जबकि देश के कुल निर्यात का 38 प्रतिशत निर्यात पूर्वी भारत से ही होता है। देश के कुल धन का लगभग 63 प्रतिशत धन पूर्वी क्षेत्र से मिलता है। फिर भी माननीय मन्त्री ने देश के पूर्वी भाग में रेलों के आवागमन को सुधारने के प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया है। इससे रेलवे को लाभ नहीं होगा।

जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है कि पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलवे पर अरबों रुपये से अधिक ही पूंजी लगाई जायेगी। परन्तु इस धन की अधिकांश राशि दक्षिण रेलवे के विकास पर लगायी जायेगी। यह तो ठीक है कि दक्षिण रेलवे का विकास किया जाना चाहिए किन्तु सम्पूर्ण भारत की रेलवे को हानि पहुंचा कर नहीं। जहां तक कलकत्ता का सम्बन्ध है, कुछ वर्षों से वहां उपनगरीय रेलवे और परिक्षेपण लाइनों के बारे में सुना तो जा रहा है परन्तु अभी तक इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

उत्तरी सीमान्त रेलवे की दो शाखाएं, हल्दीबारी-जलपाईगुड़ी सैक्शन और लाटगुरी-छाग्गराबन्ध सेक्शन 1968 की बाढ़ में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इन लाइनों को पुन: चालू करने की कई बार मांग की जा चुकी है परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। मैं 1969 से 1971 तक रेलवे मन्त्री से इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार करता रहा हूं। परन्तु अब मंत्री महोदय ने, मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि तकनीकी आर्थिक सम्भावना सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा तकनीकी विशेषज्ञों के आवश्यक प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गए हैं और अब अन्तिम निर्णय शीघ्र ही कर लिया जाएगा और काम आगामी सर्दियों में आरम्भ हो जायेगा। परन्तु खेद का विषय है कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।

उत्तरी सीमान्त रेलवे प्रशासन में बहुत गम्भीर अनियमितताएं हो रही हैं। इस प्रशासन के विरुद्ध अनेक आरोप लगाये गये हैं। इनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और प्रशासन में कमियों को दूर किया जाना चाहिए। रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और इन जातियों के लोगों को तदर्थ नियुक्तियां दी जानी चाहिएं।

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट) : श्रीमान् लाभ का बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं। मैं रेलवे कर्मचारियों की उन महान सेवाओं की भी सराहना करता हूं जो उन्होंने भारत-पाक युद्ध के दौरान और इसके पश्चात् की है। इस समस्या का सामना करने में रेलवे कर्मचारियों ने जिस निष्ठा से अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुये जीवन का बलिदान किया वह सर्वथा सराहनीय है। हम उन देश भक्तों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवारों के सदस्यों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

रेलवे जन-उपयोगी उपक्रम है। यह मुनाफा कमाने वाला संगठन नहीं है। रेल उपक्रम भारत के सबसे बड़े और पुराने उपक्रमों में एक है परन्तु इसने अपेक्षित उन्नति नहीं की है। यात्रियों को अपेक्षित सुविधायें भी नहीं दी गई हैं। तीसरे दर्जे के डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई सुविधा नहीं दी जाती, और अत्यधिक भीड़भाड़ इस श्रेणी में यात्रा करने वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है।

हमारी रेलवे में बहु-श्रेणीय प्रणाली है जो ब्रिटिश शासन की देन है। रेलवे में समानता लाने के लिए अनेक प्रकार के सुझाव सरकार की तरफ से दिये गये हैं। जिनमें बाराबंकी से

समस्तीपुर की मीटर-गेज लाईन को बदलने का भी प्रस्ताव है। यह सबसे बड़ी परियोजना है जिस पर 46.80 करोड़ रुपया व्यय होगा। दिल्ली को कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए बड़ी लाइन बिछाने का भी एक प्रस्ताव बनाया गया है।

परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि रेलवे प्रशासन ने समस्त पूर्वी भारत की आवश्यक एवं अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ण उपेक्षा की है।

पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बारे में बजट में कोई नये प्रस्ताव नहीं है। वहां पर मोटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने और नई रेलवे लाइन का निर्माण करने के बारे में भी कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

उक्त क्षेत्र की न केवल ब्रिटिश शासन काल में ही उपेक्षा की गई थी बल्कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी अब तक उपेक्षा की जाती रही है। इसके परिणाम स्वरूप उक्त क्षेत्र बहुत पिछड़ता जा रहा है। इससे विकसित और विकासशील देशों में असमानता में और भी वृद्धि होगी।

आसाम राज्य के अनेक क्षेत्रों का रेल से कोई सम्पर्क नहीं बना हुआ है। काफी समय से यह मांग की जा रही है कि सभी नगरों के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरी करने तथा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये एक रेल लाइन द्वारा इन सभी नगरों को जोड़ा जाये परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

आसाम में माल डिब्बों की बहुत कमी है। इसके परिणामस्वरूप लोगों को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। उस राज्य के लिए पर्याप्त माल डिब्बों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

आसाम में रेल विभाग द्वारा चलाये जा रहे किसी भी स्कूल में शिक्षा का माध्यम आसामी भाषा नहीं है। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए की आसामी भाषा बोलने वाले भी अपनी मातृ भाषा में उन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकें।

राज्य में रोजगार की बहुत कमी है। वहां के स्थानीय लोगों को राज्य में रोजगार से वंचित रखा जाता है। इसी कारण आसाम में अनेक आन्दोलन होते रहते हैं।

बोंगाई गांव से तिनसुखिया तक बड़ी लाइन बिछाने के लिये अनेक बार आश्वासन दिये गये थे लेकिन अभी तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आशा है कि माननीय मन्त्री इस ओर ध्यान देंगे। अन्यथा पूर्वी क्षेत्र पिछड़ा रह जायेगा।

*श्री सी० टी० दण्डपाणि (धारापुरम) : यह प्रसन्नता की बात है कि पहली बार दक्षिण के लोगों की रेल सम्बन्धी समस्याओं और आवश्यकताओं की ओर रेल बजट में ध्यान दिया गया है।

गत 6 वर्षों में देश में 1512.84 किलो मीटर रेलवे लाइने बिछाई गई। उक्त अवधि में दक्षिण भारत में केवल 147.90 किलो मीटर रेलवे लाइनें ही बिछाई गई। गत 6 वर्षों में दक्षिण भारत की हमेशा उपेक्षा की गई है और रेलवे का विकास नहीं हुआ है।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised Translated Version based on english Translation of the Speech delivered in Tamil

दक्षिण भारत में अनेक रेलवे लाइनें बनाई जाने की आवश्यकता है। धारापुरम से होकर तिरूपति से पलानी तक रेल सम्पर्क स्थापित करने के बारे में ब्रिटिश प्रशासनकाल में सर्वेक्षण किया गया था। यह खेद की बात है कि रेलवे मंत्रालय ने उक्त रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। इसी प्रकार यदि उटकमण्ड को बरास्ता गुदालौर से रेल द्वारा मैसूर से जोड़ दिया जाये तो वहाँ जाने वाले पर्यटकों से काफी आय हो सकती है।

मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे महानगरों में ट्यूब रेलों के निर्माण के लिए शीघ्र सर्वेक्षण किये जाने चाहिये।

रेलों में 'ओपन लाइन वर्क्से' के शीर्षक के अन्तर्गत बजट में 2 करोड़ रुपये की बचत दिखाई गई है। यह बात स्पष्ट की जानी चाहिये कि क्या आरम्भ किये गये किसी कार्य को पूरा न करने से यह बचत हो पाई है अथवा उस मद के अन्तर्गत धन का आवंटित करने में कोई गड़बड़ी है।

समस्त देश में रेलवे कर्मचारियों को आवास की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस रेलवे बजट में रेलवे कर्मचारियों के आश्वासन के लिए 44.98 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है जो सर्वथा अपर्याप्त है। इस मद के अन्तर्गत अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिये। इन रेलवे कर्मचारियों को अनेक स्थानों पर मकान भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। इन कर्मचारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सरकार को इन्हें शीघ्र मकान भत्ता देना चाहिये। रेलवे बोर्ड ने इस बारे में पहले ही कानून बना लिया है अब उसे शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाना बाकी है। पोदानूर और सिंगानलूर में रेलवे कर्मचारियों को नगर भत्ता और आवास भत्ता देने की भी सिफारिश की गई है।

पोदानूर क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है। लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और वहां पानी की अभी भी बहुत कमी है।

यद्यपि माल डिब्बा निर्माताओं को प्रतिवर्ष 40,000 माल डिब्बों का निर्माण करने को कहा गया है लेकिन रेलवे ने अपनी 26,000 माल डिब्बों की मांग को कम करके 10,000 कर दिया है। माल डिब्बा निर्माताओं द्वारा बनाये गये शेष माल डिब्बों का क्या होगा यह बात स्पष्ट की जानी चाहिये। कोयम्बतूर में माल डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण आलू खराब हो रहे हैं। पंजाब में माल डिब्बों की कमी के कारण अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई हो रही है। माल डिब्बों की कमी के कारण उत्पादकों को बड़ी कठिनाई हो रही है। इस स्थिति में माल डिब्बों की मांग में कमी करने की बात हमारी समझ में नहीं आती।

रेलवे को समूचे रूप में प्रतिवर्ष हानि हो रही है लेकिन दक्षिण रेलवे से रलवे को लाभ हो रहा है। दक्षिण रेलवे प्रशासन प्रतिवर्ष कोयले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर 6 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। दक्षिण रेलवे को सस्ती दर पर कोयले की सप्लाई की व्यवस्था की जानी चाहिये। इससे दक्षिण रेलवे को और अधिक लाभ अर्जित करने में सहायता मिलेगी।

समस्त देश की डीजल इंजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केवल वाराणसी वर्कशाप को ही डीजल इंजनों का उत्पादन केन्द नहीं बनाया जाना चाहिए। दक्षिण में भी कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक स्थान पर डीजल इन्जन बनाने का कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए।

रेलवे से चोरी किये गये 95.11 लाख रुपये के माल में से केवल 40,000 रुपये का माल बरामद किया गया है। रेलवे में चोरी को रोकने के लिए शीघ्रता से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये।

रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : The Railway Minister deserves congratulations for presenting a surplus budget. The railway employees also deserve appreciation for playing an important part during Indo-Pak conflict. I hope that railway will make speedy progress in future.

The railway administrative policy should be amended according to time. I think there is no necessity of Railway Board and it should be abolished.

Railway is going in loss every year. Rail-road competition is on the increase. Transportation by road has increased. As a result of it railway is suffering losses. Nothing is being done to improve this situation. I will appreciate the steps the hon. Minister is going to take to convert the metre gauge line from Barabanki to Samastipur into broad gauge. This line will prove to be very convinent to the passengers of that area. And it will also be important for defence point of view.

Gauhati and Tinsukhia should be linked by a railway line as it will serve a very useful propose for the people of that area.

Strict measures should be taken to check ticketless travelling.

Gorakhpur—Chhitoni railway line, which was damaged due to floods, should be repaired without delay and reopened.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : It is very strange that nothing has been stated in the Railway Budget or its report regarding Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is very rich in natural resources, but those resources cannot be exploited due to lack of means of transport. Government has not paid any attention to the development of railways in that area.

Madhya Pradesh is a very backward state in the matter of railway lines. The Government has always been taking the plea that there are shortage of funds.

Railway line from Gwalior to Shivpuri has not been replaced so far. Railway line from Dhantari to Raipur has not been converted into broad gauge so far.

Although Madhya Pradesh is a very backward area in the matter of railway lines yet nothing has been done by the Government in this regard.

Delhi—Rajhara should be connected with Jabalpur *via* Rajnandgaon. This area is full of forest and mineral wealth. It will give a lot of revenue to the railways. But nothing has been done in this matter.

A Special Survey Commission should be appointed for Madhya Pradesh and it should give a report as to which of the railway lines are needed. People in Bastar area have not even seen a railway line in the jet era. Is it not a pity.

It is appreciated that almost all trains are running in time.

Madhya Pradesh need special attention. It should not be neglected in the matter of development. The Railway Minister should make specific commitment and assurance in this regard.

***श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** (कासरगोड) : रेल मंत्रालय काफी समय से केरल राज्य की

*मलयालम में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translation version based on English translation of Speech delivered in Malyalam.

उपेक्षा कर रही है। रेलवे ने भारत के उद्योग और कृषि विकास में बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा किया है एरणाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की मांग की जा रही है। इसके लिए बजट में बहुत कम धनराशि निर्धारित की गई है। इसमें वृद्धि की जानी चाहिए।

पजयानगड्डी में चीनी मिट्टी निकाली जाती है और कन्नानूर से सख्त लकड़ी का निर्यात होता है। माल डिब्बों के अभाव के कारण इन चीजों का निर्यात करने में लोगों को कठिनाई होती है। इससे केरल के व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

स्थिति में सुधार करने के लिऐ माल डिब्बों की सप्लाई में वृद्धि की जानी चाहिए।

अनेक लाइनों पर डीजल इंजन चलाये जा चुके हैं। मंगलौर और शोरनूर के बीच की लाइन का अभी तक डीजलीकरण नहीं किया गया है। इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। यद्यपि एक्सप्रेस गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गई है लेकिन प्लेटफार्म की लम्बाई को अभी तक बढ़ाया नहीं गया है जिसके कारण यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

तीसरी श्रेणी का किराया न बढ़ाकर सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किया है। केरल में कोचीन एक महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र है। कोचीन को शोरनूर से दोहरी रेलवे लाइन द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

केरल राज्य अनेक मामलों में पिछड़ा हुआ राज्य है। केरल राज्य के लोगों की तटवर्ती रेल लाइन बिछा देने की माग है। यदि ऐसी लाइन बिछा दी जाती है तो केरल से मछलियों का निर्यात किया जा सकेगा। इस बारे में सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

सब बड़े-बड़े नगरों में रिजर्वेशन की सुविधायें बढ़ाई जानी चाहियें।

बजट में केरल राज्य में केवल चार उपरि पुलों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। रेल फाटकों पर उपरि पुलों का निर्माण शीघ्रता से किया जाना चाहिये।

माल डब्बों की सप्लाई में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे कच्चे माल को, जो रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए आवश्यक है, केरल से लाया जा सके। उद्योग, कृषि और व्यापार के मामले में केरल राज्य में प्रगति होनी चाहिए।

रेल मंत्रालय को केरल को प्राथमिकता देनी चाहिए और राज्य को और अधिक माल डिब्बे सप्लाई किये जाने चाहियें।

Shri Jagdish Narain Mandal (Godda) : Railways have given some facilities but still lot of facilities have to be provided by railways to the passengers. Thefts and decoities in railways are very common. In most of the cases the railway employees or the railway police are in league with the Criminals. So when complaints are made they are not attended to. Government should take proper steps to check these incidents.

Although Santhal Pargana has a population of 32 lakhs. It has no Railway line. A survey has been made by the Government but nothing has been done in this matter. Construction of a railway line will open new vistas for the region.

No drinking water is available at Karmatad railway Station, People want that Toofan Express should stop there. It will result in increase in income to railways.

Barauni Express should have a halt at Mathurapur. It will remove the difficulties of the passengers there.

Shri Ram Dhan (Lalganj) : I support the Railway Budget. I appreciate the services rendered by the railway employees at the time of the recent Indo-Pak conflict. The members of the family of these employees who have sacrificed their lives for the sake of the motherland should not be neglected.

Their secrifice and exemplary courage is like that of the jawans of our armed forces. It is our first and foremost duty to boost their morale.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to certain important factors. They should not confuse that the loss has been minimised due to the efficiency shown by the officers or minimising the expenditure in the railways. Had the Railway Convention Committee not given concession of Rs. 22 crores and had the income not increased by Rs 17 crores by way of fare and freight increase, the Railway Budget would have been a deficit budget even to-day. I disagree lock, stock and barrel to the statement given by the hon. Minister that the low production a has decreasal the railway traffic. The fact is that coal was not lifted throughout the year from the mines in Bihar and West Bengal. This led to the clasure of certain mines and rendered poor workers jobless. As a result of that bribery and black-marketing are rampant in the business of coal. Similarly traffic of sugar, cement and foodgrains was also disrupted. The fact for less traffics is that production was low in steel plants and in the public sector undertakings.

An efficient railway management is inevitable and needed for lifting nine and a half crore tonnes of goods next year. If the Eastern and South-Eastern Railways are not prepared for bearing this burden, they will meet the same fate in 1972-73 as they did last year. They should start their efforts just now.

The railway staff, especially Station Masters, Traffic Inspectors, Guards, etc. who work sincerely day in and day out, should be given timely promotions and increments. The hon. Minister has stated in his budget speech that the railway employee who will be helpful in bringing any case of corruption to the notice of the government would be rewarded. I have no hope whether any action will be taken against any officer found involved in corrupt practices.

The proposal of converting metre-gauge lines into broad gauge lines is appreciable but wasteful expenditure should be curtailed while doing so. There is necessity of converting metre gauge lines into broad gauge lines from Barabanki to Barauni and not from Guntkue to Bengalore. Therefore priority for the first should be given.

Metre gauge lines in eastern region need conversion. Especially the railway lines in Eastern Uttar Pradesh shonld be converted into broad gauge lines. This will remove regional imbalances. Survey has been conducted in this regard but no action has so far been taken.

The scheme of modernization is to be looked into seriously. All Mail and Express trains are useful for the rich. High speed trains do not cater the needs of growing number of III class passengers. Janata trains should be increased for them.

A large amount of money is being spent in the name of repair but still we find coaches and furniture in I class waiting rooms in wretched condition. It is reported that electric and diesel locomotives are lying idle for the years. Similar is the fate of old box wagons. Will the hon. Minister inquire into through a Parliamentary Committee the reasons why the railway line from Kattawalsa—Kirandur, which was laid five years ago, is being relaid. Neither the vigilence department nor the C. B. I. has any account of bungling which takes place in the matter of inviting tenders.

In order to stop theft and pilferage from sheds 17 R. P. F. Act should have been enforced but the Railway Board does not allow it to be enforced.

The Minister should also look into the reasons as to why the instructions regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in the railways are not being followed.

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : The disparity in the salaries between the highest paid and the lowest paid employees of the railway should be minimised. Attention should be given to increase the salary of the lowest paid staff.

The Study Team of Railway gave its recommendations.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए । / Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

According to it the staff in the lower categories should not be transferred frequently. This dislocates the work of railways and create unnecessary difficulties for the staff and their families.

The saloons should be completely done away with because they are the symbol of slavery.

The railway administration has recognised two federations. These two federations do not represent all the categories of employees. The Ministry of Railways is considering scheme of giving recognition to only one union. That union should be so constituted that proper representation can be given to all the categoies of the employees.

Buxar-Delhi Express has recently been introduced. It takes 24 hours in reaching Delhi from Varanasi. This train should be commenced either from Varanasi or Jaunpur *via* Kanpur.

The Station of Jaunpur on Lucknow section is a paying one but there is no shade on the platform. The hon. Minister should look into it.

The condition of most of the platforms and stations on way side stations is deplorable. There are no shades on the platforms. The Government should improve the condition.

Shri Arvind Netam (Kanker) : The Reservation charts pasted on the III class Compartments at New Delhi Station are illegible. This create difficulty for passengers. The railway administration should look into it.

Bastar is the most backward region. In the district of Bastar there is great scarcity of transport facilities. Bailadila is an important place there. Raipur is the nearest railway station to Bailadila which is two hundred and seventy five miles away. Bailadila has deposits of iron-ore and a project is also going on there. There is a goods train from Bailadila to Baijag but there is no passenger train there. This creates immense difficulties for the Labourers employed in mines.

The introduction of goods and passenger trains may increase the revenue of railways.

Perhaps a survey has been conducted for laying a line between Dali Rajhara and Bailadila, if not, it should be conducted. There is large deposits of iron-ore at Raoghat which is located between these two places.

The railway line from Raipur to Banitari be converted into broad gauge line immediatly.

Raipur should be connected with Allahabad by a through train or a bogie.

There should be a direct train or a bogie from Raipur to Bhopal *via* Nagpur also.

I hope the hon. Minister will consider the proposal of constructing an overbridge in Telghani Naka area in Raipur city.

The condition of trains in South-Eastern Railway is miserable. There is no proper arrangement of light, water and sanitation in these trains.

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The persons from Mysore are being given preference in appointments in the Ministry of Railways since the new Minister has taken over the portfolio. Not only that more lines are being given to Mysore at the cost of other regions. (*Interruption*).

The contract system for vendors at the railway stations which is becoming a mono-

poly of a few businessmen should be abolished. The contracts for selling eatables at railway platforms should be given to the actual vendors.

The railway track in the Bhind-Morena and Shivpuri, which is one of the backward regions of the country should be connverted into broad gauge.

There is a long standing demand from T. T. Es. etc. to include them into running staff. Government should look into it.

The Government officers dealing with punchases in railways are in league with unscrupulous traders. They are cheating the railways by taking commission from traders privately. Such malpractice should put to an end.

डा० कैलाश (बम्बई-दक्षिण) : मंत्री महोदय ने गत वर्ष के बजट भाषण में कहा था कि क्षेत्रीय असमानतायें दूर करने के लिए प्रयास किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में उन्होंने इस बजट में कन्याकुमारी को हिमालय से मिलाने जैसी महत्वपूर्ण बातों की घोषणा की है।

किराये ढांचे को युक्ति संगत बनाने के लिए मन्त्री महोदय ने सीजन टिकटों की दरों में वृद्धि की है। ऐसा करके उन्होंने पूना तथा सूरत में रहने वाले और बम्बई में काम करने वाले व्यक्तियों के प्रति अन्याय किया है जो क्रमशः डक्कन क्वीन तथा फ्लाइंग रानी में यात्रा करते हैं। अतः इन गाड़ियों के सीजन-टिकटों की दरों में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए।

बम्बई में भूमिगत रेलवे के लिए काफी दिनों से माँग की जाती रही है परन्तु उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मन्त्री महोदय को चाहिए कि बम्बई में भूमिगत रेलवे की व्यवस्था करने के लिए उपाय करें।

माथेरान हिल स्टेशन जाने के लिए छात्रों को रेल टिकटों में रियायत दी जाती थी उसे बन्द कर दिया गया। लिखा-पढ़ी करने पर मन्त्री महोदय ने बताया कि वह लाइन लाभ-प्रद नहीं है अतः रियायत नहीं दी जा सकती। क्या रेलवे पैसा कमाने के लिये ही है अथवा समाज के गरीब वर्ग को सुविधा देने के लिए जो अपने जीवन में हिल स्टेशन जा सकें?

राजस्थान को बम्बई से जोड़ने के लिये फ्रंटियर-मेल की लाइन प्रमुख लाइन है परन्तु झुंझुनू से सवाई माधोपुर तक मीटर लाइन की गाड़ी समय पर नहीं पहुँचती है तो दिल्ली अथवा बम्बई के लिए फ्रंटियर मेल रवाना हो जाती है। इन गाड़ियों के पहुँचने तथा रवाना होने में 20 मिनट समय रखा गया है। या तो यह समय 45 मिनट कर दिया जाए अथवा झुनझुनू से आने वाली गाड़ी को एक्सप्रेस अथवा मेल बना दिया जाये।

बम्बई में रेलवे की जमीन बेकार पड़ी हुई है। उस जमीन में रेलवेमेन के लिये दो-कमरे अथवा तीन-कमरे वाले मकान बना दिए जाने चाहिए।

टी० टी० ई० को अभी तक रनिंग स्टाफ में शामिल नहीं किया गया है। उन्हें दिन में तो बैठने को स्थान भी नहीं मिलता है और रात में सोने को भी नहीं मिलता। अतः उन्हें सुविधायें दी जानी चाहिए।

रत्नागिरि क्षेत्र में बहुत खनिज पदार्थ निकलते हैं परन्तु वहां रेल-लाइन नहीं है। सर्वेक्षण कर लिया गया है परन्तु बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : यदि रत्नागिरि रत्न उत्पन्न करेगी तो वहां लाइन बिछाई जाएगी।

डा० कैलास : रत्नागिरि ने तिलक, गोखले और रानाडे जैसे पुरुष रत्नों का जन्म दिया है।

सवाई माधोपुर स्टेशन पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के यात्रियों को सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जहां उन्हें अगली गाड़ी पकड़ने के लिए आठ घंटे विश्राम करना पड़ता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डयमंड हार्बर) : भारतीय रेलवे में हालत खराब होने का कारण अधिक पूंजी का लगाया जाना है। रेलवे में 17 लाख कर्मचारी काम करते हैं जिनमें नैमित्तिक श्रमिक भी है। उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके लिए प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों का प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

रेलवे गत 15-20 वर्षों में कुप्रबन्ध और अकार्यकुशलता के कारण अधिक भाड़े वाला यातायात खो कर कम-भाड़े वाले यातायात पर टिक गया है। माल-भाड़ा आप का प्रमुख स्रोत है न कि यात्री-भाड़ा।

मैंने राजस्व तथा उपयोगिता-प्रधान व्यय के बारे में पहले कई बार कहा था। परन्तु अभी तक व्यय का वही पुराना तरीका चल रहा है जिसकी न कोई उपयोगिता है और न ही जिससे राजस्व मिलता है।

तृतीय श्रेणी के यात्रियों से रेलवे को बहुत आय होती है फिर भी उनके लिए प्रत्येक डिब्बे में पेय जल की टंकी तथा नारियल-जटा के गद्दे की व्यवस्था नहीं की गई है।

मार्टिन लाइट रेलवे के बारे में मैंने बार-बार शिकायत की है। रेलवे का 3000 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद भी इस रेलवे में कोई परिवहन अर्थशास्त्री नहीं है। मार्टिन लाइट रेलवे पुरानी संस्था है। यदि सम्पत्तियों को कीमत नहीं के बराबर है। इस रेलवे में पूंजी नहीं के बराबर होते हुए भी यह प्रतिदिन 35,000 से 40,000 तक यात्रियों की सेवा करती है रेलवे चलाने का आपके पास एकाधिकार है। आपके अतिरिक्त रेलवे को और कोई नहीं चला सकता। आप दक्षिणी सियालदह डिविजन की रेलवे के बारे में क्या कर रहे हैं? यहां रेलें कभी भी नियमित रूप से नहीं चलतीं। हम यहां दिये गए आपके आश्वासनों पर अधिक विश्वास नहीं करते।

पता नहीं आप नर्सों को दी जा रही सुविधाओं को क्यों वापिस ले रहे हैं। आप इन सुविधाओं को जारी रखने पर क्यों नहीं विचार करते?

आपने मासिक टिकटों का मूल्य बढ़ा दिया है। आप टिकट की इस मूल्य वृद्धि पर भी विचार करें।

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : रेलवे बजट का काफी स्वागत हुआ है। सदन के अन्दर और बाहर इसकी प्रशंसा हुई है। रेलवे प्रशासन का हमेशा से यह प्रयत्न रहा है कि कमियां दूर की जायें और सुधार लाए जाएं।

जहां तक उपनगर दर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का प्रश्न है, इसका विरोध-बम्बई के माननीय सदस्यों के अतिरिक्त और किसी ने नहीं किया। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के महानगरों को समान मानना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इन शहरों के लोगों को थोड़ा अधिक

देना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ क्षेत्रों में अधिक रेलवे लाईनें हैं और कुछ में कम। क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। हर राज्य को रेलवे लाईन दिये जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

भाड़े तथा किराये की दरों पर संतुलित ढंग से विचार किया जाना चाहिए। वस्तुओं तथा सामग्री की दरें बढ़ रही हैं। पिछले दस वर्षों के दौरान मजूरी की दरें भी काफी बढ़ गयी हैं। अति पूंजीकरण तथा लाभांश की अदायगी के प्रश्न पर अभिसमय समिति में विचार किया जा चुका है और कमेटी की जो सिफारिशें सदन ने स्वीकार कर ली हैं उनके सम्बन्ध में उल्लेख मैंने अपने बजट भाषण में किया है।

यह भी आरोप लगाए गए हैं कि लेखों में हेरफेर किए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक तथा वित्त सदस्य अथवा वित्तीय आयुक्त आदि ऐसा नहीं करने देंगे।

यह बात सच है कि ऊंचे भाव की वस्तुएं सड़क द्वारा ले जायी जाती हैं, रेल द्वारा नहीं। हम ऐसी वस्तुओं को रेल द्वारा सुरक्षित ढंग से भेजने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। बहुमूल्य वस्तुएं चोरी, हानि तथा विलम्ब के भय से भी रेल द्वारा नहीं भेजी जातीं। हमने इन बुराईयों को दूर करने के लिए आन्दोलन चलाया है।

अनुसूचित जाति के लोगों के हित रेलवे प्रशासन में सुरक्षित हैं। वे अपने अधिकारों के अनुसार नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं। अनुसूचित जाती से सम्बन्ध रखने वाले एक व्यक्ति को रेलवे सेवा आयोग, नागपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

मध्य प्रदेश की उपेक्षा करना रेलवे प्रशासन की नीति नहीं है। मध्य प्रदेश को वर्तमान रेलवे लाईनों से अधिक रेलवे लाईनें मिलनी चाहियें। मध्य प्रदेश में अभी हाल में सिंगरौली से कटनी तक बड़ी लाईन का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश में अनेक सर्वेक्षण भी किए 'गए हैं। सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद अधिक लाईनों की व्यवस्था की जायेगी।

सिंहना स्थित तांबे के कारखाने तथा उर्वरक संयंत्र को 33 किलोमिटर लम्बे रेल मार्ग द्वारा जोड़ने के लिए 2.8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस लाईन के दिसम्बर, 1973 तक पूरा होने की सम्भावना है।

बंगलादेश के स्वतन्त्र होने से पहले असम जल तथा रेल मार्ग के मामले में बंगला देश से कटा हुआ था अब हमने बंगला देश की रेलवे को शेष भारत के साथ जोड़ दिया है और पहले की तरह जलमार्ग भी कलकत्ता और आसाम के अन्य क्षेत्रों के बीच खोल दिए हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने मांग की है कि रेल के किराये में की गई वृद्धि को दूर किया जाये। हम इस बारे में कुछ नई नीति निर्धारित करने जा रहे हैं। नई रेलवे लाइनों को खोलने तथा उनसे प्राप्त होने वाली आय की दृष्टि से किराये में वृद्धि अनिवार्य है जिसे सारे देश में लागू करना अनिवार्य है। ऐसा करने से हम नई लाईनें खोलने की मांगें पूरी कर सकते हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker *in the Chair*]

ऐसा भी कहा गया है कि अधिकारियों को अधिक दैनिक भत्ता मिलता है क्योंकि जोधपुर

मेल 12 बजकर 5 मिनट पर चलती है। हम इस प्रणाली को समाप्त करने जा रहे हैं। अब 1 मई, 1972 से जोधपुर मेल तेज चलेगी ताकि पांच मिनट का यह अन्तर पूरा हो जाये और अधिकारी अधिक भत्ता न ले सकें।

रेलवे में समय समय पर आकस्मिक नौकरियां खुलती रहती हैं। नैमित्तिक श्रमिकों के हितों को अधिकाधिक ध्यान में रखा जाता है। छः महीने से लगातार सेवा करने वाले खुली लाईनों के नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित वेतनमान दिये जाते हैं। हमने ऐसे भी नियम बनाये हैं कि नियमित नौकरियों की भर्ती नैमित्तिक श्रमिकों में से की जाये। नैमित्तिक श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए यथासम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं फिर भी प्रत्येक नैमित्तिक श्रमिक को स्थायी बनाना असम्भव है।

हमने भारतीय रेलवे की सिगनल प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए रेलवे सिगनल कर्मशाला पडनूर और गोरखपुर में स्वदेशी सिगनल के औजार बनाने का निर्णय किया है। इन दो कर्मशालाओं ने अनेक बिना टोकन वाले ब्लाक इन्स्ट्रूमेंट बनाये हैं जिसके फलस्वरूप हमने इस वर्ष 25 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत की है। इन कर्मशालाओं में 40 लाख रुपये की लागत वाली मशीनें लगाने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि आगामी दो वर्षों के अन्दर रेलवे की जरूरतों के मामले में आत्मनिरभंता प्राप्त की जा सके।

ऊपरी तथा नीचे के पुलों के निर्माण की योजना पिछले वर्ष चलायी गई थी। इस योजना का काफी स्वागत हुआ क्योंकि इससे रोजगारों के अवसर मिलते थे। इसमें कुछ प्रगति भी हुई है। पिछले वर्ष तक 16 पुल बन रहे थे और अब यह संख्या 64 तक बढ़ गयी है। लेकिन देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह निर्माण कार्य पर्याप्त नहीं है।

कुछ सदस्यों ने जगह जगह पुल न बनाने पर रोष प्रकट किया है। हमारी योजना के अनुसार राज्य सरकार को स्थान का चयन करना पड़ता है। कुछ राज्य सरकारों ने इस योजना का लाभ उठाया है और प्रदत्त राशि का उपयोग इस योजना के लिए किया है मैं इस बारे में मुख्य मन्त्रियों से फिर बातचीत करूंगा।

यात्रियों की सेवाओं के लिए रेलवे प्रशासन, विभिन्न राज्यों द्वारा स्थापित राज्य सड़क परिवहन निगमों के साथ वित्तीय तौर पर भाग लेता आ रहा है। परिवहन नीति और उत्पादन समिति की परिवहन की विभिन्न प्रणालियों सम्बन्धी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। सड़क तथा रेल परिवहन के मेल जोल का कार्य योजना आयोग को सौंपा गया है।

माननीय सदस्यों ने मार्ग के दोनों ओर की भूमि को कृषि तथा अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाने की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। कृषि मन्त्रालय ने सूरजमुखी फूल उगाने की योजना बनायी है। सरसों के तेल के बीज भी ऐसी जमीन में उगाये जा सकते हैं। इन योजनाओं को लागू करने के लिए मैं सम्बन्धित अधिकारियों को उचित आदेश दूंगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इन योजनाओं में रुचि लें क्योंकि वे इन योजनाओं को लागू करने के लिए रेलवे प्रशासन तथा कृषि व मत्स्यपालन विभाग के बीच तालमेल स्थापित कर सकते हैं। कई माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि 14 दिन की लड़ाई में मारे गये व घायल लोगों को हमने कितनी वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता दी है। लगभग 13 व्यक्ति मारे गये। विभिन्न निधियों में से जिसमें कि रेलवे मन्त्री की ऐच्छिक निधि भी शामिल है, हर ऐसे परिवार

को जिसका सदस्य मारा गया 11,000 रुपये की राशि का अनुग्रहात भुगतान किया गया है। 60 रुपये से लेकर परिवार पेंशन भी दी जा रही है। कुछ लोगों को वेतन के अनुसार 40 रु० पेंशन मिल रही है। बोनस भी दिया जा रहा है। जिन परिवारों के सदस्य मारे गये हैं, उनके साथ उदारतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। घायल लोगों को भी 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक यहां तक कि 1000 रुपये तक की राशि दी गई है। जिन कर्मचारियों ने देश का साथ दिया और कष्ट उठाये हैं, उनकी यथा सम्भव रक्षा की जायेगी।

मैंने स्वयं देखा है कि इन सैलूनों का प्रयोग छुट्टी मनाने के लिए नहीं किया जा रहा है। जो रेलवे अधिकारी निरीक्षण के लिए जाते हैं, वही इन सैलूनों का प्रयोग करते हैं। मैंने उपलब्ध सैलूनों की सूची तैयार करने के अनुदेश जारी कर दिए हैं। पहली बार इनकी संख्या में कमी करने की योजना बनाई गई है।

कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों को पूरा करने के लिए कार्मिक प्रबन्ध हेतु एक अलग संवर्ग बनाया जाना चाहिए। यही सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग के सभापति ने भी भारत सरकार के समक्ष रखा था और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। रेलवे प्रशासन इसे कार्यान्वित करेगा।

कई माननीय सदस्यों ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बारे में भी उल्लेख किया। अध्ययन दलों ने भी मुझ से पूछा है कि इन सिफारिशों का क्या हुआ। मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर रेल मन्त्री, रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री, रेलवे बोर्ड के सदस्य तथा इसके अध्यक्ष द्वारा एक आम बैठक में विचार किया गया था। सभी लोगों ने इन सिफारिशों को मतैक्य से स्वीकार किया। अब इनको कार्यान्वित किया जा रहा है। एक या दो सिफारिशें ऐसी हैं, जिन पर मन्त्रिपरिषद की अनुमति लेना आवश्यक है।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त सदस्यों की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि मैंने उन पदों को खाली रखा है। इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कुछ समय लगेगा और मुझे आशा है कि इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप रेलवे प्रशासन में भी अवश्य सुधार होगा।

कई सदस्यों का विचार है कि यदि उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या कम कर दी जाए तो प्रशासनिक व्यय में कमी हो जाएगी तथा इस प्रकार कुछ बचत होगी, लेकिन मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि अधिकांश कर्मचारी निम्न श्रेणी में काम करने वाले हैं और उनकी संख्या 13 लाख के लगभग है और यदि में अधिकारियों की संख्या कम भी कर दूं, तो आधे करोड़ से अधिक बचत न होगी और वित्त की दृष्टि से यह बचत कोई अधिक नहीं है। इस विषय पर मैंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों से भी बातचीत की है वह भी इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि किस प्रकार रेलवे प्रशासन का सुधार कर उस पर व्यय कम किया जा सके। रेलवे बोर्ड के सदस्य उसी ढंग से काम करेंगे जैसे कि सदन उनसे अपेक्षा करता है।

कई श्रमिक नेताओं ने श्रमिकों को प्रबंध में भागीदार-बनाने की बात कही है। भागीदार बनाने से उनका क्या तात्पर्य है, यह बात उन्हें स्पष्ट करनी चाहिए और यदि प्रबंध में भाग लेना है, तो हड़ताल के प्रश्न को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने इस प्रश्न को लिया है प्रबंध में भागीदारी कोई नया विषय नहीं है। इस सम्बन्ध में देश में कई अध्ययन रिपोर्टें तथा योजनायें तैयार की गई है मेरा अनुरोध है कि इनमें से एक योजना या अध्ययन प्रतिवेदन का क्रियान्वित किया जाए।

श्री के० हनुमन्तैया : माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं, मैं उसका विरोध नहीं करता। यदि माननीय सदस्य प्रबन्ध में वास्तविक और प्रभावी भागीदारी के बारे में पूछना चाहते हैं तो जैसाकि मैंने पहले भी कहा हड़ताल के प्रश्न को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। यदि वे कहीं-कहीं एक निदेशक अथवा सदस्य चाहते हैं, तो मैं इस बात को बिना किसी हिचकिचाहट के मानने के लिए तैयार हूँ। परन्तु मैं इस रूप में प्रभावी भागीदारी के हक में हूं जैसे कि रेलवे बोर्ड के महाप्रबंधक या अध्यक्ष प्रशासन में अपनी जिम्मेदारी अनुभव करते हैं। मैं चाहता हूँ कि भागीदार श्रमिक नेता और श्रमिक प्रतिनिधि जिम्मेदारी के उस स्तर तक आ जायें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जायें जिससे हड़ताल की नौबत ही न पहुंचे।

श्री के० हनुमन्तैया : इस विषय के निष्कर्ष में एक दम कुछ कहना असंगत है। मेरा सभी श्रमिक नेताओं से अनुरोध है कि वे इस विषय के बारे में मिलकर योजना बनायें। उनके सुझावों का स्वागत है। प्रत्येक सदस्य के सुझावों का अलग-अलग उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि इस काम में 8-9 घण्टे से अधिक समय लगेगा। वाद-विवाद के दौरान विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों के सम्बन्ध मे मैं बोर्ड से या बोर्ड से सम्बन्धित निदेशकों को प्रत्येक बात और सुझाव पर विचार करने का निदेश दूंगा और उसके उत्तर सदस्यों को भेजे जायेंगे।

कई सदस्यों ने शिकायत की है कि उन्हें उत्तर जल्दी नही मिलता। मेरे लिए देश की सभी रेलवे लाईनों का ज्ञान रखना संभव नहीं है। यदि माननीय सदस्य किसी रेलवे लाईन के बारे में कोई प्रश्न करते हैं, तो उसकी जाँच हेतु मैं सम्बन्धित विभाग से रिपोर्ट तैयार करने को कहता हूं। अतः इस प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक ही है। यदि विभाग द्वारा सही रिपोर्ट नहीं दी जाती तो माननीय सदस्य उस सम्बन्ध में मुझे समस्या से अवगत करा सकते हैं और यदि मामला बहुत गम्भीर होगा तो मैं स्वयं मौके पर जाकर उसकी जांच करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मार्टिन लाईट के पुनः खोले जाने के बारे में क्या किया जा रहा है तथा बंगला देश तक कब रेल चलाई जाएगी ?

श्री के० हनुमन्तैया : मैंने मार्टिन लाइट रेलवे लाईन को पुनः चलाने का प्रस्ताव नहीं किया है। जहां तक बंगला देश का सम्बन्ध है। प्रत्येक लाइन को रेलवे से जोड़ दिया जाएगा और दोनों देशों के बीच जलमार्ग व्यवस्था का भी पारस्परिक लाभ के लिए समन्वय किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा रेल मन्त्रालय की लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखीं गईं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands for grants on account in respect of Ministry of Railways were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1	रेलवे बोर्ड	41,29,000
2	विविध व्यय . . .	1,80,48,000
3	चलित लाइनों और अन्य को भुगतान .	4,28,000
4	संचालन व्यय—प्रशासन . . .	22,40,12,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण .	77,39,73,000
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी . .	47,85,74,000
7	संचालन व्यय—परिचालन (ईंधन) . .	43,19,61,000
8	संचालन व्यय—परिचालन-कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर	12,63,23,000
9	संचालन व्यय—विविध व्यय .	9,64,89,000
10	संचालन व्यय—कर्मचारी-कल्याण . .	7,33,31,000
11	संचालन व्यय—मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	27,50,00,000
11क	संचालन व्यय—पेंशन निधि में विनियोग	4,00,00,000
12	सामान्य राजस्व को लाभांश .	4,54,02,000
13	चालू लाइन निर्माण कार्य (राजस्व) . . .	1,75,09,000
14	नई लाइनों का निर्माण—पूंजी और मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि	9,42,97,000
15	चालू लाइन निर्माण कार्य—पूंजी, मूल्य-ह्रास आरक्षित निधि तथा विकास निधि	163,04,85,000
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	2,52,63,000

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक

Appropriation (Railways) Vote on Account Bill

श्री के० हनुमन्तैया : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1972-73 के विनियोग (रेल) एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का लेखानुदान विधेयक उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1972-73 के विनियोग (रेल) एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कतिपय राशियों के निकाले जाने का लेखानुदान विधेयक उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री हनुमन्तैया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1972-73 के विनियोग (रेल) एक भाग

की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का लेखानुदान विधेयक उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1972-73 के विनियोग (रेल) एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का लेखानुदान विधेयक उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1 तथा अधिनियमन तथा सूत्र विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the enacting formula and the title were added to the bill.

श्री के० हनुमंतैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सामान्य बजट—सामान्य चर्चा

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION

अध्यक्ष महोदय : अब सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा होगी।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : सभा पटल पर रखा गया बजट स्पष्टत: इस बात का द्योतक है कि इसका चुनाव में लगाए गए 'गरीबी हटाओ' तथा सामाजिक प्रजातंत्र जैसे नारों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे पता चलता है कि अप्रत्यक्ष कराधान द्वारा और पूंजीवाद का निर्माण करके तथा एकाधिकारियों के हाथों को मजबूत करके सामान्य जनता पर करों का भारी बोझ डालकर वही पुरानी नीति अपनाई गई है। अत: यह बजट 'गरीबी हटाओ' का न होकर अपितु 'गरीबी बढ़ाओ' का है।

पिछली बार मंत्री महोदय ने जब बजट हमारे समक्ष रखा था, तो उन्होंने कहा था कि

अर्थव्यवस्था का सामान्य पुनः प्रवर्तन किया जाएगा। किन्तु अपने इस बजट भाषण में उन्होंने कहा है :

"आर्थिक विकास की गति 1971-72 में धीमी रही है, अन्य भी कई प्रवृत्तियां हैं जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। खाद्यान्नों से भिन्न वस्तुओं का आयात तेजी से बढ़ा है, परन्त निर्यात के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। इसके परिणामस्वरूप चालू राजस्व वर्ष में आयात-निर्यात का व्यापारिक अन्तर (ट्रेड-गैप) काफी बढ जाने की संभावना है। सामाजिक कल्याण के जो विभिन्न कार्यक्रम पिछले दो वर्षों में प्रारम्भ किए गए हैं, उनमें अभी गति आ नी है।"

आर्थिक विकास की गति धीमी होना कोई बुरी बात नहीं है। विशेषकर पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था सकटों से मुक्त नहीं है। किसी एक क्षेत्र में विकास होता है तो अन्य में ह्रास। हमारी अर्थव्यवस्था तब तक सुधर नहीं सकती जब तक अर्थव्यवस्था के समूचे आधार में पूर्णतः और मूलतः परिवर्तन नहीं किया जाता। यह बजट पूंजीवाद का निर्माण करने वाला तथा एकाधिकार बढाने वाला है। यही कारण है कि बजट पेश होने के बाद बम्बई की स्टाक मार्किट तथा कलकता मेलिड्रान्स रेंज में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस बजट में अप्रत्यक्ष कराधान द्वारा सामान्य जनता पर ही अधिक दबाव डाला गया है प्रत्यक्ष कराधान की राशि बहुत तुच्छ है। वर्ष भर में 24 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं और इस वर्ष के बजट काल में तो केवल 16 करोड़ रुपये के प्रत्यक्षकर लगाए गये हैं। बाकी राशि अप्रत्यक्ष करों द्वारा वसूल की जायेगी। मिट्टी के तेल और अन्य वस्तुयें जैसे अल्युमीनियम, इस्पात, रेयन, तम्बाकू इत्यादि पर जो कर लगाये गये हैं, उनसे साधारण जनता बुरी तरह प्रभावित होगी और कर बढ़ने के परिणाम स्वरूप मुद्रा स्फीति होगी। बढ़ती कीमतें जनता के लिए हानिकर।

सरकार ने पुनः घाटे की अर्थ व्यवस्था की है। पिछली बार यह 220 करोड़ रुपये थी और इस बार यह बढ़ कर 242 करोड़ रुपये हो गई है। इसका परिणाम यह होगा कि मूल्यों में और वृद्धि हो जायेगी। इस प्रकार इसका प्रभाव मूल्य वृद्धि को रोकना नहीं है, वरन मूल्यों में और वृद्धि करना है। क्या समाजवाद लाने का यही मार्ग है। वास्तव में सरकार समाजवादी नारों के अन्दर पूंजीवाद को बचाने का प्रयास कर रही है।

रेल भाड़ों में वृद्धि भी वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि में सहायक होगी और परिणामस्वरूप निर्धनता बढ़ेगी तथा गरीब-अमीर के बीच आय असमानता बनी रहेगी।

इस बजट को समाजवाद की ओर बढ़ता हुआ कदम माना है। वित्त मन्त्री ने बजट के प्रथम भाग के अन्तिम वाक्य में कहा :

"सम्मानित सदस्य आश्वस्त रहें कि हम आगामी महीनों में उसी भावना के साथ और व्यापक क्षेत्र में अपने प्रयत्नों को जारी रखेंगे जिससे समाजवादी समाज का निर्माण करने के आदेश का तेजी और जोश के साथ पालन किया जा सकेगा।"

यदि इसी प्रकार का समाजवाद वह लाना चाहते हैं, तो वह अपने को धोखे में रख रहे हैं।

समाजवाद पूंजीवाद व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। समाजवाद कई प्रकार का हो सकता है लेकिन अन्ततः यह श्रमिक वर्ग का शासन होता है। शब्दों के जाल से आप भोली जनता को बेशक धोखा दे लें, आप समाजवादी आवरण के अन्दर पूंजीवाद को सुरक्षित रखना चाहते हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं और ऐसे बजटों के द्वारा पूंजी कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित हो गई है। 75 एकाधिकारी परिवार पूंजी के अधिकांश भाग के मालिक बने बैठे हैं। एकाधिकार आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा तथा बिरला द्वारा चलाए जा रहे 75 व्यापार गृह 1,' 36 कम्पनियों का नियन्त्रण कर रहे हैं। समवाय कार्य विभाग के अनुसंधान तथा सांख्यिकी विभाग के एक सर्वेक्षण के अनुसार समूचे गैर निगम क्षेत्र (Private Corporate sector) की आस्तियों में 1967-68 में (बैंकिंग कम्पनियों को निकाल कर) 7,500 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और इसमें एकाधिकार गृहों का भाग 1967-68 में 53.8 प्रतिशत था जबकि 1963-64 में यह 46.9 प्रतिशत के लगभग था।

अब तक जो पचवर्षीय योजनाएं बनी और कार्यान्वित हुई हैं, उनसे वास्तव में एकाधिकारियों के हाथों में आर्थिक शक्ति संचित होने में सहायता मिली है। भारत एकाधिकारी पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है, न कि समाजवाद की ओर।

पिछली बार भी मैंने यह मामला उठाया था। 1963-64 और 1967-68 के दौरान बिरला बन्धुओं की अस्तियों में 283 करोड़, टाटा बन्धुओं की आस्तियों में 176 करोड़, मफत लाल की आस्तियों में 90 करोड़ तथा सूरज मल नागरमल की आस्तियों में 50 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। पिछली लोक सभा भंग होने के बाद 15 अगस्त, 1970 और 10 अप्रैल, 1971 के बीच एकाधिकारियों को 97 नए लाइसेंस जारी किए गए। इनमें 7 टाटा बन्धुओं को, 8 बिरला बन्धुओं को, 4 श्रीराम को, 3 साहू जैन को, 6 सिंहानिया को, 2 ए० सी० सी० और 3 डालमिया को दिए गए। क्या इसी प्रकार गरीबी हटाई जायेगी ? 1971 के चुनावों के बाद 113 लाइसेंस बड़े व्यापारियों को ही जारी किए गए। इस प्रकार एकाधिकारियों को सभी सम्भव तरीकों से सहायता पहुंचा कर देश में सरकार ऐसी ही आर्थिक व्यवस्था ला रही है। वर्ष 1950-51 से प्रत्यक्ष कराधान का अनुपात लगातार कम हो रहा है और अप्रत्यक्ष कर अधिक लगाए जा रहे हैं। सरकार का यह कहना कि उसने यह कर न्यायोचित ढंग से लगाए हैं, बिल्कुल निराधार है। करों की अधिकांश राशि सामान्य जनता से ली जा रही है। 1963-64 मे आय तथा सम्पत्ति पर कर 554.52 करोड़ से बढ़ाकर 1122.73 करोड़ रुपये कर दिया गया और यह वृद्धि लगभग शत प्रतिशत है।

इसी अवधि के दौरान अन्य वस्तुओं पर भी कर 1,079.30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,106.13 करोड़ रुपये कर दिए गए हैं और यह वृद्धि 300 प्रतिशत के लगभग है। मैं यही कहूँगा कि समाजवाद का भुलावा केवल वोट लेने के लिए ही दिया गया है।

बजट में सरकार ने दावा किया है कि मूल्य स्तर स्थिर रहा है। किन्तु वास्तविकता कुछ और है क्योंकि एक वर्ष में ही दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य लगभग 30 प्रतिशत बढ़े हैं। राष्ट्रीय श्रमिक आयोग का कहना है कि जो वस्तुएं और सेवाएं 1969 में 100 रुपये से खरीदी जा सकती थी उन्हीं वस्तुओं के लिए 1970 में 228 रुपये देने पड़े। कीमतों में वृद्धि से सामान्य जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। 4 जनवरी 1972 के हिन्दुस्तान टाइम्ज में प्रकाशित किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कुछ मदों में कीमत वृद्धि इस प्रकार हुई। मीट 5 3 रुपये से बढ़कर 6 रुपये प्रति किलो हो गया और अब यह 6.5 रुपये प्रति किलो है। चावल 1.70 रुपये से बढ़कर 2 रुपये, देसी गेहूँ 90 पैसे से बढ़कर 1 रु० 10 पैसे प्रति किलो हो गया। यह अत्यन्त

गम्भीर स्थिति है और अतिरिक्त कराधान तथा घाटे की अर्थ व्यवस्था मूल्यों में और वृद्धि करेगी और इससे सामान्य जनता पर विशेषकर कर्मचारियों और श्रमिकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि शनिवार को जो समय बर्बाद हुआ, वह आज आधा घण्टा ज्यादा बैठकर पूरा किया जाये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज भी बहुत कम सदस्य उपस्थित हैं। आज भी कहीं वैसी ही स्थिति न हो जाए जैसी शनिवार को थी ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है । उस दिन सदस्यों को बैठक का पता नहीं था और उनके पहले से कार्य तय थे । अब सभा कल 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 21 मार्च 1972/1 चैत्र 1894 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, March 21, 1972/ Chaitra 1, 1894 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.